(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4)　　सप्तम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 28वां दिवस　　(संख्या 20

शुक्रवार

दिनांक 19 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। प्रश्न संख्या 555.

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के लिए मुझे अधिकृत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना हमारे पास आई है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां साहब, इनके पास है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

जोधपुर मंडोर स्थित देवताओं की मूर्तियों का रख-रखाव

555. **श्री बंसीलाल पटवा :** (भीलवाड़ा) [श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) की अनुपस्थिति में) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि जोधपुर में मंडोर स्थित देवताओं की साल की भव्य मूर्तियां निरन्तर क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं ? यदि हां तो राज्य सरकार ने उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था की है ?

राज्य मंत्री, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमारे पास आया नहीं था। हमने लिखित में पोस्टपोनमेंट मांगा है क्योंकि....

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत साधारण सा प्रश्न है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : रिप्लाई अभी तक आया नहीं है हमारे आफिस में। प्रश्न का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : डिपार्टमेंट आपका कहना नहीं मानता है।

श्री अध्यक्ष : आज कल कहना कुछ कम ही मान रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये जाती हुई सरकार के लक्षण हैं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इस प्रश्न के जवाब में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप कहें तो मैं जवाब दे दूं।

प्रश्न संख्या 556

श्री अध्यक्ष : श्री घाराराम। श्री नन्दलाल मीणा।

मंत्री जी क्या फर्मा रहे हैं ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (**श्री सी. एल. कंवरिया**) : प्रश्नकर्ता नहीं हैं और....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

राजस्थान नहर निर्माण में आई भूमि आदि का मुआवजा

557. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में नहर निर्माण के दौरान तहसील कोलायत के गरीब काश्तकारो के झोंपड़े, कुण्ड व कुए आदि, जो नष्ट कर दिए गये है, का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ?

(2) क्या इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु काश्तकारों ने प्रार्थना पत्र व आन्दोलन की सूचना दी है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) कोलायत तहसील के कितने काश्तकारों के झोंपड़े, कुण्ड तथा भूमि राजस्थान नहर, वाटर सप्लाई चैनल, सड़क व भट्टों के निर्माण में आई है ? ऐसे ग्रामीणों की कितनी कितनी भूमि, झोंपड़े व कुण्ड एवं कुए अवाप्त किये गये हैं?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी): (1) कुछ काश्तकारों को मुआवजा चुका दिया गया है।

(2) जी हां। प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं पर आन्दोलन की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुए हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ काश्तकारों को मुआवजा चुकाया गया है। बाकी को मुआवजा देने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) कोलायत तहसील के अब तक 56 काश्तकारों के झोंपड़े, कुण्ड तथा भूमि राजस्थान नहर, वाटर सप्लाई चैनल, सड़क व भट्टों के निर्माण में आई है। ऐसे ग्रामीणों की 456 बीघा 13 बिस्वा भूमि झोंपड़े व 22 कुएं एवं कुण्ड अवाप्त किये गये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करूं, जैसा मैंने प्रश्न में पूछा है कि क्या काश्तकारों की भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र में नहर निर्माण के अन्दर अवाप्त कर ली गई है ? दूसरा मैं मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान लैंड एक्वीजिशन एक्ट, 53 के तहत सरकार ने किसी काश्तकार को भूमि अवाप्ति के पूर्व

Page No 3

(3)

(श्री देवीसिंह भाटी)

नोटिस दिए या गजट नोटिफिकेशन निकाला, जैसा कि कानून में प्रावधान है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल इस पर स्थगन प्रस्ताव भी रखा था और कल मैंने सदन में एडमिट भी किया था कि मेरे हिसाब से कुछ ज्यादती हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अफसरों को आदेश दे दिये हैं, जिन खातेदारों की जमीन एक्वायर की गई है अगर उनको कम्पेन-सेशन या भूमि के एवज में भूमि नहीं दी गई है, उनके केसेज 30 जून, 82 तक सैटल हो जाने चाहिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने प्रश्न यह किया था कि क्या राजस्थान विधान सभा के द्वारा बनाये गये राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत सरकार ने भूमि अवाप्ति से पूर्व राजस्थान नहर निर्माण क्षेत्र के अन्दर किसी भी काश्तकार को नोटिस, जैसा कि नियमों में प्रावधान है, दिये गये या गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के पास इमर्जेन्सी पावर्स भी हैं बगैर नोटिस दिए जमीन अवाप्त कर सकते हैं, अण्डर सरटेन रिक्वायरमेंट्स और बाद में....

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसी इमर्जेन्सी हो कि एक दिन में ही निर्माण कराना है, यह काम तो अभी तक चल रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज से पांच-चार साल पहले ऐसा हुआ था। अब नाचना के पास नहर पहुंची है और मुझ को पता है, अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को तकलीफ होती है। जो गलती हुई है वह आगे नहीं होगी। कैनाल के लिये बगैर नोटिस के कुछ एक्वीजिशन हुआ था लेकिन उसके कम्पेनसेशन की प्रोसिडिंग्स में जो डिले हुई है, अध्यक्ष महोदय, वह इस कारण से हुई है कि लोगों का ज्यादा इन्ट्रेस्ट इस बात में है कि वे इस एरिया में पैसे के बनिस्पत जमीन चाहते हैं। उसके अलाट-मेंट के कारण, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी डिले हुई है लेकिन हमने आदेश दे दिये हैं अब आप जरूर सैटल कर लीजिए। कोई बहाना नहीं होगा कि और देरी लगेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : इसका मतलब यह साफ है, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के द्वारा जो कानून बनाया गया ...

श्री अध्यक्ष : विधान सभा कानून बनाती है यह तो सब जानते हैं। इसका कानून बना है, यह विधान सभा में बना या पार्लियामेंट के अन्दर बना, इससे क्या मतलब है ?

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार ने पालन किया नहीं......

श्री अध्यक्ष : यह कहिये।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आप गरीब काश्तकारों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ हैं ...

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार ने इसका नोटिस नहीं दिया। कितना बड़ा घोटाला इन काश्तकारों के साथ :..

श्री अध्यक्ष : सरकार को ऐसा अधिकार है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं ...

श्री देवी सिंह भाटी : चाहे कत्ले आम हो जाये। कत्ले आम हो गया और कोई सुनवाई नहीं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : काश्तकारों को क्या मिला। काश्तकारों की जमीन दी जाये जमीन के एवज में।

श्री देवीसिंह भाटी : दूसरा जो उन्होंने यह फर्माया कि विभाग को कोई आन्दोलन की सूचना नहीं इसके बावजूद कि जिलाधीश, बीकानेर ने उपनिवेशन आयुक्त को 25 फरवरी, 81 को इस बारे में लिखा कि ग्रामीण संघर्ष....

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में आन्दोलन हुआ या नहीं ?

श्री देवीसिंह भाटी : आन्दोलन हुआ उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, समझौता हुआ उसके आधार पर उन्होंने लिखा भी है कि जो नहर के अन्दर भूमि अवाप्त की है, भट्टे, सड़क, झोंपड़ी, कुण्ड आदि की भूमि अवाप्त की है उसके लिए तुरन्त कार्यवाही कर मुआवजा दे दें और सरकार उत्तर देती है कि हमको सूचना नहीं है। उपनिवेशन आयुक्त के सामने फैसला हुआ। ये गलत सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा अन्याय हो रहा है काश्तकारों के साथ, उस क्षेत्र के लोगों के साथ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बगैर नोटिस के हजारों की तादाद में काश्तकारों की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिये मैं अर्ज कर दूं, मेरी खुद की जमीन ली गई है आज तक उसका कम्पेनसेशन नहीं मिला। लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट है, उसमें अण्डर सर्टेन प्राविजन्स We can acquire the land

श्री अध्यक्ष : आप भी माननीय सदस्य से पैरवी करवाते तो ठीक रहता।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 456 काश्तकार हैं जिनमें से कुछ को मुआवजा मिल गया है। मैं मानता हूं एडमिट करता हूं सदन तो, में गलती हुई है। इतने उत्तेजित हो रहे हैं। इनको सोल्यूशन भी देवें तो भी नाराज ...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल।

श्री देवीसिंह भाटी : जिन सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, जिनको सूचना देनी चाहिये थी काश्तकारों को, क्या राज्य सरकार उनकी जांच करायेगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो 456 काश्तकारों की भूमि अवाप्त हुई है अधिकतर केसेज सन् 77 और 80 के बीच के हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कार्यवाही की तो फर्मायेंगे कि उन अधिकारियों को प्रिजुडिसली ट्रीट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे जो भी प्रश्न हैं, राजस्थान नहर के बारे में बार बार पूछता हूं, उनका गलत उत्तर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सरकारी अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है, क्या राज्य सरकार उसकी जांच करायेगी जिससे भविष्य में इसकी हिमाकत नहीं करें ? मंत्री महोदय उत्तर दें। बात करने में लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत दूंगा, तभी।

श्री देवीसिंह भाटी : गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कौनसे इमर्जेन्सी कारण थे, ऐसा कौनसा लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत प्रावधान है जिसमें बगैर नोटिस दिये....

श्री अध्यक्ष : आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। पहले आपने यह कहा कि जिन सरकारी अधिकारियों द्वारा कानून की पालना नहीं की गई है, उनके बारे में एक्शन लेंगे ? गलती की है सरकारी अधिकारियों ने उसके बारे में उत्तर दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कोई इन्टेंशनली गलती नहीं हुई है। आज नहर के लिये इस सदन के मार्फत हमारी सरकार ने, केन्द्र सरकार ने प्राथमिकता दे रखी है। अगर एक छोटे काश्तकार से एक डेढ़ बीघा भूमि लेने के लिये नोटिस दें तो दो-दो साल एक्वायर करने में लग जायें। फिर बाद में प्रश्न आयेंगे, नहर के निर्माण में ढील क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार ने यह इरादा कब किया कि जमीन लेनी है और उसके कितने दिन बाद ली ? कितनी जमीन इनवाल्व थी ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ गया, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, कोई विशेष मामला हुआ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं तो एक ही बात और होना चाहता हूं, क्या मैंने मंत्री महोदय का ठीक समझा है। उन्होंने एक स्टेज पर कहा है, 'कानून ठीक है या

(श्री राजबहादुर)

नहीं है, अन्डर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, 'यह कहा है । हम जमीन एक्वायर कर सकते' शब्द हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, यह नहीं कहा है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, लैंड एक्वीजिशन एक्ट के नीचे ऐसा प्रावधान है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रावधान है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उसके सैक्शंस के नीचे लैण्ड एक्वीजिशन की पावर्स दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री देवीसिंह भाटी : उन काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया, ऐसी क्या इमर्जेन्सी थी ? एक-आध आदमी हो सकते थे । आज 22 साल के दौरान राजस्थान नहर में गरीब काश्तकारों को जबर्दस्ती मारा जा रहा है । यह सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करती रही, इस पर ध्यान देना चाहिये नहीं तो लोग आन्दोलित होकर नहर निर्माण कार्य बन्द कर देंगे । मन्त्री महोदय गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नरपतराम बरबड़ । भाषण नहीं होगा ।

जोधपुर नगर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन

558. **श्री नरपतराम बरबड़** (परबतसर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन करने बाबत मामला लम्बे समय से विचाराधीन है ?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति के लोगों को व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत "पिछड़े को पहले" में व्यावसायिक भूखण्ड अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जोधपुर नगर में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन करने का प्रस्ताव नगर विकास न्यास जोधपुर ने किया था ।

(2) राजस्थान नगर सुधार न्यास भूमि आवंटन नियम, 1974 के नियम 15 के अनुसार व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन

Page No 7

(7)

(श्री चेतराम मीणा)

करने का प्रावधान नहीं है। केवल नीलामी से बेचने का प्रावधान है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री नरपतराम बरबड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, डिस्पोजल आफ अरबन लैंड रूल्स, 1974 के सेक्शन 14 और 15 में सरकार अमेंडमेंट करना चाहती है या नहीं ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई विचाराधीन मामला नहीं है।

श्री नरपतराम बरबड़ : क्या यह सही है कि कार्माशियल प्लाटों को नीलाम करने के आदेश दिये थे उस पर जो स्टे आर्डर था वह निरस्त इस आधार पर किया गया था कि एस.सी. और एस.टी. के लोगों को कार्माशियल प्लाट अलाट किये जायेंगे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नगर आयोजना मंत्री को एड्रेस किया गया है। जहां तक इण्डस्ट्रियल प्लाट का प्रश्न है, वह इण्डस्ट्री विभाग से संबंधित है। पहले इण्डस्ट्रियल प्लाटों का कार्य इण्डस्ट्री विभाग द्वारा किया जाता था अब "रीको" द्वारा किया जा रहा है। यदि इस प्रश्न का मामला विचाराधीन होगा तो उद्योग विभाग में होगा। जहां तक इस विभाग का संबंध है, ऐसा कोई विचाराधीन मामला नहीं है।

श्री नरपतराम बरबड़ : यह इण्डस्ट्रियल प्लाट के लिये नहीं है, कार्माशियल प्लाट के लिये है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रसिंह।

राजस्थान नहर निर्माण में प्रशासनिक व्यय

559. **श्री महेन्द्रसिंह** (सांगरिया) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान नहर व खालों के निर्माण पर प्रति वर्ष कितना काम होता है ? कृपया गत तीन वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें। प्रशासनिक व्यय और निर्माण कार्यों पर व्यय के आंकड़े पृथक पृथक देते हुए बतायें कि प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है।

(2) परियोजना के प्रारम्भ में प्रशासनिक व्यय कितना प्रतिशत रखा गया था और इसको कितना और बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि पक्के खालों का निर्माण का खर्चा किसानों से वसूल किया जायेगा ?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर (**श्री नरेन्द्रसिंह भाटी**) : (1) राजस्थान नहर व इस विभाग द्वारा केवल बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट योजना पर निर्मित

(8)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

खालों पर गत तीन वर्षों में किये गये कार्यों के आंकड़े संलग्न तालिका में दर्शाये गये हैं। प्रथम चरण के खालों का कार्य सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है अतः वह इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। वर्ष 1978-79, 79-80 एवं 1980-81 में प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का प्रतिशत निम्न प्रकार था :

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	प्रशानिसक व्यय कुल व्यय का प्रतिशत
1978-79	384.77	2929·48	13.13
1979-80	431·14	2484·57	17·73
1980-81	505·05	2159·35	23 41

(2) प्रोजेक्ट एस्टीमेट ईयर 1958 के अनुसार परियोजना के प्रारम्भ में प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय निर्माण कार्यों के व्यय का 11 प्रतिशत तथा वर्ष 1979 में राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत निर्धारित किया है।

(3) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर पर जो पक्के खाले विभाग द्वारा निर्माण किये गये हैं वे सभी परियोजना व्यय के अन्तर्गत किये गये हैं व उनके निर्माण के व्यय की वसूली किसानों से करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, पर्सेन्टेज के बारे में कहा है, वह दुबारा बता दें। तालिका संलग्न रखी गई है यह बता दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 78–79 में कुल व्यय हुआ था, 2929·48 लेक्स, प्रशासनिक व्यय 384·77 लेक्स और पर्सेन्टज 13.13। 79–80 में 4314 लेक्स प्रशासनिक व्यय और कुल व्यय 2484·57 लेक्स, पर्सेन्टेज 17.73। 80–81 में 505 05 लेक्स प्रशासनिक व्यय, कुल व्यय 2159·35 लेक्स, पर्सेन्टेज 23·41।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा प्रश्न है कि राजस्थान कैनाल एरिया में लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना में खालों का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है तो क्या गंग कैनाल और भाखरा कैनाल एरिया के खालों के लिये सरकार अनुदान या पैसा देने के लिये सोच रही है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : गंग कैनाल या भाखरा कैनाल एरिया में सरकार क्या

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

निर्णय लेगी इसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता लेकिन लूणकरणसर लिफ्ट में ड्रिंकिंग वाटर प्लस इरिग्रेशन कंपोनेंट के लिये तो 1968 में मंत्रिमण्डल में एक डिसीजन लिया गया था कि यह काम तो करवा दिया जाये और खालों का पैसा काश्तकारों से लेना है या सरकार बाद में खर्चा भुगतेगी यह एक बार पोस्टपोन कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : अब किसानों के जिम्मे कर दिया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी किसानों के जिम्मे नहीं किया है लेकिन इस पर मंत्रिमण्डल ने डिसीजन नहीं लिया। मोस्ट प्रोबेबली मेन्टेनेंस किसानों पर रहेगी क्योंकि 30-31 करोड़ का प्रोजेक्ट था

श्री अध्यक्ष : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : आपने अपने उत्तर में कहा है कि प्रस्तावित प्रशासनिक व्यय निर्माण कार्यों पर 11 प्र०श० 78-79 में था और खर्चा दर्शाया है 13.13 प्र० श० तो 2.13 प्र०श० काश्तकारों पर पड़ेगा या राज्य सरकार पर पड़ेगा ? इसी प्रकार 79-80 में 15 प्र०श० प्रस्तावित किया था जबकि 79-80 में 17.73 प्र०श० और 80-81 में 23.41 प्र० श० खर्चा किया गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रशासनिक खर्चा हमारे खालों पर किया वह राज्य सरकार वहन करेगी या काश्तकार वहन करेंगे ?

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : इन्होंने जो प्रशासनिक खर्चा बताया, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि बाकी आपका खालों पर खर्च होता है या एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज पर होता है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : इसी से संबंधित एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपके पास राजस्थान नहर का विभाग रहा है क्या ?

श्री दुलाराम : यह घपला उसी समय का है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि फाइनेंशियल और फिजिकल टार्गेट्स घटते जा रहे हैं और प्रशासनिक व्यय बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, दुलाराम जी ने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मेरा निवेदन है कि 11 प्र०श० गवर्नमेंट का प्रशासनिक व्यय 58 में स्वीकृत, एक्सेप्टेबल था। वह रिवाइज हुआ 79 में और सरकार ने निर्णय लिया कि 15 प्र०श० एक्सेप्टेबल है। अब जहां तक सवाल उठता है कि ओवर आल एक्सपेंडीचर, Which will include. अब इसमें कैनाल डिस्ट्रिब्यूशन, मेन कैनाल का खर्चा सब शामिल है। जो कुल व्यय 79 में 2929.48 लाख और था, 80 में 2484.57

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

लाख और 81 में 2157.35 लाख है उसका प्रतिशत काश्तकारों पर टांसफर नहीं करेंगे, this will not be transferred to the cultivators. अब सुनील विश्नोई और दुलारामजी ने जो प्रश्न उठाया और उसी से कनेक्टेड विपक्ष के माननीय चतुर्वेदीजी ने प्रश्न उठाया उसके बारे में मैं आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि 79–80 मे हमारे पास कोल की भयकर शार्टेज आई इस कारण उस समय जो 9 करोड़ का काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ इसलिये प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट तो वैसा की वैसा रहा और 13.13 और 17.73 प्रतिशत जो 79-80 में तो इस कारण हुआ और 80–81 मे इन दी मन्थ आफ जनवरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण सरकार को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, 31 करोड़ का टोटल बजट था उसकी जगह उस साल के लिये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण····

श्री अध्यक्ष : मेहमान जब आने को हो तो खाना तो ज्यादा बना लेते है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : फिर 31 करोड़ की जगह 21 करोड़ की परमिशन मिली, जनवरी के महीने में मेरे विभाग को परमिशन मिली कि 31 करोड़ का ही प्रावधान होगा, तो I cannot cut my staff immediataly, Sir. यह 5–1–81 को परमिशन मिली, 81–82 का कार्य करना था तो स्टाफ तो वही रहा।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि प्रशासनिक खर्चा खालों वालों किसानों से वसूल नहीं करेंगे, यह बात असत्य है। आज भी खाले बन रहे हैं और उनका सुपरवीजन का एस. ई. से लेकर बेलदार तक का खर्चा काश्तकार दे रहे हैं। आपका जवाब गलत है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं, एक प्रोजेक्ट का मेरे को पता था, माननीय सदस्य, महेन्द्र सिंहजी का शायद इंटेंशन कैनाल एरिया वर्क्स के बारे में पूछने का था। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि उन्होंने राजस्थान मेन कैनाल कंस्ट्रक्शन को साथ जोड़ दिया So I could not avoid the answer to this question. मैंने शुरूआत में ही कह दिया कि जो सी. ए. डी. कंपोनेंट से सम्बन्धित प्रश्न है उसका उत्तर इसमें इनक्लूड नहीं है और अब माननीय दुलाराम जी पूछ रहे हैं कि खालों का पैसा काश्तकारों पर जोड़ा जा रहा है उसमें प्रशासनिक व्यय भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, खाले इसी प्रोजेक्ट मे बने हैं इसका मैंने आपको उत्तर दे दिया कि अब तक का प्रशासनिक व्यय तो कहीं गया खालों का खर्चा भी हमने नहीं जोड़ा।

श्री सुनील विश्नोई : लूणकरणसर में जो खाले बनाये गये हैं उनमें मूल से ज्यादा तो ब्याज हो गया, काश्तकारों पर।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मंत्री महोदय, खालों के निर्माण का काम दरअसल में

(श्री अध्यक्ष)

मिस्त्री स्तर का काम है इसमें एक्स. ईएन. एस. ई, सी. ई. को लगा दें तो भारी पड़ता है इसलिये जरा विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह।

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा लैटर आया था कि किसानों के लिए जो पक्के खाले बनाये जा रहे हैं उनके अनुदान के लिए अगर 50 पर्सेन्ट पैसा राज्य सरकार दे तो पचास पर्सेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी ? अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बीकानेर में सी. ए. डी. डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जो कोठियां बन रही हैं, क्या उन कोठियों का खर्चा उनकी जीपों का खर्चा, उनकी बीवी बच्चों का खर्चा भी इन खालों पर पड़ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बीवी-बच्चे तो इसमें शामिल हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वापस सूचित कर दूं, it is not connected with my department.

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरह से उठावें।

आर्डर।

श्री महेन्द्र सिंह : यह मेरा पहला क्वेश्चन है इसलिये मेरे क्वेश्चन का जवाब दिलावें। यदि यह मंत्री महोदय से सम्बन्धित नहीं है तो माननीय कमला बेनीवाल मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने पूछा है, से मैं जानकारी ले लूं। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस प्रश्न के तीन भाग हैं। पहला, दूसरा भाग मंत्री महोदय से संबंधित है। तीसरा भाग सी. ए. डी. से सम्बन्धित है। मैं पहले भाग के बारे में पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटेस्टिक्स दिये हैं, उनमें आपने कारण बताया है कि फिजिकल टार्गेट्स कम हैं तो प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या इसके प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिये कोई न कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री दुलाराम : क्या आपने कोशिश की थी ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 1979-80 में देश में कोयले की कमी थी इसलिये प्रशासनिक व्यय बढ़ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में क्या राजस्थान

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहर प्रोजेक्ट को पूरा कोयला मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

आर्डर । इस बारे में प्रश्न नहीं पूछा है । इस तरह उत्तर नहीं आयेगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फिर प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा । कोयला नहर के निर्माण के काम में आता है ।

श्री अध्यक्ष : ऊंटगाड़ी भी काम में आती है । आर्डर प्लीज । जो इससे संबंधित प्रश्न है उसीका उत्तर आयेगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार की और मेरी पूरी इन्टेन्शन है कि 15 पर्सेन्ट से ज्यादा प्रशासनिक खर्च नहीं होना चाहिए लेकिन किसी कारणवश कभी हो जाता है, जैसे इसी साल, अध्यक्ष महोदय, ओवर ड्राफ्ट के कारण हमें दस करोड़ रुपया कम मिला । अध्यक्ष महोदय, अगर फरवरी के महीने में फर्मायें, अक्टूबर में फर्मावें कि हम आपको यह बजट देंगे तो प्रशासनिक खर्च ज्यादा हो सकता है । वैसे टोटल यही है कि 15 पर्सेन्ट से ऊपर नहीं बढ़ेगा । लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स जैसे कोयले की शार्टेज हुई, फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी हुई ऐन मौके पर इस कारण ज्यादा हुआ । आप जुलाई के महीने में निश्चित बजट दें तब तो मैं प्रिकाशन ले सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सरकार को मानिटरिंग करना चाहिये, कितना पैसा देंगे, कितना खर्चा होगा । कितना ओवर ड्राफ्ट है, कितनी वित्तीय कठिनाई है, यह आप बराबर देखते रहें ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मानिटरिंग होता है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ आउट साइड इन्फुलेन्स पर डिपेन्ड करता है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरी आशंका सत्य है, राजस्थान नहर के कार्य को बाहरी शक्तियां प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं । मंत्री महोदय भी इसको स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इतने संजीदा विपक्ष के नेता द्वारा इतना एक अन-कनेक्टेड इन्टरप्रिटेशन हो जाये, इसका तो मैं क्या जवाब दूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस बार यह 25 पर्सेन्ट आयेगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : 1979-80 के जो आंकड़े हैं, वह विपक्ष के ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 17 पर्सेन्ट से यह 23 पर्सेन्ट हो गया ।

श्री दुलाराम : 17 पर्सेन्ट भी क्यों हुआ ? आपको होने नहीं देना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : ट्रेण्ड इन्क्रीज है । पर्सेन्टेज बनाये रखा है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 2929.48 करोड़ 1978-79 में, 2484.57 करोड़ 1979-80 में और 2157.35 करोड़ 1980-81 में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 560। श्री सी. पी. जोशी ।

राजसमन्द (उदयपुर) में संगमरमर खनन के पट्टे

560. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के राजसमन्द क्षेत्र के गांव आगरिया कोटड़ी, बान्डा, रूपवास का गुढ़ा आदि में मार्बल खनिज के योजनाबद्ध ढंग से पट्टे दिये जाने हेतु डेलिनियेशन हेतु क्षेत्र सुरक्षित किया जाकर डेलिनियेशन किया जाकर नक्शा तैयार किया गया है ?

(2) इस सुरक्षित क्षेत्र में से बीच बीच में से 100×100 मीटर क्षेत्र के कितने पट्टे सन् 1980-81 एवं 1981-82 में किस किसके हक में कब कब सहायक खनिज अभियन्ता/खनिज अभियन्ता द्वारा छितराये हुए मान कर स्वीकृत किये गये ?

(3) छितराया हुआ क्षेत्र मापने का मापदण्ड क्या रहा है और इस क्षेत्र में कितना क्षेत्र छितराया हुआ माना गया है ?

(4) क्या इस तथ्य से सर्व साधारण को अवगत कराया गया या कि डेलिनियेशन के लिये सुरक्षित क्षेत्र के बीच बीच में छितराया हुआ क्षेत्र है और उसमें से बिना डेलिनियेशन के ही पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां । राज्य सरकार ने दिनांक 29-10-79 को निर्णय लिया कि राजनगर ग्रामेट क्षेत्र में जहां जहां मार्बल खनिज के सघन क्षेत्र हैं, वहां पर डेलिनियेशन द्वारा प्लाट बनाकर खनन पटटे स्वीकार किये जायें । इस निर्णय के अनुसार आगरिया, कैलवा (ए) व कैलवा (बी), रूपवास का गुढा, पार्वती (पुरानी), निजरना, तलाई, मोरवड तथा नई पार्वती क्षेत्रों में प्लाट्स डेलिनियेट किये गये हैं । कोटड़ी, बाण्डा तथा रूपवास का गुढ़ा में प्लाटस डेलिनियेट नहीं किये गये हैं । छितरे हुए प्लाट आवेदन पत्रों के आधार पर दिये जा सकते हैं ।

(2) खनिज अभियन्ता, उदयपुर द्वारा 100×100 वर्ग मीटर के कुछ खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं । इसके बारे में जांच की जा रही है ।

(3) ऐसे क्षेत्र जो क्षेत्रफल में 300×200 व. मी. से कम हैं, अर्थात् जहां पर कि 100×100 वर्ग मीटर क्षेत्र के 6 से अधिक प्लाट्स नहीं बन सकते हों तथा चालू डेलिनियेशन क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जो डेलिनियेशन के योग्य हों, से एक किलोमीटर से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अधिक दूरी पर हो, छितराये हुए माने गये हैं। यह मापदण्ड दिनांक 25-11-80 को निश्चित किये गये थे। राजनगर क्षेत्र में छितराया हुआ मान कर कुल 0.207 वर्ग कि. मी. क्षेत्र स्वीकृत किया गया है।

(4) जी नहीं। नियमानुसार इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या 29-10-79 को डलिनियेशन का प्लान आपने घोषित किया है? आज दिन तक मार्बल के कितने प्लाट्स हैं? अभी तक प्लाट अलॉट नहीं किये गये हैं, क्या यह सही है? दूसरा प्रश्न है, जो छितराये हुए प्लाट्स की परिभाषा दी है, उस परिभाषा में यह नहीं बताया है कि कितना परसन्ट खनिज है। क्या 60 प्रतिशत से अधिक जहां पर खनिज मिलता है उस क्षेत्र को छितराया हुआ क्षेत्र मानते हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य, एक-एक करके पूछें, आप बहुत तेज बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, यह जो आप फर्मा रहे हैं कि अभी तक प्लाट्स का आवटन नहीं किया गया है, यह बात सही है। हाई कोर्ट के स्थगन के कारण उन सारे पट्टों, जो खनन के लिये स्वीकृत किये गये हैं, पर खनन नहीं हो रहा है। कुछ व्यक्तियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है उसके कारण से एग्रीमेंट का निष्पादन नहीं हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : क्या यह सच है कि हाई कोर्ट के स्टे के कारण खनिज अभियन्ता ने कुछ हिस्से को छितराया हुआ मानकर कुछ लोगों को पट्टे आवंटित कर दिये हैं और उनके द्वारा खनन किया जा रहा है तथा जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी वे खनन कार्य नहीं कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं यह बात सही है। जो छितराया हुआ क्षेत्र की बात की है उसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्ग-दर्शन दिया गया था, डाइरेक्शन दिया गया था, आज सुबह जब मैं यह प्रश्न देख रहा था तो इसका अवलोकन करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। इस मामले पर मैंने विभाग के अधिकारियों से भी बात की और असिस्टेन्ट इंजीनियर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा तो और भी कई जगह हुआ है, सारे डिपार्टमेंट को ही सस्पेंड करना पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है। इसके बारे में तो जो दोषी होगा वह सजा पायेगा। जब मैं प्रश्न देख रहा था, तब इसके अन्दर जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, उस आरोप को रिकार्ड के आधार पर मैंने प्राइमाफेसी सही पाया, इसलिये मैंने असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सस्पेन्ड करने का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

निर्णय आज ही लिया है । मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात से सहमति व्यक्त की है कि इस मामले के अन्दर जो डाइरेक्शन्स दी गयी थीं उनका उल्लंघन किया गया है इसलिए उस ए. ईएन. को सस्पेन्ड करने का निर्णय लिया गया ।

एक माननीय सदस्य : हड़ताल हो जायेगी तब क्या करेंगे ? यह तो कोई हल नहीं है ।

श्री सी. पी. जोशी : क्या सरकार भविष्य में जहां जहां पर खनिज के प्लाट्स डेलिनियेट किये जाते हैं वहां पर बिना नोटिफिकेशन के किसी व्यक्ति को इस तरह से प्लाट्स स्वीकृत नहीं करेगी ? और नहीं करने की दशा में जो सरकार को रॉयल्टी का लॉस होगा उसको कम्पनसेट करने का आपके पास क्या हल है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस इलाके में प्लाट्स डेलिनियेट करने का निर्णय लिया गया था, यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में जो यह निर्णय लिया गया था उसके अनुसार आगरिया, कंलवा (ए) व कंलवा (बी), रूपवास का गुढ़ा निजरना, तलाई आदि में प्लाट्स डेलिनियेट किये गये थे तथा यह तय किया गया था कि उस एरिया की परिधि में एक मील तक कोई प्लाट्स अलॉट नहीं किये जायेंगे । लेकिन जो नियम के विरुद्ध अलाटमेंट किया गया है वह बड़ा गम्भीर मसला है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब प्राइमाफेसी कुछ शंका हुई तो यह निर्णय लिया गया और उसको सस्पेंड किया जा रहा है । इसमें बाकायदा गजट नोटिफिकेशन किया गया है, बाकायदा एप्लीकेशन इन्वाइट की गयी थीं, उन नियमों का उल्लंघन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिये थे उनका उल्लंघन किया गया है तो उसके लिये नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सी०पी० जोशी : मेरा निवेदन यह है कि जो सामान्य नागरिकों का एरिया है उसमें प्लाट्स नहीं दिये गये परन्तु छितराया हुआ इलाका मानकर आपने कुछ लोगों को गलत प्लाट्स काट दिये । जिन लोगों को गलत पट्टे दिये गये हैं उन्होंने खनन करना शुरू कर दिया है इसलिये सरकार को उससे रॉयल्टी की हानि तो हो रही है साथ ही साथ विभाग के जिन कर्मचारियों ने छितराये हुए क्षेत्र के आधार पर पट्टे ले लिये थे उन्होंने उन पट्टों को पैसे वालों को वापस बेच दिया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों को आवंटन किया गया था उन्होंने दूसरों को बेच दिया है । अगर माननीय सदस्य इसके बारे में जानकारी देंगे तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

12 सितम्बर, 1981 को पुलिस मेमोरियल जयपुर के चौराहे पर दुर्घटना

561. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई), श्री माधवसिंह दीवान (सोजत), श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) व श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) वर्ष 1981 मे जयपुर शहर में व उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रक्स से एक्सीडेन्ट की कितनी दुर्घटनाएं हुई व कितने थानो में रिपोर्ट दर्ज हुई तथा प्रत्येक पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं एवं भविष्य में किये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि ट्रक ड्राइवर्स बीच चौराहों पर दुर्घटना कर भागने में सफल हो जाते हैं और पकड़े नहीं जाते ? यदि हां, तो इसके लिये क्या पुलिस की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जा सकती ?

(3) क्या यह सही है कि गत 12 सितम्बर, 1981 को पुलिस मेमोरियल सर्किल, जयपुर पर प्रातः एक 20 वर्षीय नगर विकास न्यास के गरीब साइकिल सवार की टक्कर से मृत्यु हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि दुर्घटना के बाद एक प्रत्यक्षदर्शी और एक कार वाले ने ट्रक, जिसका नम्बर डी. एच. एल. 425 था, को रोकने की कोशिश की परन्तु ट्रक ड्राइवर भाग गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि ट्रक तथा ट्रक चालक को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि मृतक लड़के के गरीब पिता ने मौखिक एवं लिखित रूप में कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी ड्राइवर को पकड़ने का निवेदन किया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? अब प्रकरण किस चरण में है ?

राज्य मंत्री, गृह (**श्री प्रद्युम्न सिंह**) : (1) वर्ष 1981 में जयपुर नगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रक एक्सीडेन्ट के कुल 130 मुकदमे 17 थानों में दर्ज हुए जिसमें से 124 में चालान तथा 6 में एफ. आई. आर. लगाई गई है। इनकी रोकथाम के लिए:—

(अ) नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

(ब) शहर के बाहर निकास के मार्गों पर चुंगी चौकी के पास यातायात की चौकियां स्थापित की गई है, जो वायरलेस से जुड़ी हुई हैं।

(स) शहर के कुछ बाजारों के रास्ते एवं अन्य सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है।

(द) पुलिस गश्त का माकूल प्रबन्ध किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) जी हां। कई मर्तबा ट्रक ड्राइवर एक्सीडेन्ट करके भाग जाते हैं परन्तु पुलिस द्वारा उनको पकड़ने के हर सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं। एकाध अपवाद को छोड़कर पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं, ट्रक व ट्रक चालक पकड़ा जा चुका है। ट्रक चालक का चालान दिनांक 23-12-81 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां विचाराधीन है।

(6) मृतक के पिता श्री जगन्नाथ ने जिलाधीश, जयपुर को एक परिवाद इस सम्बन्ध में दिया था, यातायात थाने पर भी दो मर्तबा मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी से मिला था तब मुकदमे में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करने के बारे में व बाद में मुकदमें का चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के बारे में उसे अवगत करा दिया था।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा है उसके बारे में यह तो स्पष्ट कराया जाये कि जयपुर के आसपास के कितने क्षेत्रों की सूचना दी है। दूसरा, आपने भाग दो में कहा कि पुलिस पकड़ने का प्रयास करती है। एकाध अपवाद को छोड़कर, अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर ट्रक एक्सीडेन्ट करके भाग जाते हैं, तो यह सही नहीं है। आप यह बतायें कि आपने कितने की सूचना दी है? यह सूचना सत्य नहीं है कि एकाध को छोड़कर ट्रक पकड़ लिये जाते हैं। अधिकांश ट्रक भाग जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक का जवाब दे दूं फिर पूछ लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना कि सर्वे नहीं किया गया है, तो उसके आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। आंकड़ों के अनुसार, 130 मुकदमों के अन्दर 124 में चालान पेश किये जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इस बात को साबित करता है कि हमने इन मुकदमों के अन्दर कार्यवाही की है। आपने कहा कि कभी-कभी ऐसे मामले आते हैं कि ट्रक एक्सीडेन्ट करके या मारकर भाग जाते हैं, यह सही है, पर उनको पकड़ने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है। मैंने कहा, 120 मुकदमें हैं, मैंने हर केस की स्टडी तो नहीं करी है, नहीं कर पाया, कि 120 में से कितने भाग गये थे और कितने बाद में पकड़े गये हैं लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह निश्चित है कि इस केस के अन्दर ट्रक चालक ट्रक से मार कर भाग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

गया था। एक कार वाले ने उसके नम्बर नोट किये थे। वह दिल्ली का ट्रक था। उसके मालिक का पता लगाया और फिर उस ड्राइवर को पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : कानून के हाथ लम्बे होते है, आखिर पकड़ ही लेते हैं। ज्यादातर में चालान हुए है।

श्री यदुनाथ सिंह : बहुत दिनों के बाद।

श्री माधवसिंह दीवान : ट्रक ड्राइवर जो पकड़ा गया है उसमे देरी हुई है इसलिये मृतक का पिता जो एक्सीडेन्ट ट्रिब्यूनल मे मुआवजे के लिये क्लेम करता वह भी नहीं कर पाया उसकी मियाद निकल गयी और उसका कम्पेनसेशन नही मिला। तो क्या राज्य सरकार उसको कम्पेनसेशन दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सिविल नेचर के एक्सीडेंट होते हैं, उसके अन्दर कम्पेनसेशन क्लेम करने के लिये जितनी मियाद होती है उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : 6 महीने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यदि इसके बारे में आप गौर करेंगे, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि 6 महीने की मियाद होती है, तो यह एक्सीडेन्ट 12-9-81 को हुआ और मुजरिम का चालान अदालत के अन्दर 19-12-81 को प्रस्तुत कर दिया गया है, इसका मतलब 3 महीने के अन्दर चालान प्रस्तुत कर दिया गया। तो, उसके पिता चाहते तो वे तीन महीने के अन्दर कार्यवाही कर सकते थे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शोभाराम।

लूणकरणसर नहर से सिंचाई

562. श्री शोभाराम (थानागाजी) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लूणकरणसर नहर से कितने मुरब्बे सिंचित होते हैं और कब से ?

(2) इन मुरब्बों के लिये सिंचाई की क्या दर है ?

(3) इन मुरब्बों के मालिकों से सिंचाई की वसूली कितनी और कब से बाकी है ?

(4) वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) बीकानेर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचाई वर्ष 1975-76 से प्रारम्भ हुई थी, वर्षवार सिंचित क्षेत्र के आंकड़े संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

(2) वर्तमान में बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर से सिंचित क्षेत्र के लिए सिंचाई

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

की दर प्रवाह द्वारा सिंचित क्षेत्र के लिए निर्धारित दरों से दुगुनी है।

(3) इस नहर के काश्तकारों से सिंचाई दर की वसूली की वर्षवार बकाया की सूची संलग्न है।

(4) 1.4.81 को बकाया कुल 4,22,324/- रुपये राशि में से 1,49,988/- रुपये की वसूली फरवरी, 1982 तक वसूल कर ली गयी है। सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम, 1954 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार जिन काश्तकारों ने दो या दो से अधिक फसलों का सिंचाई शुल्क जमा नहीं कराया है, तो उनको भविष्य में सिंचाई के लिए पानी बन्द करने की कार्यवाही की जावे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री शोभाराम : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, सिंचाई दर आप एकड़ पर मुकर्रर करते हैं या मुरब्बे पर ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की दर एकड़ से मुकर्रर होती है। जो इरिगेशन की रेट मार्च, 82 में रिवाइज हुई थी, अध्यक्ष महोदय, उन दरों की घोषणा कर दी थी। हम लूणकरणसर में डबल चार्ज करते हैं। खेती की 18 रुपया, पल्सेज की 21 रुपया, गार्डन प्लेसेज की 73 रुपया। अगर आप चाहें तो इसकी कॉपी नजर कर दूं।

श्री शोभाराम : आपने एकड़ पर मुकर्रर किया है। करीब पौने 16 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। आपने आंकड़े बताये हैं रबी और खरीफ के। कुछ ऐसे मुरब्बे होते हैं जहां रबी और खरीफ दोनों की सिंचाई होती है, खरीफ का और रबी का भी पानी लेते हैं। इसका मतलब है कि आपने रबी के अलग बताये हैं और खरीफ के अलग बताये हैं। कुछ मुरब्बे आपके ऐसे हैं जहां खरीफ और रबी दोनों फसल होती हैं। वह होती हैं, तो कितनी होती हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, रेट्स तो कॉमन हैं, पूरे राजस्थान के लिए। 1979 में लूणकरणसर के लिए, आप देखें, अध्यक्ष महोदय, एक नोटिफिकेशन के तहत इरिगेशन की दर डिक्लेयर की थीं; "In the II Schedule, the existing para 7 shall be substituted by the following, namely–

"7. Lift or Seepage Irrigation–Where Irrigation is by lift or seepage, half the rates provided in this schedule shall be charged. If the lift is done by the Government, the charges will be levied upto twice the rate applicable to flow Irrigation."

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अब कौन-कौन सी क्राप्स, खरीफ और रबी की, लूणकरणसर में हो रही हैं, अध्यक्ष महोदय, जैसी कि मेरी जानकारी है, लूणकरणसर में ज्यादातर पल्सेज हैं। अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में 1/10 एरिया सिंचित है। यह वैसे पानी शार्टेज के कारण या इम्प्रोपर फंक्शनिंग है, जो, अध्यक्ष महोदय, कल एडमिट किया था। अब आप इसकी डिटेल्ड सूची मांगते हैं तो तैयार करवाकर, क्रॉपवाइज, माननीय सदस्य को नजर कर दूंगा।

श्री शोभाराम : हम जब बीकानेर गये थे तो आप ही के अधिकारियों ने हमको बताया कि ढाई करोड़ रुपया लूणकरणसर का बकाया है आप इसको वेरिफाई कर लीजियेगा। दूसरा, मैंने पूछा था, सिंचित एरिया में रबी और खरीफ डबल क्राप्स हैं क्या ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय यह तो सिंचित एरिया है। चार्जेज खरीफ और रबी, दोनों पर लगते हैं।

श्री शोभाराम : मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो रबी का एरिया बताया है, उसमें खरीफ का एरिया भी सम्मिलित है क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने आपको अलग-अलग आंकड़े दिये हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री शोभाराम : डबल क्राप सिस्टम है या सिंगल क्राप सिस्टम है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डबल क्राप सिस्टम है।

श्री शोभाराम : इसका मतलब खरीफ भी शामिल है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई जरूरी नहीं, माननीय सदस्य, जो पूछ रहे हैं 75-76 में कैनाल शुरू हुई थी। सिंचित होने वाली खरीफ की जमीन 450 एकड़ और रबी की 557 एकड है इन दोनों का टोटल 1007 एकड़ है। माननीय सदस्य ने मुरब्बे के बारे में प्रश्न पूछा था, एक मुरब्बे का कितना चार्ज है। हमारे यहां चार्जेज एकड़ पर लिये जाते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं अर्ज कर दू, 64 रुपये होते हैं। 81-82 में खरीफ में 6,753 एकड़ में, और रबी में 10,500 एकड़ में सिंचाई हुई। अब आप शायद पूछें कि इन दोनों में अंतर क्यों आ रहा है। सोइल क्वालिटी लूणकरणसर और वैस्टर्न राजस्थान सेक्टर में ग्रेजुअली मेच्योर हो रही है, ग्रेजुअली फर्टिलिटी बढ़ रही है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, अमूमन काश्तकार रबी की फसल लेना प्रिफर करता है और थोड़ी बहुत ग्वार लेता है, अगर बरसात आती है तो ग्वार की क्वालिटी भी बढ़ जायेगी और रबी में मदद करेगी। इसलिए मुझे लगता है, इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या 256

(दिनांक 5 मार्च, 1982)

स्थगित प्रश्न । प्रश्न संख्या 256

श्री सुरजाराम टांक

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न । श्री यदुनाथ सिंह ।

(दिनांक 12 मार्च, 1982)

भरतपुर जिले में मथुरा तेलशोधक कारखाने पर आधारित सहायक उद्योग की स्थापना

373. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) व श्री चाव खां (कांमां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने में उत्पादन शुरू हो चुका है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस तेल शोधक कारखाने के सहायक उद्योग पैट्रोकेमिकल्स से सम्बन्धित सीमान्त जिला भरतपुर में लगाने हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बनायी जायेगी और कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु कोई सब्सिडी आदि देने का विचार रखती है ?

(4) उक्त योजना से राज्य में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) राज्य सरकार को अनौपचारिक रूप से जानकारी मिली है कि कारखाने में जनवरी, 1982 में ट्रायल उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।

(2) इस सम्बन्ध में राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि० द्वारा सर्वेक्षण कराया गया । जिसके आधार पर भारत सरकार से मथुरा रिफाइनरी से राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिये नेपथा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है । भारत सरकार द्वारा अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । योजना की क्रियान्विति भारत सरकार के उत्तर पर ही निर्भर है ।

(3) जी नहीं ।

(4) यह जानकारी प्रस्तावित इकाइयों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनने पर ही उपलब्ध हो सकेगी ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह तो खुशी की बात है मन्त्री महोदय ने बताया कि सर्वेक्षण कराया गया था । लेकिन क्या आपके पास इस तरह की कोई सूचना उपलब्ध है कि उस सर्वेक्षण के आधार पर कौन कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं ? मथुरा रिफाइनरी के आधार पर आगरा में उद्योग लगे, भरतपुर में भी लगाये जा सकते हैं क्योंकि वहां छोटी और बड़ी लाइन दोनों हैं, वहां इसकी संभावना भी है तो, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि कौन-कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं ? आपने कहा है कि योजना बनायेंगे, क्या भारत सरकार ने कोई प्रोफार्मा राज्य सरकार को भेजा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : भारत सरकार ने हमको कोई प्रोफार्मा नहीं भेजा है, राज्य

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार ने स्वत : ही भारत सरकार को निवेदन किया था कि नेपथा का अलाटमेंट हमारी स्टेट के लिये किया जाये जिसके आधार पर इस स्टेट में कुछ उद्योगों की स्थापना की जा सके, जैसे सोडा एच की फैक्ट्री है, यूरिया खाद का कारखाना है और डायमण्ड फास्फेट के उद्योग हैं, वे लगाये जा सकते हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि 1 लाख 80 हजार टन नेपथा का आवंटन हमारी स्टेट को किया जा सकता है जिससे उद्योगों की स्थापना की जा सके। परन्तु भारत सरकार ने कोई इण्डीकेशन नहीं दिया है कि कितना सरप्लस नेपथा आ सकेगा, उनका इण्डीकेशन आने के उपरान्त ही निश्चय किया जा सकेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : भारत सरकार को कब लिखा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लास्ट लैटर लिखा है दिसम्बर, 81 में।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रथम बार कब सर्वेक्षण किया ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री राजबहादुर : रेलेवेन्ट है। कितना नेपथा उपलब्ध होने की आशा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको निवेदन किया हमने अपने रिक्वायरमेन्ट्स इण्डीकेट नहीं किये हैं। I have already mentioned this thing in my reply.

श्री राजबहादुर : कम से कम हमें यह कहने का अधिकार है कि क्या क्या संभावनायें हैं और हम कितना मांग रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रथम निवेदन आपकी ओर से कब किया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय बुजुर्ग सदस्य हैं, भरतपुर की उनको चिन्ता है, मेरी भी चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष : आप अंग्रेजी में जवाब क्यों देते हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहला पत्र 17 जुलाई को लिखा है।

श्री राजबहादुर : जुलाई, 81 ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यस। सैकेण्ड लैटर लिखा है 9 दिसम्बर, 81 को। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कोई इण्डीकेशन नहीं दिया है कि कितना नेपथा हमारे लिये है। मथुरा रिफाइनरी का प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाये तब तक उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि कितना नेपथा उपलब्ध करायेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राज्य सरकार ने कहा कि सब्सिडी नही देंगे, इसका क्या कारण है ? क्या नये यूनिट्स के लिए चुंगी से छूट देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, चुंगी और सब्सिडी के लिए अलग से नियम बने हुए हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि पता नहीं था कि मथुरा रिफाइनरी लगेगी, नहीं तो राज्य सरकार पहले से निश्चित योजना बनाती। मन्त्री महोदय ने कहा कि फर्टिलाइजर का कारखाना लग सकता है, तो इनको बहुत पहले से योजना बनानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : उद्योग की मांगों के दिन भी इस प्रश्न को उठाया था।

श्री राजबहादुर : मैंने उठाया था।

श्री यदुनाथसिंह : मैंने भी उठाया था। इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारा केस डिफाल्ट में चला जायेगा वहां लायेजन की तरफ से केस तैयार होना चाहिये, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिये ताकि जमीन, पानी और बिजली समय पर मिल जायें तो काम भी जल्दी हो सकेगा और जल्दी नेपथा मिल सकेगा और कच्चा माल भी उपलब्ध हो सकेगा। ये तीन चार बातें हैं जिनके लिए सरकार को जागरूक रहना चाहिये। इसके लिये एक अलग सैल होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अलग सैल की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजबहादुर : नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी भरतपुर के ही हैं, इनको ही सैल समझ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में औद्योगिक निगम बना हुआ है।

श्री राजबहादुर : इसका एक स्पेशल फील्ड है, पैट्रोल....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जैसे ही भारत सरकार का इण्डीकेशन प्राप्त होगा कि वे इतना नेपथा आवंटन करने वाले हैं तो हम तुरन्त ही कार्यवाही करेंगे। वैसे रीको के अधिकारी वहां आलरेडी काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री के आधार पर जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की बात है, अभी उसका स्थान भी निश्चित नहीं हुआ है कि कहां लगेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, भारत सरकार क्या निर्णय लेती है, फर्टिलाइजर कारखाना कहां लगाया जायेगा

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो यह नेपथा के बारे में लिखा गया है क्या उससे जाहिर होता है कि आप पूरा ध्यान दे रहे हैं और कितने प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप ही सुझाव दे दीजिये कि ये ये बाई प्रोडक्ट्स हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं तो नाम दे दूंगा, 25 नाम दे दूंगा।

श्री राजबहादुर : हरियाणा ने पहल कर ली, फार्मेस्युटिकल

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव दे दीजिये।

श्री राजबहादुर : आप चर्चा की परमिशन दे दीजिये, मैं सुझाव दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित
प्रश्न व उसका उत्तर
स्थगित प्रश्न
(दिनांक 5 मार्च, 1982)
राजस्थान नहर परियोजना

256. श्री सुरजा राम टांक (नोखा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणाधीन नहर में कहां-कहां पुल निर्माण पूर्ण हो गया है ? क्या आवागमन हेतु पुल खोल दिये गये हैं ?

(2) क्या नहर निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा न हो ? क्या शिकायतों के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लिये रास्ते नहीं छोड़े गये व ऊंटगाड़ी आदि को मीलों का चक्कर काट कर जाना पड़ता है ?

(3) बरसलपुर शाखा व चारणवाला शाखा का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा? इन शाखाओं से कब तक काश्तकारों को कृषि सिंचाई हेतु पानी दे दिया जावेगा ?

(4) राजस्थान नहर निर्माण हेतु अगले सत्र 1982-83 हेतु कितनी सीमेंट व कोयले की आवश्यकता होगी ? क्या आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति करवा दी जावेगी ?

(5) राजस्थान नहर परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण हेतु प्रारम्भ में कितनी राशि आंकी गई थी व अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(6) क्या लिफ्ट कैनाल द्वारा कोलायत तहसील व नोखा तहसील को पानी पहुंचाने की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) (अ) सूची संलग्न है।

(ब) जी हां।

(2) (अ) जी हां।

(ब) जी नहीं।

(3) बरसलपुर शाखा व चारणवाला शाखा का निर्माण कार्य क्रमशः 1983-84 व 1984-85 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। ज्यों-ज्यों नहर पूर्ण होती जाती है त्यों त्यों काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी दे दिया जाता है। बरसलपुर शाखा में रबी 1981-82 में सिंचाई के लिये पानी छोड़ दिया गया है व चारणवाला ब्रांचों में रबी 1982-83 में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(4) (अ) राजस्थान नहर के निर्माण हेतु वर्ष 1982-83 में निम्नानुसार सीमेंट व कोयले की आवश्यकता होगी :—

(राजस्थान नहर मन्त्री)

प्रथम चरण	सीमेंट	कोयला
किमी. 74 से किमी 189	13000 मै.टन	1000 मै.टन
द्वितीय चरण	35000 मै.टन	55000 मै.टन
कुल	65000 मै.टन	65000 मै.टन

(ब) सीमेंट का आवंटन व कोयले की ढुलाई के लिये रेल गाड़ियों का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पूरे आवंटन के लिये राज्य सरकार पूर्ण प्रयत्न कर रही है।

(5) राजस्थान नहर परियोजना के 1970 के प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान स्वरूप के निर्माण की लागत 207.68 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जो 1980 के मूल्य स्तर पर 515 करोड़ रुपये है। जनवरी, 1982 तक 297.72 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(6) लिफ्ट नहरों के निर्माण का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जन जाति बहुल गोगुन्दा तहसील

485. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1971 की जनगणना के आधार पर गोगुन्दा तहसील की कुल आबादी कितनी थी ? इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी कितनी थी ?

(2) 1981 की जनगणना के अनुसार गोगुन्दा तहसील की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि गोगुन्दा तहसील ट्राइबल सब प्लान में नहीं आता है ? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो इसे कब तक ट्राइबल एरिया घोषित करने की राज्य सरकार की मन्शा है ?

उत्तर

(1) सन् 1971 की जनगणना के आधार पर गोगुन्दा तहसील की कुल आबादी 83,175 थी, इसमें अनुसूचित जाति की आबादी 6,714 एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी 30,962 थी।

(2) 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी, नहीं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र घोषित करने के लिये संबंधित पंचायत समिति में कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति की होना आवश्यक है, जबकि 1971 की जनसंख्या के अनुसार गोगुन्दा में जनजाति की जनसंख्या 37.23 प्रतिशत ही है।

Page No 26

(26)

परिधि गृहों में आवासीय व्यवस्था

487. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान सरकार के कुल कितने परिधि गृह (सर्किट हाउसेज) हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन परिधि गृहों में किस-किस श्रेणी व वर्ग के व्यक्ति सामान्य व रियायती दरों पर ठहर सकते हैं ? कृपया तत्संबंधी नियम, उप-नियम एवं निर्देश सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सभी परिधि गृहों या कुछ परिधि गृहों में विशिष्ट व्यक्तियों अथवा राजस्थान मंत्रिमण्डल के सदस्यों हेतु निश्चित नम्बरों के कमरे स्थायी रूप से आरक्षित रखे जाते हैं और खाली होने पर भी अन्य ठहरने के पात्र व्यक्तियों को नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो कृपया सम्पूर्ण विवरण तत्सम्बन्धी नियमों एवं उप-नियमों व आदेशों सहित सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो ऐसी नियम विरुद्ध व्यवस्था कहां-कहां पर की हुई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के कुल 14 परिधि गृह (सर्किट हाउस) हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इन परिधि-गृहों में जिन श्रेणी व वर्ग के व्यक्ति सामान्य व रियायती दरों पर ठहर सकते हैं उनसे सम्बन्धित निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(3) जी हां, सामान्यतः सभी परिधि-गृहों में विशिष्ट व्यक्तियों/राजस्थान मंत्रि-मण्डल के सदस्यों के आकस्मिक आगमन को दृष्टिगत रखते हुए कमरे आरक्षित रखे जाते हैं । इन कमरों को भी विशेष परिस्थितियों में यदा कदा अन्य आगन्तुकों को भी आवंटित किया जा सकता है । अतः नियमों की प्रति रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

31 जनवरी, 1982 को थोक मूल्य सूचकांक

488. **यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

दिनांक 31 जनवरी, 1982 को निम्न की स्थिति क्या थी:–

(1) थोक मूल्य सूचकांक ।

(2) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ।

(3) लिविंग इन्डेक्स ।

(4) कृषि उत्पादन मूल्य सूचकांक ।

(5) औद्योगिक उत्पादन मूल्य सूचकांक ।

Page No 27

(27)

उत्तर

माह जनवरी 82 का सामान्य थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1952-53) 652.66 रहा।

जनवरी, 82 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला से अभी जारी नहीं किया गया है।

लिविंग इन्डेक्स नाम का कोई इन्डेक्स नहीं होता। कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक ही है। ये सूचकांक नहीं बनाये जाते हैं।

वाहन दुर्घटनाओं के मृतकों के परिवारों को मदद

489. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने मोटर, ट्रक, जीप एवं अन्य वाहनों से दुर्घटनाएं हुई? उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई एव कितने घायल हुए? कृपया सूची मय मृतकों के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है? यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी कितनी? कृपया सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) दुर्घटनाओं में मृतक लोगों को सहायता देने के लिए क्या कोई मापदण्ड है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 में वाहनों से राजस्थान में कुल 4157 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1290 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है व 5533 व्यक्ति घायल हुए हैं। मृतकों की सूची मय नामों के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता "राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष" से दी गई, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किये हुए नहीं हैं। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आर्थिक सहायता माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

विभिन्न जिला रेन्ज में नियुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक

490. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1981 से जनवरी, 1982 तक पुलिस उप महानिरीक्षकों की नियुक्ति कब और किस किस जिला रेंज में

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की गयी है ? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में डीवाई. एस. पी. एवं एस पी. के पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या पदोन्नति का आधार वरिष्ठता अथवा कार्यकुशलता को माना गया है ?

(3) उपरोक्त पदोन्नति से आम जनता को क्या कोई सुविधा मिली है ?

उत्तर

(1) 1981 से जनवरी, 1982 तक तीन भारतीय सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति द्वारा उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस अवधि में उप महानिरीक्षक पद पर जिला रेंज में किये गये पदस्थापन की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) डीवाई०एस०पी० एवं एस०पी० के पद पर पदोन्नतियां की गई हैं। पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं कार्यकुशलता दोनों ही आधार पर दी गई हैं।

(3) संवर्ग में स्थान रिक्त होने पर, जहां नियमों में उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाने का प्रावधान होता है, उसे भरने के लिये पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति से वरिष्ठ स्तर के पर्यवेक्षण का लाभ मिलता है, जिससे कार्य सम्पादन में कुशलता आती है। राज्य कार्य में कुशलता का लाभ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जनता को मिलता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

सतर्कता समिति चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत भ्रष्टाचार प्रकरण

491. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981 में सतर्कता समिति, चित्तौड़गढ़ के समक्ष कितने विभागों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आये ? कृपया विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भ्रष्टाचार के विभागीय मामलों में जांच सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को ही दी गई अथवा अन्य को जांच अधिकारी बनाया गया ?

(3) भ्रष्टाचार की शिकायतें कितनी सही एवं कितनी असत्य प्रमाणित हुई ? सत्य प्रमाणित शिकायतों पर समिति ने कितने मामले राज्य सरकार को और कितने मामले सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपे तथा विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981 के दौरान सतर्कता समिति जिला चित्तौड़गढ़ के समक्ष भ्रष्टाचार से संबंधित कुल 52 मामले प्राप्त हुए जो विभागवार निम्न प्रकार है :–

1.	राजस्व	17
2.	जलदाय	1
3.	पुलिस	7
4.	चिकित्सा	2
5.	सहकारी	9
6.	बैंक	3
7.	आबकारी	1
8.	विकास	5
9.	कृषि	1
10.	शिक्षा	2
11.	वन	2
12.	विद्युत	2
	कुल	52

(2) भ्रष्टाचार के सम्बन्धित कुल मामलों में जांच सम्बन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा एवं कुछ मामलों में अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई।

(3) 11 मामलों में शिकायत सही पाये जाने से सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये जिनमें कार्यवाही उन विभागों के स्तर पर जारी है व 33 मामले असत्य होने से ड्रॉप किये गये तथा 8 मामलों में जांच कार्यवाही जारी है।

राज्य सेवा में विकलांगों का आरक्षण

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकलांग वर्ष में राज्य सरकार ने विकलांगों के लिये राज्य सेवा में आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया है ? यदि हां, तो यह आदेश कब से लागू माना गया है ?

(2) राज्य में बढ़े आरक्षण के अनुसार पूरे विकलांग वर्ष में कितनी सीधी भर्ती राज्य सेवा में विकलांगों की हुई ?

उत्तर

(1) राज्य की अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के समस्त पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण 3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आरक्षण दिनांक 31-12-1981 से प्रभावशील है।

(2) वर्तमान में उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर विकलांग वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से 1054 विकलांग व्यक्तियों को आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया है।

Page No 30

(२९)

जिला चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण

493. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रताप गढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश दिये थे कि वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी मामलों को दो माह में अवश्य निपटा दें ? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न विभागों में सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थिरीकरण के मामले, जो वर्ष 1974 से बकाया चल रहे हैं और जिनकी कुल संख्या तीन है, क्या सभी का वेतन स्थिरीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी हैं ?

(2) वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले के कितने कर्मचारियों का वेतन स्थिरीकरण नहीं हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

केवल चित्तौड़गढ़ जिले में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धी मामले विचाराधीन थे उनसे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को ऐसे आदेश प्रसारित किये गये थे।

वेतन स्थिरीकरण के 30 बकाया मामलों में से 16 मामले निपटा दिये गये हैं। शेष मामले मुख्यतः पंचायत समितियों से सेवाभिलेख नहीं प्राप्त होने, टाइप टैस्ट उत्तीर्ण नहीं करने आदि के अभाव में अनिर्णीत हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

वित्त निगम शाखा, कोटा में बसों हेतु विचाराधीन ऋण आवेदन-पत्र

494. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जनवरी, 1980 से जनवरी 1982 तक वित्त निगम शाखा, कोटा में मिनी मेटाडोर बसें तथा बड़ी बसों के लिये अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा आवेदन-पत्र पेश किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? कृपया (i) आवेदक नाम, (ii) जाति व (iii) पूरे पते सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जनवरी, 80 से जनवरी, 82 तक शाखा कार्यालय

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कोटा में 15 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इसमें से 4 मिनी बस हेतु एवं 11 बस हेतु हैं। सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

नगरपालिका केसरीसिंहपुर द्वारा आवंटित भू-खण्ड

495. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरपालिका केसरीसिंहपुर द्वारा कुछ समय पहले कुल कितने गरीब हरिजन व्यक्तियों को भू-खण्ड दिये गये थे तथा कितने परिवारों को अभी तक भू-खण्ड नहीं दिये ? शेष रहे परिवारों को अब कब तक भू-खण्ड दे दिये जायेंगे ?

(2) जिन्हें भू-खण्ड दिये गये क्या इन सभी को पट्टे जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें अब कब तक पट्टे जारी किये जायेंगे ?

उत्तर

(1 व 2) नगरपालिका, केसरीसिंहपुर द्वारा कुछ समय पहले (वर्ष 75–76 व 76–77 में) कुल 48 गरीब व्यक्तियों को भू-खण्ड आवंटन किये गये थे। सिर्फ 11 व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिये गये। इनमें से 5 ने कीमत जमा नहीं कराई तथा 6 ने अवैध कब्जे नहीं छोड़े। कीमत जमा कराने व अवैध कब्जे हटने के बाद नियमानुसार पट्टे जारी कर दिये जायेंगे।

मांगरोल नगरपालिका के सोरती बावड़ी मोहल्ले में खरंजा निर्माण

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि मांगरोल नगरपालिका के अन्तर्गत सोरती बावड़ी नामक मोहल्ले में बहुत कीचड़ रहने से जानवरों तथा व्यक्तियों को आवागमन में परेशानी होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर खरंजा बनाने की मांग वहां की जनता बार-बार करती रही है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर अभी तक खरंजा नहीं बनाने का क्या कारण है तथा अब कब तक खरंजा बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल वर्षा के दिनों में कीचड़ रहता है। वर्षा के अलावा आवागमन में बाधा नहीं रहती है।

(2) जी हां। परन्तु खरंजा बनाने के व्यय भार को नगरपालिका वहन करने में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

सक्षम नहीं होने के कारण खरंजा नहीं बनाया जा रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर खरंजा बनाया जा सकेगा।

बीकानेर नगर व निकटस्थ क्षेत्रों की नई बस्तियों में नागरिक सुविधायें

497. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1971 से अब तक बीकानेर शहर, भीनासर, देशनोक, नोखा में कितनी बस्तियां नई बसाई गई या बसी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस्तियों में कितनी बस्तियां कच्ची व कितनी बस्तियां पक्की हैं ?

(3) उक्त बस्तियों में से किस-किस बस्ती में नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं यथा पानी, बिजली, सड़क, ड्रेनेज आदि की पूर्ति कर दी गई है ? यदि नहीं की गई है, तो कब तक पूरी कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1, 2, एवं 3) नई बस्तियां जो बनी हैं या बनाई गई हैं, की नगर परिषद्-पालिका की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इसमें कच्ची व पक्की तथा नागरिक जीवन की प्राथमिकता, आवश्यकताओं का विवरण भी दे दिया गया है। जो बस्तियां नियमित हैं वहां प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा पाइप व विद्युत सामग्री की खरीद

498. श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितना पाइप किस साईज का कौनसा तथा बिजली का सामान किससे कितनी रकम का खरीद किया गया है ?

(2) उपरोक्त पाइप व बिजली का सामान कहां कहां लगा तथा कितना स्टोर में है ?

(3) इस वर्ष बिजली के कितने बल्ब खरीदे गये ? इस समय भण्डार में कितने फ्यूज बल्ब तथा कितने चालू पड़े हैं ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) जहां जहां पाईप लगाए हैं विवरण संलग्न है। 'परिशिष्ट "ख" का सामान गत 3 वर्षों में हजारों की संख्या में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार का लगाया गया है इसलिये उसकी सूची प्रस्तुत करना अभी कठिन है। स्टोर में पाइप एवं बिजली का सामान बैलेन्स में है, उसकी सूची भी संलग्न हैं। (परिशिष्ट "ग")

(3) इस वर्ष 15-3-82 तक कुल 10290 वल्ब क्रय किये गये। इस समय स्टोर में 7227 फ्यूज वल्ब हैं तथा 4353 वल्व चालू हालत में हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा विद्युत सामग्री का क्रय

499. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर द्वारा गत करीब 2 वर्ष पूर्व बजाज कम्पनी से ट्यूब लाइट के चोक खरीदे गये थे और उनमें से कुछ को काम में लेने पर उनके नकली होने का तथ्य सामने आया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय विधि अंकेक्षण विभाग के उप-परीक्षक ने जांच प्रारम्भ की और जांच के दौरान तीन चोक बजाज कम्पनी को भी भेजे थे जहां से इन चोकों के नकली होने की टेक्निकल रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह रिपोर्ट आने पर नगर परिषद्, अजमेर ने बाकी 267 चोकों को सील बन्द कर दिया और उप-परीक्षक ने सम्पूर्ण जांच कर मामला पुलिस में देने हेतु सिफारिश की ?

(4) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा क्या 267 चोक अभी भी सील बन्द हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) मामले में अभी जांच जारी है। तथा चोक अभी भी सील बन्द हैं।

नगर परिषद्, अजमेर के अधिकारियों द्वारा वाहनों से दौरे

500. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 34

(34)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) नगर परिषद्, अजमेर के कौन-कौन अधिकारी गत दिनांक 1 अप्रेल, 1981 से दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक परिषद्, के वाहन लेकर कब-कब नगर परिषद् अजमेर की सीमा के बाहर (जयपुर, पुष्कर, आदि) दौरे पर किस-किस प्रयोजन हेतु गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एक ही दिन एक ही गन्तव्य स्थान पर जाने वाले दो अधिकारी अलग-अलग वाहन लेकर गये ? इसका क्या औचित्य था ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। सहायक अग्नि शमन अधिकारी को दिनांक 30-7-81 परिषद् के कार्य हेतु अन्य अधिकारी के साथ जयपुर जाना था परन्तु ये अकेले ही चले गए। उसी दिन उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य अधिकारी एवं एडवोकेट व अन्य स्टाफ को भी उपस्थित होना था इस कारण दूसरे वाहन को भी जयपुर ले जाना पड़ा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नगर परिषद्, अजमेर के क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की मरम्मत

501. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, मेन होल खुले हुए हैं, दोनों किनारों के फुटपाथ एवं नालियां जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं एवं यातायात हेतु पूरी तरह असुरक्षित हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने हेतु इन सड़कों के पूरी तरह सुधार का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) जी नहीं यातायात को सुरूपेण चलने हेतु सड़कों का नियमित रूप से रख रखाव किया जाता है। कुछ स्थानों में मेन होल पर ढक्कन नहीं हैं उन्हें क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नालियों को भी नियमित रूप से संभाल की जाती है।

अजमेर नगर हेतु आवासीय योजना

502. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या अजमेर नगर की बढ़ती हुई जन संख्या को ध्यान में रखते हुये आवासीय सुविधा उपलब्ध करने हेतु कोई योजना नगर नियोजक द्वारा बनाई गई है?

(2) यदि हां, तो इस योजना का क्या प्रारूप है, कितने लोगों को बसाने की योजना है और इसकी क्रियान्विति कब तक करादी जायेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, नगर आयोजना विभाग द्वारा अजमेर नगर का मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें आवासीय सुविधा हेतु काम में लाई जा सकने वाली भूमि दर्शायी गई है। इन आवासीय क्षेत्रों में नगर विकास न्यास, अजमेर समय समय पर आवास हेतु योजना बनाता रहता है।

(2) हाल ही में नगर विकास न्यास ने निम्न योजनाएं प्रस्तावित की हैं जिनमें न्यास द्वारा अगले पांच वर्षों में लगभग 5000 आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है :—

(1) खनिज नगर गृह निर्माण योजना (नसीराबाद रोड) लगभग 860 बीघा

(2) ज्वाला प्रसाद नगर योजना (नाका मदार विस्तार) लगभग 700 बीघा

(3) हरिभाऊ उपाध्याय नगर (कोटड़ा रोड व पुष्कर रोड के बीच) लगभग 550 बीघा

(4) बालकृष्ण कोल नगर (कोटड़ा फाईसागर रोड के बीच) लगभग 250 बीघा

(5) पंचशील योजना (ब्यावर रोड) लगभग 2000 बीघा

अजमेर, जोधपुर व जयपुर के नगर विकास न्यासों में रिक्त पद

503. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर, जोधपुर व जयपुर के नगर विकास न्यास में लिपिक एवं उच्चाधिकारियों के कितने-कितने पद रिक्त पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है सम्बन्धित विभाग द्वारा रिक्त पदों की संख्या काफी होने के उपरान्त भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में विलम्ब किया गया ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब की जावेगी ?

उत्तर

(1) अजमेर, जोधपुर, जयपुर के नगर विकास न्यास में लिपिक एवं उच्चाधिकारियों के रिक्त पदों की सूचना निम्न प्रकार है

Page No 36

(36)

(नगर आयोजना मंत्री)

नगर विकास न्यास का नाम	नाम पद	संख्या
अजमेर	कनिष्ठ लिपिक	1
		1
जोधपुर	सहायक अभियन्ता	1
	कनिष्ठ लिपिक	4
		5
जयपुर	अधिशासी अभियन्ता	1
	सहायक नगर नियोजक	2
	कार्यालय अधीक्षक	3
	+कनिष्ट लिपिक	1
		5

(2) जी नहीं, रिक्त पदों की संख्या काफी अधिक नहीं है। रिक्त पदों को आवश्यकतानुसार योग्य उम्मीदवार मिलने पर भरा जाता है। लिपिक के पद सम्बन्धित नगर विकास न्यास द्वारा एवं अधिकारियों के पद राज्य सरकार द्वारा भरे जायेंगे। अधिकारियों की नियुक्ति के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। लिपिकों की नियुक्ति आवश्यकतानुसार सम्बन्धित न्यास करेंगे।

चिकित्सा विभाग में लेप्रोस्कोप का क्रय

504. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में दूरबीन पद्धति (लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन) से महिला नसबंदी की शुरूआत से अब तक कितने लेप्रोस्कोप किस मेक के किस कम्पनी से क्रय किये गए ?

(2) क्या लेप्रोस्कोप क्रय करने के लिए नियमानुसार निविदायें आमंत्रित की गई थीं ?

(3) क्या लेप्रोस्कोप सही हालत में प्राप्त हुए तथा इनका सत्यापन किसी तकनीकी अधिकारी अथवा समिति द्वारा किया गया ? यदि हां, तो कृपया सत्यापन करने वाले अधिकारियों के नाम बतावें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अब तक इस निदेशालय द्वारा 24 लेप्रोस्कोप "के.एल.आई." के मैसर्स के.एल.आई. इमाकारपोरेटेड यू.एस.ए. से 3 टुकड़ों में एवं 4 "लेप्रोस्कोप स्टोर्ज" से क्रय किये गये।

5 लेप्रोस्कोप (स्टोर्ज) एवं 5 लेप्रोस्कोप (किस्म) तथा 28 लेप्रोकेटर (के.एल.आई.) के लिए आर्डर दिये हुए हैं। अभी माल प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) लेप्रोस्कोप यन्त्र राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर ही (ओरिजिनल मैन्यूफेक्चर्स) के.एल.आई. एवं स्टोर्ज फर्म से क्रय किए गये थे।

Page No 37

(37)

(चिकित्सा मंत्री)

(3) जी हां । इनका सत्यापन निम्न तकनीकी अधिकारियों द्वारा तीन टुकड़ों में किया गया था ।

1. डा० शशि रमेश, प्रोफेसर जनाना अस्पताल, जयपुर
2. डा० सुमित्रा शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण केन्द्र जयपुर ।
3. डा० सविता शर्मा, जूनियर स्पेशलिस्ट, एम.सी.डब्ल्यू. सेन्टर, चौड़ा रास्ता, जयपुर ।
4. डा० नवलकिशोर शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर ।
5. डा० एस.पी. जौहरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर ।
6. डा० राजकुमारी, उपनिदेशक (परिवार कल्याण)
7. डा० ओ.पी. यादव, लेक्चरर कम डिमांस्ट्रेटर, आर.एफ.पी.टी.सी., जयपुर ।

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में मरीजों से प्राप्त दान का उपयोग

505. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के प्रसूति-गृह विभाग में छुट्टी होने पर इच्छुक मरीजों द्वारा दान देने पर उसे प्राप्त करने की व्यवस्था है ?

(2) यदि हां, तो गत दिनांक 1 फरवरी, 1981 से दिनांक 31 जनवरी, 1982 तक किस-किस तारीख को कितना कितना दान प्राप्त हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) दान में प्राप्त यह राशि किसके पास रहती है तथा इस राशि का उपयोग किस रूप में किसके द्वारा किया जाता है ? उक्त तारीखों के बीच प्राप्त राशि के किये गये उपयोग का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के प्रत्येक वार्ड में छुट्टी होने पर इच्छुक मरीजों द्वारा दान देने के लिये दान पात्र (चेरिटी बाक्स) की व्यवस्था कर रखी है जिसमें ताला लगा रहता है । इसमें से एक दान पात्र प्रसूति गृह विभाग में भी है । इच्छुक व्यक्ति इसमें इच्छानुसार दान दे सकते हैं । यह दान पात्र जिनकी संख्या 37 है इस संदर्भ में गठित तीन सदस्यों

(३४)

(चिकित्सा मंत्री)

की कमेटी द्वारा खोले जाते हैं और इकजाई राशि केशियर के पास जमा कराई जाती है जिसके फलस्वरूप केशियर रसीद प्रधान परिचारिका के कार्यालय में भेजता है।

कमेटी के सदस्य

(1) डा० जे.सी. वैद, लेक्चरर इन सर्जरी

(2) प्रधान परिचारिका

(3) रोक पाल

(2) 1-2-81 से 31-1-82 तक की अवधि में 24-0-81 को यह दान पात्र खोले गये थे और 1,322-75 की राशि इन दान पात्रों में प्राप्त हुई थी। प्रसूति गृह के दान पात्र के लिये अलग से कोई रसीद नहीं दी जाती है। सभी दान पात्रों में प्राप्त राशि की एक इकजाई रसीद जारी की जाती है।

(3) दान में प्राप्त राशि को केशियर चेरिटी फंड की रोकड़ बही में जमा करता है और यह राशि चेरिटी के पर्सनल डिपाजिट खाते में जमा करा दी जाती है। इस राशि का उपयोग चेरिटी फंड के नियमों के अन्तर्गत गरीब एवं निःसहाय मरीजों की मदद के लिये किया जाता है। जैसे दवाइयों क्रय करना अपने घर तक जाने के लिये किराया देना आदि। चेरिटी फंड के नियमों की एक प्रति साथ में अवलोकन के लिये संलग्न है।

1-2-81 से 31-1-82 तक प्राप्त रु० 1322-75 की राशि के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं	दिनांक	किस व्यक्ति को दी	राशि
1.	5-2-81	श्री सेकुदीन मरीज को अपने घर जाने के किराया के लिये	25-00
2.	25-3-81	डा. एस. के. अरोरा को निर्धन गरीबों को दवाइयों के क्रय कर वितरण करने हेतु।	387-62
3.	यथा	डा. एस. के. अरोरा को निर्धन गरीबों की दवाइयों के क्रय कर वितरण करने हेतु	225-72
4.	3-8-81	डा. एस. के. अरोरा को निर्धन गरीबों को दवाइयों के क्रय कर वितरण करने हेतु	297-10
			935-44

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अजमेर में मलेरिया विभाग के वाहन

506. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मलेरिया विभाग के अजमेर स्थित कार्यालय के अन्तर्गत किस-किस तरह के कुल कितने वाहन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन वाहनों के मरम्मत व रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में अब तक कितना-कितना खर्चा हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अजमेर स्थित मलेरिया कार्यालय के अन्तर्गत कुल 10 वाहन हैं । **सूची** सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वाहन की मरम्मत पर वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में अब तक निम्न प्रकार व्यय हुआ :-

1981-81	8416·08
1980-82	5731·61

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पीपल्दा क्षेत्र के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा का अभाव

507. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : व

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गांव अपानी, नोनेरा, डूगरली, रनोदिया, पीपल्दा खुर्द व जोरावरपुरा में चिकित्सा सुविधा का अभाव है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर एडपोस्ट खोलने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

ग्राम अपानी एवं नोनेरा में उपकेन्द्र स्वीकृत है । शेष गांव स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र से 2 से 6 कि.मी. की परिधि में है जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बसवा (जयपुर) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय

508. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर-ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 40

(५८)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्या यह सही है कि बसवा जिला जयपुर की आबादी 15 हजार होने पर भी वहां केवल मात्र एक ऐलोपैथिक चिकित्सालय है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1981 की जनगणना के आधार पर बसवा की प्रावधिक (Provisinal) जनसंख्या 12,130 है। यहां अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल आयुर्वेद औषधालय खोलना सम्भव नहीं हैं।

आयुर्वेद विभाग में वाहनों पर स्टील बॉडी निर्माण कार्य

509. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा विभागीय वाहन पर स्टील बॉडी निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 निविदा सूचना दिनांक 22 सितम्बर, 1981 को दिनांक 10 नवम्बर, 1981 तक आमंत्रित करने की प्रसारित की गयी थी ? यदि हां, तो किस-किस माध्यम से कहां-कहां तथा समाचार-पत्रों में किस-किस तारीख को प्रकाशित की गई ? कृपया निविदा सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस निविदा सूचना में संशोधन दिनांक 10 नवम्बर, 1981 के बजाय दिनांक 30 नवम्बर, 1981 का भी प्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो वह किस-किस माध्यम से कहां-कहां व किस-किस समाचार-पत्र में किस-किस तारीख को प्रकाशित किया गया ? कृपया निविदा में किये गये संशोधन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) निविदा सूचना एवं उसके संशोधन के उत्तर में किस-किसने कब-कब कितने-कितने के टेण्डर किन-कन शर्तों सहित प्रस्तुत किये और उनमें से किसका स्वीकार कर आदेश दिया गया ?

(4) यह बॉडी निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गई थी एव उनके द्वारा निम्न लिखित दैनिक पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ भेजा गया था :—

1. दैनिक नवभारत टाइम्स, दिल्ली (विज्ञापन तिथि अप्राप्त)।
2. दैनिक राजस्थान पत्रिका, जयपुर 10-10-81

(आयुर्वेद मंत्री)

3. दैनिक आधुनिक राजस्थान, अजमेर (विज्ञापन तिथि अप्राप्त)।

4 दैनिक भारत भूमि, अजमेर, 11-10-81

(2) निविदा सूचना की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

जी हां, निदेशक जनसम्पर्क, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से ही संशोधन निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था :—

1. दैनिक नवभारत टाइम्स, दिल्ली (विज्ञापन तिथि अप्राप्त)।

2. दैनिक राजस्थान पत्रिका, जयपुर 14-11-81

3. आधुनिक राजस्थान (दैनिक), अजमेर 14-11-81

4. दैनिक भारत भूमि, अजमेर 15-11-81

(3) संशोधन की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

वांछित जानकारी सलंग्न है। मैसर्स एस0 एन0 माथुर एण्ड कम्पनी अजमेर की निविदा स्वीकार की जाकर चैसिस पर बॉडी निर्माण के आदेश दिये गये हैं।

(4) विभागीय शर्त के अनुसार बॉडी निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1981-82 की समाप्ति तक पूरा हो सकेगा।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

इन्द्रगढ़ उप तहसील के ग्राम बलवन का औषधालय भवन

510. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री बालचन्द, आर्यवीर(डग) : आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ नायब तहसील के ग्राम बलवन में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत निर्मित औषधालय भवन अधूरा पड़ा है।

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त भवन को पूर्ण करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग में औषधालय भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि प्रावधित नहीं है। विभागीय नीति के अनुसार औषधालय हेतु

(आयुर्वेद मंत्री)

ग्रामवासियों द्वारा निशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। अधूरे भवन को ग्रामवासियों अथवा पंचायत द्वारा ही पूर्ण करवाया जाता है।

राजसमन्द क्षेत्र में मार्बल के डेलिनियेशन हेतु सुरक्षित क्षेत्र

511. श्री रंगजी मीणा (राजसमन्द) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले के रासमन्द क्षेत्र में मार्बल खनिज के डेलिनियेशन हेतु सुरक्षित किये गये क्षेत्र में से सुरक्षित किये जानेके पहले पट्टे प्राप्त करने के किस-किस के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रार्थना-पत्रों में कितनों को डेलिनियेशन योजना के कारण खारिज किया गया व कितने अस्वीकार किए गए माने गये की श्रेणी में आ गये?

(3) इन प्रार्थियों में से कितनों को पट्टे स्वीकृत किये गये?

(4) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कई प्रार्थना-पत्र deemed to have been refused की श्रेणी में आ जाने के बाद भीउनके आधार पर पट्टे दिये गये हैं? यदि हाँ, तो यह नियम विरुद्ध स्वीकृति देने के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) मार्बल खनिज के डेलिनियेशन हेतु क्षेत्र सुरक्षित किये जाने से पहले के कुल 357 आवेदन पत्र विचाराधीन थे जिनकी सूची प्रार्थना प्रपत्र 'क' में अंकित की जा रही है।

(2) उक्त 357 प्रार्थना-पत्रों में से 341 आवेदन पत्र 9 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण स्वीकार किये गये माने गये एवं 14 आवेदन पत्रों को खारिज किया गया क्योंकि ये डेलिनियेशन किये जाने के पहले क्षेत्र में आते थे।

(3) उक्त 357 प्रार्थना पत्रों में से दो व्यक्तियों को एक-एक खनन पट्टा दिया दिया गया।

(4) यह सही नहीं है। इस क्षेत्र में डेलिनियेशन हेतु सुरक्षित किये जाने वाले क्षेत्रों में पूर्व में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को deemed to have been refused की श्रेणी में आ जाने के बाद उन में से किसी को पट्टे स्वीकृत नहीं किये हैं। अतः कोई नियम विरुद्ध स्वीकृति नहीं हुई हैं एवं किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिन व्यक्तियों को पट्टे

(खनिज मन्त्री)

दिए गए उनका क्षेत्र डेलिनियेशन किए जाने क्षेत्र के बाहर था।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

512. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अधीन दो स्वायत्तशासी संस्थान राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड खनिज क्षेत्रों के विशिष्ट दोहन में कार्यरत हैं और इनका संचालन, प्रबन्ध एवं व्यवस्था तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत संचालक मण्डल ही करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष अप्रेल में जारी एक शासकीय आदेश द्वारा खनिज मंत्री को इन संस्थानों में नियुक्ति एवं तबादले का अधिकार दिया गया था ? यदि हां, तो कृपया उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) खनिज मंत्री को यह अधिकार किस नियम, उप-नियम अथवा विधि के तहत दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश अवश्य दिये गये थे जो शीघ्र ही निरस्त कर दिये गये।

(3) तत्कालीन राज्य मंत्री, खनिज को स्वायत्तशासी संस्थान राजस्थान खनिज विकास निगम एवं राजस्थान राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. में नियुक्ति एवं तबादले के बारे में कोई अधिकार नहीं दिया गया था।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खनन कार्य

513. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किन-किन खनिजों के खनन का कार्य स्वयं के द्वारा एवं संयुक्त क्षेत्र में कहां-कहां किया जा रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खनन कार्य स्वयं के द्वारा ही किये जा रहे हैं। जिन-जिन स्थानों पर एवं जिन-जिन खनिजों के लिए खनन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कार्य किया जा रहा है, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

मेजा की अभ्रक की खानों पर अतिक्रमण

514. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेजा के पेटा में जो अभ्रक की खानें या भूमि सुरक्षित थी उनमें से कौन-कौन सी अभ्रक की खानें सन् 1980-81 व 1981-82 में लीज पर कब-कब किन-किन को दी गई ?

(2) क्या सन् 1980-81 व 1981-82 में किन्हीं ने अभ्रक खनिज अतिक्रमण कर माल निकाला है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब-कब किन-किन खनिज की कौन-कौन सी खानों पर किस-किस द्वारा अतिक्रमण किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में मेजा के पेटे में केवल श्रीमती कमला देवी पारीक को एक लीज दी गई।

(2) मेजा के पेटे में अभ्रक खनिज का अतिक्रमण श्रीमती कमला देवी पारीक द्वारा किया जाना पाया गया है, जिसके विरुद्ध 4-1-82 को 12522.20 रु० की राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है व कोर्ट में केस भी दिनांक 15-1-82 को दायर किया गया है।

जिला झालावाड़ में हीरों का भण्डार

515. **श्री बालचंद्र आर्यवीर** (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में बेशकीमती हीरों के भण्डार का पता चला है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारतीय रत्नाभूषण निर्यात परिषद् के क्षेत्रीय अधिकारी एवं रत्न विशेषज्ञ के अनुसार इस जिले में अकलेरा और कोथा के बीच हीरे की खानें मिलने की सम्भावनायें हैं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इन हीरों की खानों का पता लगाने के लिये राज्य के खनिज विभाग ने कुछ समय पूर्व सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि हीरे की खानों के सर्वे हेतु युद्धस्तर पर कार्य चलाने की आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार झालावाड़ जिले में अभी तक हीरे के कोई भण्डार नहीं मिले हैं।

(2) विभाग के पास इस सम्बन्ध में भारतीय रत्नाभूषण निर्यात परिषद् के क्षेत्रीय अधिकारी एवं रत्न विशेषज्ञ से कोई अधिकारिक (ऑथेन्टिक) सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उनके विचार में कोटा क्षेत्र में कुछ नदियों में पाये जाने वाले एक विशिष्ट किस्म के गारनेट के सानिध्य में हीरे के मिलने की सम्भावना रहती है। विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है।

(3) हां, राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 1978–79 में हीरों के मिलने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था लेकिन उक्त सर्वेक्षण के परिणाम उत्साह जनक नहीं पाये गये। सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्थान वित्त निगम द्वारा बीकानेर जिले में ऋण वितरण

516. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 में राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिला बीकानेर में कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई?

(2) उक्त अवधि में दी गई धनराशि का निम्न ब्यौरा कृपया सदन की मेज पर रखें :—

(क) ऋण प्राप्तकर्ता संस्थान का नाम,

(ख) संस्थान के मालिक अथवा भागीदारों का नाम, पिता या पति का नाम व पता,

(ग) ऋण किस कार्य के लिये दिया गया,

(घ) संस्थान का उत्पादन केन्द्र कर्मशाला या फैक्ट्री कहां स्थापित है,

(च) संस्थान की उत्पादन क्षमता व

(छ) क्या ऋण प्राप्तकर्ता मालिक या भागीदार अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं?

(3) उक्त अवधि में ऋण हेतु आये कितने प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं? कृपया संस्थान के नाम व पता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा बीकानेर जिले में वर्ष 1980–81 में 82 इकाइयों

Page No 46

(उद्योग मन्त्री)

को 154.25 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जबकि 1981-82 में जनवरी, 82 तक 84 इकाइयों को 110.42 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गईहै।

(3) जनवरी, 82 के अन्त में 95.60 लाख रुपये के 22 प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

डीडवाना सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री

517. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना में स्टेट कैमिकल वर्क्स की सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री कब स्थापित हुई, इसकी स्थापना में कितनी पूंजी लगी और इसमें उत्पादन कब प्रारम्भ हुआ ?

(2) 1981-82 तक इससे प्रति वर्ष कितना आय और मुनाफा हुआ ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना में सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री माह दिसम्बर, 1966 में 1.80 लाख रु० की लागत से स्थापित की गई थी एवं वर्ष 1966 में ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया था। इस रसायन की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 1975-76 में इसकी उत्पादन क्षमता चार गुना की गई थी जिस पर 7.50 लाख रु० की लागत आई। इसमें उत्पादन माह दिसम्बर, 75 से प्रारम्भ किया गया।

(2) वर्ष 1981-82 तक इससे प्रतिवर्षहुए आय एवं लाभ का विवरण निम्नानुसार है:—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आय	लाभ/हानि	विशेष विवरण
66-67	0.94	—	इन वर्षों में प्रयोगात्मक आधार पर कार्य किया गया। वर्ष 70-71 से व्यापारिक आधारपर लाभ-हानि खाते तैयार किये गये।
67-68	1.87	—	
68-69	2.19	—	
69-70	4.25	—	
70-71	1.81 (−)	0.83	
71-72	4.46 (−)	1.23	
72-73	6.06 (+)	1.99	
73-74	6.84 (+)	3.19	
74-75	5.71 (+)	1.77	
75-76	8.63 (+)	1.67	
76-77	11.33 (+)	1.47	
77-78	15.79 (+)	2.07	
78-79	15.77 (+)	0.70	
79-80	27.84 (−)	0.78	
80-81	23.26 (+)	4.32	
81-82	16.50 (+)	3.00	(अनुमानित)

खादी पर अनुदान रूप में छूट

518. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खादी पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में छूट दी जाती है ?

(2) क्या हाथ कर्घे वाले भी इसी खादी को भाँति ही मिल का सूत लेकर कार्य करते हैं ?

(3) क्या सरकार हाथकर्घा के उत्पादनों पर भी खादी की भाँति अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार खादी पर केवल निश्चित समय के लिए फुटकर बिक्री पर रिबेट देती है। इसके अतिरिक्त अन्य अनुदान खादी पर नहीं दिया जाता। सूती खादी पर 90 दिन व ऊनी खादी पर 60 दिनों के लिए रिबेट स्वीकार की जाती है।

(2) जी नहीं। हाथकर्घा में मिल द्वारा निर्मित सूत काम में लिया जाता है जब कि खादी में हाथ से काता हुआ सूत काम में लिया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री पर 5 प्रतिशत रिबेट की छूट पूरे वर्ष में कार्य कारी दिवसों पर राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ तथा हाथकर्घा परियोजना मण्डल में निर्मित वस्त्रों पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त वर्ष में 30 दिन 20% की विशेष छूट भी दी जाती है जिसमें 10% राज्य सरकार की राशि होती है तथा 10% केन्द्रीय सरकार की राशि होती है। रिबेट के अलावा हाथकर्घा के उत्पादन पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। हाथकर्घा के उत्पादन पर अनुदान दिए जाने की कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील फागी, जिला जयपुर में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत लगाये गये हैण्ड पम्पों से हरिजनों के मोहल्लों को वंचित करने के विषय में,

(2) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सवाई माधोपुर की प्रताप कालोनी में पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये पीने के पानी का नल नहीं लगाये जाने के विषय में,

Page No 48

(45)

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत जनवरी में पंचायत समिति फलौदी, जिला जोधपुर में विकास अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी के विषय में।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : शर्म करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या कर दिया ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : नेशनल फ्लैग नीलाम कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वित्तीय संकट है।

श्री अध्यक्ष : (4) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले में घास का डिपो प्रारम्भ न होने से पशु धन को हो रही रही गंभीर क्षति के विषय में,

(5) श्री अनंगकुमार व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अकाल ग्रस्त क्षेत्रों की अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों से अनियमित तरीकों से की जा रही वसूली के बारे में,

(6) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरकार द्वारा घोषित आदिम जातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मंत्रणा परिषद् के सदस्यों के नामों की संख्या 20 है। जबकि सदन में सरकार द्वारा दिये गये उत्तर में इनकी संख्या 31 बताई गयी है, के विषय में।

(7) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले तथा पीपल्दा क्षेत्र में माडा स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु दिये गये फण्ड का उपयोग न होने के विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शिक्षकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को परिवीक्षक नियुक्त करने व कई स्थानों पर पेपर आउट होने के विषय में,

(9) श्री मेघराज तावड़ व कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के कर्मचारियों की हड़ताल होने से प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर मे लक्ष्मीनारायणपुरी, नेशनल हाईवे, कागदी वाड़ा, आदर्श नगर आदि बस्तियों में यातायात की बिगड़ती हुई व्यवस्था के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(11) सुश्री पुष्पा जैन व श्री राम

(sh)

(श्री अध्यक्ष)

किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना उज्जेन, जिला भरतपुर के अन्तर्गत श्रीमती दुर्गा गुर्जर आदि के पैर काटकर डकेती करने की घटना के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) सुश्री पुष्पा जैन व श्री राम किशोर मीणा – गांधी सागर क्षेत्र में हुए विस्फोटों से उत्पन्न आतंक व गांधी सागर बांध की सुरक्षा को खतरा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बांध को कोई खतरा नहीं है और बांध पूर्णतया सुरक्षित है ।

(2) श्री हरीश शर्मा व श्री देवीसिंह भाटी-- उदयपुर विश्वविद्यालय के बीकानेर स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों की हड़ताल । सरकार ने सूचित किया है कि उक्त कालेज के विद्यार्थियों की मांग अनुचित एवं अव्यावहारिक हैं जिन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है ।

(3) श्री मोहनलाल मोदी--गत 9 मार्च को ग्राम राजपुरा, पंचायत समिति नीमका थाना में अनसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट । सरकार ने सूचित किया है कि गत होली के दिन की घटना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और अन्वेषण जारी है ।

(4) श्री कनकराज मेहता--तहसील सांचौर में बैंकों द्वारा गरीबों को ऋण न देना । सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 296 व्यक्तियों को ऋण दे दिया गया है और शेष को शीघ्र ही वितरित कर दिया जायेगा ।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी—गत 6 मार्च को ग्राम ढाया नगर कोटा में नेमीचन्द नामक व्यक्ति के घर डाका । सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अन्वेषण जारी है और व्यक्तियों की तलाश की जा रही है ।

(6) श्री कैलाश मेघवाल—अजमेर में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री पिछले तीन महीने से वितरण न करना । सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार माह जनवरी तक की चीनी का वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है । रेल परिवहन की कठिनाइयों के कारण केरोसिन तेल के वितरण में कुछ कठिनाइयां हुई थीं जिन्हें दूर किया जा रहा है । भूख हड़ताल समाप्त हो गई है ।

(7) श्री भोपाल सिंह--गत 17 फरवरी को बापू पत्नी प्रेमचन्द्र जाट ग्राम किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ की हत्या । सरकार ने सूचित किया है कि मुल्जिमों की तलाश की जा रही है और अन्वेषण जारी हैं ।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री अनंग कुमार व श्री बालचन्द आर्यवीर—झालावाड़ जिले में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में कमी। सरकार ने सूचित किया है कि उपलब्धि के अनुसार वितरण किया जा रहा है।

उपरोक्त आधारों पर इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं और जिन पर सरकार से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् मैंने कोई वक्तव्य देने की स्वीकृति नहीं दी है वह माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोल सकते हैं....

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने जानकारी के लिये लिखा है....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा प्रश्न है कि....

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची के वितरण में विलम्ब

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : न तो हमें आज डाक मिली है, न एजेण्डा मिला है, माननीय सदस्य कहते हैं कि पत्रकारों ने डाक दी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आज डाक नहीं भेजी गयी है, क्या कारण है ? हमें कुछ मालूम नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने शिकायत सुन ली आगे....

(व्यवधान)

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। This is misinterpretation of the rules and misinterpretation of the Articles of Constitution.

हर चीज में प्वाइंट आफ आर्डर हो, यह कोई तरीका नहीं है....

(व्यवधान)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान सरकार का काला मुंह देख लो, क्या व्यवस्था हो रही है। मुझे सूचना मिली है कि तृतीय श्रेणी....

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच-बचाव करलें हड़ताल में....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह कह रहा था कि पुलिस का राज हो रहा है, लेकिन आज, अध्यक्ष महोदय मालूम पड़ा कि मिलिट्री का राज हो रहा है....

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

विधान सभा में जब श्री नन्दलाल मीणा आ रहे थे तो जनता को मालूम पड़ा यह कांग्रेस के एम.एल.ए. हैं, उन्होंने इनका घेराव किया, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं उस पार्टी का नहीं हूं तो इन्हें छोड़ दिया गया । आप भूल जायें कि कोई आपको पूछने वाला है, जनता सडक पर निपटने के लिये तैयार है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, परीक्षायें नहीं हो रही हैं, परीक्षाओं के लिये जो अध्यापक लगाये गये हैं कहीं पेपर आउट हो गया ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार से आज ही बयान दिलवायें । अब राजस्थान की हालत बड़ी गम्भीर है, खून खराबी होने की सम्भावना है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कच्चे आदमियों को शरण में नहीं लेना चाहिये....

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आप विधान सभा को स्थगित करदें....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : राजस्थान की हालत बड़ी गम्भीर होती जा रही है। फिर यह स्थिति होगी कि हम भी नहीं जा पायेंगे विधान सभा के अन्दर, दूसरे सदस्य भी नहीं आ पायेंगे....

(व्यवधान)

आप सड़क पर निकल कर देख लें....

(व्यवधान)

× × ×की बातें करते हो ...

(व्यवधान)

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : × × ×करते हो, अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपंज कराया जाये....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : जब बजट पेश हो रहा था तब एक तरफ तो कह रहे थे

(श्री मेघराज तावड़)

कि बजट किसानों का विरोधी है और आज कौन सी हुण्डी दे दी कि उल्टा बोल रहे हो....

(व्यवधान)

कौन से गरीबों के हमदर्द हो ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य शांत रहें ।

भरतपुर के आने वाले माननीय सदस्य कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री राजबहादुर : मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन नियमों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो एजेण्डा है, बिजनेस के रेगुलेट करने वाले कार्यक्रम हैं उनको हमें देना चाहिये ..

(व्यवधान)

आप × × × बोल रहे है ...

(व्यवधान)

आप कहें तो मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि आज कोई डाक हमारे घर नहीं पहुंची है ।

× × ×शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(923)

श्री कनकराज मेहता : हमारे घर पहुंची है....

श्री राजबहादुर : मैं उल्लेख करना चाहता हूं नियम 295 का एजेण्डा के बारे में जो व्यवस्था है वह करें, हमारे पास हमें एजेण्डा पहले आना चाहिये, प्रश्न पहले आने चाहिये....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया यदि ऐसी बात हुई है तो मैं जानकारी लेकर समुचित व्यवस्था करूंगा....

श्री राजबहादुर : दूसरी बात, यह है कि सरकार हमारी मित्र है, हमारी दुश्मन नहीं है। मैं बड़ी सद्भावना के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति है, और जब तक हड़ताल चलती है तब तक हमें सूचना देते रहें और जनता को भी मालूम पड़ता रहे लेकिन उनको इस स्थिति को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये The Government cannot be a wooden Goverment. The Goverment has to be a humane Government.

इसलिये विनती करूंगा कि जो इनका पर्पज है, स्थगन प्रस्ताव है, उस पर चर्चा की जाये

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष . व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : व्यवस्था प्रश्न बड़ा गम्भीर है और गम्भीर इसलिये कि...

(व्यवधान).

मुझे आप की व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने और मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं. वह निरस्त हो गये हैं और निरस्त इसलिये हो गये हैं कि आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प है। आप स्थगन प्रस्ताव उठा कर देखिये.... मैंने हड़ताल के बारे में कोई शब्द नहीं लिखा है। इसलिये नहीं लिखा है, क्योंकि हड़ताल के बारे में हम चुप हैं, इस सदन में स्थगन प्रस्ताव रख चुके हैं और स्थगन प्रस्ताव रखने के बाद में सरकार का रूख सुन चुके हैं। हमने अपनी बात रख दी। बैरी आयोग का हवाला इसलिए नहीं दिया कि जब से सदन चला, 23 फरवरी से पहले मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था वह यही था, वह कि बैरी आयोग की सिफारिशों के बारे में आम कर्मचारियों में असंतोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संजीदगी, सहनशील और सैंसेटिव सरकार होती, संवेदनशील सरकार होती तो उस संकेत को ले लेती। उसको आपने रिजेक्ट करके मुझे बोलने का अधिकार दिया था तो मैंने 2-3 मिनट बोलकर उस समय अपनी बात कही थी। मैंने उसका भी जिक्र नहीं किया। हड़ताल के बारे में हम परसों चर्चा कर चुके, मैंने उसका भी जिक्र नहीं किया। मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत साफ है कि कल से राजस्थान का सम्पूर्ण प्रशासन अस्त-व्यस्त होकर ठप्प पड़ा हुआ है और राजस्थान की जनता अराजकता की ओर धकेल दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह है मेरा स्थगन प्रस्ताव...

अनेक माननीय सदस्य : नो नो।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे कोई एतराज नहीं, आप अपनी बात कहने को स्वतंत्र हो । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और व्यवस्था का प्रश्न आज इसलिये ही उठाया ।....

(व्यवधान)

और जैसी कि पिछले काफी समय से हफ्ते भर से यह चर्चा चल रही है, जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मेरा मन्तव्य भी वही था कि सरकार जब विधान सभा चल रही है और कर्मचारियों ने सारे राजस्थान के प्रशासन को ठप्प कर रखा है आज पटवारखाने बंद, स्कूल बंद

श्री माणकमल मेहता (पाली) : यह क्या पाइंट आफ आर्डर हुआ ?

(व्यवधान)

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन से एक एक पैसा लेकर राजस्थान के प्रशासन पर खर्च किया जा रहा है । पिछले 15 दिन से विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिये सरकार अनुदान की मांगें पास करवा रही, है उस पृष्ठभूमि में मैंने स्थगन प्रस्ताव में साफ लिखा है कि कल से राजस्थान की जनता अराजकता की स्थिति में है । हो सकता है आपको इतना अनुभव न हुआ हो, श्रीमन् को अनुभव हुआ तो होगा । माननीय अध्यक्ष महोदय को भी दूसरी जगह से कुछ न कुछ मंगाना पड़ा होगा लेकिन उसको मैं सदन में नहीं लाना चाहता । मैं निवेदन करना चाहता हूं आप राजस्थान की जनता को पटवारखाने में कोई सुनने वाला नहीं स्कूलों में कोई सुनने वाला नहीं है, न ही पोस्ट आफिस में कोई सुनने वाला है । आज राजस्थान की जनता को दूसरे कार्यालयों में जहां दिन प्रतिदिन कार्य पड़ता है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है । ऐसी स्थिति में मैंने निवेदन किया है कि अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है । क्या इसीलिये आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी है, सरकार को सब कुछ मालूम है, सरकार से कुछ छिपा नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उचित तो यह होता कि सरकार पिछले दिनों की कार्यवाही को सुनकर कुछ संजीदगी का, कुछ शालीनता का, कुछ चिंतन का परिचय देकर सदन को विश्वास में लेती, कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, यह बात साफ हो गई थी, इसलिये सदन को विश्वास में लेती कि राजस्थान की जनता को कष्ट नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी । आपने जैसी व्यवस्था दी कि सरकार के पास जानकारी के लिये मैं भेज दिये हैं, वह हमारे लिये तो यह सरकार के मंत्री सरकार हो सकते हैं, हमारे लिये दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार हो सकते हैं, माननीय अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, आपके लिये यह सरकार सरकार हो सकती है लेकिन गांव-गांव में जो राजस्थान के नागरिक हैं जिनका प्रतिनिधित्व हम करते है, उनकी सरकार आज कहां है? इसलिये सदन को विश्वास में लेती कि यह सरकार जागरुक है, सरकार राजस्थान की जनता की सेवा कर रही है, सरकार राजस्थान की जनता की ठीक ढग से सेवा करने का जो काम सरकार का है उसको निपटा रही है। मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उद्देश्य यही था और जैसा मैंने निवेदन किया सरकार का पहला कर्त्तव्य यही जैसा था। लेकिन यह स्थिति पैदा हो गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक निश्चित तथ्यों के साथ, अपनी निश्चित योजना के साथ अपनी व्यवस्था और प्लान को लेकर हमारे सामने आती तो बात अलग होती। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य, जो गोगुन्दा से आने वाले हैं, ने एक बात यहां कही थी, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस में हथियार लेने की कार्यवाही चालू हो गयी है। राजस्थान की पुलिस को तनख्वाह देने के लिये जो पैसा इस सदन से पास करवा कर दिया है उससे हथियार लिये जा रहे हैं। आज बी. एस. एफ., रिजर्व पुलिस फोर्स और बाहर की पुलिस को बुला लिया गया और हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, कि गलत सूचना मिली हो इसलिये सरकार विश्वास में लेकर....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट हो रही है क्या?

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : आपने तो पूरी किताब ही पढ़दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर। आर्डर।

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है या भाषण हो रहा है? हम तो यह पूछना चाहते हैं कि यह किस बात का भाषण दिया जा रहा है यह आपने किस बात की इजाजत दी है? यह पता तो हमें चलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, आप यह व्यवस्था का प्रश्न इतने लम्बे भाषण के रूप में उठा रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य

(श्री कैलाश मेघवाल)

मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करते तो मेरी बात कभी की समाप्त हो गयी होती इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय यह कैसे बोल रहे हैं ? या तो आप इनको समय दें या फिर हमें भी बोलने का समय दें नहीं तो यह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह आसन के विवेक पर आप छोड़ दें । कृपया, आप बैठ जाइये माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो व्यवस्था दी है कि इसको राजस्थान सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा है ऐसे अवसर पर आपको भी अपने विवेक को काम में लेना चाहिये । मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान सरकार को मालूम है कि उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ? मैंने सीधा सीधा सदन में प्रस्ताव रखा कि आज राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प है और जो अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है उसका सामना करने के लिये नागरिकों को मजबूर किया जा रहा है, क्या राजस्थान सरकार को मालूम है ? नहीं मालूम है । अगर मालूम है तो आपने उसके लिये क्या सोचा है ? वह सदन में बताया जाये । मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को इसलिये सदन में रखा है कि आपकी इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये । आज तीन बजे चार बजे या पांच बजे जब भी सरकार जवाब देने की स्थिति में हो हमको स्थिति मालूम तो होनी चाहिए । इस सदन में जब हम बैठे हैं और इस सदन से सरकार राजस्थान के कर्मचारियों और राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अमले को तनख्वाह देती है तो क्या हमको यह जानने का अधिकार नहीं है कि क्या स्थिति है और उस स्थिति में क्या आल्टरनेटिव, वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकार ने की है ? औचित्य तो यह होता कि सरकार अपनी तरफ हमको अपने विश्वास में लेती, वह तो विश्वास में सरकार ने लिया नहीं और मुझे यह एडजोर्नमेन्ट मोशन सदन में प्रस्तुत करना पड़ा और इसलिये इस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर आपने जो व्यवस्था दी है उस पर पुनर्विचार करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता को आप राहत दें । आपका पुनर्विचार करना बहुत मायने रखेगा, राजस्थान की जनता में जो अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है उसको कम करने के लिये आप पुनर्विचार करें । यह बहुत ही गम्भीर महत्वपूर्ण विषय है जिसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायें । राजस्थान की मजबूर जनता के लिये एक वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह चले इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाय ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो यह दूसरी व्यवस्था जो भी है वह की जाय ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : ऑन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री नाथूसिंह : मैं तो एक मिनट लूंगा । मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मालूम है पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर कब उठाया जाता है । पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर तब उठाया जाता है जबकि संविधान के किसी अनुच्छेद की पालना नहीं हो ।

श्री नाथूसिंह : जरूर, जरूर । अध्यक्ष महोदय, मालूम है । ऐसा ही विषय है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है और जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो उस समय अगर अचानक किसी विषय पर गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती है तो उस स्थिति में सदन में माननीय सदस्यों को विचार करना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पिछले तीन दिन से किसी न किसी रूप से यह विषय चल रहा है ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन वह नहीं है मेरा दूसरा है । अगर एक इन्जीनियर की गलती से दीवार गिरती है तो इन्जीनियर को हटाया जा सकता है, किसी डाक्टर की गलती से अगर किसी व्यक्ति को चिता तक पहुंचना पड़ता है तो डाक्टर को हटाया जा सकता है लेकिन अगर शिक्षक की गलती हो गयी तो पूरा राष्ट्र ही चिता पर पहुंच जाता है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं सदन में उठा रहा हूं । इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, कल से माध्यमिक स्तर के बच्चों की परीक्षायें प्रारम्भ हुई हैं और, अध्यक्ष महोदय, उनमें किसी के तो पेपर ग्राउट हो गये, कहीं पर कापियां उलट पुलट हो गयीं, कहीं पर पुलिस बैठी हुई है । हालत यह है कि एक ही हाल में परीक्षायें हो रही हैं नकल करने के लिये 500-500 रुपये लिये जा रहे हैं और कहां क्या हो रहा कुछ भी पता नहीं है । कहीं किसी विषय की परीक्षायें हो रही हैं तो कहीं अलग विषय की परीक्षायें हो रही हैं । तो ऐसी अव्यवस्था हो गयी है कि सारा काम अस्त व्यस्त हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, प्रशासनिक काम नहीं हो रहा है कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं । हमारे देश के राष्ट्र के जो भाग्य विधाता होने वाले हैं उनका भविष्य अन्धकारमय हो रहा है । सारा वातावरण अंधकारमय हो रहा है । कौन क्या होगा पता नहीं कौन पास होगा, कौन फेल होगा पता नहीं, परीक्षा का क्या होगा ऐसी स्थिति है कि कुछ पता नहीं चलता । आज से पहले कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई । इन परिस्थितियों में जबकि कई जगह पर नकली पेपर पहुंच गये हैं और परीक्षा हाल से पेपर

(श्री नाथूसिंह)

बाहर आ रहे हैं और बाहर से हल होकर अन्दर जा रहे हैं शिक्षकों का पता नहीं है, शिक्षक कौन हैं कौन नहीं पुलिस के वातावरण में धमकी के वातावरण में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी के इम्तिहान रहे हैं। बच्चे बड़े भयभीत हो रहे हैं बड़ी ही भयावह स्थिति पैदा हो गयी है, कोई देख भाल करने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं...

श्री अध्यक्ष : हमारे जमाने में तो बच्चे छोटे नहीं होते थे मैट्रिक में लोग जब आते थे तो उनके मूंछें आ जाती थीं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, पहले तो ऐसा होता था कि 15 वर्ष के पहले मैट्रिक की परीक्षा कोई नहीं दे सकता था पर अब वह बात नहीं है। अब तो कोई भी परीक्षा दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का क्या होगा ? कल भी शिक्षकों की हड़ताल रही आज भी ठीक व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को सारी स्थिति सदन के सामने रखनी चाहिये। पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर पेपर आउट हो गये तो किस तरह से आउट हुए। मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे लेकिन सरकार इसकी पूरी जानकारी दे कि किस प्रकार की व्यवस्था होगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में इससे महत्वपूर्ण कोई भी विषय सदन के सामने चर्चा का नहीं हो सकता। आज का जो छात्र है वह कल इस राष्ट्र का भाग्य विधाता होगा। इसलिये आज हाउस की कार्यवाही को स्थगित करके महत्वपूर्ण विषय पर राज्य सरकार से सिर्फ जानकारी ही नहीं ली जाये बल्कि माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब राज्य के बच्चे हम सभी के बच्चे हो सकते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर तुरन्त विचार किया जाये और सरकार इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे कि क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है उसी पर व्यवस्था का प्रश्न आया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया वह आपके ही इलाके की घटना से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने विचार कर लिया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जनवरी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिये हैं अथवा सरकार की जानकारी के लिए भेजे है उसके लिये यहाँ पर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो मैं आपको अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दूंगा, पर वर्तमान में जो विचाराधीन पाइन्ट ऑफ आर्डर माननीय सदस्य, कैलाश मेघवाल ने उठाया है, उसके सम्बन्ध में कहना है तो कहो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं....।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे अनुमति दें। मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि आज आज सवाई मानसिंह अस्पताल में एक लड़की की मृत्यु रेप केस के सम्बन्ध में हो गई जब मैं उसको देखने जा रही थी तो रामनिवास बाग के दरवाजे बन्द कर दिये गये, एक दरवाजा तो बन्द था, लेकिन दूसरा दरवाजा भी बन्द कर दिया गया। मैं वहां पर उस लड़की का पोस्ट मार्टम कराने जा रही थी तो मैंने देखा कि रामनिवास बाग के दरवाजे बन्द हैं। वहां पर केवल पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी तथा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। मुझे ऐसी आशंका है कि कही खून खराबा न हो जाये आप चाहें तो सूचना मंगवा कर देख लें। वहां कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री यातायात) : मैं तो उधर से ही आया हूं, अध्यक्ष महोदय, एक दरवाजा तो हमेशा ही बन्द रहता है, वहां तो कुछ नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अव्यवस्था हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। आज हड़ताल के कारण सारा प्रशासन ठप्प पड़ा है और शहर में यह पोजिशन है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है। मैं यह बात कहना चाहती हूं कि आप इस पर खबर मंगवा लें, व्यवस्था करायें। कहीं ऐसा न हो कि वहां कोई गोलीकाण्ड हो या कोई कहीं अप्रिय घटना घट जाये। मैं यह कहना चाहूंगी....

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं अभी आया हूं, इकट्ठे कहां हो रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मैं भी रामनिवास बाग से ही होकर आया हूं।

एक माननीय सदस्य : फिर आप जल्दी आ गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं वहां गयी हूं 11·30 बजे। मैं यहां से चाबी लेकर पोस्ट मार्टम कराने के लिए गयी हूं। उस लड़की को दस दिन पहले उसके सुसर ने मार दिया, उसकी लाश सड़ गयी, उसमें कीड़े पड़ गये। वह लड़की एम0 ए0 पास थी। मेरे ही क्षेत्र की थी। मैं उसका पोस्ट मार्टम कराने गयी यहां से चाबी लेकर। मेरे पास कोई सवारी नहीं थी ...

श्री अध्यक्ष : आप यहां से गयी हैं करीब-करीब 11·30 बजे, 12·20 या 12·25 पर यहां पधारी हैं, तो इतनी बाधायें होते हुए इतनी जल्दी आ गईं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आप पहले आये हैं। आप देख लें। इसके अन्दर जरा भी असत्य नहीं है। केवल सत्य के आधार पर ही यह बात कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मेघजी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज राजस्थान में यह स्थिति पैदा हो गई कि यह स्टेट गवर्नमेंट लेस नजर आती है, यहां प्रशासन नहीं है। यहां राजनैतिक आपातकाल की स्थिति पैदा हो गयी है, लगता नही है कि राज्य में कोई सरकार है। सरकार अगर होती तो यह हालत हमारी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये, जैसा आह्वान किया गया है अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से, तो सारा अस्पताल मुर्दा घर में परिवर्तित हो जायेगा। आदमी की चिकित्सा कहां होगी, आदमी को पानी कहां मिलेगा ? बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर जायेंगे. बिजली लोगों को कैसे मिलेगी ? यहां सेक्रेटेरियट में कर्मचारी नहीं है और आपकी विधान सभा में कर्मचारी नही हैं। अध्यक्ष महोदय, गांव-गाव में देखें, तो गावों मे पटवारी नहीं हैं। पूरा प्रशासन तहसील, छोटे से छोटे स्तर से लगाकर जिले तक जयपुर तक ठप्प पड़ा है। वहां पर गवर्नमेंट है या नहीं है यह पता ही नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम और कोई हो नहीं सकता कि हम इस विषय पर विचार करें क्योंकि हम यहां जो कुछ काम कर रहे हैं अनुदान की मांग पास कर रहे हैं। राजस्थान का अगले साल का ढांचा कैसे बने इसके बारे में विचार कर रहे हैं और आने वाले साल में हमारा ढांचा कैसे खड़ा हो इसके बारे में विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आज प्रशासन कतई ठप्प है, ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि हड़ताल कब तक चलने वाली है और यूनियनें और कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित होते चले जा रहे हैं, तो यह स्थिति और भी गम्भीरतम होती चली जा रही है। इसलिये इस समय इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यवाही कोई और नहीं है कि श्री मेघवालजी ने जो व्यवस्था का

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रश्न उठाया है उस पर विस्तृत चर्चा यहां होनी चाहिये । जब तक ऐसी स्थिति रहती है नियमित रूप से यहां क्या व्यवस्था सरकार की ओर से कर रहे हैं? आज पुलिस भी यहां पर मुकाबले की स्थिति में लगती है । अगर ऐसा हुआ तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा । हथियार पुलिस के यहां से छीने जा रहे हैं और आर. ए. सी. और सी. आर. पी. को हथियार दिये जा जा रहे हैं । तो मालूम पड़ता है कि यहां ऐसी स्थिति हो रही है । कल ज्यादा स्थिति खराब हो गयी तो वह आपके हाथ से निकल जायेगी । समय है, अध्यक्ष महोदय । हमारे प्रिविलेजेज का हनन हो रहा है, लगातार हमारे प्रिविलेजेज का हनन इसलिये हो रहा है कि कल बहुत से माननीय सदस्यों को डाक मिली और बहुत सों को नहीं मिली । मुझे जो डाक मिली वह डाक का थैला खुला हुआ था । विधान सभा से बहुत से गोपनीय पत्र भी जाते हैं उन पर लिखा रहता है कि जब तक यह पत्र सदन में रखे न जायें तब तक आप इसको गोपनीय रखें । हमको एक पत्रकार ने डाक ले जाकर दी, अध्यक्ष महोदय, साप्ताहिक या और कोई अखबार चलता है वह, उस पत्रकार ने मुझको डाक दी और हमारी डाक खुली हुई थी....

श्री अध्यक्ष : भला आदमी या बेचारा उसने दे तो दी आपको ।

श्री यदुनाथ सिंह : दे दी लेकिन....

श्री अध्यक्ष : उस पत्रकार की सराहना कर रहे हैं, भला आदमी था जिसने लाकर आपको दे दी ।

श्री यदुनाथ सिंह : भला आदमी × × × यह तो क्या पता । अध्यक्ष महोदय, उसने डाक में से कुछ कागज निकाल लिये हों तो क्या पता क्या पता, कितने कागज विधान सभा ने हमारे लिए भेजे हैं और कितने नहीं हैं । यह हमारे विशेषाधिकारों का हनन भी हो रहा है, अध्यक्ष महोदय । इसलिए आप अपनी ओर से सरकार पर दबाव दें । राज्य में बिलकुल आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है, प्रशासन ठप्प है । इसलिए आप निश्चित व्यवस्था दें, सरकार को बाध्य करें कि इस पर चर्चा हो । नियमित रूप से क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है और आगे कैसी स्थिति की कल्पना सरकार करती है, क्या कदम सरकार उठाने जा रही है इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में एक सूचना देना चाहता हूं दौसा से एक पत्र आया है उसमें लिखा है :

"दौसा, दिनांक 19-3-82 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अकर्मण्यता का एक और

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

नजारा राजकीय संस्कृत कालेज, दौसा के केन्द्र पर देखने को मिला। शिक्षक वर्ग की हड़ताल के कारण केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने राजकीय महाविद्यालय दौसा के छात्रों को उस केन्द्र पर पर्यवेक्षक लगाया है जहां बालिकाओं का केन्द्र है। जानकारी मिली है कि जहां किताब रखकर नकल कराई गयी वहीं कुछ छात्रों ने बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है। इससे दौसा के नागरिकों में भारी असन्तोष व्याप्त है।"

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से परसों शाम को 9 बजे दौसा के अन्दर इंग्लिश का पेपर आउट हुआ। वहां ऐसी अव्यवस्था हो रही है कि छात्रों को नकल करवाई जा रही है और उनके अभिभावकों को परीक्षा केन्द्रों पर लगाया जा रहा है। इससे परीक्षा की संदिग्धता बनी हुई है और बहुत सी अराजकता की स्थिति बनी हुई है, इस सम्बन्ध में यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री कैलाश मेघवाल और श्री मेघराज तावड़ ने दो स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिये थे कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और अन्य भी दूसरे कारणों को लिखा था। मैंने वे प्रस्ताव राज्य सरकार के पास उनकी जानकारी हेतु भेजे हैं। उसके बाद में एक औचित्य के प्रश्न के माध्यम से माननीय श्री कैलाश मेघवाल ने यह कहा कि यह मामला अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो यह औचित्य का प्रश्न नहीं है, उसको तो मैं निरस्त करता हूं। लेकिन सरकार की ओर से इस पर कुछ प्रतिक्रिया आये, वक्तव्य आये? मुख्य मंत्रीजी ने मेरे पास प्रश्नोत्तर काल के दौरान एक सन्देश भेजा था कि वह सदन में कुछ देरी से पहुंचेंगे। मुख्य मंत्रीजी के आते ही मैं उनसे बात करूंगा और उसके बाद में आपको सूचित करूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन एवं श्री रामकिशोर मीणा : गांधी सागर क्षेत्र में हुए विस्फोट। अब वह विस्फोट का मामला समाप्त हो गया....

श्री रामकिशोर मीणा : कैसे समाप्त हो गया, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : हां, वैसे ही विस्फोट हो रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। पिछले दो-तीन महीनों में कुछ उड़न तश्तरियों की लगातार प्रक्रिया का मामला चला आ रहा है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापको भी देखने का ग्रवसर मिला है क्या उड़न तश्तरियां ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे तो देखने का ग्रवसर नहीं मिला है, ग्रध्यक्ष महोदय, लेकिन लगातार पत्रों में पढ़ा है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि कम से कम यहां गांधीसागर...

श्री ग्रध्यक्ष : यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मैंने उड़न तश्तरियां प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई हैं ग्रापके ग्रापके राज में, जब कभी दुबारा कोई सम्भावना बनेगी या उड़न तश्तरियां ग्राने लगेंगी तो मैं ग्रापको बता दूंगा।

श्री राजबहादुर : क्या ग्रापने देखी हैं, ग्रध्यक्ष महोदय ?

श्री ग्रध्यक्ष : वह ग्रलग से चर्चा करेंगे।

श्री नाथूसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, बोर्ड की परीक्षाग्रों के मामले में ग्राप शिक्षा मंत्रीजी से कहें कि इस मामले में कोई वक्तव्य दें। बहुत इम्पार्टेन्ट है।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं सूचना मांग लूंगा।

श्री हरीश शर्मा व देवीसिंह भाटी, उदयपुर विश्वविद्यालय के बीकानेर स्थित पशु चिकित्सालय के सबंध में।

श्री देवीसिंह भाटी।

(ग्रनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी—राजपुरा, पंचायत समिति के सम्बन्ध में।

ग्रनेक माननीय सदस्य : यह नहीं ग्रा सकता।

श्री ग्रध्यक्ष : यह उससे पहले का है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सत्ता पक्ष में चले गये हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : ग्राप से शिक्षा लेने की ग्रावश्यकता नहीं है....

ग्रध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य....ग्रार्डर प्लीज

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चुनाव के समय इन्होंने श्रीमती गांधी के पुतले हमारे सामने जलाये थे।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ग्रापकी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : दल बदलने के कारण वापस चुनाव लड़कर ग्राना चाहिये। सदन से इस्तीफा दे दें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रापने इन्दिरा गांधी के पुतले जलाये थे।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : ग्रध्यक्ष महोदय, जैसी ग्रभी सूचना मिली है कि तीन बजे मीटिंग बुलाई है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें भूतपूर्व प्रगतिशील दल के नेता उपस्थित नहीं होंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : भूतपूर्व हैं ही नहीं, सवाल कहां पैदा होता है ?

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्यों को मेरे दल के कांग्रेस (ग्राई) में शामिल होने से बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं मेरे दल के जितने सदस्य हैं ·· (व्यवधान) दल-बदल की संज्ञा में नहीं ग्राते हैं····

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रापको इंदिरा गांधी की मीटिंग में बर्खास्त किया गया था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्होंने किसी पार्टी के ग्राधार पर वोट नहीं लिये हैं ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : × × ×

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रंकित न किया जाय।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये सुन्दर सिंह भण्डारी को वोट देने वाले नहीं हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रंकित न हो।

(व्यवधान)

मुख्य सचेतक महोदय, कुछ कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

(व्यवधान)

जो यह चार्ज लगाया है ग्रध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

या इस्तीफा मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जनता यह देख रही है वोटर नहीं बिकता, × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर....आर्डर प्लीज !

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : कांग्रेस (आई) की प्रगतिशील नीतियों और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इनको विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : इस्तीफा देकर फिर चुनकर आ जायें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें, बैठ जायें।

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इधर से उधर बैठकर आपने राजनीति की प्रतिष्ठा कम की है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो समाजवादी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका समाजवाद तो × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : No। गलत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका तो बिरलावादी समाजवाद है।

एक माननीय सदस्य : आप तो पूंजीपतियों को टिकट देने वाले हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्यों ने प्रगतिशील दल को कांग्रेस (आई) में शामिल करने के बारे में कुछ गलत आरोप लगाये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रगतिशील दल जब से इस हाउस

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

में कायम हुआ है तब से आज तक उसने कांग्रेस (आई) की नीतियों में विश्वास किया है कभी आज तक विरोधी दलों के साथ हाउस से वाक आउट नहीं किया, कभी विरोधी दलों के साथ जाकर वोट नहीं दिया, हमारी विचारधारा हमेशा कांग्रेस (आई) के साथ रही है उनसे मिली हुई है। माननीय सदस्यों ने ये आरोप लगाया कि × × × मैं इस बात को चुनौती देना चाहता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया....

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, आप जोर-जोर से बोल रहे हैं, आपकी जनता पार्टी को × × × आप जानते हैं. वही तरीका अपना रहे हैं....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : इनकी सरकार दूसरी थी, इनकी जाने वाली थी, ललितकिशोर जी का मन्त्रिमण्डल जाने वाला था....

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : पंचायतों की आप सिफारिश करते हो, आप भ्रष्टाचार....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को दिक्कत है, मैं समझता हूं कि मेरे कांग्रेस (आई) में शामिल होने से सीकर जिले में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर में तो चुनाव लड़कर देखो, आज आमने-सामने चुनाव लड़ोगे, हिम्मत है ?

श्री अध्यक्ष : संघर्ष की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नीम का थाना में लड़ना हो, आप आइये मेरे साथ ...

(व्यवधान)

मैं इनको दुबारा चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं। नीम का थाना में चुनाव लड़ूंगा इनके साथ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : पिछली बार भी × × ×

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं, इनका विधान सभा से त्याग पत्र लो....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के जितने माननीय सदस्य जीतकर आये हैं सारे

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

इंडिपेन्डेन्ट चुनकर आये हैं, किसी भी पार्टी का सहारा लेकर चुनकर नहीं आये हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस के खिलाफ जीते हैं और आज कांग्रेस में जा रहे है, इससे बड़ा जनता के साथ कोई × × ×

श्री मोहनलाल मोदी : आपके जनता पार्टी के भूतपूर्व उद्योग मंत्री की जमानत जब्त करा के जीत कर....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे वोटों पर जीते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री दाऊदयाल जोशी (बीगोद) : अध्यक्ष महोदय, एक श्लोक है :

"पंचाभिभूता त्वध पंचकृत्व
पंचेन्द्रियं पंचस् भावमन्ती।
पंचेन्द्रिय पंचस् भावमन्ति
पंचत्व मायान्ति विनाशकाले।"

पंचक, यानि जो पंचक है, हाथ का तत्व है उसके अन्दर कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। इन्दिरा गांधी के हाथ के अन्दर प्रवेश कर गये हैं। तो पंचत्व मायान्ति विनाशकाले, यानि विनाश काल के पंचक इन्द्रियों में प्रवेश करते हैं। ये उसमें प्रवेश कर गये। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, जल्दी से जल्दी इनका विनाश दिखायें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जनता पार्टी में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्ती से सुन लीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, बैठ जायें।

श्री मोहनलाल मोदी : उद्योग मंत्री की जमानत जब्त कराके मैं जीत कर आया हूं, मेरे दल के सारे सदस्य....

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या बोल रहे हैं आप ? उस वक्त जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की बात करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मदन पंवार कांग्रेस के उम्मीदवार को डराकर आये हैं। आपने तो सबके खिलाफ प्रचार किया। इन्दिरा गांधी के पुतले जलाये कि नहीं जलाये ? आप जवाब दो, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय रामदेव सिंह जवाब दें।

अनेक माननीय सदस्य : गलत।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, न किसी को इस्तीफा देने की आवश्यकता है...

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : कांग्रेस के खिलाफ जीत कर आये हैं लेकिन....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : कल रात को जिस वक्त रेडियो से न्यूज अनाउन्स की गयी है, नीम का थाना में भारी हर्ष प्रकट किया है और मेरा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ....चलकर देखें, नीम का थाना में....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : थोड़ी बहुत भी......तो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को कहता हूं कि मेरे साथ चलें। मेरा...

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या सुनें ? किसकी सुनें ?

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : सुन्दरसिंह जी भण्डारी हार जायेंगे, इससे इनका जी जल रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह सारी चिन्ता इस बात की है कि इनका उम्मीदवार ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्दिरा गांधी के इनके....

श्री मोहनलाल मोदी : नीम का थाना में जनता ने मेरा कांग्रेस (आई) में शामिल होने पर बहुत बड़ा हर्ष प्रकट किया है, और मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं जाऊंगा उस वक्त मेरे वहां की जनता जो स्वागत करेगी, वह इन माननीय सदस्यों को....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नीम का थाना की जनता × × × अगर हिम्मत हो तो कांग्रेस (आई) के टिकट लेकर चुनाव लड़ें....

श्री जयकृष्ण शर्मा : इन्होंने तो कई बार लड़ लिया, नये तो आप ही हो। आप विधान सभा की इन दीवारों को देख लो, दुबारा दर्शन नहीं होंगे। आज देख लो आइन्दा आपको ये विधान सभा की चारदीवारी नसीब नहीं होगी। हमने कहा....

(व्यवधान)

एक आपकी ही तरह बोलते थे आज उनका नाम निशान नहीं है। आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हो। वे यहां बैठा करते थे आज उनका नामो निशान नहीं, वरना....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 31 में से 26 तो वही हैं जो पिछली बार भी थे।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 68

(68)

श्री मोहनलाल मोदी : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने उप जिला प्रमुख का चुनाव लडा था, जिसमें 4 वोट मिले थे। अध्यक्ष महोदय, सीकर में बहुत बड़ी ताकत लग गयी, जितनी ताकत माननीय सदस्य को लगानी थी, सारे विरोधियों ने एक होकर लगा दी इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके अन्दर भारी बहुमत से मेरा उम्मीदवार जीता था, वह जीत कर आया।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इन्होंने जो एनर्जी वेस्ट की है उससे तो एक पावर हाउस बन जाता, एक बिजली घर बन सकता था।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के शासन काल में मौलिक अधिकारों का इतना हनन हुआ है कि हम उनके साथ जा नहीं सकते। उनके साथ विचारधारा मिल नहीं सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : ....ये तो आज भी × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको अपनी बात कहने दीजिए, माननीय सदस्य। उनको अपनी बात कहने दें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : × × × तो इण्डिपेन्डेन्टली जीत कर नहीं आते यहां पर....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ××× मैं आपसे कहता हूं कि इन्दिरा गांधी को जब जेल भेजा जनता पार्टी ने तब मैं दस दिन जेल में रहा हूं। उस समय ग्यारह सौ आदमी गिरफ्तार हुए, पहला मैं गिरफ्तार हुआ था और शीशराम जी दूसरे आदमी थे। मैं दस दिन तक जेल में रहा हूं। 77 में मैं जनता पार्टी में था तब पांच सौ वोटों से हारा था। इन्दिरा गांधी की रीति-नीतियों में मैं विश्वास रखता हूं। हमारे क्षेत्र में पंचायत समितियों के चुनाव हुए तो तीन प्रधान उसमें मेरे आये, आई-कांग्रेस के।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : इन्दिरा कांग्रेस को हरा कर आये थे।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल : भारतीय जनता पार्टी 26 हजार वोटों से हारी है...

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुन्दरलाल)

(व्यवधान)

ये कहते हैं कि इस्तीफा दो। मैं मेरी जगह से इस्तीफा देता हूं, जनता पार्टी के सदस्य भी दें, मैं चुनाव लड़ता हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल तांबी.... ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत दर्द पहुंचा है। हम समाजवादी, प्रगतिशील नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग जीवन भर साम्प्रदायिक, प्रतिगामी ताकतों से संघर्ष करते रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें मैं भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मंत्री त्रिलोकचन्द को हरा कर आया हूं....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री रतनलाल तांबी : और राज्य सभा के जो चुनाव हो रहे हैं....

(व्यवधान)

पंचायतो के जब चुनाव हो रहे थे उस समय ये जहाजपुर में इन्दिरा कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ जीपों में बैठ कर घूमते फिरते थे × × × नहीं दिख रही थी।

(व्यवधान)

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग इन्दिरा गांधी के खिलाफ जेलों में गए थे जनता पार्टी के राज में। राजस्थान में सन् 67 से लेकर 80 तक

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 80 के चुनावों में क्या किया था....

श्री रतनलाल ताम्बी : जनता पार्टी के साथ हमने संघर्ष किया....

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा कांग्रेस के उम्मीदवार सेठ संतोषकुमार का पुतला इन्होंने जलाया था....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल तांबी : ....पुतला इन्होंने जलाया था और नाम मेरा ले रहे हैं।

(व्यवधान)

ऐसी हालत में, मेरे क्षेत्र की जनता की भावना के आधार पर, हमारे कार्य-

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रतनलाल तांबी)

कर्त्ताओं की भावना के आधार पर और जनमत की भावना के आधार पर हमने फैसला किया। निश्चित रूप से हम जीवन जीवन भर लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे और विधान सभा में भी आपने देखा होगा...

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हमने इन्दिरा कांग्रेस की नीतियों में विश्वास किया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सुन्दरसिंह भण्डारी जैसे व्यक्ति नहीं जीत सकते।

(व्यवधान)

आज हम कहना चाहते हैं कि हमने प्रगतिशील, समाजवादी नीतियों के आधार पर कांग्रेस (आई) के समर्थन की बात सोची है। हमने कोई सौदेबाजी की बात नहीं की है....

श्री बंशीलाल पटवा : × × ×

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय क्यों खराब किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप कहां से जनता के × × × हो गए। जनता का × × × आपका ही है क्या ? और कोई जनता से चुन कर नहीं आया क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जावें। ...आर्डर आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी, ग्राम ढाया, कोटा नगर में डकैती के सम्बन्ध में

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त हो गया।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके स्थगन प्रस्ताव का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कोटा से 20 किलोमीटर दूर ग्राम ढाया में 6 मार्च को 2 लाख रुपयों की डकैती नेमीचन्द सेठ के यहां पड़ गई। उसके बारे में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको आपने राज्य सरकार से जानकारी के लिए भेजा और जानकारी यह आई है कि अन्वेषण जारी है। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना यह है कि आज इस डकैती को पड़े हुए 15-16 दिन हो गए। सरकार कहती है कि अन्वेषण

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जारी है। मेरा आज से सात दिन पूर्व भी चार्ज था कि लोग मर जायें ऐसे मामलों में अन्वेषण जारी रहता है। मुझे आश्चर्य है कि पांच सात महीनों तक मर्डर केस के, 302 के अपराधी नहीं पकड़े जायें, 4 मर्डर केस सांगोद क्षेत्र में हो गए उसमें अपराधी नहीं पकड़े गए और दो लाख का डाका पड़ गया उसमें अन्वेषण जारी है। मेरा निवेदन है कि यह सरकार आखिर सरकार है या मजाक है ? यह किसी प्रकार से जान माल की रक्षा नहीं कर सकती, व्यक्तियों को नहीं बचा सकती। सड़क पर चलते हुए आदमियों की हत्या हो जाये, सरे आम सात बजे लोगों को मार डाला जाये, खेत में काम करती हुई औरत को मार डाला जाये और विधान सभा में सरकार केवल इस प्रकार का जवाब दे दे कि अन्वेषण जारी है। तो यह राज्य है या मखौल है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि यह राज है या मखौल ? आखिरकार दो लाख की डकैती पड़ी और आज 16 दिन होने को आए, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया।

इस सारे महत्व के प्रश्न पर हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस सारे राजस्थान को आज अराजकता की स्थिति में धकेल दिया गया है तब तो और भी ज्यादा चिंता का विषय हो गया है। एक तरफ मेरे राजस्थान के सारे नागरिकों को जान माल की सुरक्षा नहीं, एक तरफ मेरी मां और बहिनों की सुरक्षा नहीं, एक तरफ बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती लूट हो रही है धौलपुर, में महिलाओं पर सरेआम छापा पड़ रहा है, यह स्थिति है। दूसरी तरफ यह सरकार किसी प्रकार का कोई न्याय न राज्य कर्मचारियों को दे रही है, न राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को दे रही है, इससे बड़ी हेय बात कोई नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, यह जो ढाया गांव है वह बिलकुल मैन सड़क पर है, कोटा शिवपुरी की रोड को मिलाने वाला मुख्य मार्ग है। इस मार्ग पर सरे आम डकैती पड़ जाये और उसके बाद ...

श्री अध्यक्ष : सरे आम जो गांव सड़क से जुड़े होते हैं वहां पर अपराधियों को पकड़ना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वह भाग जाते हैं, सड़क से।

श्री दाऊदयाल जोशी : 16 दिन हो गये, अध्यक्ष महोदय, कोई पता तो लगाये सरकार। मेरा स्थगन प्रस्ताव सात दिन पहले आपने राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा था। मैं स्वयं इस गांव में गया हूं एस० पी०, एडीशनल एस० पी० स्वयं उस गांव में गए हैं, और जब मैं कोटा गया था, तब उन्होंने मुझसे कहा, दाऊ जी, हमारी जीप में चलिये। मैंने कहा, मैं आपकी जीप में नहीं, मेरे पास मेरे छोटे भाई का स्कूटर है, उससे आ रहा हूं। मैं वहां गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया, दाऊ जी, with in two days, दो दिन के अन्दर डकैतों को पकड़ लेंगे, आप चिन्ता मत कीजिये। दो दिन छोड़कर स्थगन प्रस्ताव दिये हुए सात दिन हो गये, इस मामले को 16 दिन हो गये। और रिप्लाई सरकार के द्वारा क्या आया ? मुझे खुशी होती, गरआसन के माध्यम से यह सुनता, दाऊजी , आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके आधार पर पकड़े गये। मैं शायद इस सारे प्रश्न को उठाता नहीं, चुपचाप बैठा रहता, जैसे रिपोर्ट की बात पर लोग चुपचाप बैठे रहे। लेकिन सरकार किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है। मैं पांच स्थगन प्रस्ताव मर्डर की घटना के दे चुका हूं। उनमें कोई जानकारी नहीं आई, न अपराधी ही पकड़े गये। चार डकैती की घटनाओं के बारे में पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं। देवली के अन्दर डकैती पडी, फिर उसके पास में दूसरे गांव में डकैती पड़ी , तीसरे गांव में डकैती, और पड़ती ही जा रही हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब तो और ज्यादा भय हो गया। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है। माननीय कैलाश जी ने बताया, पुलिस के हाथ से हथियार छीने जा रहे हैं। पुलिस के हाथ में हथियार नहीं रहे। और शासन करने वालों के हाथ में दे दिये गये। जो शासन चलाने वाले व्यक्ति हैं, जिनके हाथ में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन होती है, उनके हाथ में दंड सुरक्षित होता है तो वास्तव में कोई बात होती है। लेकिन दंड आज सत्ता चलाने वाले व्यक्तियों के हाथ में आ गया। पंडित बृजसुन्दर जी शर्मा डंडा लेकर, राइफल लेकर खड़े हो गये तो हमारे कोटा बूंदी, झालावाड़ की रक्षा हो सकेगी, सम्भव नहीं है। डंडा तो पुलिस के हाथ में सुशोभित होता है। डंडा सत्ता चलाने वाले, इन अग्रिम पंक्तियों में बैठने वालों के हाथ में चला गया है इसको छीनिये। आपसे निवेदन है भगवान के नाम पर कि कोटा बूंदी, झालावाड़ में भयंकरतम स्थिति हो रही है। कल पंडित बृजसुन्दर शर्मा जी के क्षेत्र की बात कही थी , कोटा कैम्प में दारू का ठेका सरे आम लूट लिया गया। पुलिस वालों ने लूटा है लेकिन, पंडित जी , आपसे निवेदन है, कुछ नही हुआ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : चार व्यक्तियों को मुअत्तिल कर दिया। मेरा आपसे निवेदन करना है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप उस क्षेत्र के वोट लेकर आये हो। आसन के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोटा कैम्प तीन दिन तक बंद नहीं रहा ? आपने हास्पिटल में जाकर लक्ष्मण सिंह को नहीं देखा, मैंने देखा है। उसने कहा, मेरा कसूर क्या था, मुझे बतायें तो

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सही। पंडित बृजसुन्दर जी शर्मा से निवेदन करना चाहता हूं, आप क्यों नहीं गये हॉस्पिटल में ? आज बून्दी में वह पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपने जाकर नहीं संभाला। तीन व्यक्ति आपके अंदर हैं, हमारे नहीं आपको वोट दिये हैं उन्होंने। मेरा निवेदन है कि जो तीन व्यक्ति घायल हुए हैं वे तो अस्पताल से आ गये लेकिन लक्ष्मण सिंह आज भी कराह रहा है, हॉस्पिटल के अन्दर पड़ा हुआ। जिसको पुलिस ने सरियों से मारा है। जो ए.एस आई., एस. आई., हैड कांस्टेबिल सुबह 11 बजे से दारू में घुत थे, जो राइफल लेकर और दो डब्बे बगलमें दबाकर लोगों को भयभीत करने के लिये आये थे ऐसे व्यक्तियों को बख्शा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय फिर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन कैसे कायम रहेगी ? मेरा इतना ही निवेदन है, कोटा बून्दी, झालावाड़ को बचाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के संबंध में।

श्री कैलाश मेघवाल : भूख–हड़ताल समाप्त हो गई, ऐसी सूचना आई है। कुछ समझौता हो गया है, कोई समझौते की सूचना नहीं आई, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : भख हड़ताल भी समाप्त हो गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : अब इस पर हो गया होगा समझौता।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपालसिंह, किशनपुरा में हुई कई हत्याओं के सम्बन्ध में।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, किशनपुरा गांव में एक 28 वर्ष की नवविवाहिता लड़की अपने घर के किवाड़ बन्द करके रात को दूसरी मंजिल पर सोयी हुई थी। उसका पति एक बारात में गया था। उस लड़की की वहां हत्या कर दी गई। यहां तक कि उसके पांव काटकर उसके जेवर भी साथ ले गये। जो हत्यारे थे उन्होंने वहां सिगरेटें पीं। सिगरेटों के टुकड़े मिले, सिगरेट केस मिला, सब कुछ हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन न तो सिगरेट के टुकड़ों से फिंगर प्रिन्ट्स लिये, जो चोर मकान में किवाड खोलकर घुसे थे उन किवाड़ों से उनके फिंगर प्रिन्ट्स लिये और ना ही कोई ऐसी कार्यवाही की जिससे उन लोगों का पता चल सके।

इसके साथ ही जिस बारात में उसका पति गया था, उस अमरपुरा गांव में उसी दिन एक लाश कुए में मिली। इसी तरह देवली गांव में एक आदमी की लाश कुए में मिली। अभी चार दिन पहले की घटना है, परड़ा गांव के एक घर में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, आदमी कुएं पर गये हुए थे जब वे वापस आये तो बुढ़िया नहीं मिली। उसको ढूंढा, तलाश किया। उसको चोरों ने उसी मकान में एक घास के ढेर में मार कर डाल

Page No 74

(७५)

(श्री भूपालसिंह)

दिया ग्रौर उसके पांव काटकर जेवर ले गये। इन दिनों में निम्बाहेड़ा सब-डिवीजन में कोई 8–7–15 दिन में कत्ल होते जा रहे हैं। वहां के लोग कत्ल को समझते नहीं हैं बिलकुल शांत एरिया है, वहां का वातावरण बड़ा बिगड़ा हुग्रा है लोग भयभीत हैं। दिन में निकलने से बिलकुल घबरा रहे हैं। एक भी कत्ल के मुजरिम ग्रभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। मेरा ग्रापसे निवेदन है कि वहां के सब इन्सपेक्टर डी.वाई. एस.पी. या मुताल्लिक ग्रफसर, जितने कत्ल हुए, उनका एक भी चालान नहीं दे सके। यह तो हो सकता है कि पांच-चार कत्ल हों ग्रौर एक ग्राध का चालान नहीं हो लेकिन जितने कत्ल हुए उनके मुजरिम ग्रभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। पुलिस वालों से कुछ नहीं पूछा जाता कि तुमने क्या किया, न उनका ट्रांसफर हुग्रा है, न दूसरे किसी ग्राफिसर को काम के लिए लगाया गया है। मेरा सरकार से ग्रनुरोध है कि जिन ग्रादमियों ने ठीक काम नहीं किया उनके खिलाफ इन्क्वायरी फर्माई जावे। वहां ऐसे ग्रादमी को भेजा जाये जो कत्ल के केस को बराबर कर सकें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रनंग कुमार जैन ग्रौर श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर, झालावाड़ जिले मे ग्रावश्यक वस्तुग्रों के वितरण के सम्बन्ध में।

श्री ग्रनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रदेश के ग्रन्दर गांवों के ग्रन्दर जो ग्रामीण जनता है उसको ग्रावश्यक वस्तुएं समय समय पर उपलब्ध करवाये, मुहैया करवायें। लेकिन झालावाड जिले के ग्रन्दर करीब 1600 गांव है उनमें से ग्रधिकांश गांवों के ग्रन्दर गेहूं, सीमेंट, शक्कर ग्रौर कैरोसिन ग्रादि जो ग्रावश्यक वस्तुएं हैं. जीवन-यापन के लिए ग्रावश्यक चीजें हैं, जो दिन-प्रतिदिन के लिए वस्तुएं ग्रावश्यक होती हैं, वे समय पर कभी भी मुहैया नहीं कराई गई हैं। मेरा इस स्थगन प्रस्ताव को देने का मात्र यह उद्देश्य था कि झालावाड़ में कई गांवों में ग्राज तक शक्कर नहीं दी गई है, गेहूं उपलब्ध नहीं हो रहा है, कैरोसिन को इतनी बदतर स्थिति है कि पांच-छ: रुपये लीटर के ग्रन्दर ग्रामीण लोगों को खरीदना पड़ रहा है। ग्राम—रायपुर, बकाड़ी, हसनाबर यह वह नाम बता रहा हूं, जहां हालत बड़ी खराब है।

हाट के दिन सारे ग्रामीण लोग ग्रास-पास के इकट्ठे होते हैं उनको वहां 5–6 रुपये लीटर घासलेट खरीदना पड़ता है। यदि कैरोसिन पहुंचाया भी जाता है तो पास में मध्य प्रदेश का इलाका है। उस इलाके में वहां के डीलर ब्लैक कर देते हैं। इस प्रकार सरकार की तरफ से कोई नियन्त्रण नहीं हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से इस स्थगन प्रस्ताव के

(श्री अनंग कुमार जैन)

माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार कम से कम झालावाड़ जिले में जो ग्रामीण अंचल है, सुदूर अंचल है जहां पर लोगों को ये चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं या जो डीलर अनियमितताएं कर रहे हैं उसकी विस्तृत जांच करवायें। जांच करवाने के बाद जो डीलर गलत ढंग से ये चीजें बेच रहे हैं, ग्राम जनता को नहीं पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। बहुत सी जगह डीलर नियुक्त कर रखा है लेकिन वे भी इस स्थिति में नहीं हैं कि चीजों को खरीद सकें और जनता को उपलब्ध करवा सकें। उनके पास वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं। जब वहां जिला स्तर पर कहा जाता है, लिखा जाता है तो कहा जाता है कि नीति के हिसाब से कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कार्य कर रही हैं। मुझे इस बात का कोई विरोध नहीं है कि आप प्राइवेट डीलर्स को ही अपाइंट करें। कोआपरेटिव सोसाइटीज को इन चीजों को मुहैया करवाने के लिये मौका दिया जाये। लेकिन जो कोआपरेटिव सोसाइटीज उस स्थिति में नहीं हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है, पैसों का प्रबन्ध कर नहीं सकती उनको सरकार से परमीशन मिल जाये। क्या वे ये चीजें खरीद कर पब्लिक को बेच नहीं सकतीं? उन जगहों पर जांच करके दूसरे डीलर नियुक्त कराये जायें तो ग्राम जनता को डीजल, कैरोसीन, सीमेंट आदि उपलब्ध हो सकते हैं। मेरा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि जो स्टीरियो टाइपरिप्लाई अधिकारीगण बना कर भेज देते हैं कि सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : आजकल तो उनका भी देना मुश्किल हो रहा है।

श्री अनंगकुमार जैन : तो मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इन चीजों को ग्रामीण जनता को आसानी से उपलब्ध करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में जो वितरण व्यवस्था बिगड़ रही है उसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में गुड़ा पंचायत और जगदीशपुर पंचायत में कई महीनों से शक्कर, चीनी, कपड़ा ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। अभी जैसा माननीय अनंगकुमार जी ने बताया कि रायपुर कस्बे में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 8 महीने से घासलेट उपलब्ध नहीं है; पता नहीं कब मिट्टी का तेल आता है, कब डीलर ब्लैक कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भवानीमण्डी में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। लोग जब मिट्टी का तेल लेने जाते हैं तो 1–2 दिन मिट्टी का तेल देकर बाद में बता देते हैं कि तेल नहीं रहा। मैंने जिला सतर्कता समिति के सामने भी यह मामला रखा था और डी.

Page No 76

(76)

(श्री ग्रध्यक्ष)

एस. ग्रो. को भी बताया था कि भवानी मण्डी, गुड़ा पंचायत ग्रौर ग्रन्य जगहों पर वितरण व्यवस्था बिगड़ रही है ग्रौर ग्राम-वासियों को ग्रावश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्राप जाकर व्यवस्था देखिये। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे के सारे कंट्रोलर ग्रौर डीलर × × × बना रखा है ग्रौर × × × को दे रखे हैं माननीय ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय × × × शब्द × × ×

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर : यह सही है, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन कराना चाहता हूं यह ग्रामवासियों की ग्रावाज है....

(व्यवधान)

जिला झालावाड़ में जाकर देखिये ये × × × सारे के सारे।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, माननीय सदस्य, ग्रससंदीय शब्दों का प्रयोग न करें। मैंने एक्सपंज करवा दिये हैं, ग्रार्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर : × × ×

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग न करें, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : 77 में जब पार्टी का राज ग्राया तो × × × देते थे क्या ?

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर : मैं ग्रापके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सारी वितरण व्यवस्था बिगड़ रही है। जिला रसद ग्रधिकारी को कहें, यह सरकार तो ग्रन्धी, बहरी, सरकार है. कोई सुनने की फुरसत नहीं, एक्शन लेने की फुरसत नहीं।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह : पांच साल का राज दिया ग्रौर तीन साल में घर चले गये, ग्रापकी सरकार कैसी थी ?

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर : × × × राज तो ग्राता जाता है लेकिन ग्रापके जो × × × बैठे हुए हैं झालावाड़ जिले में, उनको सुधारने के लिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ग्रौर एक प्रभारी मंत्री है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि एवं न्याय मंत्री) : ग्रसंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे, ग्रध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : जितने भी सुने हैं उनको कार्यवाही से हटा दिया है। इसके ग्रलावा मैं कार्यवाही ग्रौर देख लूंगा यदि इस तरह के शब्द पाये जायेंगे, वे एक्सपंज कर दिये हैं। मैंने कार्यवाही से हटवा दिये हैं।

× × × ग्रभिव्यक्ति/शब्द माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : यह जनता की आवाज है, मैं सही कह रहा हूं। जनता की आवाज बोल रहा हूं। ग्रामीण जनता की आवाज है। मुझे ग्रामीण जनता ने चुन कर भेजा है, मुझे आपने × × × बना कर नहीं भेजा।

श्री महेन्द्र सिंह : हम कौनसे ऊपर से आये हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं ग्रामीण जनता की आवाज को बुलन्द करूंगा। आपकी तरह × × × नहीं हूं। जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, वितरण व्यवस्था बिगड़ रही है और उसको × × × दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करें। माननीय सदस्य, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं भवानी मण्डी में इनके कार्यकर्त्ताओं को कंट्रोल का कार्य दे रखा है और उनको प्रोत्साहन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सुधारें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री महाराम चौधरी।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हैण्ड पम्प फागी तहसील में लगा रखे हैं उनके लिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री अध्यक्ष : वह मुझे ध्यान में है। मैंने सरकार से जानकारी चाही है, सरकार से जानकारी आवे तो....

श्री राम कंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार गोलमोल जबाव दे देगी। फागी तहसील में मोहब्बतपुरा गांव में जो पांच हैण्ड पम्प लगाये गये वे गांव में जो तीन पनघट और तीन कुए हैं उनके बिलकुल पास में लगाये गये हैं। हरिजन, बस्ती में दूर दराज बसे हुए हैं एक एक मील दूर बसे हुए हैं वहां कहीं भी उनके लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खास कर मोहब्बतपुरा गांव में जो मशीन वाले जाते हैं वे उनसे पक्षपात करते हैं। पता नहीं कोई उनको पैसा देते हैं, उनको घर में ठहराते हैं या खीर पूरी बना कर खिलाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मशीन वाले गलत काम कर रहे हैं। आज आप श्रीमती गांधी का नारा लगाते हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, वह गरीब लोगों के लिये बनाया है लेकिन उसका लाभ और लोग ले रहे हैं और जिन लोगों के लिये प्रोग्राम बना है उनको वंचित रखा

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राम कंवार बैरवा)

जा रहा हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मशीन वाले गलत काम करते हैं और बस्ती के लोगों की सलाह से काम नहीं करते उन पर एक्शन लिया जाये। ग्राम मोहब्बतपुरा में जाकर देखा जाये पांच हैण्ड पम्प लगा रखे हैं जो बिलकुल पनघट, कुए के पास लगाये गये हैं और हरिजन बस्ती के लोगों को बिलकुल वंचित रख दिया गया है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंचायत समिति नागौर एवं पंचायत समिति मूण्डवा के ग्रामीण क्षेत्रों में दोषपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तगत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत समिति मूण्डवा और नागौर के ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल योजनाएं पिछले दो साल से बनी हैं उस सम्बन्ध में इस वक्त जो कुछ कार्यवाही चल रही है वह व्यावहारिक तौर पर दोष पूर्ण है, अव्यावहारिक है और 25 प्रतिशत भी जनोपयोगी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की जल समस्या के हिसाब से उपेक्षा हो रही है। सबसे पहला यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लिये पेयजल योजनाएं बनाने, राजस्थान के प्यासे गांवों को पानी दिलाने के लिये जो आधार, गाइड लाइन्स बनायी है उसमे मैं यह महसूस करता हूं कि यह नीति का निर्धारण किया है कि जिन बस्तियों से पानी 1.6 कि. मी. दूर पड़ता है उन सब गांवों को समस्याग्रस्त गिना जायेगा और जिस गांव में 15 मीटर से ज्यादा गहरा पानी है उस गांवों को समस्या ग्रस्त गिना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जल की भयंकर समस्या है। उस क्षेत्र के अन्दर 250 × 300 फीट गहरे कुएं हैं। वहां पर जो जल स्रोत पहले से बना हुआ है और अब जो स्रोत राज्य सरकार अपनी योजना के अन्दर बना रही है, उस योजना से 13/14 बस्तियां, हरिजन बस्तियां समझ लीजिये या ढाणी में रहने वाले किसान की बस्तियां समझ लीजिये, ज्यादा दूरी पर हैं। वहां कुओं का पानी गहरा है इसलिये मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन है उस पाइप लाइन से जल उपलब्ध कराने में उन गांवों को प्राथमिकता देनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि उन गांवों और बस्तियों को प्रथमप्राथमिकता देनी चाहिये जिन गांवों और बस्तियों को 10–15 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जिन गांवों के अन्दर 150 फीट से अधिक गहरे

(श्री महाराम चौधरी)

कुए हैं उन गांवों को प्राथमिकता दी जाये तो मेरे जैसे क्षेत्र, फलोदी जैसे क्षेत्र, ग्रोसियां जैसे क्षेत्र और जो पश्चिमी राजस्थान के दूसरे गांव हैं वहां भी पानी सुलभ हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि पाइप लाइन को समस्याग्रस्त और अकालग्रस्त गांवों को पानी देने का आधार माना है इसमें तब्दीली करके उन गावों को प्रथम प्राथमिकता देने की योजना बनानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने पश्चिमी राजस्थान की बात कही है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, अलवर जिले में गांवों का आपस में दूरी ज्यादा नहीं है और गांव भी छोटे छोटे हैं। इन गांवों में पानी उपलब्ध कराने लिये जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान के गांवों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के गांवों को पेयजल सुलभ कराने के लिये अलग योजना बनानी चाहिये जिससे कि उन गांवों के लिये ज्यादा धन आवंटित किया जा सके या उनमें ज्यादा धन लगाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर भी जिन गांवों के अन्दर पानी का सोर्स नजदीक है या कुएं ज्यादा दूरी पर नहीं हैं, या ऐसी ढाणी हैं, जिनमें पानी मिलता है, उनके बजाय पहले उन गांवों को लिया जाये जिनमें पानी दूर दूर से आता है, उन गांवों को प्राथमिकता दी जाये जिनमें तालाब या दूसरे सोर्स से पानी नहीं है। प्रथम प्राथमिकता किस गांव को देनी चाहिये, उदाहरण के तौर पर इतना ही बताना चाहता हूं पासका हरोड़ा, बीमोता या दूसरे गांव हैं, इन गांवों की योजनाएं बनाने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सीमोता, बागरोदा, डीडलोद, सागड़ा इन गांवों को दूसरी प्राथमिकता देनी चाहिये जिससे जिनको पानी बिलकुल ही नहीं मिलता है या जिनको पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, उनको पानी की सुविधा हो जाती। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रथम प्राथमिकता, द्वितीय प्राथमिकता और तृतीय प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायी जाती तो पानी सुलभ हो सकता था।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति मूंडवा के जिन समस्याग्रस्त और अभावग्रस्त गांवों का मैंने यहां ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में नाम दिया है उनके अलावा जिन जिन गांवों के अन्दर पेयजल योजनाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना समझ लीजिये, चाहे पम्प स्टेण्ड की योजना समझ लीजिये या हैण्ड पम्प की योजना समझ लीजिये उनमें भी अनुसूचित जाति के गांवों की उपेक्षा की जा रही है। अनुसूचित जाति के 25 प्रतिशत लोगों को भी पानी नहीं मिल सका है। जो यह उपेक्षा की जा रही है, उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं। जो योजना हैं उसके अनुसार पाइप लाइन ऊंटवास की तरफ जाती है और यहां से थोड़ी दूर जाने के बाद एक ढाणी है जो कि इस मेन पाइप लाइन से

(श्री महाराम चौधरी)

अध्यक्ष करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है। हमने पिछले साल भर से इसके लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योजना बनाकर राज्य सरकार के पास भेजी है। इसी तरह से ढाणियों की बस्ती है जिनके अन्दर अनुसूचित जाति के घर भी हैं और दूसरी जाति के किसानों के घर भी हैं। इसी तरह से राममुला मोहल्ला है, जिसके अन्दर 70/80 घर अनुसूचित जाति के हैं यह मैन पाइप लाइन से करीब दो किलोमीटर दूर पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो जलप्रदाय योजनाओं को अलाट धनराशि के आधार पर जिस क्षेत्र से जो पाइप लाइन निकलती है, उसके पास में जो ढाणियां हैं, उनकी उपेक्षा की गई है अगर और आधा कि. मीटर तक या साइड में पाइप लाइन लगा दी जाती तो और जो दूसरी ढाणी वाले हैं वे भी पानी पी सकते थे। इस तरह से हमारी इस पाइप लाइन के पास एक दूसरी पाइप लाइन है और दूसरे गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, फलौदी के गांवों की समस्या के बारे,

(1·45 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

में भी निवेदन करूंगा। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपको यह निवेदन करना था कि इस पाइप लाइन के पास संकरेण गांव है और दूसरे स्थान हैं उनको न लेकर यह उपेक्षा की गई है। पाइप लाइन के साथ में जो ढाणियों की आबादी है. उनकी उपेक्षा की गई है। संकरेण गांव में जंगल है प्राइमरी स्कूल नं० 2 में पाइप लाइन देकर जिस तरह से उन गांवों को सुविधा दी गई है उसी तरह से यदि इन जल योजनाओं से जो गांव पास पड़ते हैं उनको जोड़ देते तो उनको भी सुविधा हो जाती और उन लोगों को पानी पीने का मौका मिल जाता।

सभापति महोदय, नागौर जिले के अंदर 1216 गांव हैं, 1216 गांवों के अन्दर मार्च, 1981 तक 486 गांवों को जिन योजनाओं के अन्तर्गत पानी उपलब्ध कराया है वे योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं। जहां जहां भी पानी देना बताया गया है वहां किसी गांव को पानी नहीं मिला है। दिसम्बर, 1981 तक जिन योजनाओं के अन्तर्गत 70 गांवों को पानी उपलब्ध कराया है वह योजनाएं व्यावहारिक नहीं हैं। पूरे गांव को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया गया है उसमें योजना बनाते समय बड़ी लापरवाही की गई है। जिन गांवों में आप दूसरे सोर्स से या पम्प स्टेण्ड योजना से या क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से पानी उपलब्ध नहीं करवा सकते, दूसरा जरिया नहीं है उन गांवों में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत हैण्ड पम्प खोदे हैं। उन गांवों के अन्दर यह 200 फीट पानी गहरा

(श्री महाराम चौधरी)

होने की वजह से पानी उपलब्ध नही हो रहा है। जो भी हैण्ड पम्प खोदे गये हैं वे हैण्ड पम्प न तो पूरे खुदे हैं और न जो पाइप अन्दर डाले जाने चाहिये थे वे लगाये हैं। आज दिन तक बहुत से हैण्ड पम्प आधे से ज्यादा खराब हो गये हैं। गांव वालों को कोई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि लाडया, बमारी, कुंडाला या कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के अन्दर 8 में से 4 हैंड पम्प खराब नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप मौके पर जाकर देख लीजिये। बार बार शिकायत करने पर भी कहते हैं कि ठीक कर गये लेकिन वास्तव में ठीक करने जैसी कोई बात नहीं है। फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसा उठा लिया जाता है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से पानी दिया जाता है या ऐसी योजनाएं बनायी जाती हैं तो उनको सफलतापूर्वक पानी दिया जा सकता था। इसमें एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो योननाएं 1980-81 के अन्दर स्वीकृत की थीं या उससे भी पहले स्वीकृत हुई थी उन योजनाओं को उन्होंने कार्यरूप से परिणत नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर पालड़ी, साठी का कल्ला, कटोड़ा, साठी का खुर्द, ईसर नागरा आदि जो गांव हैं उनमें पानी कम से कम 300 फीट गहरा है गांव वालों को पानी नहीं मिल सकता है। इसलिये जो इस तरह की योजनाएं इस क्षेत्र में बनायी हैं उसमें अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गयी है। सिर्फ जनगणना की ये जो पुस्तिका है उस पुस्तक में से नाम देखकर एक दो तीन नजदीक के गांव लेकर उनको प्राथमिकता दी है और जो सही रूप में प्राथमिकता के लायक गांव थे उनकी उपेक्षा की है।

सभापति महोदय, सरकार ने जल्दी-जल्दी में इस तरह की योजनायें बनायी हैं और गांवों को सूचित कर दिया। ग्राम आकला में विश्व बैंक की सहायता से 14-15 लाख की योजना बनायी और गांव वालों ने उसके आधार पर अपना पैसा इकट्ठा करने की कार्यवाही शुरू कर दी। आकला और टोगल जहां पर हैड हम्प की योजना से पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है, विशेष तौर से इन दो गांवों के प्रति मेरा आरोप है कि उन्हें पीने के पानी से महरूम रखने के लिये, उन गांवों में रातोंरात इस योजना को बदलकर हैंड पम्प खोलने का काम चालू कर दिया, जो बिलकुल कामयाब नहीं हो सकते और जो गांव वालों ने ढाई प्रतिशत के हिसाब से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था उनको किसी लायक नहीं छोड़ा है। इसके लिए मेरा यह भी आरोप है कि जिन गांवों के अन्दर स्थानीय परिस्थितियों को देखते

(श्री महाराम चोधरी)

हुए स्थानीय लोगों की समस्या पर ध्यान न देकर वहां की उपेक्षा की है वहां बहुत सी जो जल योजनायें हैं वे गांव वालों के लिये बिकुकुल उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। यदि ये जल योजना जो गांव में परम्परा से कुएँ हैं जो ट्रेडीशनल रिसोर्सेज हैं, उन पर थोड़ी सी रकम खर्च करके गांव वालों को साथ लेकर के या पूछताछ करके बनायें तो यह अच्छा होगा, उपयोगी होगा।

सभापति महोदय, मेरे यहां जो बाडानी जल प्रदाय योजना दो साल पहले सात गांव वालों के लिए बनायी गयी थी उस पर मेरे हिसाब से 15-16 लाख रुपया खर्च किया गया है और उस कुएँ से जो पानी उपलब्ध है, वह पानी गांव वालों के पीने के लिए भेजा जाता है, लेकिन अब तो टैस्ट करके भी पता कर लिया गया है कि वास्तव में वह पानी कतई पीने के काबिल नहीं है, आदमी तो क्या जानवर तक इस पानी को नहीं पी सकता है। साल भर से इस जल योजना का पानी अननैसेसरिली पैसा खर्च करके पाइप लाइनों में डालकर गांव वालों को पीने के लिए भेजते हैं जिससे पानी साइड में, गड्ढों में पड़ा रहता है। किसी अधिकारी ने उसके लिये उस समय तवज्जोह नहीं दी कि इस पैसे का मिसयूज हो रहा है सरकार ने कोई योजना बना दी है, गलत काम कर दिया है। इस गलत काम के लिए दोषी कौन है, किस पर दोष पड़ेगा इसकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिलाया। उन्होंने तो सरकार का पैसा खर्च कर दिया और गांव वालों को पीने के पानी से महरूम कर दिया।

सभापति महोदय, मेरे यहां पर यह भी आरोप है कि विश्व बैंक की सहायता से खुर्द माडपुरा और बिड़ोदा में, तीन गांवों में जो योजना शुरू की है जिसमें ट्यूब वैल खोदकर और जनरेटर लगाकर पानी उप-उपलब्ध कराया जा रहा है, वह सही नहीं है।

पांचला और दूसरे गांवों में भी जल प्रदाय योजनाएँ हैं। लेकिन उन सब गांवों के अन्दर यदि सरकार स्थानीय लोगों से भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेती या बात करती कि किन-किन गांवों की सीमा के अन्दर सेंट्रल में ट्यूब वैल खोद कर पानी उपलब्ध कराया जाय तो दो तीन किलोमीटर में ढाणियों में रहने वालों को पानी उपलब्ध हो जाता लेकिन अब इन योजनाओं से जो गांव के अन्दर थोड़ी सी आबादी है उसको पानी मिलेगा, उन्हीं के हिसाब से योजनाएं बनायी गयी हैं। इन योजनाओं से जो आबादी ढाणी में है उसको पानी मिले तब ही यह सफल हो सकती हैं। गाँवों की जो आबादी है उसकी 75-80 प्रतिशत जनता ढाणियों में रहती है और

(श्री महाराम चौधरी)

यह ढाणियां अलग-अलग बस्ती टाइप हैं। यह नहीं है कि ढाणी-ढाणी तक पानी नहीं पहुंचा सकते हैं। वहां पर वे पीढ़ियों से अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर अपनी-अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार स्रोतों को ढूंढ कर उस पर लाखों रुपया लगाकर खोली आदि बनाकर पानी ले रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं से 80 प्रतिशत आदमी को पानी नहीं मिलता है इसलिए अगर इन योजनाओं को सक्सेसफुल बनाना है, और बनाना चाहिए, तो उन कुओं पर कोठी खोली आदि हैं उनमें पाइप लाइन से पानी पहुंचाना चाहिए तभी पानी की व्यवस्था हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको वोट लेने के लिए तो दो मील पर, डेढ़ मील पर, एक मील पर आप पोलिंग स्टेशन लगाकर उनसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन पानी के लिए 12-13 किलोमीटर पर जाना पड़ता है, यह कैसी व्यवस्था है? इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र वालों से जिस स्थान पर राज चलाने के लिए वोट लेने के लिये जाता है, तो कम से कम उतनी दूरी पर तो पानी उपलब्ध करायें।

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जिस तरह से इस पुस्तिका में....

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : यह लम्बा भाषण कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह जो कमी है।

श्री सभापति : अनुदान की मांगों पर बोल रहे हैं आप अपने कटौती प्रस्तावों पर ही बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा : कटमोशन नहीं है, ध्यानाकर्षण है। Statment देना है। यह ध्यानाकर्षण कर रहे हैं इस पर मुझे भी बोलना पड़ेगा। कोई कटौती वटौती नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : हमारा जो क्षेत्र है वह बहुत दूर-दूर गांवों में बसा हुआ है और वहां पर पेयजल की समस्या है। इस पुस्तिका के अन्दर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमियों का फोटो है, आप स्वयं देखें भी, क्या यह फोटो लोगों को दिखाने के लिये, प्रदर्शित करने के लिये, दूसरे प्रान्त के या दूसरे देशों को बताने के लिये है कि यहां पर किस तरह के आदमी हैं; किस तरह से मुश्किल है, पानी उपलब्ध नहीं है, किस तरह से औरतें रस्सी से पानी खिचती हैं उनके हाथों के अन्दर छाले हो गये हैं। यह पहाड़ियाजी की मेहरबानी है, माननीय सभापति महोदय, मेंहदी पर से टैक्स हटा दिया। हमारे यहां की औरतें मेंहदी कोई शौक के लिए

(श्री महाराम चौधरी)

नहीं लगाती हैं उनके हाथों में छाले हो जाते हैं तब मेंहदी लगाती हैं। दूसरे देशों से धन मंगवाते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की फोटो दिखा कर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस तरह से दुखी हैं, लाचार हैं उनके लिये हम पानी पिलाने की व्यवस्था करना चाहते हैं इसलिये पैसा दो। वह पैसा, सभापति महोदय, कहां खच होता है ? जोधपुर पहुंच जाता है बीकानेर पहुंच जाता है, उदयपुर जाता है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : दो मिनट।

सभापति महोय, जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों चुनावों के लिये इस सरकार ने लाखों करोड़ों की योजनाएं बना कर शहरी क्षेत्र में पानी उपलब्ध करा दिया और ग्रामीण क्षेत्रों वालों को पानी पिलाना तो दूर रहा, उन गांव वालों के लिये जो पैसा दूसरे देशों से आता है वह शहरों पर खर्च कर देते हैं। आपको गांव वालों की चिन्ता नहीं है। आपने धोखा देकर गांव वालों से पंचायतों, जिला परिषदों के वोट ले लिये है। तो, वोट लेने के लिये तो गांव वाले हैं और सुविधा का भोग करने के लिये शहर वाले हैं, जो ढंग से अपनी बात को सजा संवार कर जोर से चिल्ला कर बोलते हैं वे अपने लिये सुविधा ज्यादा उपलब्ध करवा लेते हैं और पानी गांव वालों को मिलता है नहीं। अध्यक्ष महोदय, कहना तो काफी है। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में और राजस्थान के जो दूसरे जिले हैं, जिन जिलों के अन्दर, मील-मील आधा-आधा मील के अन्दर पानी नजदीक से है, उन गांवों की योजना को लिया जाय। रेगिस्तानी क्षेत्र में तहसीलवार बंटवारे के हिसाब से गांवों को लें। जिन गांवों के अन्दर दूर-दूर से पानी देते हैं, वे गांव महरूम रह जाते हैं। बंटवारा इस ढंग से होना चाहिए, जिनको दूर-दूर से पानी मिलता है उन आदमियों को पानी मिल सके। सभापति महोदय, पिछले दिनों मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था, ढाणियों लिये पानी की योजना थी, उस योजना को स्वीकृत करके पेयजल उपलब्ध कराया जाये। सरकार ने उस वक्त यह लिख कर भेज दिया.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

एक सैकेण्ड हमारे पास ढाणियों को पानी पिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार करती तो कुछ है नहीं, अपने आप को जागरुक सरकार समझती हुई यह कहती है कि अनुसूचित जाति और ढाणियों में रहने

(श्री महाराम चौधरी)

वाले लोगों को हम धनाभाव के कारण पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। अध्यक्ष महोदय, जो धन दूसरे देशों से आता है वह तो शहर की पानी की योजनाओं में ही खतम हो जाता है, गांव वालों को तो हमेशा अभाव ही अभाव रहेगा, इसलिए मैं यही कहकर आपकी मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं, प्रथम प्राथमिकता देकर नागौर तहसील के गांवों की पेयजल समस्या सुलझायें।

(व्यवधान)

चन्दनमलजी वित्त मंत्री हैं, उनकी गांव वालों के प्रति, ढाणियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है लेकिन मुझे जरूर आश्वासन दें कि किसी तरह जल उपलब्ध करायेंगे।

श्री सभापति : श्री भगवान दास।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण माननीय सदस्य ने किया है, पहले सदन का और फिर बैठते-बैठते मेरा। सदन में मैं भी सम्मिलित हूं। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन सात जल प्रदाय योजनाओं का उल्लेख किया है, उन सबकी ओर उन्होंने अपने नोटिस में भी मेरा ध्यानाकर्षित किया है। वे योजनायें अलाय ऊटवालियां एवं अलाय भदवासी जल प्रदाय योजना, गुड़ा भगवानदास जल प्रदाय योजना, पांचोड़ी जल प्रदाय योजना एवं करनू की योजना है। उसके साथ ही साथ उन्होंने जल प्रदाय योजना पांचला सिद्धा और अंत में जो 3 जल प्रदाय योजनाएं कुड़ची, बिरलोका, एवं माडपुरा की हैं, उनकी ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उन 7 जल प्रदाय योजनाओं के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने कुछ जानकारी ली। माननीय सदस्य ने कहा है कि सब लोगों को गांवों के अन्दर पानी उपलब्ध नहीं है। यहां पर तो कोई उल्लेख नहीं किया लेकिन उन्होंने उसके साथ ही साथ आक्ले की स्कीम भी बतायी....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जिन गांवों का मैंने उल्लेख किया है, उसमें पंचायत समिति मूंगा, नागौर, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना बनायी गयी है। यह तो उदाहरण के तौर पर ली है मैंने....

श्री परसराम मदेरणा : आपने उदाहरण के तौर पर ली, इसका मुझे क्या मालूम है। आपके दिल दिमाग में जितनी योजनायें ऊपर नीचे हो रही हैं क्या उन सबका मुझे कल्पना करने से ज्ञान हो जाता। आपने उदाहरण के तौर पर गांव की बातें कीं। जो आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में, सभापति महोदय, राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार है :

माननीय सदस्य ने जिन पेयजल योजनाओं के बारे में ध्यानाकर्षण किया है

(श्री परसराम मदेरणा)

उनमें से प्रथम दो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं और शेष पम्प एवं टैंक योजनाएं हैं। दो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं जिसके नाम अलाय-ऊटवालियां एवं अलाय भदवासी है उनसे क्रमशः सात और छः गांवों को पेयजल प्राप्त होता है। गुड़ा भगवानदास योजना के तहत गांव के दो कुओं पर बने हौज से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस गांव का जल उत्पादन बढ़ाने हेतु एक नल कूप का निर्माण भी किया गया है जिसे बिजली का कनेक्शन मिलते ही चालू कर दिया जायेगा। उच्च जलाशय का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है और गांव में जल वितरण के लिए पाइप लाइनों को बिछाने का कार्य प्रगति पर है। जल योजना पांचोड़ी में पानी की कमी जो महसूस की जा रही थी, उसे दूर करने हेतु एक नया नलकूप निर्माण कर जल की कमी को दूर कर दिया गया है। गांव करनू की योजना के तहत करनू और रावों की ढाणी के पास स्थित कुओं पर डीजल जनरेटिंग सैट लगाकर जल वितरण किया जा रहा है। नये नलकूप बनवाने के लिए स्वीकृति प्रदान करदी गयी है ताकि इस योजना के तहत और अधिक पेयजल उपलब्ध हो सके। पांचला सिद्धा के गांव के कुए पर पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस गांव में एक नलकूप को उच्च जलाशय से जोड़ने तथा वहां से जल वितरण हेतु पाइप लाइन डालने का कार्य भी प्रगति पर है। गांव कुड़ची, बिरलोका और माडपुरा में पृथक से अपनी-अपनी पम्प एवं टैंक योजनायें निर्माणाधीन हैं, कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और पेयजल वितरण भी आंशिक रूप से प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय सदस्य ने जिन योजनाओं को जिक्र किया है उनसे जिन गांवों को पानी मिल रहा है वे सभी समस्याग्रस्त गांव हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस स्टेट-मेण्ट के अलावा कुछ बातें और उठायी गई है। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य, एक बात तो बार बार कह रहे थे, आपको दूसरे देशों से धन मिल रहा है और जो धन मिल रहा है, उसको आप ठीक तरह से खर्च नहीं कर रहे हैं, और जो योजनाएं बन रही हैं वे काफी डिफेक्टिव हैं। इसलिए आपको जो धन उपलब्ध हो रहा है उस धन का आपने अभी जिला परिषद्, पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के अन्दर उपयोग किया और उससे, माननीय सदस्य, जो नागौर से आने वाले हैं, राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा समस्या ग्रस्त क्षेत्र के हैं, वे महरूम रह गये। माननीय सदस्य ने दूसरी बातें भी कही हैं। अभी जो योजनायें बन रही हैं, मैं यह निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं, वे वर्ल्ड बैंक की योजनाएं हैं। वर्ल्ड बैंक से जो पैसा इनको मिलता है उसके लिये भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच समझौता होता है। सरकार को जो राशि मिलती है, सभी

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार से चाहे इन्टरनेशनल मोनेट्री फण्ड की हो चाहे दूसरी सरकारों से कोई अनुबन्ध होता है, वह पूरी की पूरी राशि भारत सरकार को देते हैं, उसका काइटेरिया है। जो कोई भी वर्ल्ड बैंक की योजनायें हाथ में ली गयी हैं, 5-6 जिलों के अन्दर उस राशि में से हमको 58 प्रतिशत के आसपास राशि मिल रही है बाकी राशि का भारत सरकार दूसरे विकास के कार्यों में उपयोग करती है। उसी का हमसे इन्ट्रेस्ट चार्ज किया जाता है जो इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स हमारे देश के अन्दर हो रहा है, इसलिए कोई भी रियायत नहीं दे रहे हैं। कोई भी सॉफ्ट लोनिंग या कहीं पर भी पैसा नहीं मिल रहा है। जहां तक नगरीय व ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना का प्रश्न है उस का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं जिलों के लिये है। माननीय सदस्य, स्वयं जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और दूसरी जगह; वह बैठ कर विचार करते हैं पूरे के पूरे जिले कहीं पर भी नगरीय व ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में कवर नहीं किये गये हैं। पर राजस्थान सरकार को इस प्रोग्राम के अन्तर्गत जितनी भी राशि मिलती है, उसके अनुरूप योजनायें बना कर कार्यान्वित करनी पड़ती हैं, इसलिए माननीय सदस्य को बहुत बड़ी गलत फहमी हो रही होगी कि यह जो पैसा योजनाओं के अन्दर मिल रहा है, वह सब वर्ल्ड बैंक का पैसा है। इस सारे बजट के अन्दर, 82-83 के अन्दर जो राशि रखी गयी है, मैं समझता हूं, वह राशि कुल मिलाकर 33 करोड़ के आसपास है। उसमें से जो वाटर सप्लाई प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उसके अन्दर 5 करोड़ नहीं होगा ? 5 करोड़ 33 करोड़ में से नहीं है तो कौनसी दूसरो देशों से हमें मदद मिल रही है। उन देशों को मदद दी जाय और भारत सरकार जो दूसरे देशों की मदद कर रही है। प्लान, कम्पलीट आउट ले में थोड़ी भी मदद दूसरे देशों की नहीं है।

आज मैंने इसलिए यह कहा क्योंकि यहां पर यह कहा गया जो योजनाएं चल रही हैं वह सबकी सब दूसरे देशों की मदद से चल रही हैं, यह बात नहीं है। योजनायें तो निश्चित तौर से चल रही हैं लेकिन इस समय धनराशि की कमी की वजह से साधनों की कमी की वजह से उनकी क्रियान्विति में देरी होती है। योजनायें तो निश्चित तौर से हम ले रहे हैं। यह बात सही है। जैसा कि शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी चार-पांच दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के समस्याग्रस्त गांवों की जो जल प्रदाय योजना है उसके सम्बन्ध में एक मुद्दे की बात उठायी, उस वक्त मैंने उत्तर दिया था कि जहां एक तरफ पश्चिमी राजस्थान के लोग ढाणियों में बस रहे हैं वहां पानी बहुत गहरा है और दूर-दूर रह रहे हैं, दूसरे सोर्स भी नहीं है, वहां दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान के आठ जिलों में जो समस्याग्रस्त गांव बाकी बचे

(श्री परसराम मदेरणा)

हुए हैं उन गांवों के अन्दर मॉडल योजना बनायी जाय, अभी मैंने अनुमान लगाया था, तो उस पर कुल कितना खर्च आयेगा? डेढ़ सौ करोड़ रुपये आज की प्राइस में आयेगा। जिन गांवों में पहले जल प्रदाय योजना चालू है उन गांवों की ढाणियों को कनेक्शन दिया जाय तो 150 करोड़ और खर्च आयेगा। इस प्रकार डेढ़ सौ और डेढ़ सौ, तीन सौ करोड़ का खर्चा आयेगा।

(2.12 म० प०)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि तीन सौ करोड़ का खर्च तो यह है और उसके साथ प्राइस एस्केलेशन भी है। उसका उसमें प्रावधान अलग से रखना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या है। छठी पंचवर्षीय योजना में कुल मिलाकर हम यह सोच रहे हैं 108 करोड़ का यह आंकड़ा आप देख लेते, जिसके द्वारा आज पीने के लिए प्रावधान रखा गया है। 108 करोड़ के साथ 50–100 करोड़ के आस पास हमको आर० पी० एस० से अलग मिल जायेगा, तो यह कुल मिलाकर 158 करोड़ की उपलब्धि है। उसके अलावा जो योजना हम ले रहे हैं जैसा उस दिन मैंने निवेदन किया कि बहुत बड़ा शार्टफाल है साधनों के अन्दर, किस तरह से 6ठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उन सब गांवों को पानी दे सकेंगे। करीबन 13–14 हजार के आस पास राजस्थान में आज भी समस्या-ग्रस्त गांव हैं। मैं इस सन्दर्भ में निवेदन करना आवश्यक समझता हूं, इन समस्याओं को देखते हुए अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि गांवों के अन्दर कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करा दिया जाय। एक स्रोत उपलब्ध कराने की जो बात कह रहे थे वह रेगिस्तानी इलाके के अन्दर बिलकुल उपयुक्त नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं और मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में भी यह बात की गई। लेकिन उन्होंने जो भी डाइरेक्शन दिये हैं और जो बीस सूत्री कार्यक्रम आज हमारे सामने आया है प्रधान मन्त्री का, समस्याग्रस्त गांवों के अन्दर एक स्रोत उपलब्ध करा दिया जाय। अगर एक स्रोत उपलब्ध कराया जाता है तो जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने कुडची, बिस्लोका और माडपुरा में एक स्रोत उपलब्ध कराया, वह स्रोत गांव में तो उपलब्ध करा दिया लेकिन ढाणियों में नहीं कराया।

मैं यह बात मानता हूं कि गांवों के अन्दर भी लोग रहते हैं। कई जगह गांव जो हैं, प्रापर विलेज, सेन्टर में स्थित हैं, जियोग्राफिकली कई जगह गांव एक तरफ स्थित हैं, गांवों की आबादी ढाणियों में रहती है और दूसरी तरफ गांव की आबादी ज्यादा हो सकती है, यह बात सही है। कई

(श्री परसराम मदेरणा)

जगह ऐसी भी स्थित हैं। गांवों को कम्पलीट जब एक स्रोत देने की बात हम सोच रहे हैं तो क्या गांव बिलकुल महरूम कर दिये जायेंगे, चाहे वहां पर सौ घर भी हैं ? क्या ढाणियों के बीच-बीच में स्रोत लगा दिया जायं ताकि वहां जाकर गांव वाले एक स्रोत से पानी पी लें ? यह सम्भव नहीं है, यही सोचकर पहले यह देखा गया कि जो प्रॉपर गांव हैं उनमें हेण्ड पम्प एवं टैंक की स्कीम बना दी जाय ताकि आसपास के लोग पानी पी सकें।

आज जो खुद पानी निकालने के अंदर जिन महिलाओं के चित्र का उल्लेख कर रहे थे, माननीय सदस्य, यह भी यहां पर कह रहे थे कि हमारे गांव में महिलायें मेंहदी क्यों लगाती है। मेंहदी इसलिए नहीं लगाती कि उनके हाथ खूबसूरत लगें वे इसलिए मेंहदी लगाती हैं कि उनके छाले पड़ जाते हैं। हां, छालों की दवा आजकल महंगी ज्यादा है इसलिये तमाम की तमाम महिलायें मेंहदी लगाती हैं। यह बात दूसरी है कौन मेंहदी अच्छी लगाती है, कौन खराब लगाती है, कौन बड़े-बड़े पचाटे लगा करके रख देती है और उसको देखकर किसका कलेजा जलता है। इतना ही आज निवेदन करना चाहता हूं, आज मुद्दे का प्रश्न हम जानते हैं, रेगिस्तानी इलाके में इस समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया है, प्लानिंग कमीशन का भी ध्यान आकर्षित किया है और समय-समय पर सभी फोरम के ऊपर मैं यह बात करता रहा हूं कि पानी की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह जो हमको साधन उपलब्ध कराये हैं समस्या के डायमेन्शन को देखते हुए बहुत कम साधन हैं। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये थे गांवों की जो योजना बने, चाहे वह हैण्ड पम्प की योजना हो चाहे टैंक की योजना हो और चाहे पी. एस. एस. की स्कीम हो, वह स्थानीय लोगों को कांफिडेंस में लेकर बने। स्थानीय लोगों को कांफिडेंस में नहीं लिया जाता है और नतीजा यह होता है कि सोर्स डवलप किया जाता है उससे वहां की आबादी को लाभ नहीं मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निश्चित तौर से यह आदेश देगी कि वहां के सरपंच वहां के चुने हुए पंच से खास तौर से पूछा जाय कि पंचायत समिति के अन्दर हैण्ड पम्प या पी. एस. एस. का कौनसी जगह सोर्स डवलप करना चाहते हैं। कौनसा स्थान, समूह है, कौनसी जगह है जहां सोर्स को डवलप करने के बाद में जल्दी से जल्दी उस आबादी को लाभान्वित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आदेश दूंगा, आदेश दिये भी हैं लेकिन निश्चित तौर से मैं एक आदेश दूंगा।

यहां पर एक बात और कही गई कि जो हैण्ड पम्प खोदे गये हैं वह हैण्ड पम्प दो सौ फीट गहरे हैं और दो सौ फीट गहरे हैण्ड पम्प के अन्दर पूरा पाइप नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

उतारा गया है जो पाइप उतारा गया है वह पाइप वहां पर खराब हुआ पड़ा है। हालांकि हैण्ड पम्प की पूरी योजना को सरकार के स्तर पर आज हम स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित करना चाहते हैं लेकिन हस्तान्तरित करने से पहले इनके मरम्मत की व्यवस्था और इनके फण्ड्स का किस तरह से ट्रान्सफर करें और किस प्रकार से टैक्निकल आदमियों को ट्रेनिंग दी जाय इस सम्बन्ध में एक योजना बनायी जा रही है। योजना के पूर्ण होने के बाद फण्ड्स के ट्रान्सफर के साथ हैण्ड पम्प को भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। यहां पर नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि आपने यह जो सात योजनायें बनायी हैं उन योजनाओं के अन्दर पास-पास में जो ढाणियां आई हुई हैं, खास तौर से एक दो ढाणियों का तो उल्लेख किया सबका सब ढाणियां का तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया लेकिन उन्होंने यह बात कही कि खास तौर से ऊटवाली योजना के अन्दर नाडड़ू का ढाणीया बताई, आधा किलोमीटर दूर है, उसके सम्बन्ध में हम साल भर से बराबर प्रस्ताव रख रहे हैं लेकिन ढाणियां की योजना में नहीं ले रहे है। भादवासी के सम्बन्ध में कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है, सथेरन की ढाणी की भी बात कही। बारानी की जो योजना है और जो अड़ाय से भदवासी की योजना है उसने बारानी से कुओं से जो पानी लाया गया, वह कड़वा पानी था। माननीय सदस्य, यह बात निश्चित है, आप स्वयं जानते हैं, जब मैं नागौर आया था तब यह बात मेरे भी ध्यान में लायी गई थी कि आज अड़ाय के स्रोत से जो योजना बनी है, उस अड़ाय के स्रोत में से बारानी के पानी पीने के स्रोत को शामिल कर देने से यह अड़ाय का पानी कड़वा हो जाता है। यह पानी ज्यादा कड़वा है। उस सम्बन्ध में मैंने उस वक्त भी निर्देश दिये थे और माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं अड़ाय योजना में से बारानी से पानी देने का स्रोत वहां से निकाल लिया गया है और अब कोई पानी नहीं दिया जा रहा है। बड़ाव से पानी भौगोलाव और उसके आसपास भदवासी तक चल रहा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिन गांवों का उन्होंने उल्लेख किया है, आकले और दूसरे गांवों का, उन गांवों के अन्दर वास्तव में गांव के लोगों ने पब्लिक कण्ट्रीब्यूशन रेज करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे और वह भी पहले बिना सोचे समझे। उनको व्यावहारिकता और अवेलेबिलिटीका ध्यान नहीं रहा, गहरा पानी जहां पर है वहां पर उन्होंने पम्प एण्ड टैंक की योजना, ट्यूब वैल ड्रिल करने की योजना को हैंड पम्प में परिवर्तित कर दिया। इस सम्बन्ध में जानकारी कर लूंगा क्योंकि माननीय सदस्य ने नया मुद्दा खड़ा किया है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी साधन हमारे पास में हैं सीमित हैं। क्योंकि साधन पूरे उपलब्ध नहीं हैं और रेगिस्तानी इलाके में पानी की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, सभी ढाणियों को एक साथ पानी का कनेक्शन देना, पानी सुलभ कराना सम्भव प्रतीत नहीं होता है, मगर छठी पंच वर्षीय योजना में सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जो ढाणी पाइप लाइन के बिलकुल नजदीक आई हुई है, जैसा कि एक दो ढाणियों का उल्लेख किया आधो किलोमीटर दूर है, ऐसी हैं तो निश्चित तौर से पानी की उपलब्धि को देखते हुए वे जोड़ी जानी चाहिये, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया, उपाध्यक्ष महोदय, उस पर तीन सवाल हैं, मेरे। क्या यह सही है कि राजस्थान के अन्दर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जहां पानी की किल्लत है वहां यह दोषपूर्ण योजना बनाई है? कुंओं में पानी है, बिजली के अभाव में वह योजना चलती नहीं है। वहां 4 घण्टे बिजली आती है जबकि कम से कम 20 घण्टे बिजली आनी चाहिये लेकिन आप 20 घण्टे की बिजली उपलब्ध नहीं कराना चाहते, या आपके ट्रांसफार्मर ठीक काम नहीं करते, इसी वजह से वे योजनाएं दोषपूर्ण हैं। आपने जो योजना बनाई है उस योजना से पानी लास्ट गांव में पहुंचता नहीं है। एक योजना बनाई है, उसमें आदमियों के पानी का प्रावधान है, जानवरों का नहीं है। जो जनता के पीने का पानी है वह पशु पी जाते हैं आपका दो घण्टे नहीं, 20 घण्टे बिजली देनी चाहिये। इन दोषों को दूर करने के लिये आपने क्या प्रयत्न किये हैं?

श्री परसराम मदेरणा : मवेशी के प्रावधान के सम्बन्ध में मैं पूर्व में कह चुका हूं कि मवेशियों का प्रावधान नहीं है। इसके लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी करने के बाद केवल मवेशियों के लिये एक योजना भारत सरकार ने 85 लाख रुपये की सैंक्शन की है और अब प्रिंसिपल माना है कि मवेशियों को पानी उपलब्ध कराया जाये। लेकिन जहां मवेशियों के लिये पानी नहीं है वहां खेली बनाते हैं, वह इसलिये बनाते हैं कि उसका सदुपयोग हो सके और खेली भरी रही ताकि मवेशी पानी पी सकें, यह व्यवस्था काफी है। तीन-चार दिन पहले मवेशियों के प्रावधान के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी उस सम्बन्ध में मैं उत्तर दे चुका हूं। जहां तक पानी नहीं है और फिर भी योजना बना ली गयी हैं वह योजना डिफेक्टिव है। इसलिये इस बात को प्राथमिकता दी जा रही है कि जो भी रीजनल पाइप लाइन हो, कोई भी सिविल वर्क वहां आरम्भ न किया जाय जब तक पहले सोर्स डवलप न हो जायें। जब सोर्स डवलप हो जाये तो इस बात को निश्चित कर लिया जाय कि वहां जितनी भी पानी की आव-

(श्री परसराम मदेरणा)

श्यकता है उस योजना के अनुसार वहां पर कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। वहां सोर्स नहीं हैं तो दूसरी जगह से सोर्स लिये जायें। बिजली के कनेक्शन की बात आपने कही। यह बात निश्चित है कि बिजली की कमी से पर्टीकूलर फीडर लाइन कुछ घण्टे आती है और कुछ घण्टे आने से जहां पानी आता है वह थोड़े अर्से में ही सूख जाता है। वहां फीडर लाइन न हो तो अलग से फीडर लाइन निकाल करके ट्रांसमिशन लाइन पी. एच ई. डी. के कामों के लिये डाली जाये। उस काम के लिने मैंने चर्चा की थी, परामर्श भी दिया था और सरकार इसके लिये काफी योजनायें बना रही है और काफी ट्यूबवैल लगाये जा रहे हैं। तो पी. एच. ई. डी. की फीडर लाइन या रोस्टर सिस्टम के अलावा लोड शैडिंग सिस्टम के अन्दर कवर न हो ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। लेकिन इसमें इमीजियेट सुधार करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी : मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि जो बिजली की समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकार की ओर से गाइड लाइन है और उसके अन्दर दूर की बस्तियों और गांवों के सम्बन्ध में 1.6 किलोमीटर में पानी उपलब्ध करने की जो व्यवस्था है, दूसरा 45 फीट या 15 मीटर के जो गहरे कुएं हैं, उन सभी गांवों को आपने समस्याग्रस्त माना है तो क्या आप पश्चिमी राजस्थान, पंचायत समिति मूण्डवा के गांव के लिये कुछ कर रहे हैं? दूसरा, मेरा कहना है कि चार-पांच ढाणियों और गांवों के बारे में मैंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी, उन गांवों के नाम लेना मैं यहां उचित नहीं समझता क्योंकि सदन का समय खराब होगा, जहां तक अनुसूचित जाति की 4-5 ढाणियां हैं उनके बारे में आपने सभी योजनाओं के मामले में कहा था कि धनाभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं वहां पर आबादी है काफी आबादी है, उसके लिये क्या व्यवस्था है? तीसरा, मेरा कहना यह है हमारे क्षेत्र के अन्दर जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उनको गहरा किया जाये। कहीं उनमें पाइप पूरा नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। 100 में से 10 हैण्ड पम्प काम करते हैं। आप जांच करके पता लगाइये कि इसमें अधिकारियों ने लापरवाही क्यों बरती। एक और मेरा कहना यह है कि जिन योजनाओं के क्षेत्र के अन्दर जो बस्तियां हैं उनमें आबादी कम है और ढाणियों में रहने वाले लोग ज्यादा हैं, पांचला के अन्दर स्कूल नम्बर एक और मालपुरा के अन्दर स्कूल नम्बर दो-तीन ढाणियों के अन्दर हैं वहां के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है? या

(श्री महाराम चौधरी)

सरकार उनको सुविधा देने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दो प्रश्न करना चाहता हूं, जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है वहां गांव के अन्दर पहले पानी मिलता है और अन्तिम गांव के अन्दर सबसे बाद में पानी पहुंचता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अन्तिम गांव के अन्दर सबसे पहले पानी पहुंचे और पहले गांव के अन्दर बाद में पानी पहुंचे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मूण्डवा, जिला नागौर के....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं यही निवेदन कर रहा था, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के संबंध में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अन्तिम गांव वाले को पहले पानी मिले और पहले गांव वालों को बाद में पानी मिले ? बिजली आती है आगे के गांव वाले को पानी मिलता है, बिजली चली गई बाद वाले गांव रह गये और दो-चार घंटे में बिजली फिर आती है तब तक वह हौद खाली हो जाते हैं और अन्तिम गांव को पानी नहीं मिलता । इसलिये क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अन्तिम गांव को सबसे पहले पानी मिले और पहले गांव को बाद में पानी मिले । इससे क्या होगा कि सब हौद भर जायेंगे और सूखेंगे नहीं, अन्तिम गांव को उस दौरान में पानी मिल जायेगा । पहले गांव वालों को अगर पानी पहले दे देंगे तो वह पानी का मिसयूज करेंगे और अन्तिम गांव को पहले पानी दिया जायेगा तो वह मिसयूज नहीं कर सकेंगे । दूसरा, जहां क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है वहां पर पानी के लिये टैंक बनाये हैं जिससे वहां के लोग उस पानी को पी सकें । जितने गांवों में आल रेडी कुएं बनाये जा चुके हैं, लेकिन पानी खारा है, उनका उपयोग हो रहा है, उनके हौद काफी हैं, वह हौद पानी से भरें । आपने जो टैंक बनाये हैं उनमें मवेशियों की पापुलेशन को ध्यान में नहीं रखा इसलिये पानी इतना ही आता है कि वह सिर्फ मानव के लिये ही काफी हो जाता है जानवर उसे नहीं पी सकते हैं । तो आप इन हौदों, जो आलरेडी ही गांवों में बने हुए हैं, को पाइप लाइन से जोड़ दें तो वहां के जानवरों को पर्याप्त पानी पीने को उपलब्ध हो सकेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : जो पाइप लाइन की बात कही है, वह सही है जो टैंक बने हैं उनमें पानी उपलब्ध हो जाना चाहिये और जैसा नागौर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि आज अकाल में गांवों के अन्दर जहां पीने के पानी की मुसीबत है वहां हमने यह क्राइटेरिया बना रखा है कि 5 किलोमीटर के अन्दर जो गांव हैं वहां, पानी न हो तो वहां टैंकरों से पानी उप

(श्री परसराम मदेरणा)

लब्ध कराया जाये । 5 किलोमीटर के बाद, परिधि के अन्दर एक हजार गांव हैं वहां पर गर्मियों में टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता है, इसलिये समस्या बड़ी विकट बनी हुई है और समस्या विकट होने की वजह से यह स्थिति है । जैसा आपने यह कहा आप वोटदेने के लिये वोट लेने के लिये जैसे वोट केवल सत्तारूढ़ पार्टी लेती है ।

(व्यवधान)

इसलिये आपने यह बात कही कि वोट लेने के लिये आप जितनी दूरी रखते हैं उतनी दूरी पानी के लिये रखें । मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी दूरी की आप बात कर रहे है, आपके गांव की सड़क मेरे गांव से जुड़ी हुई है, मेरे गांव की दूरी ज्यादा है । वहां टैंकरों से पानी पहुचाया जाता है लेकिन दिन मेरे गांव के अदर 8–8 मील से वोट देने के लिये आते है । यह आज एक मिसनामर है । सभी जगह वोटर्स को डेढ़ मील का ट्रेवल करना पड़ता है । मैं निवेदन कर रहा था, गाइड लाइन्स की बात तो आपने ठीक कही, गांव के सोर्स की बात की वह तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं और मुझे रेगिस्तानी इलाके का अनुभव है कि अगर सबसे पहले पंपिंग सैट से गांव में ट्यूबवैल खोदकर हौद बनाकर पानी देना चाहिये । कम से कम आज एक आदमी के पास 15 या 20 हजार रुपये हों तो वह बैल की जोड़ी खरीद सकता है एक दो गैलन पानी से 300-300 400-400 फीट गहरे कुए से निकाल सकता है । इसलिये सबसे पहले एक सोर्स डवलप हो जाय, मैं रीजनल पाइप लाइन की बात नहीं करता, यह सम्भव है उन लोगों को थोड़ी बहुत पानी के लिये तकलीफ होगी । लेकिन सदियों पीढ़ियां तक बैलो की जोड़ी को लेकर कुए से पानी निकालते रहे हैं । नागौर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं बैल की जोड़ी 10 हजार से कम में नहीं आती है पानी निकालने के लिये । जहां अकाल होता है, गांवों के अन्दर रूडोमेटरी जो रोटेशनल सिस्टम है वह भी डिसएरे म भा जाता है, तो गाव के लोग परेशान होते हैं इसलिये हम पी. आई. दे रहे हैं, आज भी अकाल मे पी. आई. दे रहे हैं । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था पम्प और टैंक की स्कीम को पहले वहां लागू करना चाहिये जहां सोर्स है, उसके बाद ढाणियों को कवर करने की योजना बने ताकि जो इमिजिएट प्राब्लम है उससे लोगों को राहत मिल सके ।

हैंड पम्प के सम्बन्ध में आपने बात कही कि वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं इस बात को दिखा रहा हूं । मैंने रात को 12 बजे कन्सर्न्ड एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को टेलीफोन किया था कि आधे घण्टे के अन्दर रवाना होकर सुबह 8।। बजे पहुंचें, वे यहां मौजूद हैं । मैं उनसे बात

(श्री परसराम मदेरणा)

कर रहा हूं कि कौन-कौन से ऐसे हैंड पम्प हैं जो खोलने के बाद खराब पड़े हैं। एक बात और कही गई कि जो पाइप लोवर किये गये पर्टीकुलर लैंथ के क्यों नहीं लोवर किये गये। किसी ने कहा डिफेक्टिव होद हैं। आवश्यकता हुई तो मैं इस बात की जांच कराऊंगा।

शिड्यूल्ड कास्ट्स के सम्बन्ध में आपने बात कही कि शिड्यूल्ड कास्ट्स को पानी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो अभी शिड्यूल्ड कास्ट्स का नाम ले रहे हैं उसमें आप अपना भाग्य सेंकना चाहते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स की जो आपको चिंता है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स का मामला नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स की ढाणियां अगर 7 मील दूर हैं उनके बीच में दूसरी ढाणियां भी आती हैं इसलिये 7 मील की कोई भी योजना उस गांव में बनेगी, रीजनल पाइप लाइन स्कीम तो उसका खर्चा 5–6 लाख से कम होने वाला नहीं है। आज शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों के अन्दर पाइप लाइन की जो योजना है वहां सोर्स डवलप्ड हैं, इसलिये कम से कम खर्च में 40–50 हजार में दलित वर्ग के लोगों को पानी मिल सकता है। तो सरकार की योजना है, उसके लिये आवश्यक प्रावधान भी किये जाते हैं, बस्तियों को पानी भी दिया जाता है। लेकिन पूरे के पूरे रेगिस्तानी इलाके में जहां गांव और ढाणियों का समूह आया है वहां इस तमाम समस्या के समाधान के लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम से मेरे सामने प्रश्न उठाना चाहते हैं। तीसरी बात डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कही ...

हां, मालपुर स्कूल नं० 1....

(व्यवधान)

यहां पर कोई रेडीमेड चीज मेरे पास नहीं है कि हां या नां दे दूं।

श्री महाराम चौधरी : गांव के अन्दर एक सोर्स है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपने इस काल में अटेंशन में मेरा इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है और अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दिया कि इनको बाध्य किया जाय कि वे स्टेटमेंट दें। अध्यक्ष महोदय मुझे स्टेटमेंट के लिये बाध्य कर सकते हैं लेकिन स्कूल नं० 2 व 3 को जोड़ने के लिये मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। वह साधनों पर निर्भर करेगा।

यहां डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, यह इसका व्यावहारिक पहलू है कि जो टेल एण्ड पर गांव आया है किसी भी रीजनल पाइप लाइन के अन्दर, तो टेल एण्ड वाले गांव को पानी

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं मिलता। क्योंकि बिजली का कनेक्शन जहां है, बिजली कम मिलती है रूरल एरिया में इसलिये उस टेल एण्ड वाले गांव को पानी नहीं पहुंचता। अगर इस योजना को एकदम उल्टा किया जाय, एण्ड डाउन टेल पर है उनको पहले, अंतिम वाले को पहले और पहले वाले को अंतिम, मैं समझता हूं, इस संबंध में सूणी से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत अनुभव है क्योंकि 1969 के अन्दर जब रणसी गांव से पीपाड़ सिटी की योजना बनी थी तो वहां पुलिस लगाई गई थी क्योंकि जगह-जगह पाइप लाइन को तोड़ दिया था। यहां कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिये लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं उसके मुकाबले के लिए यहां पर कोई 18-20 बटालियन सिर्फ इस पाइन लाइन की व्यवस्था के लिए रखनी पड़ेगी, आगे की पीछे और पीछे को आगे लेने के लिये। यह अव्यावहारिक है माननीय सदस्य का सुझाव। पाइप लाइन का मिसयूज हो रहा है तो मिसयूज के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, बीच रास्ते के गांव वाले पानी का मिसयूज करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं कि उनका हौद भरने के बाद में पानी आगे जाय। आप जानते हैं जिसको पानी मिल जाता है वह यह सोचता है आगे वाला रोता रहे, खुद मैं पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करूं, अगले वाले को नहीं मिले। इस सम्बन्ध में आपको वातावरण बनाना पड़ेगा, कुछ मूल्य और मान्यतायें निर्धारित करनी पड़ेगी समाज में कि भले ही थोड़ा पानी मिले लेकिन सभी को मिले। इसमें लोगों की स्वार्थपरता, सैलफिशनेस की भावना आड़े आती है। आपने हौद की बात कही, जो कुछ टैंक बना रहे हैं इतने छोटे हैं कि थोड़ी ही देर में भर जाते हैं। बिजली की सप्लाई लिमिटेड अवर्स के लिए होती है। मैं आपके सुझाव को मानता हूं, जहां कहीं भी इस प्रकार के हौज पुराने गांवों में बने हुए हैं उनको नजदीक की पाइप लाइन तक जोड़ना चाहिये ताकि पानी का ज्यादा स्टोरेज हो सके और लोगों को मिल सके। इस सुझाव के सम्बन्ध में मैं नीचे के अधिकारियों को आज ही निर्देश दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री महाराम चौधरी: एक सवाल पूछूंगा जो राज्य सरकार....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित किया, मंत्री महोदय का। मंत्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया, आपको दो-दो सवाल करने का मौका दे दिया, अब इसका अन्त तो होगा ही नहीं। चर्चा समाप्त हुई।

श्री महाराम चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री महाराम चौधरी : सिर्फ एक ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सवाल करने का मौका दिया था, दो दफा मौका दिया ।

श्री महाराम चौधरी : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, मेहरबानी करके....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय के चेम्बर में ध्यान आकर्षित करें, यहां नहीं ।

श्री महाराम चौधरी : सिर्फ एक ।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों समय बरबाद कर रहे हैं ?

श्री महाराम चौधरी : समय बरबाद नहीं कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बात कर लेना आप । एक घंटा कर लेना ।

श्री महाराम चौधरी : यह नीति का मामला है और अनुसूचित जाति का मामला है, तो थोड़ी-सी सुन लीजिए शांत भाव से ।

आप सिफारिश मत करो ।

(व्यवधान)

मेरा मतलब यह है कि राज्य सरकार ने बिजली और पानी देने के लिये अनुसूचित जाति की बस्तियों को प्राथमिकता देने का जो प्रावधान 20 संकल्प में रखा है और अपनी नीति में रखा है, सुनना पड़ेगा साहब.....

(व्यवधान)

उस सम्बन्ध में क्या ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो हरिजन बस्तियां, अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं उनको पानी पिलाने के लिये राज्य सरकार का कोई कर्त्तव्य नहीं है ? इसके लिए आप जवाब दिलाइये । शहरी क्षेत्र में....

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब देता हूं, आप बैठ जायें । यह परम्परा बहुत गलत है कि गांवों और शहरों में शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों को अलग-थलग रखा जाता है । उनको शहरों में आपका पड़ोसी बनायें तो यह सवाल ही पैदा नहीं हो । आपने जो सवाल उठाया है उसका माननीय मन्त्री महोदय ने माकूल जवाब दे दिया है, इसलिये कोई सवाल नहीं उठता ।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन बस्तियां सवर्ण जातियों के बीच में हैं तो आप अनुसूचित जाति को पानी के लिये प्राथमिकता कैसे दिलायेंगे ? ग्रामीण क्षेत्रों में मोहल्ले के मोहल्ले बसे हुए हैं, 50-50 शिड्यूल्ड कास्ट्स के घर हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : गांव के सवर्ण लोग ही उनको बढ़ने नहीं देते हैं, इस वजह से यह होता है ।

श्री महाराम चौधरी : 20 संकल्प किसलिये रखे हैं ? पानी पिलाने के लिये रखे हैं और अनुसूचित जाति के लिये अगर राज्य सरकार····

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री अमीन खां, श्री हेमाराम चौधरी, श्री भगवानदास, श्री अमराराम चौधरी, श्री देवदत्त तिवाड़ी, श्री धाराराम, सदस्य, विधान सभा, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अकाल का प्रकोप की ओर अकाल सहायता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। इन 5-6 सदस्यों में से मैं सिर्फ दो माननीय सदस्यों को ही बोलने की इजाजत दूंगा।

पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अकाल का प्रकोप

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप स्वयं जानते हैं और अकाल राहत मंत्रीजी खुद जानते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर में अकाल है। इन जिलो में हर चौथे साल अकाल पड़ता है। इस समय 2038 गांव खरीब की फसल में अकालग्रस्त घोषित हो चुके हैं। बाड़मेर जिले के 857 रेवेन्यू गांव हैं, उनमें 837 गांव आबाद हैं। इन 837 आबाद गांवों में इस बार चौथे साल लगभग 400 गांव अकालग्रस्त घोषित हो चुके हैं। जिस टाइम बरसात हुई थी गिरदावरी हुई। उस टाइम बाड़मेर जिले में सरकार ने एक लाख 25 हजार मजदूर अकाल राहत कार्य के लिये लगा रखे थे। लेकिन अगस्त महीने में जहां बरसात की बून्द ही नहीं आई कई गांवों में कोई काश्त ही नहीं हुई, कई गांवों में एक काश्त के लिये बीज ही खतम हो गये, उस समय उन गांवों मे जो अकाल राहत कार्य चल रहे थे वे बन्द कर दिये गये और उन गांवों में आज दिन तक कोई अकाल कार्य नहीं खोला गया है। आप खुद जानते हैं और अकाल राहत मंत्री पहले भी अकाल राहत मंत्री रह चुके हैं, वह हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं कि ऐसी स्थिति में वहां की हालत क्या होगी। उपाध्यक्ष महोदय, वह भी ऐसा क्षेत्र है जहां न तो कोई व्यापार पेशा करने वाले लोग हैं, न ही सरकारी नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं और न वहां पर कोई फैक्ट्री है। वह इलाका ऐसा है कि वहां पर किसी प्रकार का उद्योग नहीं है। वहां पर सिर्फ पशुपालन और खेतिहर मजदूर ही हैं उनकी क्या हालत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सरकार क्या सोच रही है, गांवों में जो लोग रह रहे हैं वह जिन्दा कैसे हैं। अकाल राहत की स्वीकृतियां दी गयी हैं उसमें पीछे से वायर-

(श्री अमीन खां)

लेंस और तार से यह हुक्म दिया गया है कि प्लान वर्क ही स्टार्ट किये जायं नान प्लान वर्क चालू नहीं किये जायं । ट्रान्सपोर्ट के लिए सड़क के काम चालू नहीं किये जायं । इससे हालात यह हो गये कि बाड़मेर जिले के सांसद और सभी विधायक मुख्य मंत्रीजी से मिले । उन्होंने जनवरी में यह वायदा दिया था कि हम बाड़मेर जिले में 35 हजार मजदूर लगा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वहां पर लोग उनके भरोसे के आधार पर तड़फ रहे हैं । आज मार्च का महीना समाप्त होने जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप जैसलमेर की बात कर रहे हैं या बाड़मेर की ? जैसलमेर की हालत क्या है ?

श्री अमीन खां : मैं तो बाड़मेर की हालत निवेदन कर रहा हूं जैसलमेर की आबादी तो बाड़मेर से कम है वहां पर इतनी भयंकर हालत खराब नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं, और अकाल राहत मंत्रीजी तो पहले भी अकाल राहत मंत्रीजी रह चुके हैं, उन्हें तो मालूम है कि बाड़मेर जिले की हालत बहुत नाजुक है । वह खुद इसको महसूस करते होंगे, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इस वक्त अकाल राहत कार्य हमारे यहां नहीं खुल रहे हैं । पता नहीं उन पर कौनसा दबाव पड़ा है ? पहले जिस वक्त अकाल राहत मंत्रीजी थे उस वक्त में और आज में, पता नहीं क्या फर्क हो गया है कि वह इतने कमजोर हो गये हैं । सोचता हूं कि ऐसी कमजोरी की हालत में वह पहले कभी भी नहीं रहे । पहले के जमाने में वह चिट्ठियों पर स्वीकृति भेज दिया करते थे और बाड़मेर जिले के लोगों को राहत देते थे, लेकिन आज उन लोगों को कोई राहत नहीं दी जा रही है । हमें बड़ा अफसोस होता है, पता नहीं क्या बात है । उन्होंने पहले फेमिन में दो लाख मजदूर लगाये थे । उनको अगर किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा टेलीफोन कर दिया जाता था तो वे यहां से स्वीकृति भेज दिया करते थे और कार्यकर्ताओं को टेलीफोन पर स्वीकृतियां कनफर्म कर देते थे, इत्तला दे देते थे लेकिन आज वहां पर कुछ भी नहीं है । बाड़मेर जिला, जो कि एक सीमावर्ती इलाका है, में अकाल की स्थिति बहुत ही नाजुक है । उस नाजुक हालत में मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज मार्च का महीना खतम हो चुका है और जून के महीने में पशुपालक और खेतिहर लोग में लगेंगे । अपने हल और लकड़ी लेकर खेती की तैयारी अब दो महीने बचे हैं । पूरे साल में 12 महीने होते हैं उसमें इतना ज्यादा समय गुजर गया है एक भी मजदूर को मजदूरी

Page No 100

(100)

(श्री अमीन खां)

नहीं मिली है, दो महीने तो कम से कम मजदूरी आप बाड़मेर जिले के अकाल-ग्रस्त लोगों को दें। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जिले के 70 हजार लोगों को 1-4-82 तक मजदूरी दी जाय और अगर सरकार के पास पैसा नहीं हो, सरकार पैसे के कारण लोगों को मजदूरी पर नहीं लगाना चाहे तो, मंत्री महोदय, हमें अपने चेम्बर में बुलाकर बता दें कि पैसा नहीं है तो हम अपने गांव में जाकर लोगों से कह देंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, आप लोग पंजाब जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, गुजरात जाओ, हरियाणा जाओ लेकिन यहां पर भूख से मर के परेशान मत होओ ताकि इसका इलाज तो हो। हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वह लोग हमें अपनी बात कहते हैं। यहां पर हम जब मुख्य मंत्रीजी से मिलें तो उन्होंने कलेक्टर और वहां के अधिकारियों को होली पर बुलाया था। सारा अफसरों का अमला यहां पर आया और रिलीफ सेक्रेटरी के यहां पर मीटिंग हुई। हम लोग उस कमेटी के सदस्य के रूप में बैठे थे चार घण्टे तक बहस चली नतीजा यह हुआ कि होली के अवसर पर जो अधिकारी आये, वह होली के अवसर पर अपने घर भी नहीं जा सके। यहां मीटिंग हो गयी और हम लोग खुश होकर रह गये, लेकिन आज दिन तक कोई सैंक्शन नहीं निकली।

श्री उपाध्यक्ष : जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने सुझाव नहीं दिये थे ?

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, सारे सुझाव दिये गये थे और उनके द्वारा भरोसा भी दिया गया था कि सैंक्शन निकल रही है लेकिन बाद में जवाब मिला कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट स्वीकृति नहीं निकलने देता है, हम क्या करें। बड़े अफसोस की बात है, इतनी नाजुक हालत है। मैं अपने क्षेत्र की बात मिसाल के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में 61 पंचायतें हैं उन 61 पंचायतों में से बाड़मेर तहसील की 15 पंचायतें हैं। उन 15 पंचायतों में सिर्फ चार पंचायतों के सिवाय कहीं भी कोई काम चालू नहीं किया गया है। चौथे साल अकाल पड़ रहा है, उन लोगों की क्या हालत होगी ? चार पंचायतों में सिर्फ 1200 मजदूर काम पर लगे। एक पंचायत की मिनिमम आबादी तीन हजार होती है। कई पंचायतों की आबादी पांच हजार भी हैं, 6 हजार भी है, दो हजार भी है, पर मिनिमम आबादी एक पंचायत की तीन हजार होती है। एक पंचायत की किसी की पांच हजार किसी की 6 हजार आबादी गिनें तो इस प्रकार से एवरेज दस हजार से 50 हजार तक की आबादी का बाड़मेर तहसील के गांवों का आ जायेगा। जबकि बाड़मेर तहसील की बायतू पंचायत समिति, रामसर पंचायत समिति और अराई पंचायत समिति

(श्री अमीन खां)

में सिर्फ 1200 मजदूर लगे हैं। तहसील शिव की मर्दुमशुमारी में जहां एक लाख 13 हजार लोगों की आबादी है उनमें से 5000 लोगों को 26 पंचायतों में मजदूरी दी है और 13 पंचायतों में कोई राहत कार्य नहीं खोला गया है। एक भी मजदूर के पास कोई मजदूरी नहीं है। इस प्रकार मेरे क्षेत्र के जैसलमेर जिले की 20 पंचायतें हैं, जिसमें से पांच पंचायतों के लोगों को मजदूरी दी गयी है। वहां पर जो काम चल रहे हैं उनमें 800 मजदूर लगे हुए हैं और बाकि किसी को भी मजदूरी नहीं दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : तो उन लोगों को क्यों नहीं कह देते हैं कि वह अपनी मवेशी लेकर बाहर चले जायं।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, जो अच्छे और हिम्मत वाले लोग हैं वह तो अपनी मवेशी लेकर गुजरात चले गये और बाकी ऐसे लोग रह गये हैं जिनमें किसी के पास एक ऊंट दो ऊंट हैं, दो चार गायें हैं या 50–100 भेड़ बकरी हैं, तो यह लोग कहां जाय? मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक तो इन लोगों ने अपने मवेशियों का मांस जो व्यापारी हैं उनको बेच बेच कर अपनी मवेशी को खतम कर दिया। अब उनकी हालत बहुत खराब है, यह सही स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार को कहा जायेगा तो सरकार कहेगी कि भूख से कोई नहीं मरा। मैं भी कहूंगा, हां, भूख से नहीं मरा। ऐसी गम्भीर स्थिति में भी भूख से नहीं मरा, लेकिन अब अगर वह कह दें कि हम आपके यहां पर राहत कार्य नहीं खोल सकते हैं तो हम उन लोगों को कह दें कि वह बाहर चले जायं। यहां पर नहीं कह सकते हैं हमें चेम्बर में कह दें, ताकि हमें पता लगे और हम हमारे क्षेत्र के लोगों को भूख से नहीं मरने दें, यह तो निश्चत ही है। एक तरफ तो सरकार की तरफ से फेमिन कोड की व्यवस्था की गई है, अगर आपने फेमिन कोड बनाया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अकाल ग्रस्त क्षेत्र में लोगों को रोटी दे ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के रवैये को देखकर मुझे बड़ी मायूसी है, क्योंकि आज जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वह ऐसे है, हमारे यहां पर एक कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मजदूरों को मजदूरी बन्द कर दो और आप कह दो कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट कोई सेंक्शन नहीं निकाल रहा है ताकि हमें सन्तोष तो जाये। इतने से हमें सन्तोष नहीं हैं, अभी की जो प्रक्रिया है उससे तो हमें असन्तोष है।

इसके साथ साथ, अकाल राहत मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस ओर

Page No 102

(102)

(श्री ग्रमीन खां)

भी करना चाहता हूं कि वैसे तो यह पी. एच. ई. डी. का मामला है, अकाल का विषय नहीं है, विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। गडरा रोड में ट्यूब वेल हैं। वहां पर दो ट्यूब वेल ऐसे हैं जिनके 100 फीट के नजदीक से बिजली की लाइन है किन्तु उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं वह जखनामर की स्कीम में हैं। इसी तरह से कनयाना, खुडाना ग्राम में रामसर तक तो 33 के. वी. की लाइन दे दी है लेकिन ट्यूब वेल पर कनेक्शन नहीं दिया है। जो वह बिजली की लाइन गयी हुई है वह घरों की रोशनी या उद्योगों के लिए नहीं है, वह लाइन सिर्फ ट्यूबवेल के लिए बिछाई गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति बायतू के गांवों को उंडू की स्कीम से तथा तड़ली ग्राम की जमीन में सलील ग्राम की स्कीम से पानी पिलाने के लिए स्कीम हैं, वहां ग्राज चार चार घंटे ट्यूब वेल चलता है उसके कारण से भी कई गांव पानी पीने से महरूम हैं। ट्यूब वेल पी. एच. ई. डी. ने खुदा दिया है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं देने के कारण पी. एच. ई. डी. की वह स्कीम अधूरी पड़ी हुई है। मेहरबानी करके यह मामला भी अकाल का मानकर ट्यूब वेल के लिये गडरा रोड़, खुडानी, किराम और तुड़वी में 33 के. वी. की लाइन दें। ग्राम गडरा रोड़ में ट्यूब वेल को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। ग्राप फेमिन में कनेक्शन दिलायें। नहीं तो इतने दिन तक मेहरबानी यह रही कि मार्च तक सर्दी रही और सर्दी की वजह से पीने के पानी को त्राहि त्राहि नहीं मची किन्तु ग्राइन्दा त्राहि त्राहि मच जायेगी। ग्राप मेहरबानी करके ट्यूब वेल को बिजली दिलाग्रो। ग्रन्त में इतना ही कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय, हमारे एक एक गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं ग्राप ग्रपने भरोसे पर जो जवाब दें माकूल दें और जितना कर सकते हैं वह बता दें जो नहीं कर सकते हैं उस बात को नहीं कहें, नहीं तो लोग भूखे मर जायेंगे।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास डोसी।

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाड़मेर जिले के अकाल राहत के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में चार साल से लगातार अकाल है। यों तो सम्वत् 2025 का जमाना बहुत अच्छा ग्राया था उसके बाद भी 2 साल ठीक जमाना ग्राया लेकिन चार साल हालत बहुत खराब रही। इस साल सिर्फ 200 गांवों में कुछ फसल हुई बाकी 650 गांव भयंकर अकाल से ग्रस्त हैं। मेरे क्षेत्र में ग्राधे गांव सेडुग्रा, बाकासर की तरफ ठीक हैं। मैं सच्ची बात को सच्ची कहूंगा। चौहटन की तरफ कुछ फसल हुई है लेकिन चौहटन के ग्रास पास करीब 30 मील के इर्द-गिर्द में बिलकुल भी फसलें नहीं हुई हैं, लोगों की हालत खराब है लोग भूख से तड़प रहे हैं। राजस्थान के जितने भी जिले

(श्री भगवानदास डोसी)

हैं उन सब में हमेशा बाड़मेर में सबसे ज्यादा मजदूर लगे हैं। कभी भी बाड़मेर को पीछे नहीं रखा गया है। सम्वत 25 में भी पौने दो लाख मजदूर लगाये गये थे। गत साल भी सवा लाख के करीब मजदूर थे जब कि अकाल राहत काम बन्द किये गये थे, हमारे यहां इस साल अभी तक 28 हजार मजदूर लगे हैं और हमारा नम्बर दो तीन जिलों से पीछे हैं जैसे भीलवाड़ा में करीब 70 हजार मजदूर हैं और पाली में भी 30-35 हजार की सीलिंग है और हमारी भी सीलिंग 35 हजार मजदूरों की की गयी है, यह न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जोधपुर में उद्योग हैं, पाली में उद्योग हैं। जोधपुर के उद्योगों में करीब 50 हजार मजदूर लगे हैं। पाली में भी उद्योग हैं लेकिन बाड़मेर में कोई उद्योग नहीं हैं। हमारे यहां मामूली से उद्योग बालोतरा में हैं लेकिन वह भी कोई खास नहीं हैं और वहां बिजली भी नहीं आती है। हमारे गांव सिंचाई के गांव नहीं हैं। सिंचाई के गांव सिवाणा और पचपदरा हैं वहां भी बिजली नहीं आती। सारे लोगों की हालत बहुत खराब है।

हमारी सरकार ने भी चुनाव का काफी अच्छा वातावरण बनाया था। हमने भी लोगों को धोखा दिया कि चुनाव हो रहे हैं चुनाव चुनाव तक तो निभाओ, चुनाव के बाद मस्टर रोल को भूल गए। हमने सारे वातावरण में दो तीन महीने निकाल दिये और चुनाव के बाद ऐसी हालत हो गयी। हम कहते रहे कि चुनाव होने के बाद मजदूर लोग लिये जायेंगे और काम बहुत खुलेंगे लेकिन खुले नहीं। अब हमारा गांवों में जाना भी मुश्किल हो गया है। अगर हम गांव में जाते हैं तो कई लोग आकर सवेरे-शाम घर से बाहर नहीं निकलने देते वे कहते हैं कि हमें मजदूरी पर लगाओ। मजदूर आ जाते हैं, मस्टर रोल वाले आ जाते हैं। पर्याप्त मजदूर नहीं लगने के कारण हालात बहुत खराब हैं। श्री अमीन खां ने ठीक कहा कि अगर फेमिन वर्क नहीं खुलते हैं और पूरे राजस्थान में राजस्थान नहर वगैरह में और दो तीन जगह मजदूर ले जाये जायेंगे तो हम यही कहेंगे कि आप एक ही जगह लगाते हैं। सस्ती वाहवाही के लिए पहले सरकार ने गांव गांव में सड़कों के काम खोलकर लोगों को आदी बना दिया वे लोग अब गांव जाना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह से यह सारा का सारा समय निकल जाये। होली का समय तो निकाल दिया। होली क्या यह चैत्र भी जा रहा है और 31 मार्च भी खत्म हो जायेगा। दो तीन महीने रहे हैं लेकिन पर्याप्त मजदूरों को काम नहीं मिला। अब हम लोगों से कहें कि बाहर जाओ तो वह कहते हैं कि पहले कहते तो हम चले जाते। अब तो वापस आने का समय है। अगर दो-तीन महीने में उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी गयी तो लोगों में बड़ा रोष रहेगा। इन आखिरी दो तीन महीनों में यदि ज्यादा मजदूर लगा दिये गये

(श्री भगवानदास डोसी)

तो आपको लोग कहेंगे कि हमारी हालत ठीक है। नहीं तो, मैं आपसे निवेदन करूं, लोगों को हल जोतना मुश्किल हो जायेगा। लोगों की हालत खराब है, लोगों की इकानामी ठीक नहीं है। लोग गांवों में खड़े होना नहीं चाहते। मैं तो यही निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय, हमें आकर संभालें और गांवों को देखें। मुख्य मंत्रीजी भी देखें। सुखाड़ियाजी के बाद आज दिन तक कोई गांवों में मुख्य मंत्री आया ही नहीं। आना चाहिए, देखना चाहिए। जो हमारे प्रभारी मंत्रीजी हैं वह कभी बाड़मेर जिले में आते नहीं। वह आयें तो उनको भी पता लगे। वह भी कभी आये नहीं। हमारी कोई सुध नहीं लेता है।

हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में काम खोले जाने चाहिए। एम.एल.ए. और एम. पी. में इसी बात की आपस में लड़ाई है। हमने 11 मार्च को जब मीटिंग की थी तो कहा था कि 50 हजार मजदूर लगायें। हमने अपनी अपनी सीट के हिसाब से और जैसा जैसा अकाल है उसके हिसाब से मजदूर बांट लिये थे कि 7 हजार इस तहसील में, शिव में ज्यादा अकाल है तो वहां 9 हजार और बाड़मेर बड़ी तहसील है तो 20 हजार मजदूर लगाये जायें। इस तरीके से हम बांट लेंगे। मेरा तो यही निवेदन है कि अब यह दिन तो गये केवल 8-10 दिन बाकी हैं। 1 मार्च से कम से कम हमारे यहां 60 हजार मजदूर होने चाहिए। मैं जानता हूं, कई अड़ंगे आते हैं, कई अड़चनें आती हैं किसी में मैटीरियल का झगड़ा और किसी में कोई झगड़ा होता है। अब केवल नाड़ियों की लिस्ट आई है कि नाड़ियों के काम खोले जायें। नाड़ियों की लिस्ट वहां से बनाकर भेजी है। बाड़मेर पंचायत समिति में मेरी 6 पंचायतें आती हैं और उन 6 पंचायतों तारापुरा, लीलसर, इसरोल, तनाऊ, चारासर में भयंकर अकाल है लेकिन वहां के लिये जिलाधीश ने एक भी नाड़ी स्वीकृत नहीं की। वहां से प्रपोजल बनाकर भेज दिये। हम लोगों से पूछकर जहां लोगों को ज्यादा तकलीफ है वहां नाड़ियां खोलिये, वहां हमारे मजदूरों को लगाया जाये. यही मेरा निवेदन है।

दूसरे, पानी के लिये भी टैंकर्स बहुत अपर्याप्त लगे हुए हैं। जो टैंकर्स लगे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो यही कहना है कि बरसात तक हालात खराब होंगे उसका इन्तजाम होना चाहिये। मुददे की बात कह चुके हैं आप, बैठ जाइये।

श्री भगवानदास डोसी : मैं बहुत कम बोलता हूं। मुझे बहुत कम समय दिया जाता है। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री भगवानदास डोसी : मेरा यह निवेदन है कि कम से कम बाड़मेर जिले के

(श्री भगवानदास डोसी)

लिये 75 टैंकर्स प्राप्त होते हैं। वहां 33 टैंकर्स हैं उनमें से केवल 17 टैंकर्स ही काम पर लगे हुए हैं। मेरी तहसील में सिर्फ एक टैंकर लगा हुआ है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। 20 टैंकर्स खराब पड़े हैं और सिर्फ 17 टैंकर्स वर्किंग ऑर्डर में हैं। जिन गांवों में पानी खारा है और बीस-बीस मील से टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है वहां बेचारों को चौथाई गैलन भी पानी नहीं मिलता। पिलाई के लिए भी यही हालत है। मेरे इलाके चौहटन में कोई भी कुआं 250 फीट से कम नीचा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ट्यूबवैल खुदा हुआ है उसका क्या है ?

श्री भगवानदास डोसी : ट्यूबवैल तो एक में है। मेरे गांव में तो पानी की तकलीफ नहीं है, दूसरे गांवों में तकलीफ है। जहां ट्यूबवैल खुद गये हैं वहां पर इंजन नहीं लगे हुए हैं, जैसे सरूपे का तलाव है, बावड़ी है और ऐसे जो दो तीन ट्यूबवैल हमारे यहां हैं अगर वहां इंजन लगे तो पानी की तकलीफ मिट जाये। 250–300 और 350 फीट से कम गहरा कोई कुआं नहीं है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में फर्माया था कि कम से कम आठ दस हजार का किसान के पास साधन हो तब पानी पिलाया जा सकता है। दूसरे, पिलाई के बारे में विशेष तौर से यह कहूंगा कि जो 40 रु० पिलाई की रेट है वह बहुत ही कम है। मंत्री महोदय, ध्यान से सुनें। 40 रुपये की दर से आज के दिन में कोई भी पानी निकालकर कभी नहीं पिला सकता। मंत्री महोदय ध्यान से सुनें कि 40 रुपये की रेट से कोई भी नहीं पिला सकता, यह 40 रुपये की दर बहुत कम है। इस रेट को या तो 80 रुपये करो या बन्द करो। हमारे यहां 350 फीट गहरा कुआं 40) रु० में कोई नहीं खोद सकता है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो पाइप लाइन की स्कीम है उससे पालरिया तक पानी नहीं पहुंचता है। क्या पता लोग क्या करते हैं। मजदूरों के बारे में मैं यही कहता हूं कि कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक वही रेगूलर डिवीजन है जो पहले था और डिवीजन नहीं होने के कारण कोई मजदूर नहीं बढ़ाये जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती है और वही फर्जीवाड़ा और गड़बड़ियां होती हैं। उनकी कोई चैकिंग नहीं कर सकता है। ए० ईएन० को चैकिंग के लिये कहते हैं तो वह कहता है जीप नहीं है। उसके पास जीप नहीं रहती है इसलिये वह भी चैकिंग नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है कि तीन डिवीजन होने चाहिये और उनके पास जीप का साधन होना चाहिये। जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, गड़बड़ियां करते हैं वे 20-20 हजार रुपये साल के कमा लेते हैं। हम कहते हैं मस्टर रोल लाओ तो वे कपड़े फाड़ते हैं। पूरा-पूरा इन्तजाम होना चाहिये नहीं तो कोई काम नहीं होता है। सारा

(श्री भगवानदास डोसी)

फर्जीवाड़ा चलता है। अधिकारी कार में आते हैं। कोई 11.00 बजे आता है, कोई 1.00 बजे आता है। उन बेचारे मजदूरों को एक रुपया, दो रुपया मिलता है उसमें भी फर्जीवाड़ा होता है। हम जानते हैं कि सरकार की माली हालत खराब है, ओवर ड्राफ्ट है। हम यही निवेदन करेंगे, यह साल तो पूरा निकाल दिया कोई मजदूर नहीं लगाया गया अब केवल दो-तीन महीने और बच गये हैं इन दो-तीन महीनों के लिये मजदूर लगायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में हमारे यहां की स्थिति और जैसलमेर जिले की जो स्थिति हो रही है उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि पश्चिमी राजस्थान का इलाका, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे इलाके हैं जिनमें भयंकर अकाल है। दूसरी जगह भी अकाल पड़ता है लेकिन वहां अकाल की इतनी भीषणता नहीं होती है जितनी बाड़मेर और जैसलमेर में होती है। मैं देख रहा हूं कि राज्य सरकार की तरफ से पक्षपात बरता जा रहा है। जो मूल्यांकन किया जा रहा है वह यह है कि सारे प्रान्त को अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाये। यह एक अच्छी पद्धति नहीं है, क्योंकि सब जगह एक जैसा अकाल नहीं पड़ता है। इसका कारण यह होता है कि सभी लोग यह चाहते हैं कि उनके यहां अकाल राहत कार्य खोले जायं. सभी चाहते हैं कि उनके यहां वसूलियां बन्द हो जाये इसलिये सभी कोशिश करते हैं कि येन-केन-प्रकारेण उनके जिले में भी अकाल घोषित हो जाय। इसका नतीजा यह होता है बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर तथा जोधपुर का जो पश्चिमी इलाका है, उसको विशेषकर कष्ट भोगना पड़ता है। हम अच्छी तरह अकाल को आंक नहीं पाये हैं। एक और पद्धति है, आप देखते हैं कि जैसे ही अकाल राहत कार्य समाप्त होते हैं उसमें भी सबसे पहले बाड़मेर जिले का नम्बर आ जाता है। जुलाई के महीने में बरसात होती है और अकाल का काम साफ कर दिया जाता है। सरकार यह नहीं समझती कि बरसात होने से कोई बाजरी नहीं बरसती है, बरसात होने से कोई अनाज तो नहीं बरस जाता है और कोई घरों में अनाज की बोरियां तो नहीं पहुंच जाती हैं। फिर दो महीने कैसे काम करें? किसान उधार लेता है और वह भी खेत में डाल देता है और अन्त में यह होता है कि जब जमाना नहीं आता है तब भी सरकार यही समझती है कि अकाल नहीं पड़ा। हम जब यह कहते हैं कि वहां अकाल पड़ गया है तो सरकार कहती है टैस्ट वर्क खोलेंगे। ऐसी दशा में टैस्ट वर्क का क्या औचित्य है? जहां आपने 1 लाख 25 हजार आदमियों को जुलाई में छोड़ा, दो महीने के बाद उसके घर में दाना नहीं रहा और फिर अक्टूबर में जाकर कहते हैं

(श्री देवीदत्त तिवाड़ी)

कि टैस्ट वर्क खोलेंगे। टैस्ट वर्क में 8-10 हजार आदमी लगाते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है।

आपने जुलाई में हमारे यहां अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये थे; इस प्रान्त के 26 जिलों में ऐसे जिले भी हैं जिनमें दिसम्बर में बरसात हो जाय, जनवरी में बरसात हो जाय और मार्च में अच्छी फसल आ जाय और मान लीजिये लाखों हजारों एकड़ में थोड़ी रोली लग जाये या भारी नुकसान हो जाय तो भी 5 पर्सेंट नुकसान होता है वहां बहुत अच्छी फसल आ जाय लेकिन इस सरकार का वहां भी अकाल चलता रहेगा। इसका नुकसान भी पश्चिमी जिले उठाते रहेंगे जिनके अन्दर भीषण कष्ट है जैसा कि पूर्व में निवेदन किया गया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं—ऐसी भीषण हालत है मैं कहता हूं सरकार अहसास नहीं करती है। खुद तो अहसास नहीं करती उसके साथ-साथ शहरों के दूसरे लोगों को भी इसका अहसास नहीं कराती है कि इतना भीषण अकाल है। नहीं तो भला कर्मचारी इस तरह के पैसों की बढ़ोतरी मांगे? हमारे यहां लोग दाने-दाने को भूखे मर रहे हैं, त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उनको एक तारीख को 5 रुपये मिल जायेंगे तो निश्चिन्त तो हैं। शाम को वर्षा होगा इसका पता नहीं है। उनके ऊपर आसमान है और नीचे देखने के लिये जमीन है, उसकी कोई चिन्ता नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार अच्छी तरह अहसास नहीं करती है कि पश्चिमी जिलों में अकाल किस प्रकार का पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिये कि अपनी इस दोहरी नीति को एकदम समाप्त करे और उन जिलों में जहां दिसम्बर में बरसात हो जाती है, जनवरी में बरसात हो जाती और जमाना मार्च में अच्छा आ जाता है, वहां तत्काल अकाल समाप्त करके पश्चिमी जिलों में पैसा लगाया जाय, इस बात का ध्यान रखा जाय। मैं निवेदन करूंगा पश्चिमी इलाके में सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं खोलती है जो परमानेन्ट तरीके से राहत का कार्य हो। आप जो कार्य खोलते हैं, उसमें 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ रुपया लगाते हैं। मैं अभी भी कहता हूं, आपकी माली हालत खराब है, आपने रोते-रोते पैसा लगाया है और अब भी रोते झींकते पैसा लगायेंगे और फिर वही 10-12 करोड़ रुपये पानी की तरह बहा देंगे। आज हमारे यहां की हालत यह है कि गर्मियों में एक मिट्टी का कुण्डा उठाया नहीं जा सकता है, उस तपे हुए कुण्डे को कोई उठा नहीं सकता है। कोई कुण्डे के हाथ तक नहीं लग सकता है, यह स्थिति बन जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप उसका सदुपयोग कर लिजिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : सदुपयोग हो ही नहीं सकता। फिर वहां की मशीनरी इनकाम्पिटेन्ट, इनएफिशियेन्ट है और इतनी कम है कि व्यवस्था सम्भाल नहीं सकती है। इसलिये जो पैसा लगाते हैं, 10-12 करोड़ रुपया लगाते हैं मैं आपके माध्यम निवेदन करना चाहता हूं कि केवल साढ़े चार करोड़ रुपया बिना ब्याज दे दीजिये, घर बैठे आदमी दे दीजिये। आप केलकूलेशन लगा लीजिये, तीन महीने के लिये साढ़े चार करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। गये वर्षों में हमने साढ़े तीन करोड़ रुपया लिया था, हमने पाई-पाई चुकाया है और अब भी साढ़े चार करोड़ रुपया चुकायेंगे लेकिन इस तरह से हमको मारिये मत, इकानॉमी से हमें दबाये नहीं। हमें देते हैं तो घर बैठे दे दीजिये। हमारा किसान कमाता है तो अपने बलबूते पर कमाता है। न किसान ने कभी भीख मांगी है और न कभी मांगेगा। मेहरबानी करके आप उधार भी दे दें लेकिन ऐसा नहीं करें कि लोग हमारे कपड़े फाड़ें और वहां जाने नहीं दें। अगर पक्का इन्तजाम करना है तो पक्का इन्तजाम कीजियेगा।

राजस्थान नहर लाने का प्रबन्ध करिये लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे, आपकी लॉबी नहीं करेगी। पहले जो एक स्कीम बनाई थी उस स्कीम को हटाकर दूसरी स्कीम बना रहे हैं। आप पाइप लाइन डालकर दूसरी जगह पानी ले जा रहे हैं। तो, मैं यह निवेदन करता हूं कि जिस दिन दूसरे लोगों का जोर होगा, तो आपकी यह स्कीम भी चेन्ज कर देंगे। स्कीम को चेन्ज करने का आपके पास क्या औचित्य है। इधर हम पानी पीने के लिये मरते हैं और उधर आप सिंचाई के लिये पानी देते हैं। पानी वहां लिफ्ट करके ले जाया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं तसल्ली दिलाना चाहता हूं, जहां आज नहर आई हुई है, वहां से बाड़मेर तक और बाड़मेर से रण की खाड़ी तक, बिलकुल नेचरल ग्रेडिएन्ट है, वहां पर ढाल है पानी जा सकता है। जब हम इरिगेशन डिपार्टमेन्ट में जाकर कहते हैं कि आप जी. टी. शीट्स दिखायें तो आपके आफिसर कहते हैं बाड़मेर का इलाका पश्चिमी इलाका है, इसलिये जी. टी. शीट् दिखायी नहीं जा सकती है। × × × हम लोग यहां से छीन कर ले जायेंगे। हमारे मिनिस्टर क्या करेंगे? उनको कैसे दिखायेंगे? अगर मिनिस्टरों को जी. टी. शीट दिखाते हैं, तो हमें भी दिखानी पड़ेगी। हमने

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

निवेदन किया था कि जी. टी. शीट सदन की मेज पर रखी जाय, किन्तु नहीं रखी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोगों को जी. टी. शीट क्यों नहीं दिखायी जाती? मैं कभी भी इस प्रकार से उत्तेजित नहीं होता हूं, लेकिन मुझे यह बात बुरी लगी। इन लोगों का ये व्यवहार मुझे बहुत बुरा लगा है। हम उसे देखना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं कि जहां नहर आई हुई है वहां से रण की खाड़ी तक बिलकुल नेचरल ग्रेडिएन्ट, ढाल बना हुआ है और अगर थोड़ा भी पानी लाइन करके उसके अन्दर डाल दिया जाय तो वह बहता चला जायेगा, उससे दो फायदे होंगे। एक यह कि जो हमारा शेयर, पानी हम पंजाब से नहीं ले पाते हैं, वह आज तत्काल ले सकेंगे। ट्यूब वैल से आज के दिन जो पानी बह रहा है, मैं कहता हूं, यह पेरीनियल सोर्स नहीं हैं। मैं इस बात की गारण्टी करता हूं, ये 50–60 साल से ज्यादा चलने वाले सोर्स नहीं हैं, ये पेरीनियल सोर्स नहीं हैं, यह मैं दावा करता हूं। ये बड़े इंजीनियर हैं, होंगे। इनके ट्यूब वैल फेल होते जा रहे हैं, हमारे बाड़मेर के अन्दर 4–4 ट्यूब वैल फेल हुए हैं हमारे सामने, और भी हो जायेंगे 50–60 साल बाद में। फिर आप पानी कहां से लाओगे? इसलिये बराये मेहरबानी आप इस नहर को सीधे वहां जाने दीजिए जिससे ट्यूब वैल में नीचे पानी फिर आ जाय और कुछेक ट्यूब वैल भी चलते रहें। आपकी नहर, उपाध्यक्ष महोदय, आप चलाते रहना और ठीक तरह से करना।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अगर कुछ भी नहीं हो तो आप कुछ उद्योग धन्धे खोलो। ऊन का धन्धा खोला जा सकता है। आप खोलते नहीं हैं, अगर खोलना चाहें तो घर-घर के अन्दर आदमी को बैठे हुए 4 सौ. रुपये दिये जा सकते हैं। वह काम सरकार खोलना चाहती है, लेकिन जहां खोला है वहां ऐसी मशीन लगी हैं जो बीच के अन्दर ही सब तात्पर्य पूरा कर देती है।

अन्त में एक ही बात और निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार हाउस के अन्दर बात आयी थी कि अभी तक गायों के लिए जो दाना दिया जा रहा था वह अब केवल उन गायों को दिया जायेगा जो कि बाधी हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, अगर ऐसा कोई निर्णय लिया गया है तो वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पहला निर्णय था वह बिलकुल बुद्धिमत्तापूर्ण था। गायें खोल कर चले गये हैं, जिनकी कहीं व्यवस्था कर दी है, जो दूध नहीं देतीं, उनको तो आदमी अपने पास नहीं रख सकता है। उनको दूसरी जगह ले

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

जाता है, जहां चारे की सुविधा होती है, वहां ले जाता है। जो लोग ऐसी गायों को नहीं ले जाते हैं वे गायें घास में रहती हैं, जो दूध देती हैं। आप ये दाना उन गायों के लिए देते थे और उन पर आपका बड़ा उपकार था, वे गायें पोषित हो रही थीं और उसके ऊपर कई लोग ××× दूध का धन्धा करके बैठे हुए थे। अगर आप उन गायों का दाना बन्द कर देंगे तो इससे बड़ा अहित होगा। मेहरबानी करके आप सारी बातों को ध्यान में रखकर, अकाल की ऐसी स्थिति को देखकर उचित प्रबन्ध करियेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धाराराम।

(अनुपस्थित)

नहीं हैं। आप बहुत बोल चुके हैं। मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अमराराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका रिववीजिशन अच्छा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पूरे बाड़मेर का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री रामनारायण डूंडी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, मेरे यहां भयंकर अकाल है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। सब जगह की बात है।

श्री अमराराम चौधरी : दो मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : पूरे सब डिवीजन से कोई नहीं है, हेमाराम जी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट।

श्री अमराराम चौधरी : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Come to the point at once.

श्री अमराराम चौधरी : यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाड़मेर सीमावर्ती जिले के रहने वाले है। हर वर्ष यहां अकाल से सुरक्षा होती है उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से जो प्रबन्ध होना

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम चौधरी)

चाहिये और जिस हिसाब से होना चाहिए, कन्संट्रक्टिव काम होना होना चाहिए, वह अभी तक हुआ नहीं। हिन्दुस्तान आजाद होने के 35 साल के बाद भी आज पश्चिमी राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अकाल की बात तो बहुत कह चुके, आप तो सुझाव दो।

श्री अमराराम चौधरी : दे रहा हूं, साहब।

वैसे 35 सालों से पश्चिमी राजस्थान के लोगों को भूलते रहे, यही कारण है कि आज हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर भयंकर अकाल है। अकाल कुदरत की देन है, दैवी प्रकोप से अकाल है लेकिन यदि राजस्थान नहर को शीघ्रातीशीघ्र लाने की कोशिश की जाती तो आज बाड़मेर जिले में जो कठिनाई सामने आ रही है, वह नहीं आती। हमारे यहां की गायें, हमारे यहां की भेड़ें अकाल के समय बहार चली जाती हैं, वापस एक भी नही आती हैं। हमारी चमड़ी वहां रह गयी है, हमारी हड्डियां वहां रह गयी हैं। हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, हम बिलकुल निर्धन हो गये हैं, बाड़मेर जिले में इतना अकाल पड़ा है। किसानों की ऐसी हालत है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, औरतों के गहने नहीं रहे उन्होंने सब बेच दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल की भयंकरता हम जानते हैं, सब जानते हैं, सदन जानता है, आप तो सुझाव दें।

श्री अमराराम चौधरी : तो मेरा सुझाव यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मन्त्री महोदय को सुझाव दे रहा हूं, बाड़मेर जिले के अन्दर, अभी जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने बताया, मजदूर बहुत ही कम लगे हुए हैं और जो भी काम पहले खोले गये हैं, टैस्ट वर्क में 25–25 हजार रुपये तक खर्च किये गये हैं, वे फिर चौपट हो गये। उनका कोई नामोनिशान नहीं रहा। कारण, कि 4 महीने पहले जो टैस्ट वर्क चल रहे थे, उन पर वापस रेत आ गयी है। वहां मैटीरियल डाला नहीं गया है और वह काम बन्द कर दिया है जिसके कारण से उन पैसों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। माननीय मन्त्रीजी, आप स्वयं बाड़मेर से वाकिफ हैं। आप बाड़मेर की एक एक ढाणी ढाणी जानते हैं, आप हर व्यक्ति को जानते हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पीने का पानी नहीं है। आपकी पाइप लाइन लगी हुई है, वहां पर उसको आपका कोई इंजीनियर देखने के लिए नहीं आता, हैल्पर आपका वहां है नहीं, हालत यह है। हमारे यहां हैण्ड पम्प

(श्री अमरराम चौधरी)

की स्कीम है। मेरे क्षेत्र में मण्डी में आज तक कोई पीने के पानी का साधन नहीं है पुलिस वालों का साधन था। जो हैल्थ सेन्टर है वहां 5 हैण्ड पम्प लगे हैं और बहुत अच्छा पानी निकला है। मैंने आपको लिख-कर दिया है कि अभी आप एक भी टैंकर नहीं भेज रहे हैं 2 टैंकर बालोतरा में लगे हुए हैं, आप तीसरा टैंकर अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप जल्दी से जल्दी हैण्ड पम्प लगवाइये। 10 हैण्ड पम्प लग सकते हैं और मैं गारण्टी देता हूं कि कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, सब सक्सेसफुल होंगे। बरोदा के अन्दर आपने चार हैण्ड पम्प लगाये हैं। आप हैण्ड पम्प लगवाइये वहां मीठा पानी निकलता है। तो ऐसे स्थान जहां मीठा पानी निकलता है वहां आप 30 साल से टैंकर से भेज रहे हैं। एक टैंकर अगर बालोतरा से बरोदा पानी लेकर जाता है तो कम से कम एक हजार रुपये का खर्चा आकर बैठता है। एक टैंकर 7 दिन में ट्रिप लगाता है। तो आप एक ट्रिप करके एक गैलन पानी एक परिवार को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जबकि हैण्ड पम्प जल्दी से जोधपुर में आपने खुदवाये हैं। जोधपुर में आपने ट्यूब वैल खुदवाये हैं। खोखड़ी में ट्यूब वैल तैयार हो सकता है। वहां मशीन खराब हो गयी, इसलिये वे छोड़कर चले गये। दूसरी मशीन के लिए मैंने निवेदन किया था लेकिन अभी तक मशीन वहां पहुंची नहीं है। आज दिन तक 15 गांव के अन्दर पाइप लाइन लगाकर इस अकाल के अन्दर पानी मिल सकता था। आपसे यह निवेदन करूंगा कि जिन-जिन कामों के हमने प्रस्ताव भेजे हैं, यदि एक दो दिन के अन्दर वे शुरू नहीं हुए तो हम लोगों का वहां जाना बड़ा मुश्किल है। जो पब्लिक है वह सरकार की ओर देख रही है कि हमारे यहां काम कब खोल रहे हैं। या तो काम नहीं खोलें तथा एक बार ऐलान कर दें तो वे अपना इंतजाम अपने आप करेंगे ताकि हमारे ऊपर नहीं आये। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजदूरों की संख्या,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कम से कम पचास हजार तक इस महीने के अन्दर बढ़ायें, उसके बाद में लाख तक पहुंचायें ताकि मजदूरों को काम मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप जोधपुर के होते हुए भी नहीं बोलने देते। जोधपुर की जनता आपको कहेगी कि आपने जोधपुर के होते हुए भी जोधपुर की समस्या पर बोलने नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे वक्तव्य के बाद आप प्रश्न पूछ लेना।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : हम लोग प्रश्न पूछ लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जोधपुर के, आप भी जोधपुर के, मन्त्री महोदय भी जोधपुर के और जोधपुर के साथ आप न्याय नहीं करें....

(व्यवधान)

आपके होते हुए भी....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपके होते हुए भी जोधपुर के बारे में नहीं बोलने देंगे। वहां पर भयंकर अकाल है....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप जो है भयंकर भयंकर कर रहे हो, इसकी भयंकरता ज्यादा है तो सदन का समय कम लेते और इस भयंकरता का ध्यान ज्यादा आकर्षित करते। मैं जानता हूं कि भयंकरता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, शिव से आने वाले मानीय सदस्य, चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मार्फत कहा कि बाड़मेर क्षेत्र में और बाड़मेर और जैसलमेर के जिलों में राहत के काम जो अभी तक प्रारम्भ किये गये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये राहत के ज्यादा काम स्वीकृत कर प्रभावित लोगों को राहत दी जावे और उनको काम पर लगाया जावे। मेरा वक्तव्य इस प्रकार है।

इस अभाव वर्ष में बाड़मेर जिले के 865 गांवों में से 633 गांव एवं जैसलमेर जिले के 418 गांवों में 395 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं।

इन जिलों से विभिन्न अभिकरणों के द्वारा चलाये जाने हेतु चालू राहत कार्यों की स्थिति इस प्रकार है। बाड़मेर जिला में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 80, सिंचाई के 15, वन के 5 और भू-संरक्षण के 2 काम चालू हैं। जैसलमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 34 और सिंचाई के 6 कार्य प्रारम्भ हो गए हैं।

Page No 114

(115)

(श्री परसराम मदेरणा)

जैसलमेर जिले में दस सिंचाई व सात वन कार्य प्रारम्भ होने बाकी हैं। राज्य सरकार ने बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के लिये माह मार्च, 1982 में क्रमशः 35,000 एवं 11,000 श्रमिकों को राहत कार्यों पर नियोजित करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में चालू राहत कार्यों पर दिनांक 16-3-82 को संकलित सूचना के अनुसार क्रमशः 28,995 एवं 9,846 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में पेयजल परिवहन हेतु क्रमशः 63 एवं 39 राजकीय ट्रक टेंकर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अभी बाड़मेर जिले के 159 गांवों में, जैसलमेर जिले के 123 गांवों में इन टेंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। बाड़मेर जिले के 80 कुओं पर एवं जैसलमेर जिले के 46 स्थानों पर पिवाई आरम्भ करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है। मार्च, 82 में जैसलमेर जिले में 20,000 पशुओं के लिए और जिला बाड़मेर में 25,000 पशुओं के लिए पशु-पोषण केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन केन्द्रों पर प्रति पशु प्रति दिन डेढ़ रुपये का राजकीय अनुदान दिया जा रहा है।

पंचायतों को दस दस हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण चारा व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। गत वर्ष पंचायतों को चारा व्यवस्था हेतु दिये गये ब्याज मुक्त ऋण के उपयोग की अवधि 31 जुलाई, 82 तक बढ़ाई जा चुकी है। इन क्षेत्रों में वन विभाग के पास उपलब्ध घास पर दस रुपये प्रति क्विन्टल का परिवहन अनुदान भी स्वीकृत किया जा चुका है। अभी जैसलमेर जिले में विक्रय हेतु वन विभाग के पास 78,000 क्विन्टल घास उपलब्ध है। जैसलमेर जिले के पाली डिग्गा क्षेत्र से राजस्थान गौ सेवा संघ एवं राजस्थान विकास सम्मेलन द्वारा सेवन घास काट कर उपलब्ध करायी जा रही है।

नस्ली सांडों के भरण पोषण हेतु प्रति सांड प्रतिदिन तीन रुपये पचहत्तर पैसे की दर से माह फरवरी से अनुदान स्वीकृत किया गया है। पशुओं के पेयजल की व्यवस्था हेतु जैसलमेर जिले में पिच्चासी लाख रुपये की लागत की चार योजनायें राज्य सरकार ने स्वीकृत की हैं जिन पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के वक्तव्य के पहले चारों माननीय सदस्य, जो बाड़मेर जिले से आते हैं, ने कुछ और भी मुद्दे मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए उठाये हैं। उन्होंने हालात की नाजुकता और भयावह स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। यह बात सही है कि जो काम प्रारम्भ किये जाते हैं उनमें केवल प्लाण्ड वर्क्स ही आप ले सकते हो। क्योंकि

(श्री परसराम मदेरणा)

यह सम्वत् 25 और 26 का वर्ष नहीं है उस समय जितने कार्यों में हम वहां खर्चा करते थे अगर वेज एण्ड मीन्स पोजीशन राज्य सरकार के कोष की परमिट नहीं करती तो पूरा का पूरा कर्जा मिल जाता था। अब भारत सरकार राहत कार्यों के लिए कर्जा नहीं देती। सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन के आधार पर नेचरल केलेमिटी के द्वारा हुई क्षति के फलस्वरूप बाढ़ और अकाल के सम्बन्ध में दो प्रकार का मानदण्ड निर्धारित किया है और उसी के अनुसार आपका प्लान, योजना प्रारम्भ की जाती है। केवल सेवन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन के ऊपर सात करोड़ और कुछ लाख रुपयों की मार्जिन मनी बनती है उस मार्जिन मनी के प्राप्त होने के अनुरूप और उसके प्रपोर्शनेट में आप कुछ काम नॉन प्लान में स्वीकृत कर सकते हो। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले साल भी प्रकोप था और जो 7 करोड़ 64 लाख की मार्जिन मनी थी वह 2 साल में समाप्त हो गई। अब जो रकम मिलेगी वह एक अप्रेल के बाद मिलेगी और यह इसलिए निर्धारित किया है कि अगर कोई सालों में अकाल नहीं हो तो वह मनी एकूमलेट हो जाय और ज्योंही अकाल की स्थिति हो इससे लोगों को राहत दी जा सके। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मात्रा में ये मार्जिन मनी निर्धारित की है लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि एक के बाद एक अकाल की हालत रही और बाड़मेर जिले के कुछ गांव ऐसे भी हैं जो पांचवें वर्ष भी अकाल की स्थिति से प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में, मार्जिन मनी हमारे पास नहीं होने की परिस्थिति में केवल एक ही विकल्प सरकार के सामने रहता है कि केवल प्लाण्ड योजनायें ली जा सकती हैं, प्लाण्ड वर्क लिए जा सकते हैं। जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि प्लाण्ड वर्क लेने के बाद में भी इन प्लाण्ड वर्क्स के अन्दर बाडमेर ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी को हारनेस करने के लिए या इर्रिगेशन या दूसरे काम में लेने के लिए बहुत कम सम्भावनायें हैं। इसलिए वहां पर जो ज्यादातर काम लिए जाते हैं वे सडकों के काम हैं। सड़कों के काम के पूर्ण होने पर जैसा कि माननीय सदस्य जानते है वहां पर ग्रेवल और मैटीरियल इतनी दूर है, इतनी लीड है कि उनको ला करके ट्रांसपोर्ट करके कंसोलिडेट करके सड़कों पर लाना, और सड़कें इसी योजना के अन्दर अकाल के समय में पूरी करना—यह बहुत असम्भव सा काम है। हम अच्छी तरह से जानते हैं जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इन सड़कों पर पानी फिर जाएगा, थोड़े दिनों के अन्दर। अगर पानी फिर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि काम नहीं खोलें। और काम नहीं खोलें तो यही सोच करके सम्वत् 25 में जहां दो लाख मजदूरों की

(श्री परसराम मदेरणा)

आप बात कर रहे थे, सम्वत् 26 के अन्दर उपयोगी काम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सिवाय सड़कों के नहीं है इसलिये राज्य सरकार ने यह स्पेशल ग्रेचुटस रिलीफ की योजना बनाई थी। अनुदान की योजना बनाई थी जिसमें फिफ्टी पर्सेन्ट कर्जा था, लोन था, ऋण था और फिफ्टी पर्सेन्ट अनुदान था उसी प्रकार की योजना इस साल भी लागू कर दी जाय। यह योजना राज्य सरकार ने लागू कर दी थी। भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में यह कहा कि यह योजना आपको नहीं बनानी चाहिये। आप खैरात बांटने के लिए घर बैठे हुए लोगों को इस तरह से राहत देते हैं यह राहत देने का सिलसिला नहीं है। यह पूरा का पूरा कर्जा जो उस वक्त दिया, वह राज्य सरकार के मत्थे पर आया। जो स्पेशल ग्रेचुटस रिलीफ की रिकवरी है वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या आंकड़े हैं, क्या नहीं हैं, थोड़े दिनों पहले मैंने पूछा था लेकिन इस वक्त इस प्रकार पैसा घर बैठे हुए लोगों को नहीं दे सकते। राज्य सरकार की वेज एण्ड मीन्स की पोजिशन परमिट करती है क्या? बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अब अनुदान की बात तो नहीं करते, वह कहते हैं पूरा का पूरा उनको कर्जा दे दीजिये वह कर्जा चुका देंगे। इस सम्बन्ध में क्या हो सकता है, मैं मंत्रिमंडल के समक्ष आपके इस सुझाव को रखूंगा जो पूरे कर्जे का है। क्योंकि हमेशा पचास प्रतिशत पहले अनुदान की बात करते थे, अब पूरा कर्जा देने वाली बात ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, मैं मंत्रिमंडल के समक्ष आपके इस मुद्दे को रखूंगा। यहां पर यह बात भी कही गई कि कुछ काम कम हुए। यह बात सही है बाड़मेर के अन्दर जो प्लान के अभी काम बचे हैं उनके ऊपर मैटीरियल का खर्चा 40 पर्सेन्ट से ऊपर है। 60 और 40 का खर्चा जो परमिसेबल है, उससे ऊपर खर्चा आ रहा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो मार्च तक हमारी सीमाएं निर्धारित की हैं, सार्वजनिक काम के लिए 16 करोड़ रुपये, उससे ज्यादा खर्चा करके हम ओवर ड्राफ्ट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं न हमको रिजर्व बैंक ओवर ड्राफ्ट करने देगा। इसलिये मार्च, 31 तक हम चाहते हैं जो मैटीरियल का खर्चा हो रहा है उसको एक अप्रेल के बाद देखा जाये। कम से कम लोगों को उसमें मैटीरियल तोड़ने की, ग्रेवल खोदने की, इस प्रकार की दूसरी सम्भावनाएं हैं, इस प्रकार के काम को लिया जाये। क्योंकि आपके काम के अन्दर आलरेडी मैटीरियल खुदा हुआ है, इसलिये आपके सड़क के प्रस्ताव पर तीन घंटे विचार-विमर्श किया, वहां पर हम गये थे, कलेक्टर भी गये थे, उस वक्त वह काम स्वीकृत नहीं हुए। वह स्वीकृत इसलिये नहीं हो सके, केबिनेट के निर्णय के अनुसार यह है कि अगर मैटीरियल कम्पोनेन्ट का खर्चा है, अगर उस काम पर, मैटीरियल तोड़ने पर लेबर कम्पोनेंट का कोई

(श्री परसराम मदेरणा)

काम बाकी नहीं बचा है तो ऐसे काम की स्वीकृति नही दी जाये। इसलिये वहां पर सड़क के काम स्वीकृत नहीं हो सके। लेकिन हमने प्लान, योजना के अन्दर जो कार्य परिभाषित किये हैं उसमें रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर तालाबों और नाड़ियों, सार्वजनिक-टैंक या सार्वजनिक तालाब के काम हैं जिनका पानी वहां केवल पशु ही नहीं पीते मनुष्य भी पीते हैं। पानी को वहां एकत्रित किया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पानी बहुत कीमती चीज है। दूसरे इलाकों में पूर्वी राजस्थान के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, आज तालाबों के अन्दर, सार्वजनिक तालाबों के अन्दर मनुष्य पानी पीते हैं लेकिन हमारे यहां आखिरी जब दो घड़ा पानी रह जाता है तब मवेशी और आदमी दोनों साथ-साथ पीते हैं, इसलिये यह उपयोगी काम है। उपयोगी काम होने की वजह से यह लिया गया है। बरसात कम होती है, कुओं का पानी गहरा चला जाता है, मवेशियों को पानी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है इसके लिए योजनाबद्ध काम लिया है।

माननीय सदस्य ने मुझे दो तीन दिन पहले, मैंने जब पूछा, तब सदन में यह बात बतायी कि उनके कुएं और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित और जिलों को सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित सड़कों के अन्दर मैटीरियल कम्पोनेन्ट का काम ज्यादा रह गया है, उसमें लेबर कम्पोनेन्ट नहीं है। जिलाधीश को इस प्रकार के आदेश दिये गये थे, तालाबों और नाड़ियों के काम हाथ में ले लें। यह योजना के काम योजनागत काम समझे जा रहे हैं। इसके लिये कलेक्टर ने 190 नाड़ियों के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास स्पेशल मैसेंजर के साथ भेजे हैं। आज ही हम उन प्रस्तावों को फाइनेन्स डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और उनकी स्वीकृति में किसी प्रकार की रुकावट आने वाली बात नहीं है। उसमें ज्यादातर लेबर कम्पोनेन्ट है। इसलिये बाड़मेर जिले में एकदम स्वीकृत कराके पंचायत समिति के मार्फत इस प्रकार के काम जल्दी से जल्दी प्रारम्भ किये जायं, इस प्रकार के सरकार कदम उठाने जा रही है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य बाड़मेर से आने वाले जब चैत्री के मेले में जायेंगे और दूसरी जगह जायेंगे तब तक इन 196 कामों को प्रारम्भ कर देंगे और आपके कपड़े फाड़ने वाली स्थिति से बचाने का मैं हर सम्भव प्रयत्न करूंगा।

यहां पर चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने टैंकर की बात कही। कुछ टैंकर जोधपुर आ गये हैं। पुराने टैंकर कुछ खराब हो गये हैं और इसलिये हमने पी० डब्ल्यू० डी० को साढ़े तैंतीस लाख रुपये इस बात के दिये थे कि उनका जो मैकेनिकल डिवीजन है वह उन टैंकरों को रिपेयर कर दे। इसके लिये वहां पर 12-13 टैंकर आये हैं। मैं उनकी रिपेयर के सम्बन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा)

विभागीय अधिकारियों से पूछ रहा था। जल्दी ही मरम्मत कराके आपके पास भेजेंगे। इसके साथ ही इस साल नये टैंकर खरीदने की बात सोची है। इस साल 52 लाख के नये टैंकर खरीदने की बात है। 17 टैंकर और खरीदे जा रहे हैं। खरीद लिये गये हैं उनकी बॉडी बन रही है। जल्दी ही बाड़मेर के शिड्यूल्ड गांवों, जहां लोग होस्टाइल है, में नये टैंकर भेजकर पानी सुलभ कराने का प्रयत्न कराया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इनके चौहटन में एक सेक्टर तो बहुत कम है, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा।

अनेक माननीय सदस्य : टैंकर, टैंकर।

श्री उपाध्यक्ष : टैंकर, I am Sorry। पानी का टैंकर।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, 29 टैंकर आवंटित किये गये थे उनमें से 11 टैंकर की रिपेयर हो रही है। मुझे ऐसा बताया गया है, एक रिपेयर होना सम्भव नहीं है क्योंकि बहुत खर्चा है, 18 टैंकर वहां पर काम कर रहे हैं। हो सकता है जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक टैंकर भी नहीं हो या एक टैंकर हो।

अनेक माननीय सदस्य : चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य के टैंकर हमने रिपेयर करने को दिये थे। नये टैंकर तैयार हो जायेंगे तो उसके बाद मान लीजिये कि निश्चित तौर पर टैंकर की संख्या बढ़ायेंगे। लेकिन बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे, संवत् 2025 के अन्दर जिस वक्त एक भी जगह पाइप लाइन की योजना नहीं थी, एक भी जगह टैंकर नहीं था, एक भी जगह ट्यूब वैल स्कीम नहीं थी, एक भी जगह हैण्ड पम्प नहीं थे, उस समय पर्याप्त टैंकर नहीं लगाये गये बहुत कम टैंकर लगाये गये थे। लोग भी आराम तलब हो गये हैं। लेकिन दो सौ और कुछ गांवों में पानी की व्यवस्था बाड़मेर जिले में की जा चुकी है। संवत् 25 में पहली दफा जो शीट तैयार की गई थी उसके मुकाबले आज टैंकर की संख्या ज्यादा है। आने वाला समय पानी की किल्लत का है। अप्रैल, मई, जून में बहुत बड़ी पानी की किल्लत होगी, उस समय निश्चित तौर पर हम टैंकर की संख्या बाड़मेर जिले में बढ़ा देंगे।

यहां यह बात कही गई, गडरा रोड से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनके वहां जो दो ट्यूब वैल खोदे गये हैं उनसे बिजली की लाइन केवल सौ फीट दूर है उस लाइन से उनको कनेक्शन दे दिया जाता है तो पानी जो दूर-दूर से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका बहुत बड़ा खर्चा बच जायेगा। मैं इस प्रकार के आज ही आदेश

(श्री परसराम मदेरणा)

दे रहा हूं बिजली विभाग को, इन दोनों कुओं पर कनेक्शन बिजली का कर दिया जाये।

यहां एक बात पिवाई के सम्बन्ध में चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। पिवाई जो आप चालीस रुपये दे रहे हैं प्रति कुआं, वह सार्वजनिक कुए की कम है। वह 80 रुपये होनी चाहिये। अगर 80 रुपये नहीं होती है तो उस चालीस को बन्द कर देना चाहिये। मैं यह देखूंगा, पचास रुपये से ज्यादा पिवाई देने का प्रावधान अभी तक राज्य सरकार का नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं आज से दस साल पहले करीबन 25 रुपये से ज्यादा पिवाई नहीं थी, बढ़ते-बढ़ते महंगाई को देखते हुए 50 रुपये कर दी गई, लेकिन 50 से अगर काम नहीं चलता है तो यह बात सोचेंगे। पचास रुपये की सरकारी मदद मिल जाती है तो कुछ गांव के लोग कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है, चौहटन वाले माननीय सदस्य जानते हैं फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में, पूरा का पूरा पैसा सरकार से लेने की आदत पड़ गई है। इस सम्बन्ध में थोड़ा हम भी कन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पचास रुपया, मैं समझता हूं, नॉन प्लान का खर्चा है, सरकार के बजट पर इसका भार पड़ता है। क्योंकि प्लान का जो पैसा मिल रहा है उसमें भी प्लान में कटौती पांच साल में होने वाली है। कोई मुफ्त में भारत सरकार नहीं दे रही है, यह जो पैसा दे रही है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था इस संबंध में मैं अभी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। एक बात और कही, फेमिन के एक्स. ईएन. के अलग डिवीजन आपने क्यों स्थापित नहीं किये। एक्स. ईएन. के डिवीजन का साढ़े सत्रह हजार के ऊपर लेबर हो जाता है तो एक और डिवीजन वहां पर निश्चित तौर पर स्थापित किया जाना चाहिये, लेकिन राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसा समझा गया कि जहां भी पी०डब्ल्यू०डी० के स्टाफ का इतना काम नहीं है और प्लान के अन्दर कम खर्चा है तो स्टाफ को वहां ट्रांसफर कर दिया जाय जहां राहत के ज्यादा काम चल रहे हैं। इसलिये डिवीजन के सम्बन्ध में हमारी मजबूरी है, हम यह नहीं कर सकते। अभी जो लेबर लगा हुआ है बाड़मेर में, जैसा मैंने बताया कि 29 हजार लगे हुए हैं केवल उसमें पांच ही कम हैं इसलिये 29 हजार ही कह कर चलना चाहिये। 29 हजार में से कुछ इरिगेशन पर भी है, कुछ दूसरे कामों पर भी हैं और अभी जो नालियां खुदेगी, पूरे के पूरे पंचायत समितियों के ओवरसियर लगे हुए हैं उनके मार्फत इस काम को कराना चाहते है, इसलिये डिवीजन की हमको आवश्यकता नहीं है। पंचायत राज संस्थाएं भी नालियां खुदवाने के काम में दिलचस्पी लेकर के उसकी देखरेख और मॉनिटरिंग कर लेंगी। यहां पर फर्जीवाड़े के सम्बन्ध में इन्होंने बात कही कि डिवीजन नहीं लगाओ तो फर्जीवाड़ा होता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

फर्जीवाड़ा डिवीजन लगाने के बाद भी हो सकता है। ज्यादा मजदूर लगाओ तो भी फर्जीवाड़ा निश्चित तौर पर होगा। यह आदत बिगड़ी है, सं० 2025 में, दो लाख मजदूर लगाने के बाद फर्जीवाड़े की शुरूआत हुई है। आप कह रहे हो फर्जीवाड़े के लोग मस्टर रोल लिये चारों तरफ घूमते हैं और रात दिन कपड़े फाड़ते हैं कि आप मस्टर रोल दिलवाइये। तो ऐसे फर्जी आदमियों को आप भी आइडेंटिफाई कीजिये ताकि उनको मस्टर रोल नहीं मिले और जैनाइन आदमियों को मिले, जो काम पर जाना चाहते हैं। इसलिये जितने काम कम होंगे उतना ही कम फर्जीवाड़ा होगा और जितने काम ज्यादा खुलेंगे उसमें फर्जीवाड़े की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उचित समझा है कि अबकी बार काम ठीक-ठाक चले तो फर्जीवाड़ा न हो। फर्जीवाड़ा कोई जान-बूझकर करना नहीं चाहता है लेकिन जब काम होते हैं तब तो कोई बोलते नहीं हैं और काम समाप्त होने के बाद कहते हैं कि उस रोड पर फर्जीवाड़ा हो गया। तो उस वक्त आपने क्यों चुप्पी साध ली थी जब काम चल रहा था? इसलिये जो बीमारी वहां पर है उसको तुरन्त मिटाने के लिये एक्शन लिया जाय वह बात उस वक्त नहीं की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं जितनी भी फर्जीवाड़े की बातें आती हैं और आपको पता चलती हैं, आप उन लोगों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते तो मुझे बताइये। मैं नाराजगी मोल लेने के लिये तैयार हूं। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उनको रोड के नजदीक नहीं आने दिया जायेगा। माननीय तिवाड़ीजी ने जो बातें कही, वे बातें काफी बुद्धिमतापूर्ण और दूर-दर्शिता की बातें थीं। इन्होंने एक बात कही कि राजस्थान नहर योजना को वहां पर क्यों नहीं लाया जा रहा है, आपकी तरफ, ताकि वहां पर इरिगेशन हो सके, इरिगेशन नहीं हो तो पीने के पानी की किल्लत तो मिटे। कल जो डिमाण्ड आ रही है राजस्थान कैनाल की, उपयुक्त होगा कि इस बात को आप आर. सी. पी. मिनिस्टर के सामने रखें क्योंकि जिस जी. टी. शीट की बात आप कर रहे हैं वह आपको ही नहीं दिखाई है, वह मैंने भी देखी है। मुझे मालूम नहीं कि जी. टी. शीट का मामला इतना बढ़ गया है, जनता के प्रतिनिधि को जी. टी. शीट दिखाने में तो कोई बात नहीं है। वह तो कुल मिलाकर प्रिंटेड नक्शा है वह देखने को मिलना चाहिये। मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि आपको जी. टी. शीट दिलवाई जाय। आपने कहा कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है और सभी जिलों में बराबर अकाल घोषित कर देती है। मेरा निवेदन है, अकाल घोषित करने का मापदण्ड होता है। अब फसल क्षतिग्रस्त हो जाये तो उस जिले को, गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाता है चाहे राजस्थान का कोई भी जिला हो। आज

(श्री परसराम मदेरणा)

खरीफ की फसल 25 प्र श. नष्ट हो गई। आपने कहा, क्योंकि यहां रोज अकाल नहीं पड़ता है इसलिये भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर में तो अकाल घोषित न कीजिये। वहां पर भी दूसरा या तीसरा तीसरा साल चल रहा है इसलिये वहां पर उन जिलों में पक्षपात का प्रश्न नहीं है उनके साथ अन्याय होने की हर सम्भावना है। दूसरा, आपने कहा कि सरकार इस दोहरी नीति को समाप्त कर दे। कोई दोहरी नीति नहीं है, एक ही नीति है 50 फीसदी फसल नष्ट हो गई उसको अकाल-ग्रस्त घोषित किया जायेगा, उस गांव को अकालग्रस्त घोषित किया जायेगा। लेकिन जहां तक काम खोलने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कोई पक्षपात नहीं किया गया। जिन जिलों में इस साल अकाल की भीषणता या विभीषिका, इंटेसिटी या सिवियरिटी कम है वहां तो काम खोले ही नहीं गये। उन जिलों में जहां सिवियरिटी ज्यादा है वहां पर काम खोले गये हैं। इसलिये कुछ जिलों में तो काम ही प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, कई जिलों में नहीं किये गये हैं। हो सकता है, 10 जिले होंगे।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा।

श्री परसराम मदेरणा : भीलवाड़ा भी और पाली भी है। इनके संबंध में भी निवेदन करने वाला हूं। यहां और तो नहीं लेकिन एक माननीय सदस्य ने और खास तौर से चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया कि जोधपुर और पाली में आज आपने 35-35 हजार मजदूर लगा दिये जबकि पाली और जोधपुर में....

(व्यवधान)

पांच साल से तो यहां जोधपुर में भी अकाल है।

श्री महाराम चौधरी : नागौर के गांवों में भी है।

एक माननीय सदस्य : पाली में भी अकाल है।

श्री परसराम मदेरणा : पाली में भी अकाल है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि आबादी को देखते हुए, सिवियरिटी को देखते हुए, जिले बड़े हैं इस हिसाब से भी देखते हुए यह सोचा गया था कि उदयपुर, बाड़मेर, पाली जोधपुर और जहां सिविसरिटी ज्यादा है ..

एक माननीय सदस्य : जालौर में भी, चार पांच साल से अकाल है।

श्री परसराम मदेरणा : वहां तो है, मालूम है। इसलिये वहां पर लोगों की आर्थिक हालत क्या है यह भी देखने की बात आती है। कुछ एरियाज में आप देखेंगे, आज नागौर से आने वाले माननीय सदस्य, नागौर, नागौर कर रहे थे लेकिन नागौर का एक ही पोर्शन जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब

(श्री परसराम मदेरणा)

है, दूसरे इलाके मे इतनी खराब नहीं है। यह निश्चित बात है कि बाड़मेर और जैसलमेर के रूरल एरियाज के लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब है। इसको देखते हुए लेबर की संख्या निर्धारित की जानी चाहिये। इसलिये जोधपुर में जो अभी लेबर लगा हुआ है....

श्री भगवानदास डोसी : माननीय मंत्री महोदय, जोधपुर में ही नहीं, जालौर में भी हालत खराब है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात सुन लीजिये। आप बार-बार बीच मे नहीं बोल सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अगर मैं कोई दूसरी बात कह रहा हूं, एक बात की ओर तो आपने ध्यान दे लिया कि सीलिंग बराबर रहा है। निश्चित तौर पर हमने सीलिंग बराबर रखा है। सीलिंग की बात कहते है तो मैं आज एक ही नहीं 13 साल के आंकड़े बता सकता हूं उन जिलों में वर्स्ट फेमिन रहा है उस समय जोधपुर पाली में क्या स्थिति रही है। मैं सम्वत् 25 और 26 की बात करता हूं, आपके यहां बाड़मेर में ज्यादा मजदूर लगे हुए थे, जितने उन जिलों में लगे हुए थे उनसे। अगर आज से 13–14 साल पहले सिवियरिटी की वही स्थिति थी तो आज उससे कम कैसे हो गई? इसलिये आज लेबर लगा हुआ है, सीलिंग बराबर रहा है। सीलिंग बराबर रखने के बाद, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि वहां लेबर 10 हजार से कम है और आज जोधपुर में करीबन 26 हजार लेबर लगी हुई है और आपके यहां पर 29 हजार में से पांच ही कम हैं। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि बाड़मेर में विभीषिका है और इन 196 कामों के स्वीकृत होने के बाद में अप्रेल, मार्च में, अभी प्रावधान हमारे पास होगा और उस वक्त 289 हैड के नीचे नॉन प्लान वर्क्स की भी सैंक्शन कर सकेंगे ताकि लोगों को आने वाले 2–3 महीनों में ज्यादा राहत दे सकें।

चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य को एक बात का दुख था कि मार्च महीने में यह बात कही गई कि हम आपको काम देंगे तो लोग हमको कहते हैं कि काती मैं यह बात क्यों नहीं बताई? आपको काती में बतानी चाहिये थी ताकि हम उनको रोके रखते कि यहां से जाना मत, हम काम यही पर खोलते रहेंगे। आज लोगों को जाना चाहिये। लोग अहमदाबाद जाना चाहते है और चौहटन से मवेशी लेकर गुजरात में गये हैं। तो अकाल पड़ जायेगा, यह बात सरकार में आने वाले माननीय सदस्य, दूसरे माननीय सदस्य करते रहे हैं,

(श्री परसराम मदेरणा)

सदन में दूसरे उपयोगी और यूनिसिटी वर्क्स की बात करते रहे हैं। आज भाखरा पुल हिन्दुस्तान का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पुल है जिसकी उस वक्त पांच करोड़ की लागत थी आज सौ करोड़ लगा रहे हैं। इसी प्रकार 15-20 दिन में ही गांधी सागर की चिन्ता का विषय आ रहा है. पल मिनिस्टर के सामने इसलिये जितने भी बान्ध आप सोच लीजिये अगर बरसात नहीं होती है तो निश्चित रूप से चाहे बड़े हों, चाहे माइनर इरिगेशन के हों पूरे नहीं भरते हैं। कई वर्ष पहले जवाई बांध भरा था लेकिन एक साल इतनी बरसात हो गई जब कि पहली बार 1977 में जवाई बांध के गेट खोलने पड़े थे। इसी तरह अभी जोधपुर में पीने के पानी की ही किल्लत हो गई है। इसलिये अपने हिन्दुस्तान में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बरसात कितनी होती है, कंचमेंट एरिया में कितनी बरसात होती है और कितना स्टोरेज बांध में होता है जिससे अकाल की विभीषिका को कम किया जा सकता है। बरसात ही नहीं हो तो क्या करें। यह स्थिति आज यहां पर ही नहीं है अभी पिछले साल वेस्ट जर्मनी में और दूसरी जगह, जो बहुत संपन्न देश हैं स्वीडन वगैरह में जहां साल में 8.9 महीने बरसात होती है, बरसात न होने की वजह से अकाल पड़ गया और खड़ी फसल सूख गई। इस साल अकाल पड़ गया है। खड़ी हुई फसलें सूख गई हैं। यह स्थिति रहती है। हिन्दुस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, यहां की जो 6 ऋतुएं हैं. वे अजीब तरह से प्रभाव डालती है हमारी बरसात पर और दूसरे मामलों पर। इसलिये यहां पर यह कह देना कि सभी काम अकाल से सम्बन्धित हैं, यह उचित नहीं है। अभी पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आजादी आये 35 साल हो गये है क्या किया ? मै एक बात कह रहा हूं 1981 में सेन्सल हुई। इस सेन्सल में जो आबादी बढ़ी है पूरे हिन्दुस्तान की उसमें राजस्थान की बढ़ी है 32 प्रतिशत और रेगिस्तानी जिलों की बढ़ी है 42 प्रतिशत और बाड़मेर की बढ़ी है 44 प्रतिशत। तो आप यह बढ़ाते जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमीन खां : पाकिस्तान से शरणार्थी आये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शरणार्थी अपना होम एण्ड हर्ट छोड़ करके आते हैं हिन्दुस्तान के टुकड़े होने के बाद कुछ माइनोरिटीज में लोग हैं वे आते हैं उनको हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि आबादी भी बढ़ी हैं और जोधपुर से ज्यादा बढ़ी है। इसलिये मुझे आश्चर्य हो गया था ?

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि रेगिस्तानी जिलों में काफी बड़ी संख्या में जो काश्तकार खेती करते हैं वे पशुपालन भी करते हैं। पशुओं के लिये पहले जितने भी

(श्री परसराम मदेरणा)

चरागाह थे, खाली जमीन पड़ी थी, बढ़ती हुई आबादी के बाद में चाहे कितना ही रकबा हो, आज लोगों ने वहां पर जमीन नहीं छोड़ी है। वहां पर लोग पहुंच गये है शिव की तरफ जाकर खेत ले लिये हैं। इसलिये जिन जिन गांवों में एक लाख रकबा से कम नहीं था, आबादी बढ़ने के बाद में उन गांवों के अन्दर खाली जमीन 50 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा तो क्या एक बीघा का टुकड़ा नहीं मिलने का है। इसलिये चरागाह डवलप नहीं हुए। वहां पर पशुधन को बचाने की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। इस समस्या के सम्बन्ध में इतना निवेदन करूंगा कि जो हालात हैं, उस हालात में कितने पशु रखे जायें। क्योंकि रेगिस्तानी इलाके के अन्दर नस्ल अच्छी है, अच्छी नस्ल के समान खराब नस्ल भी बहुत है। अच्छी नस्ल खरपारकर बहुत कम जगह होगी। क्रॉस ब्रीडिंग की जो नस्ल है, उसकी कीमत कम है। इसलिये अपने को देखना यह पड़ेगा कि अच्छी नस्ल थोड़ी संख्या में नहीं रहेगी तो आने वाले 10-15 सालों के अन्दर हमारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाने वाली है। बढ़ती हुई आबादी के साथ में एक बीघा जमीन नहीं छोड़ी है। आप जानते हैं रेगिस्तानी इलाके में हर तीसरे साल खेत को खाली रखते थे। हर आदमी के पास दो तीन खेत होते थे और हर तीसरे साल में उनमें से एक को खाली रखते थे ताकि खेत नया हो जाये। उसकी जो नेचरल फर्टिलिटी है वह वापस रोस्टर हो। जमीन को समय नहीं मिलता, उत्पादन कम और चरागाह रहे नहीं, यह स्थिति है। इस पर माननीय सदस्य, जो इस सदन में पहली बार चुनकर आये हैं, को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ में इतना ही निवेदन करूंगा कि निश्चित तौर पर जो राहत के काम में कमी है, उसकी पूर्ति की जाएगी और जल्दी ही इस महीने में काम खोले जायेंगे।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात भूल गया था। यह जो ठेकेदारों को काम दिया जाता है उसको बंद कर दिया यह ठीक है। मेरे क्षेत्र में चार सड़कें हैं जिनके लिए मैंने आपके एस० ई० को लिख कर दिया है। उसकी साइट पर एक फीट नीचे जमीन में ग्रेवल है। टेण्डर देने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेन्ट हमारा कहना मानता नहीं है। वे टेण्डर के जरिये सड़क बनाना चाहते हैं। रामसर से खारची, गुंगा से जागड़ाकलां, गुंगा से धारमी कलां, राणासर से भीलों की ढाणी, रायरा से जेतड़ा, ये सड़कें ऐसी हैं जिनके ग्रेवल साइट में मिट्टी एक फीट नीचे निकलती है। उनका टेण्डर करने की जरूरत नहीं है। यह डिपार्टमेन्ट वाले कमाई कैसे करेंगे....

श्री परसराम मदेरणा : यह जो प्रश्न है, ग्रेवल किस क्वालिटी का है और अच्छा ग्रेवल है तो मैं अभी आदेश दे रहा हूं कि

(श्री परसराम मदेरणा)

वहां पर काम प्रारम्भ कर दिये जायें और ग्रेवल नहीं डाला जाये ।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो-तीन प्रश्न पूछने थे । एक तो अभी आपने क्लियर कर दिया । मैं यह कह रहा था, गांवों के अन्दर जो सड़क का काम चल रहा है, प्रत्येक गांव के 15/20 ट्रैक्टर उपलब्ध हैं । क्या ही अच्छा हो अगर आप यह सब काम ट्रैक्टर के माध्यम से करें ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, ट्रैक्टर पर लाखों रुपया खर्च हुआ है, उन लोगों को ठेकेदारों से बचाया जा सके और उनको राहत मिल सके, एक तो यह है ।

दूसरा मेरा, मंत्री महोदय, यह निवेदन है कि आपने चारे की व्यवस्था पंचायतों को देने की बात कही है । यह बात करते करते, मंत्री महोदय, तीन, चार महीने हो गये हैं । पंचायतों के पास पैसा नहीं है । इतना लेट, इतने दिनों के बाद में अगर आप चारा उपलब्ध कराएंगे तो वे कब लायेंगे । आखिर पशु को जिन्दा रखना है । इसका आर्डर आप को इमीजिएटली देना चाहिये । चारे के अभाव में पशु मर रहे हैं । यह अनाज नहीं है कि दिल्ली से मंगवा लिया, जयपुर से मंगवा लिया । यह चारा हरियाणा से लाना पड़ेगा, पंजाब से लाना पड़ेगा । यह व्यवस्था आपको इमीजिएटली करनी चाहिये । इसमें टालमटोल करते हैं । फाइनेन्स की बात करते हैं, इसमें लगता क्या है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अतिशीघ्र पंचायतों को जो आपने राशि देने की घोषणा की है, उसकी टालमटोल न करके एक डेट तय कर दें । यह व्यवस्था कर दें ।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो आपने प्लान वर्क और नान प्लान वर्क की बात कही है, यह आप एक अप्रेल के बाद में करेंगे । जहां तक जोधपुर, बाड़मेर की बात है वहां सारी रोड बनी हुई हैं । वहां ग्रेवल है । रोड पर मैटीरियल पड़ा हुआ है रोड की कुटाई हो गई है । मेरे इलाके के अन्दर या जोधपुर के अन्दर जो आपने 10-15 रोड्स मन्जूर की हैं वहां पर रोड कम्पलीट है । वहां और मैटीरियल लगाने की जरूरत नहीं है । यहां से स्वीकृति दे रहे हैं । कागजों में जब पढ़ेंगे, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे लूणी के अन्दर 20 रोड्स मन्जूर कर दी हैं । परन्तु एक मजदूर उन पर लगाने की स्थिति नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो तालाब खोदने की बात है उसको युद्ध स्तर पर आप करेंगे । जो नान प्लान की बात है, जो ऐसी रोड है, जो गांवों को मिलाती है और जहां पर लेबर ज्यादा लग सकती है वहां पर काम शुरू करें, क्योंकि हमारे जिले में 5-6 महीने से लोग इन्तजार कर रहे हैं । आप काम नहीं खोल रहे हैं । आपकी फाइनेंशियल स्थिति नाजुक है । आप टालमटोल न करके अतिशीघ्र इसकी घोषणा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल ।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरी कान्स्टीट्यूएंसी की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस चर्चा के अन्दर सारी जोधपुर बाड़मेर की ही चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि जालौर में और दूसरे क्षेत्रों में स्थिति इतनी ही खराब है। अभी मैं पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव में गया था, वहां पर 500-500 मजदूर आकर के डाक बंगले में बैठ गये। बड़ी मुश्किल से उनको किसी तरह से सान्त्वना देकर आया। वहां पर अभी तक काम नहीं खोले गये हैं। जो पहले कार्य चल रहे थे वह भी काम बंद कर दिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि जोधपुर बाड़मेर की तरह जालौर की भी हालत अच्छी नहीं है, बिलकुल उनसे खराब है। जहां पर पचास प्रतिशत फसल पैदा नहीं हुई वहां आप अकाल मानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जालौर में भी इतना ही खराबा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी फर्माया कि टैंक मोल लेंगे। मेरा निवेदन यह है कि गत वर्षों में मिलिट्री से टैंक उधार लिये जाते रहे हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि मिलिट्री से जल्दी से टैंक मंगा लें तो यह समस्या हल हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, आप।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण हो गया। माननीय सदस्य ..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बहुत इम्पार्टेंट सूचना दे रहा हूं....

(व्यवधान)

मेरी सुनें पहले कोई नोट नहीं होगा....

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह....

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना था बोल लिये।

(व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अमलाराम चौधरी : मेरा विनम्र निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति नहीं दूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। बैठ जाइये। माननीय सदस्य बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : एक प्रश्न पूछने दें....

दलीय स्थिति
प्रगतिशील दल के सदस्य
कांग्रेस (आई) दल में सम्मिलित

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रगतिशील दल के निम्नांकित विधायक कांग्रेस (आई) में शामिल हो गये हैं :

(1) श्री मोहनलाल मोदी नीम का थाना
(2) श्री रतनलाल ताम्बी जहाजपुर
(3) श्री सुन्दरलाल सूरतगढ़
(4) श्री कनकराज मेहता सांचोर
(5) श्री शोवदान सिंह चिड़ावा
(6) श्री भरतलाल गंगापुर
(7) श्री शिवसिंह रावत बाड़ी
(8) श्री बाबूलाल कठूमर
(9) श्री भंवरलाल सुजानगढ़
(10) श्री दीपचन्द सादुलपुर

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पाइन्ट आफ आर्डर,....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है, श्रीमान।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, ठहरिये। आप बैठ जाइये।

अनुपूरक अनुदान की मांगें 1981-82
(द्वितीय संकलन) का उपस्थापना

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1981-82 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह, एक याचिका स्थापित करेंगे।

याचिका का उपस्थापन
बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम डाबड़ बेंघड़ा-हाफिया में क्षेत्रीय नल योजना

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं जिला बाड़मेर की तहसील शिव के ग्राम डाबड़-बेंघड़ा हाफिया में क्षेत्रीय नल योजना प्रारम्भ करवाने से सम्बन्धित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

निम्नलिखित मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी :-

(1) सामुदायिक विकास (2) सहकारिता।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रभारी मंत्री, श्री शीशराम ओला....

व्यवस्था का प्रश्न

दल परिवर्तन कराने वाले सदस्यों का परिचय

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री शीशराम ओला : मैं उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट ठहरिये, मंत्री महोदय।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा.

श्री उपाध्यक्ष : अरे, पहले उनका है।

(व्यवधान)

नियम बतायें पहले....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी व्यवस्था ही बता रहा हूं। सदन की यह परम्परा रही है कि यदि मंत्री मंडल में परिवर्तन होता है या कोई सदस्य दूसरे दल में जाता है उनको खड़ा करके उनका परिचय कराया जाता है। ये सदस्य कांग्रेस को हराकर जीते हैं और × × × कांग्रेस में जा रहे हैं, × × × ये कांग्रेस (आई) में आ रहे है, × × × इसलिये इनको खड़ा करके इनकी शक्ल दिखाना जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि × × ×

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : राजस्थान की जनता के साथ....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दी है, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, मैं खड़ा हूं। आप सब उन माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये मैंने उनके नाम बोल दिये हैं वह काफी हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष : आर्डर** प्लीज। आपको इसका क्या दर्द है वे किसी भी पार्टी में नहीं थे अब एक पार्टी में आ गये हैं। आपकी पार्टी से तो नहीं गये है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यह जनता के साथ × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : + + +

+ + + माननीय उपाध्यक्ष के आदेश से अंकित नहीं किया गया

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री देवीसिंह भाटी : + + +

श्री दुलाराम : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर।

श्री देवीसिंह भाटी : + + +....

श्री उपाध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

हां, आपका पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर क्या है?

श्री दुलाराम : मेरा यह निवेदन है कि..

(व्यवधान)

सुन तो लें, भाई, हल्ला न कर सी। मेरा यह निवेदन है कि इसी सदन के अन्दर भूतपूर्व जनता पार्टी के राज के अन्दर चार प्रगतिशील दल के सदस्यों को मिलाकर तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री भैरोंसिहजी ने एक सदस्य को मंत्री बनाया था तब हाय-हाय नहीं हो रही थी अब हाय हाय कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राल राइट।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : उनकी सरकार डूब रही थी इसलिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : चार आदमी लिये थे उस समय नहीं हुआ था दलबदल....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। बैठ जाइये, मेरे उपर छोड़ दें।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। श्री शीशराम ओला।

श्री दुलाराम : आपकी पार्टी तो है ही × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य फिर मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। कोई सदस्य नहीं है जो इस तरह से अनुशासन भंग करता है।

(व्यवधान)

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 36-सहकारिता

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री पंचायत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,85,38,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

+ + + माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मन्त्री, सहकारिता) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,10,33,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बैठे बैठे बोलने की परम्परा नहीं रही है। मैं खड़ा होकर बोलता हूं। आपको अनुमति लेनी चाहिए बोलने लिए, मैं बैठे बैठे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। अगर बाधा उत्पन्न करेंगे तो मैं अनुशासन की कार्यवाही करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

पद त्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बर्दाश्त हो गया है, माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मिस्टर देवीसिंह बाहर निकल जाइये—

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां निकल जाइये आप, बाहर निकल जाइये, बहुत बर्दाश्त हो गया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : ये नहीं जायेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : यह क्या हो रहा है....

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं दो दफा कह चुका हूं नाम लेकर बहार निकलने के लिये कहा और आपने फिर भी अपना रवैया बदला नहीं है। आपने....

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे हाउस चलाना आता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : हमें इस बात की खुशी है कि आपके मुकाबले में कोई हाउस नहीं चला सकता है....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदेश वापस लिया मैंने।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप जब कुर्सी पर बैठते हैं, तो जितने नौजवान सदस्य हैं...

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर आपका है।

श्री महाराम चौधरी : मांगों पर मेरे को पहले पुकारना।

श्री नाथूसिंह : मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप हाउस बड़ी अच्छी तरह से चलाते हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, जब सदन में कोई मंत्री रिजाइन करता है तो उस रिजाइन का कारण बताता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल कोट करता हूं, आपको। इसी तरह से कोई माननीय सदस्य जब....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया, आप बैठ जाइये।

श्री नाथूसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात ..

श्री उपाध्यक्ष : मैं वकील हूं, भाई, सब समझता हूं।

श्री नाथूसिंह : आप समझते हैं, इसलिए बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मंत्रियों का त्यागपत्र और बात है और कोई माननीय सदस्य इण्डिपेन्डेन्ट होने की हैसियत से जीत कर आये, वह किसी दल में शरीक होता है तो वह बात और है। इसके अलावा उन माननीय सदस्यों को एक-एक करके बुलवा दिया गया है, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बयान दे दिये घड़ी घड़ी में यह बात उठायी नहीं जा सकती है। आपका जो पाइन्ट ऑफ आर्डर या कोई और जोर भी है, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय का ख्याल रखिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं।

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न और है।

Page No 132

(133)

श्री उपाध्यक्ष : बात महत्वपूर्ण होगी तो मैं वाकई आपको समय दूंगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : ×××

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एम. पी. हैं आप ।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास एवं मांग संख्या 36 सहकारिता

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7 करोड़ 85 लाख 38 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारी मंत्री । श्री रामपाल उपाध्यक्ष । मांग संख्या 36 ।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप मंत्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25 करोड़ 10 लाख 33 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानूराम ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट शुरू हो, इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम ले लिया ।

श्री नाथूसिंह : सवेरे आसन की तरफ से व्यवस्था हुई थी । उपाध्यक्ष महोदय, जब एक मंत्री....

श्री उपाध्यक्ष : सवेरे की बात सवेरे गयी ।

श्री नाथूसिंह : मैं कहना चाहता हूं वह सुनिये । आज पूरा प्रशासन ठप्प हो रहा है, बोर्ड की परीक्षाओं में घपले हो रहे हैं, उसमें आसन की तरफ से व्यवस्था हुई थी कि मुख्य मंत्रीजी बयान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : वे देंगे, आप बैठ जाइये, मालूम है ।

श्री नाथूसिंह : देंगे ना ?

मांग 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

(134)

166

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. पंचायत समितियों को सशक्त बनाने के लिये उन्हें और अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. पंचायतों की जनसंख्या निर्धारित करने हेतु नियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रभावी कार्यक्रम बनाने एवं एक पंचायत में एक ग्रूप सचिव लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

4. पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने एवं आय के स्रोतों को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

5. सामुदायिक विकास में उत्पन्न गतिरोध को समाप्त कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

6. पंचायतों को अधिक शक्ति प्रदान करने एवं घासा पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच करने की चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

7. भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

8. सामुदायिक विकास के प्रगति विवरण सही घोषणा के अनुरूप नही होने की चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

9. जिला जैसलमेर की पंचायत समिति का विभाजन कर नई पंचायत समिति फतेहगढ़ बनाने व जिला बाड़मेर की ग्राम पंचायत – बुठीया – पाधीकापार– गंगारिया और कन्टलकापार पंचायतों को बाड़मेर समिति से निकाल कर शिव में मिलाने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

10. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

11. सामुदायिक योजनाओं एव उनके कार्यक्रमों की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

12. विकास विभाग एवं पंचायत समितियों की जीप का उपयोग विधायक को भी देने हेतु चर्चा के लिये।

13 पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

14. पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

15. पंचायत राज की दयनीय दशा सुधारने के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

16. राज्य सरकार पंचायतों को संसाधन जुटाने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर)

17. ग्राम पंचायतों को अनुदान की कम राशि दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

18. पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. पंचायत समिति के अधीन संचालित स्कूलों में समुचित साधन उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

20. पंचायत समिति केशोरायपाटन क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

21. पंचायत एवं पंचायत समितियों को अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

22. पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को अधिक अधिकार देने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

23. सामुदायिक विकास योजनाओं का उचित प्रकार से क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

24. उपनिवेशन क्षेत्र की पंचायतों को सशक्त बनाने व आर्थिक दृष्टि से सबल

(श्री देवीसिंह भाटी)

बनाने के लिये 25 बीघा नहरी भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. राजस्व वसूली ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

26. पंचायतों को नगरपालिकाओं के समकक्ष अनुदान दिलाये जाने व विकास योजनाओं की क्रियान्विति हेतु और अधिकार देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

27. पंचायत समिति आबूरोड को आवन्टित सीमेन्ट में 210 बोरियों का घोटाला होने पर चर्चा के लिये।

28. पंचायत समिति गोगुन्दा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

29. कोलायत तहसील के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

30. जिला परिषद् एवं ग्राम पंचायतों को किन-किन विभागों के अधिकार किस-किस सीमा तक किये जाने प्रतावित हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

31. ग्राम पंचायतों के नागरिकों के लिये नहाने के घाट आदि बनाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

32. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के स्कूल भवनों की व्यवस्था करने के लिये सरकार आवश्यक कदम उठाने में असफल रही है तथा अनेक स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

33. बीकानेर में प्रधानों, सरपंचों का सम्मेलन होने के पश्चात् भी पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार आज तक देने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा)

34. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में स्टॉफ की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

35. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से गांवों का विकास करने में सर-

(श्री बाबूलाल बैरवा)

कार की असफलता बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबरड़ (परबतसर)

36. परबतसर पंचायत समिति के क्षेत्र में पंचायतों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

37. पंचायत व पंचायत समितियों को सक्षम किया जाये जिससे विकास कार्य तेजी से चल सकें, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

38. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्य हेतु सहयोग नहीं देने पर चर्चा के लिये ।

39. राज्य सरकार द्वारा पंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों को ग्रामीण विकास के लिये पूरा अधिकार नहीं देने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

40. कोटा जिले को पीपल्दा कलां पंचायत की बैठकें विधिवत् नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

41. पंचायत समिति इटावा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (लाडनूं)

42. ग्रामों में सामुदायिक विकास में तेजी लाने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

43. पंचायत समिति चेचट में पोषाहार केन्द्र प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

44. गांवों में सड़क, बांध व अन्य विकास कार्यों को उनके सम्बन्धित विभागों से न कराकर जिला परिषद् एवं पंचायतों के माध्यम से कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री भालू खां (चूरू)

45. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

46. पंचायत समितियों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

47. ग्राम सेवकों को सचिव कम ग्राम सेवक पद से अलग करने के सन्दर्भ में और ग्राम सेवकों के कार्य कलापों पर पूर्ण नियन्त्रण के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

48. सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में माडा योजना के तहत जिन ग्रामों का चयन किया है उन्हें सही राहत न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. माडा योजना के तहत सुल्तानपुर पंचायत समिति क्षेत्र के अनेकानेक ग्राम मीणा बाहुल्य होते हुए भी माडा योजना में न ले पाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल)

50. जिला भीलवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र माण्डल की माण्डल नगरपालिका के विकास की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा)

51. पंचायत राज संस्थाओं को और नये अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

52. विकास खण्डों में वर्षों से कार्यरत स्टाफ के स्थानान्तरण के न होने के कारण व्याप्त अनुशासनहीनता के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

53. प्रत्येक पंचायत में एक सचिव नियुक्त करने व पंचायत समितियों व जिला परिषदों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

54. पंचायतों में ग्रुप सचिवों की नियुक्ति तथा पंचायतों को और अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

55. पंचायत समिति एवं जिला परिषदों को सशक्त बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

56. प्रत्येक पंचायत में एक सामुदायिक केन्द्र खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

57. पंचायतो एवं पंचायत समितियों का आबादी के अनुपात से सुनियोजित तरीके से क्षेत्रफल निर्धारित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

58. पंचायत समिति की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति नही होने व अन्य विकास कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

59. प्रत्येक पंचायत में ग्रुप सचिव के पद सृजित कराने हेतु चर्चा के लिये।

60. पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

62. प्रत्येक पंचायत में दृश्य शिक्षा का समाचार चित्रों के माध्यम से प्रसार कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

63. पंचायत नगर फोर्ट पंचायत समिति देवली के भूतपूर्व सरपंच द्वारा पंचायत में किये गये गबन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

64. सरपंचों व पचों को प्रशिक्षण देने हेतु शिविरों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. टोंक जिले में पोषाहार कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इसकी असफलता पर चर्चा के लिये।

66. विभाग द्वारा टोंक जिले की पंचायतों में लगाये गये टी० वी० सैट्स की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

67. कृषि प्रसार कार्यक्रम, ग्रामीण विपणन हाट योजना, ग्रामीण पशु औषधालय, चारा विकास योजना, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, हैल्थ गाइड योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालय, मिश्रित वृक्षारोपण आदि महत्वपूर्ण योजनाएं पंचायत समितियों को यथाशीघ्र स्थानान्तरित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

68. एकीकृत विकास, स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण, समग्र-विकास, ग्रामीण विकास केन्द्र, गोबर गैस कार्यक्रम एवं लघु सिंचाई, कृषि एवं सम्बद्ध परियोजनाएं पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

69. पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के समन्वय बनाये रखने एवं पंचायत राज में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राजस्थान पंचायत राज परिषद् को आवश्यक सहायता एवं साधन सुलभ कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

70. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

71. पंचायत तालाब व 50 एकड़ से कम सिचाई वाले बंधों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये पंचायत समिति बस्सी को आवश्यक राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

72. प्राकृतिक आपदाओं के समय तत्काल प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु पंचायत समितियों को सामुदायिक विकास विभाग द्वारा पर्याप्त राशि सहायतार्थ प्रदान किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

73. जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत को पंचायत घर निर्माण हेतु आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

74. ग्राम पंचायतों को गतिशील बनाने एवं कार्य क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से ग्रुप सचिव योजना के स्थान पर एक पंचायत पर एक सचिव लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. सहकारिता आन्दोलन की सफलता पर चर्चा के लिये ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

2. सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर उन्हें अधिक गतिशील बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

3. हर एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति गठित किये जाने के सिद्धान्त पर चर्चा के लिये ।

4. ग्रामीण अंचलों में सहकारी समितियों के माध्यम से विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

5. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सहकारिता कार्यक्रम एवं योजनाओं को गतिशील बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

6. सहकारिता क्षेत्र में फैला भ्रष्टाचार एव प्रशासनिक शिथिलता को रोकने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. ग्रामों में सहकारिता के माध्यम से उन्नत बीज तथा खाद उचित मूल्य पर एवं सही समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)

8. अरनोद सेवा सहकारी समिति अरनोद तहसील प्रतापगढ़ में हुए गबन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

(141)

(श्री नन्दलाल मीणा)

9. वन श्रमिक सहकारी संघ चिकलाड एवं बगडावद तहसील प्रतापगढ़ के विभागीय ग्रॉडंर में रु. 21,205/- की बकाया वसूली ग्राज तक नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. प्रतापगढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़-गढ़ की ग्रवधि पार बकाया की वसूली लम्बे समय तक नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

11. हर पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे सहकारी गोदाम में भारी घोटाला होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर)

12. सहकारिता को व्यावहारिक स्वरूप में लाने हेतु चर्चा के लिये।

13. सहकारिता विभाग के प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता बरते जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. सहकारिता विभाग के ग्र'केक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

15. ग्रसहाय व्यक्ति जो सहकारी कर्ज नहीं लौटा सके उनसे वसूली नहीं की जाय तथा जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनकी वसूली शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

16. सहकारी समितियों में ऋण वितरण में भारी ग्रनियमितताएं हुई हैं जिन्होंने ऋण नहीं लिया उनसे भी जबर्दस्ती वसूलियां किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

17. उपभोक्ता योजना की दोषपूर्ण नीति के कारण सहकारी संघ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा ग्रनुपयुक्त एवं महंगा माल क्रय कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ग्रावश्यक रूप से डालकर नुकसान पहुंचाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम)

18. पुराने नियमों के प्रवृत्त रहते नयी चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

19. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल तांबी (जहाजपुर)

20. सहकारिता आन्दोलन की दयनीय स्थिति एवं उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची)

21. पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रधान व्यवस्थापक पद पर नियमानुसार योग्य व्यक्ति को नियुक्त न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

22. ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पूर्ण सामान उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

23. सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

24. मार्केटिंग सोसाइटीज एवं कोआपरेटिव बैंक मैनेजर्स का पृथक कैडर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

25. सहकारी आंदोलन को अफसरशाही के अवांछनीय दखल से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

26. सहकारिता विभाग के हाल ही हुये चुनाव में हुई अनियमितताओं पर व सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

27. सहकारी विभाग द्वारा हाल ही में कराये गये चुनावों में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

श्री चतुर्भुज (टोड़ाराय सिंह)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

28. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर)

29. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

30. सरकार सहकारिता को जन आन्दोलन का रूप देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

31. चालू वर्ष में सहकारिता विभाग द्वारा गांवों में बनाये जा रहे गोदामों के

(श्री रामनारायण डूंडी)

निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग कर किये जा रहे घोटाले पर चर्चा के लिये।

32. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सहकारिता आन्दोलन ग्रामों में निष्प्रभावी रहने व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

33. गांवों में बन रहे सहकारी गोदामों के निर्माण में विभाग का नियन्त्रण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

34. दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक बूंदी के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष के कारण इसमें विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल के चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

38. सांचौर तहसील की सहकारी समितियों का कई सालों से अवसायन कार्य सम्पन्न नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

39. सांचौर तहसील की सहकारी समितियों का अंकेक्षण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. तहसील सांचौर की सहकारी व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिकार्ड नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

41. प्राथमिक सहकारी समितियों को सहकारी विभाग के अंकुश से मुक्त रखा जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)

42. बहरोड़ तहसील ग्राम गुंती में सहकारी समिति के चुनाव में हुई भयंकर अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

43. सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़)

44. बड़े ग्रामों में सहकारी समितियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री नारायण सिंह)

45. सीकर जिले में सहकारी समितियों के चुनावों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

46. ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के निष्पक्ष चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

47. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़)

48. सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

49. बीकमपुर व बरसलपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनावों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

50. गोगुन्दा ग्राम सहकारी समिति में लोगों के फर्जी अंगूठे लगाकर लोन उठाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

51. उपभोक्ता भण्डार शास्त्री सर्किल उदयपुर में समय-समय पर हुई चोरियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

52. राज्य में सहकारिता आन्दोलन के व्यापक प्रसार में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

53. बांसवाड़ा जिले में सहकारी सेवाओं द्वारा काश्तकारों को कर्ज सम्बन्धी जानकारी एवं कर्ज उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

54. ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों का वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा व अन्य सुविधाओं में कमी से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

55. खण्डार बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव कराने एवं इसकी कार्य पद्धति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

56. सहकारी संस्थाओं में भारी घोटाला होने के पश्चात् भी सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों को सजा न देने पर चर्चा के लिये।

(145)

(श्री रामकवार बैरवा)

57. सहकारी संस्थाओं के समस्त मैम्बरों को बराबर लाभ न मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

58. गोगुंदा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ऋणदात्री सहकारी समितियों द्वारा ग्रामवासियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

59. उदयपुर जिले की सहकारी समितियों द्वारा दिये गये फर्जी ऋणों की जाँच तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करने हेतु चर्चा के लिये।

60. गोगुन्दा ग्राम सहकारी समिति में हुए गबन व अनियमितताओं की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

61. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

62. सहकारिता क्षेत्र में गति लाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगनसिंह (बयाना)

64. भरतपुर जिले में सहकारिता में हुए गम्भीर घोटालों की जांच करवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

64. सहकारिता को ग्रामों के विकास का माध्यम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (सूरसागर)

65. परबतसर में मार्केटिंग सोसाइटी बनाने हेतु विनियोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

66. कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाव में गबन करने वाले व्यक्तियों को संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा बचाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

67. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

68. सहकारी संस्थानों में सहकारी क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को प्रशासक या अध्यक्ष न लगाने हेतु चर्चा के लिए।

69. सहकारी समितियों के चुनाव विभाग द्वारा न कराकर चुनाव विभाग द्वारा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

70. सहकारी उपभोक्ता भण्डारों व क्रय-विक्रय संघ के पदेन लोगों तथा कर्मचारियों द्वारा गत वर्षों में की गई खरीद फरोख्त में हुए गबन व घोटालों की जांच कराकर उनसे वसूली करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. सहकारी विभाग के ग्राडिट ग्राब्जेक्शनों पर कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

72. सहकारी ऋण वितरित करने में होने वाली अव्यवस्था को दूर करने पर चर्चा के लिये।

73. सहकारी विभाग में एक सतर्कता सैल स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

75. समाजवाद के लिये सहकारिता अनिवार्य व्यवस्था है अतः इस क्षेत्र में व्यापत भ्रष्टाचार व स्वार्थपरता को दूर करने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

76. बांसवाड़ा जिले में सहकारी ऋण समय पर वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

77. टोंक जिले के सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

78. रेलगांव सहकारी सोसाइटी में हुए लाखों रुपये के गबन व उसकी वसूली करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

79. ऋण वितरण में होने वाली अनियमितताओं को रोकने तथा सहकारी आंदोलन को गतिशील बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

80. कोटा जिले की सहकारी समितियों में हो रहे गबन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

81. केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक को एकीकृत करने एवं किसानों

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

को ऋण सिर्फ कृषि ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा देने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)

82. सहकारिता से ऋणों की उपलब्धि तथा वसूली में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री भालू खां (चूरू)

83. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

84. जिला नागोर विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में छोटी खाटू, मण्डकरा, ललासरी तथा सुबका की ग्राम सहकारी समितियों के चुनाव में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

85. राजस्थान में सहकारिता विभाग में व्याप्त घोटालों के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा)

86. सहकारिता विभाग में निम्न स्तर पर फैली अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करके आन्दोलन को एक नया जीवन प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

87. सहकारिता जैसी पवित्र संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर उन्हें ऊंचा उठाने के कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

88. राजकीय कर्मचारियों को आयुर्वेदिक औषधियां भी सहकारिता के माध्यम से बिक्री करवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

89. सहकारिता क्षेत्र में संस्थागत पूंजी केन्द्र सरकार से लाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

90. अतिरिक्त रजिस्ट्रारों द्वारा गत तीन मासों से अपीलों की सुनवाई न करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

91. सहकारी उपभोक्ता भण्डार बीकानेर के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा स्टे दिये जाने से व्याप्त स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

92. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति स्थापित कर उसमें एक व्यवस्थापक लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

93 विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर की सहकारी समितियों में सदस्य बनाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

94. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर में ग्राम पंचायतवाइज ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

95. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला जिला सीकर की ग्राम सेवा सहकारी समिति खटुन्डरा में अवैध रूप से कराये गये चुनाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

96. कुशलगढ़ क्षेत्र में सहकारिता विभाग द्वारा दिये गये ऋणों में हुई धांधली पर चर्चा के लिये ।

97. राज्य सरकार कसारवाड़ी, सज्जनगढ़, तामेसरा, डुगरा, छोटा, लेम्स व पेक्स समितियों में सदस्यों को खाद, बीज व ऋण न देकर फर्जी नाम लिखे जाने पर वसूलियां की जाने पर जांच कराने में असफल रही है–इस पर चर्चा के लिये ।

98. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र की लेम्स पेक्स सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को ऋण, खाद, बीज व सस्ते दामों की नित्य उपयोग की चीजें वितरण कर जनता को राहत दिलाने से असफल रही है–इस पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

99. सहकारिता आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री भेरूलाल (मनोहर थाना)

100. सहकारी समितियों में हुए गबन की जांच कराई जाकर उचित कार्यवाही की जाने पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा)

101. सहकारी समितियों की बकाया राशि के वसूल नहीं हो सकने से उत्पन्न गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये ।

102. सहकारी समितियों में हुए धन के दुरुपयोग तथा अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा)

103. डूंगरपुर जिले में सहकारिता द्वारा ऋण वितरण व वसूली न होने के कारणों पर चर्चा न होने के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

104. उपभोक्ता संघ से सरकारी विभागों द्वारा माल खरीदने की नीति के द्वारा सरकारी विभागों एवं उपभोक्ता संघ की सुनियोजित गबन करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये ।

(श्री तेजपाल यादव)

105. कैडर अथॉरिटी द्वारा ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं में नियुक्त व्यवस्थापकों द्वारा गबन, अनियमितता करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. अपेक्स बैंक द्वारा ब्याज दर में अधिक मार्जिन लेने के कारण सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं सहकारी समितियों में घाटे से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

107. यूरोपीय समुदाय की सहायता से निर्मित घटिया किस्मों के गोदामों से ग्राम सहकारी समितियों को होने वाले घाटे से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

108. राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के विकास में सहकारी विभाग की भूमिका के गौण रहने पर चर्चा के लिये।

109. सहकारी उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता संघ, क्रय-विक्रय समितियों द्वारा घटिया व महंगा सामान ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भेजने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

110. सहकारी संस्थाओं में अधिकांश प्रतिनियुक्त स्टाफ के कारण हानि होने पर चर्चा के लिये।

111. सहकारी संस्थाओं का आडिट विभागीय कर्मचारियो द्वारा किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

112. बी-कम्पोनेंट में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुत कम मात्रा में कमीशन दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

113. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को ऋण सुलभ कराने में आवश्यक हिस्सा राशि काटने तथा उस पर लाभांश न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. दांते कमेटी की सिफारिश के अनुसार सहकारी समितियों के विलीनीकरण से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

115. भण्डागार तथा विपणन सहकारी समितियों में विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

116. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं के कारण ऋण पत्रों की खरीद के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

117. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विदेशी विविध वस्तु काउन्टर का रिकार्ड बार-बार आडिटर्स द्वारा मांगने पर भी आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराने से आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर मीणा)

118. केन्द्रीय सहकारी बैंक भरतपुर में जनवरी, 81 से जुलाई, 81 तक पद-स्थापित प्रधान व्यवस्थापक के विरुद्ध जांच में अनियमितताएं, पक्षपात भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण हिस्सा राशि जब्त करने हेतु अपेक्षित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

119. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विभागीय भण्डार बिहारी बाजार जयपुर, का रिकार्ड बार-बार मांगने पर भी आडिटर्स को उपलब्ध नहीं कराने से आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

120. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विदेशी कपड़ा काउन्टर का रिकार्ड बार-बार आडिटर्स द्वारा मांगने पर भी आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराने से आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

121. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के विभागीय भण्डार राजापार्क का रिकार्ड आडिटर्स द्वारा बार-बार मांगने पर भी आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराने से आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

122. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के सामान्य गोदाम एवं मुख्य गोदाम का रिकार्ड बार-बार आडिटर्स द्वारा मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराने, वहां आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

श्री सोहनलाल बंसीवाल (दौसा)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

123. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के फर्नीचर व बिजली के सामान का रिकार्ड आडिटर्स द्वारा बार-बार मांगने पर भी आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराने पर आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

124. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ ने विदेशी गोदाम का रिकार्ड आडिटर्स द्वारा बार-बार मांगने पर भी आडिट हेतु उपलब्ध नहीं कराने से आडिट नहीं हो सकने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

125. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

126. सहकारी क्षेत्र में लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था को एकीकृत करने की आवश्लकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

127 वर्तमान सरकार द्वारा समय-समय पर सहकारिता क्षेत्र में प्रसार व फैलाव हेतु की गई घोषणाओं की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

128. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति नगराजपुरा, तूंगा, दनाऊकला द्वारा भेजे गये दूध का जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जयपुर द्वारा पूरा भुगतान नहीं किये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

129. दूरस्थ ग्रामों से संकलित दूध को ठण्डा कर डेयरी संयंत्र तक लाने हेतु बस्सी (जयपुर) में अवशीतन केन्द्र सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

130. पिछले दिनों जयपुर में आई बाढ़ से प्रभावित पंचायत समिति बस्सी व चाकसू के क्षतिग्रस्त इलाकों के कृषकों से सहकारी बैंकों द्वारा ऋण वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जरूरत की वस्तुएं जैसे कपड़ा, मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट आदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

132 जयपुर जिले में निरन्तर तीन वर्ष से पड़ रहे अकाल व गत जुलाई में आई बाढ़ की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

133. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के अन्तर्गत कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा किये जा रहे शोषण को रोके जाने हेतु चर्चा के लिये।

134. प्रत्येक गांव का हर परिवार सहकारिता आन्दोलन का भागीदार हो इसके लिये प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

135. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में सहकारिता क्षेत्र में संतुलित पशु आहार उद्योग स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

136. डेयरी सहकारी समितियों के सचिवों को डेयरी कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण देने हेतु विनियोजित की जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

137. जयपुर जिले में गत तीन वर्ष से लगातार पड रहे अकाल, गत जुलाई में आई भीषण बाढ़ तथा कमजोर बैंक की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ से जयपुर

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

जिला प्राथमिक को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से जयपुर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को असीमित ऋण क्षमता उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

138. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन कर दुग्ध उत्पादकों को सभी सुविधाएं सुलभ कराने जाने हेतु चर्चा के लिये।

139. 20 संकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र की जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम नहीं हैं उनके लिये गोदामों का निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

140. क्रय विक्रय सहकारी समितियों ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सम्भावित गडबड़ियों एवं भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु दो वर्ष के कार्यकाल के बाद अनिवार्य रूप से व्यवस्थापकों का स्थानान्तरण किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

141. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में बांसखोह में सहकारिता के आधार पर तेल मिल, बस्सी में दाल मिल तथा कीटनाशक औषधि उद्योग स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

142. जयपुर जिले में जयपुर शहर के अलावा दौसा, बांदीकुई, बस्सी, चाकसू, बसवा, लालसोट, फुलेरा, रेनवाल, सांभर, नरायना, कोटपुतली, शाहपुरा, वैराठ, मनोहरपुर, बगरू, सांगानेर, आमेर, नगर पालिका क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

143. कमजोर वर्ग के लोगों को उपभोक्ता वस्तुएं नियन्त्रित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर सहकारी बिक्री केन्द्र खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 व 36 पर विचार

श्री नानूराम (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास और मांग संख्या 36 सहकारिता दोनों के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : जो कम बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, ध्यान से सुनिये। ये ××× कम बोलते हैं।

श्री नानूराम : मैं आपकी अनुमति से सिर्फ 5 मिनट में ही दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्दिराजी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के 20 संकल्पों के तहत राजस्थान में पंचायतों के चुनाव

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नानूराम)

हुए । मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय कुछ लिख रहे हैं, ग्राज पंचायतों के चुनाव तो करा दिये लेकिन उन पंचायतों को चलाने के लिए गांवों में ग्रुप सचिव नहीं हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि हर पंचायतों मे एक एक ग्रुप सचिव की व्यवस्था की जाय ताकि पंचायतों में होने वाले काम को संरपच लोग चला सकें। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4-4,5-5 पंचायतों में एक एक ग्रुप सचिव लगा रखा है जिसके कारण न तो गांवों में किसी प्रकार का प्लान दिया जा सकता है, न किसी प्रकार की दूसरी व्यवस्था की जा सकती है, न गांवों में बनने वाले राशन कार्ड समय पर गांवों में उपलब्ध कराये जा सकते हैं, न किसी प्रकार पंचायतों को ठीक ढंग से चला सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर पंचायत में एक एक ग्रुप सचिव की व्यवस्था की जाय ताकि पंचायतों का काम सुचारू रुप से चल सकें।

दूसरी चीज एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। कल ही यहां पर हाउस में एक सवाल उठा पंचायत समितियों के ग्रधीन प्राइमरी स्कूल चलते हैं, एजूकेशन मिनिस्टर कह रहे थे पंचायत समितियों के माध्यम से चलने वाले स्कूलों का जवाब मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उन प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था कौन करेगा ? एजूकेशन विभाग यह कहता है कि हम नहीं कर सकते। पंचायत समितियों, सामुदायिक विकास विभाग के माध्यम से उन प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था हो रही हैं लेकिन उनमें ग्रध्यापकों की बिलकुल कमी है। बड़े बड़े शहरों के स्कूलों में जहां सब जगह टीचरों की पूरी व्यवस्था है लेकिन छोटे छोटे गांवों में जो पंचायत समितियों के माध्यम से चलने वाले स्कूले हैं उनमें टीचरों की व्यवस्था नहीं हैं। इस कमी को पूरी किया जाये ताकि ग्राज छोटे छोटे गांवों में किसानों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पूरी सुविधा मिल सकें।

दूसरी चीज, एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि कुछ दिनों पहले गांवों में एक योजना चली थी कि छोटे छोटे गांवों में प्राइमरी स्कूलों के भवन बनाना। वे भवन ग्रभी तक ग्रधूरे पड़े हैं। ग्राज दिन तक कम्पलीट नहीं हुए, इसलिए यह फण्ड ग्रौर दिया जाय ताकि उन भवनों को पूरा किया जा सकें, यही निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय पहले ही निवेदन कर चुका हूं इसलिए मांग संख्या 36 सहकारिकता के बारे में दो तीन बातें ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बीस संकल्पों के तहत ग्रभी ग्रभी को-ग्रापरेटिव सोसाइटीज के चुनाव हुए। चुनाव तो हो गये लेकिन सोसाइटीज में क्या हो रहा है,

(श्री नानूराम)

यह मन्त्री महोदय को थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मन्त्री महोदय इस बात से काफी अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सोसाइटी चलायी हैं और फिर को-आपरेटिव डिपार्टमेंट भी आपके पास है। मेरे जिले भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो आपको बोलना नहीं चाहिए।

श्री नानूराम : खास तौर से, मैं निवेदन यह कर रहा था, आज पंचायत समितियां बंद पड़ी हैं, उनमें लाखों रुपये के घोटाले हैं और उनके केसेज रजिस्ट्रार आफिस में चल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन तक कोई कतई व्यवस्था नहीं हुई। मैं स्वयं भी महसूस करता था 8-9 महीने पूर्व कि अब तो हमारे जिले के को-आपरेटिव मिनिस्टर बने गये हैं इसलिये फटाफट काम निपटा देंगे, लेकिन और ढिलाई हुई। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जल्दी निपटाइये ताकि जो को-आपरेटिव डिपार्टमेन्ट घाटे में चलता है, उसमें कम से कम मुनाफा तो हो। आज जगह जगह,

(4.17 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

लोग लाखों रुपये खाकर बैठ गये और हमारी समितियां रह गयी। अगर उन समितियों के पुराने लोग पैसा लेकर बैठ जाय तो वे समितियां छोटे छोटे किसान और मजदूरों को लोन नहीं दे सकतीं। सभापति महोदय, अगर वहां कोई व्यवस्था हो जाय तो सोसाइटी चालू हो जायेंगी और इस समय में गरीब लोगों को लोन मिल सकेगा।

दूसरी चीज, एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके पास क्रय विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी हैं। जैसा कि कृषि के ऊपर डिमाण्ड थी उसमें भी यह सवाल उठा और आज यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि कल की डिमाण्ड में भी अस्पष्ट बात कही गई, जिम्मेदारी से बात नहीं कही गई। मैं को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्रय-विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी को बीज निगम से बीज मिलता है गांवों में बांटने के लिये। मेरा निवेदन है, बीज जो मिलता है वह बीज गांवों में वितरण नहीं हो। आपकी मार्केटिंग सोसाइटी के पास लाखों रुपयों का सड़ा गला बीज पड़ा हुआ है। सड़ा गला बीज न तो बीज निगम वापस लेता है और न आज दिन तक उनकी कोई सुनवाई हुई इस वजह से क्रय-विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी में घोटाले हो रहे हैं।

दूसरी चीज, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इससे जो हमको नुकसान हुआ वह तो हुआ ही लेकिन उसके साथ साथ

(श्री नानूराम)

हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो मार्केटिंग सोसाइटी किसानों की बनी हुई है उसमें किसानों के शेयर्स हैं। आज बीज निगम मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से बीज बेचता है लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट उनकी कोई सुनवाई नहीं करता जब वे सोसाइटी बीज निगम को बीज लेने के लिए कहता है, तो वह वापस लेने के लिये तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जो यह सड़ा गला बीज मार्केटिंग सोसाइटीज को दिया गया है वह वापस लिया जाय और आज दिन तक जो हर्जाना हुआ है वह भी दिलाया जाय।

तीसरी चीज, सहकारी विभाग ने जो प्रगति विवरण 81-82 का निकाला है उसके पेज 7 की ओर में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज 7 पर काटन जीनिंग एवं प्रेसिंग इकाइयां चालू करने के सम्बन्ध में लिखा है कि वर्तमान मे गजसिंहपुर, करनपुर, सादुलपुर, गंगानगर, रायसिंह नगर पदमपुर की इकाइयां ठीक चल रहीं हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, भीलवाड़ा जिले का गंगापुर और आसीन्द तहसील में काटन जीनिंग की फैक्ट्री चालू करना चाहते थे, उनका रिकार्ड कम्पलीट है उनके सेक्रेटर मौजूद हैं, उनका जिक्र इसमें इन्होंने कहीं नहीं किया इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस साल उन फैक्ट्रियों को चालू किया जाय।

तीसरी चीज, एक और निवेदन करना चाहता हूं इसमें पेज नम्बर 10 पर इन्होंने यह लिखा है कि जिला भीलवाड़ा में तीसरी सहकारी स्पिनिंग मिल की स्थापना वर्ष 81-82 में की गई इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है और राज्य सरकार को निवेदन किया जा चुका है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूं, गंगानगर की यह जो आपकी सहकारी स्पिनिंग मिल है उसका रजिस्ट्रेशन और आसीन्द की स्पिनिंग मिल का रजिस्ट्रेशन दोनों का एक ही दिन हुआ। मैं वहां का अध्यक्ष था इसलिए मुझे मालूम है कि गंगापुर और आसीन्द की दोनों मिलों का एक ही दिन रजिस्ट्रेशन हुआ। माननीय मन्त्री महोदय ने हमारे साथ पक्षपात किया इसलिए गंगापुर का नाम तो इसमें आया लेकिन आसीन्द का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आसीन्द कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल के लाइसेन्स के लिये राज्य सरकार भारत सरकार को तत्काल लिखे ताकि दोनों मिल एक साथ चालू की जा सकें। एक साथ चालू करने के साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना

(श्री नानूराम)

चाहता हूं, गंगानगर तो आपकी स्वयं का कान्स्टीट्यूएन्सी है । घर का काम, सभापति महोदय, बाद में होता है और पड़ोसी को पहले जिमाया जाता है, इसलिए मैं माननीय महोदय को आपके माध्यम से निवेदन कर कर रहा हूं, आपसे उम्र में छोटा हूं और छोटे भाई के नाते आसीन्द कोआपरेटिव मिल पहले चालू की जाय उसके बाद गंगापुर को मिल,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चालू की जाय यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, सभापति महोदय । तीसरी चीज, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इन्होंने एक व्यवस्था और की वह व्यवस्था यह की कि गोडाउन निर्माण का कार्य किया जायेगा । इसके बारे में एक बात निवेदन चाहता हूं अधिकारी सब बैठे हैं, नाम यहां हाउस में ले नहीं सकते लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निददन करना चाहता हूं जो आपकी क्रय-विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोडाउन बन रहे हैं उनमें बहुत बड़े घोटाले हैं । घोटाले क्या हैं, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं । उदाहरण यह देना चाहता हूं कि समितियों की हिस्सा राशि से, अपनी निजी आय से, लोन लेकर स्वयं अपनी देखरेख में जो गोडाउन बनाते हैं उसमें कम पैसा खर्च होता है और यह डिपार्टमेन्ट के माध्यम से जो गोडाउन बनाये जा रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं बनाये जा रहे हैं । ख्वामख्वाह सहकारी समितियों के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है । उदाहरण के रूप में हमारे यहां अन्टारी ग्राम सेवा सहकारी समिति है । मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, उसमें जो गोडाउन बना किसी भी उच्च अधिकारी को भेजकर मालूम कर लीजिये कि कम पैसों में कितना बढ़िया और लम्बा चौड़ा गोडाउन बना और जो गोडाउन ठेकेदार ने बनाये हैं उनका आप कम्पेरीजन कर लीजिये । समितियों के और क्रय-विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी के जो गोडाउन बनाये जा रहे हैं वह ठीक से नहीं बनाये जा रहे हैं । वे सोसायटी की अपनी देखरेख में बनाये जाने चाहिये ।

एक बात और, श्रीमान्, निवेदन करना चाहता हूं । आज जो समितियों में घोटाले की बात शुरू शुरू में निवेदन कर रहा था उसके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : संक्षेप में ।

श्री नानूराम : सिर्फ एक मिनट में ।

लास्ट मे यह कहना चाहता हूं, क्रय-विक्रय समितियों मे घोटाले बहुत हैं। मैं सभापति महोदय, नाम नहीं लेना चाहता मेरे पास बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं एक नाम लेना चाहता हूं और वह नाम यह है कि जयपुर में आदर्श नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसमें, सभापति महोदय, लाखों रुपये के घोटाले हैं। यहां पर तीन बार हाउस में क्वेश्चन उठ चुका लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं आपने जयपुर में मीटिंग बुलवाई उसमें भी यह सवाल उठा था लेकिन उसके बावजूद भी आपके जयपुर में इस तरह से बैठे हुए हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस समिति के चुनाव नहीं कराये जायं, उस समिति का रिकार्ड जब्त किया जाय । उसकी खुली जांच कराई जाय और उसके बाद में चुनाव कराये जायं ताकि पता लगे कि क्या घोटाले हैं उसमें । मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि आप यहां बैठे हुए हैं आपको पता नहीं लेकिन नीचे के अधिकारी यह कर रहे है इसलिए मैं इस गृह निर्माण सहकारी समिति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । याद रखिये, मन्त्री महोदय, छोटे भाई की हैसियत से मैं यह मांग कर रहा हूं कि जो मिल है वह पहले मेरे क्षेत्र में लगे बाद में आपके क्षेत्र गंगापुर में लगे ।

श्री सभापति : श्री तेजपाल ।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता की मांगों पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ मुद्दे निवेदन करना चाहता हूं ।

सरकार ने पंचायतों को अभी हाल में अधिकार दिये हैं उनके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं । अधिकार तो दिये और उनसे पचायतें हमारी मजबूत होंगी लेकिन जो अधिकार वास्तव में ग्रामीणजनों की सुविधा के लिए ग्राम पंचायतों को दिये जाने चाहिये थे और जो व्यवस्था की जानी चाहिये थी उसमें आपने कोताही बरती है । जब तक ग्राम पंचायतों को हम अधिकार नहीं देंगे, जमीनों के दावों के और छोटे-मोटे अधिकार दे देंगे तो ग्रामीण जनता का शहरो में अधिकारियों द्वारा जो शोषण होता है, वह होता ही रहेगा । तहसील के अन्दर उसको जाना

(श्री तेजपाल)

पड़ता है, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी परेशानी उठानी पड़ती हैं। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी जमीन में हिस्सेदार हैं वह आपस में रजामंद हैं और वह समझौता करना चाहते हैं लेकिन जो नौकरशाही, लाल फीताशाही का प्रशासन है वह किसान को इतना परेशान कर देता है कि उसको राहत नहीं मिलती। यदि यह अधिकार ग्राम पंचायत को दे दिये जायें तो ग्रामीण जनता को कर्जा लेने की सुविधा होगी और जो जमीन के झगड़े होते हैं वह भी मिट जायेंगे।

दूसरी बात, कई जगह खातेदारी के मामले होते हैं। बड़ा भाई उस दावे को सम्भालता है छोटा भाई नहीं सम्भालता और उसका नाम दर्ज नहीं होता है। वह अपना नाम दर्ज कराने के लिये कोर्ट जाता है तो उसको तीन-चार साल तक कोर्ट में, राजस्व अदालतों में जाना पड़ता है। यह अधिकार भी आप पंचायतों को दे दें तो उससे पंचायतें भी मजबूत होंगी और गांव के किसान भाइयों को राहत मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि राजनीति से, पार्टीबाजी से कुछ फैसले गलत हो जायेंगे तो उनकी अदालत में अपील हो जायेगी, अपील होकर के 80 पर्सेन्ट लोगों को राहत मिलेगी।

तीसरी बात, ग्राम पंचायत की बैठक में अमूमन देखने में यह आया है कि सरपंच बार-बार पटवारी को निर्देश देता है उसके बावजूद पटवारी कभी पंचायत की बैठक में भाग नहीं लेता। कई बार खेत की सीमा बताने के लिये, जो पंचायतों को अधिकार दिया गया है, पंचायत आदेश देती है, लेकिन पटवारी उसका कभी पालन नहीं करता। इस सम्बन्ध में भी कोई कानूनी प्रावधान करके पटवारी को पाबन्द कर दिया जाये कि वह पंचायतों की बैठक में भाग ले। आवश्यक रूप से पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, उनके लिये रेवेन्यू अधिकार चाहे पटवारी के हों, चाहे गिरदावर के हों वे उनको एग्जीक्यूट करे तब तो यह पंचायतें गांवों की सेवा करने में सार्थक होंगी अन्यथा आपने यह अधिकार दे दिये कि विकास करेंगे, विकास तो करेंगे लेकिन यह अधिकार और दे दीजिये जिससे किसान का काम ठीक ढंग से चल सके।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सहकारिता का है। सहकारिता समाजवाद का आवश्यक अंग है। हमारी समाजवादी व्यवस्था में पब्लिक अण्डरटेकिंग जिस प्रकार से चल रहे हैं ऐसी सूरत में सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिये हम समाजवाद ला सकते है। गांवों में किसानों को शोषण से मुक्ति और उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद, बीज और अन्य आवश्यक चीजों के लिये

(159)

(श्री तेजपाल यादव)

ऋण उपलब्ध हो सके, उसका माध्यम सहकारिता ही है ।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैंने एक मीटिंग में सहकारिता मंत्री के विचार सुनें तो मुझे बड़ी आशा बन्धी थी कि सहकारिता के मामले में मंत्री महोदय, काफी जानते हैं और सहकारिता के सम्बन्ध में इनके दिल में काफी दर्द है और सहकारिता जिस तरह से राजस्थान में चल रही है उसको ठीक करने में ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : बातें न करें ।

श्री तेजपाल यादव : ग्रामीण जनता को राहत दिलाने में बड़ा कारगर काम करेंगे । जो आशा बन्धी थी वह अभी भी है कि मंत्री महोदय कुछ करेंगे लेकिन वह चीजें अभी तक नजर नहीं आई जैसी हमने मीटिंग में सुनी थीं । आज सहकारिता में जो बाधक हैं वह तीन-चार संस्थायें हैं । पहली संस्था तो विभाग है । माननीय मंत्री महोदय, चाहे कितना ही पैसा खर्च करें, चाहे कितनी ही विकास की योजनायें बनायें, चाहे किसानों को सहकारिता के माध्यम से मुक्ति दिलाने के लिये उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन सहकारिता में जो रजिस्ट्रार ब्रह्मा, विष्णु, महेश बने हुए हैं जब तक उनके अधिकार गुजरात और महाराष्ट्र की तरह सीमित नहीं कर देंगे तब तक जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग जागीरें बनी हुई हैं, वैसे ही यह सहकारी संस्थायें और डिपार्टमेंट जागीरें बनी रहेंगी । जिस तरह से राजा महाराजाओं के अधिकार कानून द्वारा जब्त किये गये उसी तरह से कोई कानून बनाकर इन अधिकारियों के अधिकारों को समाप्त किया जाये, इनकी जागीरों को समाप्त किया जाये । जो रजिस्ट्रार की पावर है उसको समाप्त किया जाये । आज मैनेजमेंट कमेटी कोई भी निर्णय ले ले लेकिन यदि उनकी मर्जी हो गयी तो ठीक है, उनकी इच्छा नहीं हुई तो वह खत लिखा देंगे और उस मामले को निरस्त कर देंगे । सहकारी समिति के मेम्बर की समिति में पूंजी लगी रहती है अगर समिति डूब जाती है तो उसकी पूंजी भी डूब जाती है उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर है । आज बेचारे किसान से यह अधिकारी लोग फायदा उठा रहे हैं । साहूकार, बोहरा किसानों से 5 रुपये कांटे के रूप में काट लेता था वैसे ही आज सहकारिता के माध्यम से 15 प्रतिशत पैसा काटा जा रहा है । जैसे सूदखोर कांटा काट कर देता था और किताबों पर 10 की जगह 100 लिखता था, 90 लिखता था वैसे 15% हमारे यहां काटकर 85 रुपये देते हैं । कम्पलसरी अमानत राशि पर

(श्री तेजपाल यादव)

2 पर्सेंट राशि काटते हैं। आप 15 पर्सेन्ट तो ब्याज लेते हैं और उसको उस राशि पर ब्याज 4-4।। पर्सेन्ट, देते हैं। 11 पर्सेन्ट शोषण होता है। अब आप सुनिये, सारा पैसा उसका लगता है। उसमें अगर हिस्सा मिले तो वे कहते हैं उसके पेटे आपका लाभांश मिलेगा। लाभांश में आपके डिपार्टमेन्ट को इतने अधिकार दे दिये हैं कि उसको भी बराबर कर दिया हैं। मैनेजमेंट कमेटी का कोई अधिकार नहीं है। वह सारा का सारा लाभांश आज तक नहीं मिला। जिस तरह पंडितजी कहते हैं, मुझे दान दीजिये, आपको परलोक में यह चीज मिल जायगी, तो आप सहकारिए के अंदर हमें कहते हैं राशि पर सदस्यों को लाभांश मिलेगा। आज तक 30 साल में लाभांश तो मिला नहीं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री तेजपाल यादव : काफी लम्बा है।

श्री सभापति : 10 मिनट से ज्यादा हो गये आपको।

श्री तेजपाल यादव : 10 मिनट कैसे हो गये। यह सहकारिता, कृषि कई चीजें हैं, हम तो बोलते ही नहीं हैं। थोड़ा और दो मिनट।

श्री सभापति : दो मिनट आपका टाइम है।

श्री तेजपाल यादव : एक तो सहकारिता में यह किया जाय कि काश्तकारों से जितनी रकम लो उसका ब्याज दिया जाय। अधिकारियों को डेपूटेशन पर जगह-जगह बिठा दिया, विभागीय अधिकारी उसमें सर्व-सर्वा हैं, इसको खतम किया जाय या हिस्सा राशि खतम की जाय। आज कैडर अथोरिटी के द्वारा, सभापति महोदय, यह हालत हो रही है कि को-आपरेटिव के अन्दर क्या होगा। किसानों के सारे बाल उतार रहे हैं। कैडर अथोरिटी द्वारा व्यवस्थापक 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपये एक-एक सोसाइटी में गबन कर देते हैं और गबन करके फिर वह तो कहीं और चले जाते हैं और वह पैसा उस समिति में बाकी रहता है। वह कौन देने वाला है? व्यवस्थापक से वसूली हो नहीं, किसी और के नाम चढ़ा रहता है, व्यवस्थापक अगर गया तो जिस काश्तकार के नाम चढ़ा है वह रोता फिरेगा, न कर्जा मिलेगा न और होगा। यह हालत है। तो जब कैडर अथोरिटी उन्होंने बना दी डिपार्टमेंट में और बनाने के बाद में वह गबन करते हैं तो सदस्यों की क्या जिम्मेदारी? उनकी मर्जी से लगाते हैं? सारी की सारी जांच होकर तय हो जाय, अगर व्यवस्थापक ने गबन कर दिया तो वह समिति में जमा करे या विभाग के नाम लिख दिया जाय या रजिस्ट्रार के नाम किया जाय या कैडर अथोरिटी के नाम लिख दिया जाय। मैं ऐसे उदाहरण बता दूं कि व्यवस्थापक ने गबन कर दिया, कैडर कमेटी ने

(श्री तेजपाल यादव)

फैसला कर दिया कि इनको रखो। गबन करने वाले खुद स्वीकार करते हैं और अधिकारी कहते हैं कि इनको रखो। जिसने चोरी की है, उसको क्यों नहीं दण्ड देते हो। उन्होंने अपील कर दी, इन्होंने फैसला कर दिया, साहब, रखना पड़ेगा, चोरों को भी रखना पड़ेगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री तेजपाल यादव : दूसरा अपेक्स बैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज अपेक्स बैंक की 25 शाखायें हैं। कल मैंने प्रश्न लगाया था, उसका उत्तर आया था, 25 ब्रांचेज हैं। सी. सी. बैंकों में वह पैसा देते हैं सिर्फ सी. आर. और डी आर. करते हैं। इतना ही काम है। दुकानदार सेल्स टैक्स का हिसाब तैयार कराता है तो 500) में उसका ठेका दे देता है। तो एक मुनीम 500) में कर दिया जाय। वह वहां चला जाय। आज 25 ब्रांचेज में सी. आर., डी. आर., जमा-खर्च लिखने के अलावा अपेक्स बैंक में कोई काम नहीं है। ब्याज मार्जिन जो रिजर्व बैंक से मिलता है उसके माध्यम से किसानों को लाभांश मिलता है। इतना ब्याज मार्जिन मिलता है कि उनका एक चपरासी, एक बाबू ए, बी, सी, तीन अक्षर लिखने के 2200) लेता है और व्यवस्थापक जो 1400-1400 आदमियों के खाते तैयार करता है, उनको सदस्य बनाता है, उनकी क्रेडिट लिमिट तैयार करता है, चेक्स तैयार करता है, बांड्स भरता है, सारा काम करता है। 400) रुपये उसके हाथ में थमा दिये जाते हैं। 10 लाख रुपये की सोसाइटी, देते हैं 400) रुपये। जो बाबू होता है अपेक्स बैंक का वह 2200) रुपये लेता है और फिर बोनस और लेता है। तो इस तरह से....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री तेजपाल यादव : दो ही मुद्दे रख रहा हूं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, काफी समय हो गया। आप मुद्दे को इतना बढ़ा देते हैं कि ...

श्री तेजपाल यादव : गोदाम निर्माण की जो मौजूदा प्रणाली चल रही है उसमें अपेक्स बैंक की तकनीकी शाखा बनवा दी है। उसने ऐसे ऐसे खराब गोदाम बना दिये जिनमें सोसायटीज की रखी हुई खाद, बीज, कपड़ा नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। सोसायटियों को घाटा हो रहा है। इधर किसानों के कर्जे पर ब्याज लिखा उधर गोदाम में रखा हुआ लाखों रुपये का सामान खराब हो गया। यह स्थिति है। तो या तो इस स्थिति को बदलिये या गवर्नमेंट गारंटी ले। अपेक्स बैंक की तकनीकी शाखा पी. डब्ल्यू. डी. के मकान हैं किराये पर ले ले तो अपेक्स बैंक या विभाग जिम्मेदारी ले। उनकी बनावट में जो डिफेक्ट है, जो गड़बड़ी है, उससे उनमें रखा हुआ सामान

(श्री तेजपाल यादव)

खराब हो जाता है उसकी कीमत चाहे अपैक्स बैंक दे, चाहे तकनीकी शाखा दे, चाहे विभाग दे, यह जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह योजना भी समितियों को डुबोने का, किसान का शोषण करने का कारण बनेगी।

दूसरे, उपभोक्ता संघ की योजना है। उपभोक्ता संघ की योजना भी किसानों के लिये, सहकारी समितियों के लिये सिर-दर्द है। अधिकारी कमीशन के चक्कर में रद्दी और महंगा माल खरीद कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गले डालते हैं। सारे का सारा रद्दी है। घाटा हो गया, ब्याज लग रहा है, यह हालत हो रही है। अगर उपभोक्ता संघ के मार्फत, क्रय विक्रय सहकारी समितियों के मार्फत वह माल बाजार में सहकारी समितियों और काश्तकारों को सस्ता मिले तो फायदा है। बिना ब्याज के रकम हिस्सा राशि में से देते हैं, मार्जिन मनी में से देते हैं उस पर सरकार ब्याज भी नहीं देती है और व्यापारी जो चीज दो रुपये में लाकर देता है वह चीज वे सवा दो रुपये में देते हैं। इससे सहकारिता का क्या फायदा? बाजार में बढ़िया चीज मिलती है। इसके माध्यम से हमारे विभागीय अधिकारी सहकारिता विभाग के आदमी जो चीज खरीदते हैं वह रद्दी होती है। उसका भाव बाजार में दो रुपये है और वे सवा दो रुपये लेते हैं। सवा दो रुपये में उपभोक्ता लेता नहीं है तो सोसायटी में पड़ी रहती है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा था, सीड कार्पोरेशन की इतनी खाद, बीज पड़ा हुआ है, इतनी खाद पड़ी हुई है, रद्दी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रद्दी सड़ी माल कम तोला। एक दो बात और।

इस स्थिति में, मंत्री महोदय, उपभोक्ता संघ की योजना को ठीक करें नहीं तो सहकारी समितियां डूब जायेंगी।

दूसरे, उपभोक्ता संघ के मार्फत जो सरकारी खरीद होती है, यह सरकारी धन का सुनियोजित तरीके से गबन है। कई जगह मैंने देखा है ज्यादातर यह होता है कि बाजार में एक चीज 50) में मिलती है तो उपभोक्ता संघ से बिल 65) का मिलेगा। उपभोक्ता संघ कुछ नहीं करेगा, बाजार में किसी अधिकारी को भेजेंगे, वह किसी दुकानदार से लायेगा और उसका बिल लाकर उपभोक्ता संघ को दे दिया जायगा, उपभोक्ता संघ का बिल 10 पर्सेंट जोड़ कर बना दिया जायगा। तो यह सरकारी धन का एक तरह से गबन हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? सरकार ने आदेश दे दिया कि उपभोक्ता संघ से खरीदेंगे तो टेण्डर कोटेशन की जरूरत नहीं है। अब वह अधिकारी अपना काम भी बनाएगा, उपभोक्ता संघ के अधिकारियों का काम बनायेगा। वह चीज बाजार में डाइरेक्ट खरीदने जायं तो 50) रुपये में मिलेगी, वही चीज जब उपभोक्ता संघ

(श्री तेजपाल यादव)

से लायेंगे तो 50) रुपये में मिलेगी। तो यह संस्था फायदे के लिये कायम की थी या किसान का शोषण करने के लिये ? क्या सरकार जनता से टैक्स इकट्ठा करके जनता की गाढ़ी कमाई का गबन कर रही है ? सुनियोजित तरीके से गबन करने के लिये संस्था बनाई है क्या ?

दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कैडर अथोरिटी का है। सभापति महोदय, कोग्रापरेटिव मूवमेंट एक तरह का फोड़ा है। अगर इसको काटना है तो दांते कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सहकारी समितियों को एक-एक पंचायत का वायबल यूनिट बनाया जाय। तीन पंचायतों में एक सोसायटी बने। अब कई जगह 15–25 पंचायतों का एरिया हो गया। दूसरी बात, एक सोसायटी डिफाल्टर है उसके बारे में अपने आप रजिस्ट्रार ने आर्डर पास कर दिया, उसको शामिल कर दिया। शामिल करने से जो सोसायटी बढ़िया चल रही थी उसमें अपने अधिकार, जो ब्रह्मा विष्णु के थे, प्रयोग करके उस सोसायटी का दिवाला निकाल दिया। माननीय मंत्री महोदय, यदि सहकारिता को पनपाना चाहते हैं, ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो कैडर अथोरिटी के बारे में जो दांते कमेटी की सिफारिश पर समितियों का एकीकरण किया था, 3–4 सोसायटी को वापस मिलाया था, उसी जगह पर लायें।

दूसरी बात, जो व्यवस्थापक प्रणाली अपनाई है उस में व्यवस्थापक की जिम्मेदारी फिक्स कीजिये। अगर वह गबन करता है तो सहकारिता डिपार्टमेंट या पेरेंट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। ये 3–4 बातें हैं।

उपभोक्ता संघ की योजना, गोदाम-निर्माण योजना है आपकी दांते कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके लिये आपने उत्तर में जी हां कहा है। आज मेरा दावा है विभाग में सोसायटियों का एकीकरण आज तक नहीं हुआ है। अलग अलग जिनको मिलाया है वे सोसायटीज डिफंक्ट पड़ी हैं, बेकार हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। इनको ठीक किया जाय। ये 4-5 मुद्दे हैं, इनको ठीक करो तब तो सहकारिता चलेगी नहीं तो सहकारिता को समाप्त कर दिया जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि जनता का पैसा तो खराब नहीं जायेगा। समाजवाद लाना चाहते हैं, आपकी आत्मा है तो ये 4–5 सुझाव जो मैंने दिये हैं उनको आप कार्य रूप में परिणत करें।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रसिंह।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपका भी नाम आयेगा। लिस्ट काफी लम्बी है, आपका भी नाम आयेगा। प्रायोरिटी फिक्स नहीं है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री देवेन्द्रसिंह : सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने से पहले मुख्य सचेतक महोदय के निर्देशानुसार मैं आपसे प्रार्थना

(श्री देवेन्द्रसिंह)

करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : कितने घण्टे ?

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्यों की अनुमति है कि सदन का समय आज की मांगे पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या मुख्य सचेतक जी ने आपसे कहा है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : हां, जी उनके निर्देशानुसार कह रहा हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या उन्होंने आपको लिख कर दिया है क्या ?

श्री देवेन्द्रसिंह : वह किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं ।

श्री महाराम चौधरी : क्या मुख्य सचेतक के पास इतना भी समय नहीं है कि इस काम को भी कर सकें ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर आर्डर । अभी सदन की कार्यवाही चल रही है और पांच बजने में दस मिनट बाकी हैं । आप बैठ जाईये ।

श्री देवेन्द्रसिंह शुरू करें ।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के माध्यम से आज दिन तक जो सहकारी समितियां चल रही थीं और जो उनकी गति धीमी हो गयी थी उसके लिये राजस्थान सरकार ने नये सिरे से चुनाव कराये और नये लोगों को लाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये जो संकल्प किया उसके लिये मैं सबसे पहले राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि सहकारी आन्दोलन को इससे और गति मिलेगी तथा गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, सहकारिता जीवन–दर्शन है यानी फिलोसफी है । वास्तव में यदि देश को आगे बढ़ाने के लिये कोई आन्दोलन हो सकता है तो वह सहकारिता आन्दोलन है । आज करप्शन की सभी जोरों से बातें करते हैं । वह बातें कही जा सकती हैं लेकिन इसमें चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे जन प्रतिनिधि हो और चाहे और कोई हो, जो इसका काम करते हैं उन सभी का सहयोग आता है, इसलिये सभी मिल कर इस काम को करें तो यह आन्दोलन आगे बढ़ेगा । मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस जीवन दर्शन को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों स्तर पर ट्रेनिंग कैम्प चालू किये जायं जिसके माध्यम से लोगों को अहसास हो कि सहकारिता ही हमारा जीवन-दर्शन है । सहकारिता ही हमारा जीवन का अंग है । व्यक्ति जन्मता है और जब मरता है तब तक सहकारिता की आवश्यकता है ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मन्त्री, संसदीय कार्य) : सभापति महोदय, सदन का समय आज की मांगे पारित होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आज की अनुदान मांगें पारित होने तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री यदुनाथ सिंह : ना तो पूछा ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय एक तो आप हमारी बात मान लीजिये। आप चेयर पर बैठे हैं, कम से कम इन लोगों की सीट यहां से दूर कराने की व्यवस्था करें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : आपको यह डर है कि आपको उधर नहीं ले जायं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, इन्होंने मेरे ऊपर सीधा सीधा चार्ज लगाया है। इन्होंने मुझे चैलेन्ज किया है। × × ×

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

मांग संख्या 41 व 36 पर विचार

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाने की आवश्यकता है। और न केवल ट्रेनिंग ही बल्कि मैं तो इससे भी आगे एक कदम जाना चाहता हूं इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सहकारिता को टैक्स्ट बुक में इनक्लूड किया जाना चाहिये। शिक्षा जब से लड़का प्रारम्भ करता है तब से शिक्षा में सबसे पहले उसके जीवन में सहकारिता उतरे और वह आगे चल कर इस आन्दोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दे।

सभापति महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में आप राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के मुकाबले में अभी बहुत पीछे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आल इण्डिया को-आपरेटिव फेडरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्ट श्री पोराणिक आये। उन्होंने हमारे मुख्य मन्त्रीजी, मुख्य सचिव जी, सहकारी विभाग के बड़े अधिकारियों से सम्पर्क किया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सहकारिता की दृष्टि से उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज राजस्थान में 7 लाख काटन बैग का ही उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान के अन्दर डेड़ लाख या दो लाख बैग को ही काम में लिया जाता है। इसमें राजस्थान की सारी टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज शामिल हैं। पांच लाख काटन बैग आज की तारीख में राज-

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवेन्द्रसिंह)

स्थान के बाहर जाता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान मे इतना कपास उत्पादित होता है लेकिन इस बात का भी साथ साथ दुर्भाग्य है कि इस ओर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि सहकारी क्षेत्र में 28 मिलें राजस्थान में और खुल जावें तो कपास की खपत हो सकती है। उन्होंने कहा कि गंगानगर, गंगापुर, आसीन्द, किशनगढ़, फतेह नगर तथा कई अन्य ऐसे स्थान हैं जहां पर सहकारी मिलें खुल सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : शाहपुरा में।

श्री देवेन्द्र सिंह : शाहपुर में तो आल रेडी मिल है। तो मेरा निवेदन है कि यहां पर मिल्स स्थापित की जायं। इससे जो कुछ भी यहां पर कच्चा माल पैदा होता है उसकी खपत हो जायेगी। इसी तरह टोंक, निवाई, देवली क्षेत्र में जहां मूंगफली और दाल का उत्पादन होता है वहां पर दाल मिलें खोली जा सकती हैं, तेल मिलें भी खोली जा सकती हैं और सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एन. सी. डी. सी. में राजस्थान सरकार को बहुत ज्यादा सहायता करनी चाहिये। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार का एन.सी.डी.सी. में हिस्सा नहीं है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस एन. सी. डी. सी. में अपना हिस्सा दे। यदि सरकार अपना हिस्सा दे सकती है तो सहकारिता विभाग की जितनी संस्थायें काम करती हैं उनका रिवोल्विंग फण्ड स्थापित किया जायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर में कई शुगर मिल्स स्थापित की जा सकती हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायें। मैं यहां तक निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारी जब खेत में बीज डालता है तब से लेकर उसकी उपज का प्रोसेस हो तब तक सारे कार्यक्रम सहकारिता के माध्यम से ही क्रियान्वित किये जायं ताकि काश्तकारों को उनकी उपज की सही कीमत मिल जाय।

सभापति महोदय, यह वर्ष अकाल का वर्ष हैं। अकाल होने की वजह से काश्तकारों को शार्ट टर्म लोन दिया गया है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को कनेवशन देना बहुत आवश्यक है इस लिये मेरा सुझाव है कि शार्ट टर्म लोन को मिड टर्म लोन में केन्द्रीय कोआपरेटिव बैंक राजस्थान में कनवर्ट कर दिया जाय। लेकिन इसके लिये रिजर्व बैंक उनको स्वीकृति नहीं दे रहा है। इसका कारण यह है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक को अपना कन्ट्रीब्यूशन देना चाहिये वह नहीं दे रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा उन गरीब काश्तकारों को राहत देने के लिए इस शार्ट टर्म लोन को मिडियम टर्म लोन में जल्दी से जल्दी बदलने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(श्री देवेन्द्रसिंह)

सभापति महोदय, मैं भी 81–82 का सहकारिता विभाग का प्रगति विवरण देख रहा था। सहकारी विभाग के द्वारा जो भी योजनायें चल रही हैं व मिल्स की जो योजनायें हैं उनमें किसी को प्रगति नहीं दी गयी है, किसी में भी प्राफिट नहीं दिखाया गया। सिवाय एक मिल के जिसमें प्राफिट दिखाया गया है, वह है गुलाबपुरा की मिल्स जिसमें कि इस साल में 74 लाख रुपये का प्राफिट हुआ है। इसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप उसके चेयरमैन हो।

श्री देवेन्द्र सिंह : चाहे मैं उसका चेयर मैन हूं लेकिन मैं उसका श्रेय उन सभी को देना चाहता हूं जो कि आज दिन तक इसके चेयरमैन रहे या मैनेजिंग डाइरेक्टर रहे या व्यवस्था रहे लेकिन उससे भी ज्यादा मे उन मजदूरों का आभारी हूं जिन्होंने इस मिल को चलाया। सभापति महोदय, अब ऐसा लगता है कि सरकार को इससे ईर्ष्या होने लगी हूं और वह चाहती है कि अब यह मिल घाटे में जाये। घाटे में ले जाने के लिये सरकार ने उस मिल की सारी बिजली काट दी सेंट पर्सेन्ट बिजली कट करने के कारण जो मिल 6 लाख रुपये का मुनाफा कमाती थी वह आज की तारीख में 6 लाख के घाटे में चली गयी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। जो मिल राजस्थान सरकार को डिविडेन्ट के रूप में साल में 10 लाख रुपये दे, 6 जिलों की सेवा करे और अलग-अलग सार्वजनिक तौर पर हॉस्पिटलों में, स्कूलों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सहायता करे उस मिल की बिजली काट कर राजस्थान सरकार बहुत घोर अन्याय कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्री जी, आप अपने स्तर पर इसको देखें। आप राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री से लें। अफसोस इस बात का है कि यहां पर कहा यह जाता है कि बिजली की प्रायोरिटी तय करने के लिए एक टास्क फोर्स बनायी गयी है उसमें कुछ अधिकारी हैं। वह यह तय करती है, प्रायोरिटी किस को दी जानी चाहिये। प्रायोरिटी इन्डस्ट्रीज के लिए तय की जा सकती है लेकिन एकमात्र मिल, जो कि राजस्थान में नहीं हिन्दुस्तान में अपना नाम कमाये हुए हैं, को प्रायोरिटी में बिजली नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा दुख यह है कि गुलाबपुरा और विजयनगर के बीच में एक मील की दूरी है, सभापति महोदय, विजयनगर में एन.टी.सी. की मिल चलती है उसको प्रायोरिटी में लाकर बिजली दे सकते हैं लेकिन गुलाबपुरा की को-आपरेटिव मिल, जिसमें कि राजस्थान सरकार का हिस्सा है, जिससे राजस्थान सरकार को सहायता मिलती है, जिससे वहां का उस क्षेत्र का काश्तकार, मजदूर और हर व्यक्ति सम्बन्धित है, को प्रायोरिटी नहीं दे सकते....

श्री महाराम चौधरी : काश्तकार शेयर होल्डर है इसीलिए उसको बिजली नहीं मिलेगी।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्रसिंह : और अब तो स्थिति यह हो गयी कि जब विजयनगर को बिजली मिलती है, वहां का शांतिप्रिय मजदूर मिल को चलते हुए देखता है तो उसका धैर्य टूट जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समय रहते प्रायोरिटी पर उस मिल को बिजली मुहैय्या करायें ताकि वह मिल घाटे से निकले। साथ ही साथ वहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रियेट नहीं हो पाये। विजयनगर का मिल चलते हुए देखकर जब गुलाबपुरा का मजदूर आता है तो वह बरदाश्त नहीं कर सकता कि गुलाबपुरा मिल बन्द रहे। उम्मीद करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, पंचायत विभाग के सम्बन्ध में मैं बहुत इसलिए निवेदन नहीं करना चाहता हूं कि अभी अभी बहुत बड़े पैमाने पर आपने चुनाव करा कर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत हासिल कराई है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज से यहां के बहुत से माननीय सदस्य संबंधित रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले पंचायती राज का ढांचा कैसे सुधारा जा सकता है उस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कुछ जिलों के कलेक्टर्स को बुलाया, कुछ बड़े अधिकारियों को बिठाया। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यहां के माननीय सदस्य, जिनका जीवन भर पंचायती राज से सम्बन्ध रहा है, को भी कृपा करके शामिल कर लिया जाये। आपको कुछ बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे और आप पंचायती राज को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें सहयोग मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी निर्णय कीजिए। हाफ हार्टेड तरीके से पंचायती राज अब नहीं चल सकता। आपने बीकानेर में बहुत लम्बी और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करके पंचायती राज से संबंधित लोगों की आकांक्षायें बढ़ाई हैं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जिस जोश-खरोश से वह जीतकर आये हैं और जो उनकी आकांक्षायें हैं वह सब ज्यों की त्यों रह जायेंगी।

(5.01 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आज स्थिति यह है कि विकास अधिकारी जो बैठे हुए हैं वह यह समझते हैं कि हम पांच-दस दिन में जाने वाले हैं। इस कारण सारे काम अस्त-व्यस्त हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप जल्दी ही कोई निर्णय लेकर पंचायती राज को आगे बढ़ाने में योगदान दें।

(श्री देवेन्द्रसिंह)

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री जी के भाषण के बारे में अभी चौमू से आने वाले विधायक ने चर्चा की। विधान सभा में सवालों के जवाब में या दूसरे प्रसंगों में जब-जब भी सहकारिता का जिक्र आया है माननीय राज्य मंत्री जी, सहकारिता ने उसके लिए सहकारिता के जीवन दर्शन, सहकारी आन्दोलन के प्रति निष्ठा और अनेकानेक शुभ और सुहावनी आकर्षक शब्दावली का प्रयोग किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सहकारिता मंत्री रहा हूं, उस समय मैं एक बात मानता था कि सहकारी आन्दोलन है क्या ? जो सहकारी आन्दोलन आज हम चला रहे हैं, केवल सस्ते ब्याज पर ऋण देने की जो इन्स्टीट्यूशन हम चला रहे हैं क्या उन इन्सटीट्यूशन को सहकारिता की भावना के आधार पर चलाई जाने वाली इन्सटीट्यूशन कहा जाये ? यह ठीक है कि गांव के ब्याजखोर, जो कर्ज देने वाले लोग हैं, से किसान को बचाकर सस्ती रेट पर कर्ज दे रहे हैं। राजकीय अनुदान की अगर बैसाखी नहीं लगाई जाये तो यह सहकारी आन्दोलन ही समाप्त हो जायेगा। मैं आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष, सहकारिता राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो सहकारी आन्दोलन चल रहा है मैं इसको सरकारी सहकारी आन्दोलन कहूंगा। इसमें सहकारिता न मुझे उस समय दिखी और न आज दिख रही है। जिस सहकारी आंदोलन को हम चला रहे हैं, जिसके बारे में आप बड़ी शुभ और आकर्षक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उसको बहुत भयंकर घुन लगा हुआ है, वह है भ्रष्टाचार का। मैं दोनों बातें आपसे कहूंगा।

पहले भ्रष्टाचार के लिये कर दूं कि सहकारी जीवनदर्शन और सहकारी आन्दोलन में जो घुन लग गया है, जो कैंसर हो गया है अगर उस कैंसर को समाप्त नहीं किया गया तो मेरा ऐसा ख्याल है कि यह बेमौत मर जायेगा क्योंकि कैंसर जैसे रोग का कोई इलाज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा में कल एक प्रश्न का जवाब दिया गया। उसमें पूछा गया था माननीय विधायक श्री हंसराज जी के द्वारा कि क्या राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के द्वारा जो दाल खरीदी गयी उसके अन्दर गड़बड़ियां पाई गई। कितनी खरीदी और कब खरीदी गयी, इसके बारे में पूछा गया। उसका जो जवाब आया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मन्त्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उस जवाब को फिर आप देख लें। कल आपने एप्रूव करके दिया है। अतारांकित सवाल का जवाब उसके आधार पर मैं जो तथ्य दे रहा हूं वह भी आप देख लें और उसके

(श्री कैलाश मेघवाल)

बाद में अगर अपराधियों को सजा दे सकें तो शायद यह सरकारी सहकारी आन्दोलन ठीक चलेगा। नहीं दे सकें तो आपकी मर्जी। हमारा काम है कहने का। उसमें बताया गया है कि 10643 रुपये 40 पैसे का लाभ रहा। यह सरासर असत्य है। असत्य तथ्य इसलिए है कि इस दाल के खरीद में घोटाले हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह निवेदन इसलिए आवश्यक हो गया है कि सहकारिता का स्वरूप जो सरकार या अधिकारी पेश कर रहे हैं वह सही स्वरूप नहीं है। वह सही छवि नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की एक जनरल बाडी की मीटिंग हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह मीटिंग हुई थी 18-8-81 को। जो मीटिंग हुई उसमें आपने लाभ बताया है, दो ढाई लाख का लाभ बताया है। लाभ बताने के साथ ही यह घोषणा भी की गई थी कि हम लाभांश का वितरण करेंगे। डिविडेन्ड देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद आकाशवाणी के द्वारा यह समाचार बड़ी तेजी से प्रसारित भी किया गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मीटिंग की मैंने तारीख बता दी उसके बाद क्या डिविडेन्ड का एक पैसा भी किसी को दिया गया या लाभांश का एक पैसा भी किसी को दिया गया? वास्तविकता यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय 18 लाख का घाटा हुआ उस समय शेयर होल्डर्स के बीच में कह दिया कि हम लाभांश वितरण करेंगे। आल इण्डिया रेडियो से उसका प्रसारण करवा दिया। यह सहकारी आन्दोलन का स्वरूप है जो आज जनता के सामने आप रखना चाहते हैं। असलियत कुछ और है और खुशनुमा छवि आप पेश कर रहे हैं उससे सहकारिता दिनों दिन समाप्त होती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं दाल घोटाला काण्ड के बारे में। दाल घोटाला काण्ड की वजह बता दूं, आप नोट कर लीजिये। एन.सी.सी. एक्ट में आपने क्रय विक्रय संघ को कहा था कि हम दाल खरीदेंगे। वह दक्षिण में बेचने के लिए तय हुआ। टेण्डर आमन्त्रित किये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक टेण्डर आया हरियाणा ट्रेडिंग का। हरियाणा ट्रेडिंग ने सबसे कम टेण्डर 414) रु. प्रति क्विंटल का दिया। पहली बात तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं, यह गंगानगर की पार्टी है। गंगानगर के सारे बाजार का भाव ले लीजिये; उस तारीख के जितने अखबार हैं, उन अखबारों से भाव ले लीजिये। उस समय दाल का भाव, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 395) रु. था। सारे अखबारों में देख लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्टीगत आपको माल देना था। भाई डेस्टीनेशन के लिए रेल में चढ़ाकर दोगे तो उस खर्चे सहित जो बिल्टी दोगे उसका हम चुकारा करेंगे। आपने 414) रु० प्रति क्विन्टल तय किया था जब कि 406 रु.

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रति क्विन्टल से ज्यादा नहीं पड़ता है। 20 हजार क्विन्टल माल खरीदना था। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं पहले टैण्डर में ही। लाख का जुगाड़ बैठ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, इसी कम्पनी को टेलीफोन करके राजस्थान सहकारी क्रय-विक्रय संघ के प्रबंध संचालक ने बुलाया और बुलाकर कहा 414 रु० प्रति क्विन्टल क्यों 444 रु० प्रति क्विन्टल देंगे तुमको, नेगोसियेट करो। एन.सी.सी. एक्ट में कहा है, उसको बेचना है। तब इसी कम्पनी से 444 रु० प्रति क्विन्टल में माल खरीदा गया। अब हिसाब लगा लें बैठे हुए माननीय सदस्य, 414 रु० प्रति क्विन्टल का प्राथमिक टैण्डर आया उसे बाद में 444 रु० प्रति क्विन्टल पर माल खरीद किया। प्रबन्ध संचालक को बुलाया और कहा 444 रु० प्रति क्विन्टल में दो 20 हजार क्विन्टल, 5 लाख का सौदा हो गया...... (व्यवधान)....6 लाख का सौदा हो गया, मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूं, आप व्यापारी वर्ग में से हैं न? एक तो यह बात हुई, उपाध्यक्ष महोदय, अब आगे क्या होता है। माल आपको भेजा रेलवे बिल्टी से। रेलवे बिल्टी में लिखा है कि माल हल्का है, गीला है। उसके बाद भी रेलवे को लिख दिया, बिल्टी आपको दे दी और माल दक्षिण में पहुंच गया। दक्षिण में पहुंचने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह माल देना था कर्नाटक वालों को। माल खराब था इसलिये कर्नाटक वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो उसे कर्नाटक के गोदाम में रखना पड़ा। एन. सी. सी. एक्ट में बिल का चुकारा किया गया, उस कम्पनी का पेमेन्ट करवा दिया और सस्ती दर पर माल वापस बेच दिया जिससे लाखों का घोटाला और घाटा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बजाय माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बताया, अनुमानतः 10 हजार का लाभ हुआ। यह है आपकी सहकारिता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इस राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के आडिट कब तक हुए हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसकी जनरल बाडी की दिसम्बर में मीटिंग हुई। जिस मीटिंग का हवाला दिया उसमें 74-75 की रिपोर्ट आई थी उसमें लाभांश बताया। उसके बाद आज तक आडिट नहीं हुआ। आडिट रिपोर्ट में आडिटर क्या लिखते हैं। आडिटर ने नोट लगाया है, माननीय सहकारिता मन्त्री जी आप नोट कर लीजिये। चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स ने लिखा है मैंने जो सूचना व रिकार्ड मांगे वह उपलब्ध नहीं कराये गये। बैलेन्स शीट सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करती है। यह नोट है। उसके बाद लगातार भयंकर अपराध चल रहे हैं। माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, वह अपराध यह है कि उन अकाउन्ट्स को दुबारा लिखा जा रहा है। सहकारिता का यह स्वरूप पेश किया है कि दुबारा अकाउन्ट्स लिखे जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, सहकारिता राज्य मंत्री जी, आप जाकर उस रिकार्ड को अपने कब्जे में लीजिये और ले करके देखिये तो आपको असलियत मालूम पड़ेगी। जैसा नोट चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स ने लगाया है उसे आप देख लें। यह हालत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हालत है सहकारिता की। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों नियुक्तियां दी गईं। जिस व्यक्ति को नियुक्ति दी गई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, उसका रेंज क्या है? वेतन शृंखला के लिये लड़ रहे × × × कर्मचारी किन्तु उसको वेतन शृंखला 2000 से 2350 में नियुक्ति दी गई। आई. ए. एस. की ग्रेड 700 से चालू होती है, आर. ए. एस. की ग्रेड 400-500 से चालू होती है, उसको 2000 से 2350 की ग्रेड में नियुक्ति दी है। उसकी चयन समिति कौन थी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक नहीं है ऐसे अनेकों अधिकारी वहां जमे हुए हैं। उनका मानना है, लूटो और इसलिये लूटो कि अन्धेरगर्दी मची हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, कोई धोखे में न रहे कि राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ में 95 पर्सेन्ट पूंजी राज्य सरकार की लगी हुई है। केपिटल शेयर है, केवल 5 पर्सेन्ट दूसरों का है। 95 पर्सेन्ट में 5 करोड़ रुपया राज्य सरकार का लगा हुआ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस 5 करोड़ में से अभी तक ढाई करोड़ रुपया लूटा जा चुका है। यह मैं सीधा आरोप लगाता हूं। यह लूट कहां हुई? कई तरह के जोइन्ट वेंचर के बिजनेस किये, जोइन्ट वेन्चर का जो बिजनेस किया उसमें कहीं पर अरहर खरीदी, कहीं पर चना खरीदा, कहीं पर सरसों खरीदा और कहीं पर दूसरे आइटम्स खरीदे। कुल मिलाकर इस तरह से घोटाले किये। ढाई करोड रुपये तो गये। प्राथमिक रिपोर्ट तैयार हुई जिसके कारण ये लेखे दुबारा तैयार किये जा रहे हैं लेकिन मुझे मालूम है, सहकारिता मंत्री जी, आप उनका कुछ नहीं बिगाड सकेंगे। राजनैतिक शक्ति उसके पीछे है। मैं नोटिस देना चाहता था लेकिन कुछ विलम्ब हो गया इसलिये मैंने नोटिस नहीं दिया। जो वहां के प्रबन्ध संचालक हैं वे राजनेताओं के रिश्तेदार हैं। वे सब कुछ करते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कल की तारीख में छापा मार कर अपने कब्जे में लीजिये। राजस्थान की जनता के ढाई करोड़ रुपयों का घोटाला हो चुका है। क्या यही है आपकी सहकारिता का स्वरूप?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन से अनुदान की मांगे पास कराई जा रही हैं कि हमको सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये इतने करोड़ रुपये दो। वह दिया जायेगा क्योंकि बहुमत आपके पास है। वह दिया जायेगा, मुझे मालूम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम विरोध करेंगे तो भी दिया जायेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह स्थिति ठीक नहीं की गई तो इसके आधार पर सारे राजस्थान का सहकारिता आन्दोलन समाप्त हो जायगा। आज सारे राजस्थान का सहकारी आन्दोलन दूषित हो रहा है, सारे राजस्थान का सहकारी आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। दाल काण्ड हुआ। वेयर हाउस, हैदराबाद से सामान मंगाया था उसके ब्याज का क्या हुआ? यह अलग पड़ा है और विधान सभा में गलत जवाब दे दिया। अगर आप में ईमानदारी है और सहकारिता का जीवन दर्शन है तो उस जीवन दर्शन का, राज्य मन्त्री जी, प्रतिबिम्बित कीजिये अपने कृत्या में। जैसा हमारे चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जैसा हमारे बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ये तीनों ही विधायक कांग्रेस (आई) के हैं। उन्होंने कहा है इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सहकारिता की हालत है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में ढाई करोड़ का घोटाला हो चुका है। मैं दरख्वास्त करता हूं अब भी घोटाले समाप्त करना है तो इसको लिटिगेशन में भेज दें। मत खाने दें उनको राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा। किस ढंग से खा रहे हैं, उसका मैंने केवल आपके सामने एक उदाहरण दिया। ऐसा ही उदाहरण दूसरे मामलों में है।

1975 से आज तक कोई आडिट नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, एक भौतिक सवाल उठाना चाहता हूं, आखिर आप आडिट क्यों करवाते हैं? यहां सभी सदस्य विराज रहे हैं, आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं और आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अच्छे वकील रहे हैं, आडिट जो होता है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ए.जी. आफिस के द्वारा जो आडिट होता है, जन लेखा समिति के सामने सारी आडिट रिपोर्ट आती है पैराग्राफ वाइज उनके बारे में पूछताछ और जांच होती है और अधिकारियों को दंडित किया जाता है। आज की तारीख तक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारी आन्दोलन में ढाई लाख के आडिट आब्जेक्शन पड़े हैं। क्यों आपने कराया आडिट? क्यों यह आडिट रिपोर्ट आपने रख रखी है? क्यों सरकार का खर्चा आप इस पर कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग का आडिट का अपना एक सेक्शन है और आडिटर्स पर लाखों रुपये तनख्वाह के खर्च हो रहे हैं। वे मेहनत करके वैसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

पूरी प्रामाणिकता से घोटाले निकाल नहीं पाते, कई तरह के लिहाज, मुलाहिजे, दबाव होते हैं। उसी विभाग के लोग हैं, उसके बाद भी आब्जेक्शन निकालते हैं किन्तु ढाई लाख के आडिट आब्जेक्शन विभिन्न सहकारी समितियों के, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के, दूसरी सहकारी समितियों के आज पेण्डिंग पड़े हैं। आडिट हो जाने के बाद में आडिट रिपोर्ट में गबन सामने आता है तो भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की जाती है। आडिट हो जाने के बाद कोई घोटाला या सामान में शार्टेज का मामला सामने आया है तो भी केस नहीं चलता। मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि सहकारिता का आन्दोलन ठीक चले तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सहकारिता राज्य मन्त्री से, आप एक अभियान चला दीजिए एक महीने का, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह आप वसूलियों का अभियान चला देते हैं उसी प्रकार अपने अधिकारियों और दूसरे विभागों से अधिकारी उधार लेकर एक अभियान चलाइये कि तीन महीने या दो डेढ़ महीने के अन्दर राजस्थान के सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी समितियों में जितने आडिट आब्जेक्शन पेंडिंग हैं, उनका निपटारा किया जायेगा, उनका समाधान किया जायेगा। यह घोषणा करके देखिये आप। यह हालत है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसका उदाहरण मैंने दिया, अलग-अलग बैंकों में आज मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बाड़मेर का भी सवाल उठाया, भरतपुर का भी सवाल उठाया, अजमेर का भी सवाल उठाया, बुंदी का भी सवाल उठाया, उदयपुर का भी सवाल उठाया। वहां जिस तरह के हालात हैं वहां के सारे विधायक जानते हैं कि क्या हालत है। मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैं कुछ दूसरी बात आज निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के एकीकरण का। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार के बाद किसानों को जो ऋण 15 पर्सेन्ट पर दिया जा रहा था, उसको 12 प्रतिशत पर देना चालू किया। किसानों को जो 12 प्रतिशत पर दिया जा रहा था, उसको साढ़े दस प्रतिशत पर देना चालू किया। उसके बाद एक चिन्तन हुआ, एक कमेटी बैठी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसने तय किया कि सहकारिता ऋण को देने वाले सारे खर्च को एकीकृत कर दिया जाय। इस सारे खर्चे को एकीकृत करने के पीछे उद्देश्य क्या था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे सह-

(श्री कैलाश मेघवाल)

कारिता के टायर्स हैं, सहकारी विभाग के टायर्स हैं इनके कारण 2-2 पर्सेन्ट का का ब्याज किसान पर चढ़ता चला जाता है। रिजर्व बैंक से सी. सी. बैंक को, राजस्थान की सहकारिता बैंक को आता है कर्जा वह दो पर्सेन्ट सेवा का रख लेता है, उससे जो सी. सी. बी. को देते हैं, वह 2 पर्सेन्ट सेवा का रख लेता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। हमने एक ढांचा बनाया था और एक कल्पना की थी कि राजस्थान के किसान की अल्प कालीन ऋण, मध्यम कालीन ऋण, और दीर्घ कालीन ऋण की सारी आवश्यकताएं एक खिड़की से पूरी होनी चाहिए। एक खिड़की पर उसके सारे खाते रहेंगे, सारे आंकड़े रहेंगे, सारे उसके जो खेती के दस्तावेजात हैं, वे रखे रहेंगे तो उसको सुविधा होगी। सुविधा होने के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बहुत बड़ा लाभ होगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगा। आज दोहरा कार्य चलता है। आज आपकी वसूलियों के लिये केन्द्रीय सहकारी बैंक की जीपें अलग जा रही हैं उसका वसूलकर्त्ता अलग जा रहा है, भूमि विकास बैंक की जीपें अलग जा रही हैं, उसका वसूलकर्त्ता अलग जा रहा है, वे अलग से कुछ कर रहे हैं, सारे ढांचे में डुप्लीकेशन है, इस डुप्लीकेशन में कोई एक्सपर्टाइज की कमी नहीं है। वही लोग हैं, इधर से उधर ट्रांसफर भी होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय लिया था कि इसको एकीकृत किया जाय। उस एकीकृत के विरोध में बहुत बड़ा निहित तबका कौन है? वह सबसे बड़ा तबका मैं कोई छोटी मोटी कुर्सी पर बैठने वालों को नहीं मानता। सबसे बड़ा तबका है, कार्मशियल बैंक्स का। ये कार्मशियल बैंक यह बात नहीं चाहते कि राजस्थान का सहकारिता बैंक एक शक्तिशाली बैंक हो जाय। अगर भूमि विकास बैंक, सी. सी. बी., ये सारे बैंक मिल गये, सारी जमा पूंजी एक जगह आ गयी, शेयर कैपिटल एक जगह आ गयी, इसके द्वारा मिलने वाला कर्जा एक जगह आ गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा था ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं देख रहा था, मेरे से पहले बोलने वाले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खिलाफ नहीं हो रहे, मुझे संकेत दे रहे हैं कि आप जरा और तेजी से बोलो और सही सुझाव दो। मैंने अब सुझाव देना चालू किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले प्रत्येक ने आधा घंटा लिया। मैं भूतपूर्व मंत्री हूं, कुछ 5-7 मिनट का कन्सेशन लेना चाहता हूं, तो मिलना चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि हमने निर्णय लिया किन्तु कार्मशियल

(श्री कैलाश मेघवाल)

बैंक नहीं चाहते. कार्मशियल बैंक की एक लाबी है। रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया में बैठे हुए गवर्नर ग्राश्चर्य कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग ग्रपना शिष्ट मण्डल लेकर रिजर्व बैंक ग्रॉफ इण्डिया के गवर्नर से बात करने गये ग्रौर उसके बाद यह साबित कर दिया कि हमारी पालिटिकल विल है ग्रौर हम काम करके रहेंगे। वहां से भी क्लियरेंस ले ली। यह ग्राज मैं ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब उधर बैठते थे, उस जगह पर ग्रापकी कोने की सीट पर बैठता था, उस समय मैंने घोषणा की कि रिजर्व बैंक ने हमारी इस योजना को स्वीकार कर लिया है तो इधर बैठने वाले उस समय के जितने लोग थे, ग्राज तो वह नहीं हैं, राजस्थान कांग्रेस (ग्राई) के ग्रध्यक्ष हैं, रामनारायणजी चौधरी, उन्होंने बधाई दी थी कि ये हम नहीं कर सके। उस समय श्रीमती सुमित्रा सिंह चौधरी ने बधाई दी थी। माननीय परसराम मदेरणा हैं, उनकी तो समझने की शक्ति बहुत तेज है। इस तरफ बैठने वाले सारे लोग, जो सहकारिता के ग्रान्दोलन से जुड़े हुए थे, ने कहा था यह जनता पार्टी का निर्णय ठीक है। इससे किसान को सस्ते ब्याज पर ऋण मिलेगा क्योंकि एक बीच का बैंक कम होता है तो खर्चे कम होते हैं, खर्च कम होते हैं, कम खर्च ग्राता है तो ब्याज की दरें नीचे ग्राती हैं। इससे न केवल बैंकों की शाखायें बढ़ेंगी बल्कि गांव गांव में किसान की सेवा इनके द्वारा होगी। यह एक निर्णय लिया था। मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं, ग्राप उस समय की प्रोसिडिंग्स उठाकर देखिये, ग्रपनी कांग्रेस पार्टी में रखिये ग्रौर विचार कीजिये, क्या कारण है कि ग्राज तक ग्रापने उसको लागू नहीं किया। पिछली बार एक सवाल उठा था उस पर कह दिया कि विचाराधीन है। मैं उस वक्त कुछ बोला नहीं। उसकी ग्राखिर क्या स्थिति है, सहकारिता के ग्रांदोलन में वह एक सही कदम है, ग्रच्छा कदम है, एक प्रभावी रूप से उठा हुग्रा कदम है। जिसका उस समय के विरोध पक्ष कांग्रेस (ग्राई) के प्रवक्ता, जो उस समय लीडर थे श्रीमान् राम नारायणजी चौधरी, ने स्वागत किया था। जैसा मैंने ग्रापसे निवेदन किया, वह कदम उठाइये। उस कदम से सहकारी ग्रान्दोलन वास्तव में गतिशील होगा। ग्राज भी जो सहकारी बैंक से ऋण मिल रहा है वह ऋण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार कार्मशियल बैंकों की रेट से भी ज्यादा है। कार्मशियल बैंक की पेनलन्टीज नहीं होतीं, कार्मशियल बैंक की दूसरी लागतें नहीं होतीं, वे सारी लागतें सहकारी बैंकों में लगती हैं ग्रौर सहकारी बैंक कार्मशियल बैंक के मुकाबले में कभी कभी ज्यादा ब्याज लेने की स्थिति में ग्रा

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाता है । इस पर आपको सोचना पड़ेगा ।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, सहकारी आंदोलन वार्ता से नहीं चलेगा । अगर आप चाहते हैं, सहकारी आंदोलन चले तो आपको सहकारी आर्थिक व्यवस्था के बारे में कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा । सहकारी आर्थिक व्यवस्था सहकारी आर्थिक व्यवस्था नहीं जैसा चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 50 रुपये की चीज बाजार से लाकर 65 रुपये में बेचें । अगर इसको सहकारी आर्थिक व्यवस्था कहना चाहो तो सरकारी सहकारिता तो चलती रहेगी जब तक हम यहां पर बैठकर बहुमत के आधार पर अनुदान की मांग द्वारा पैसा पास करते रहेंगे, बाकी सहकारी आंदोलन नहीं चलेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर स्थिति क्या है । जैसा मैंने उस समय कहा कि दाल जो खरीदी गयी, क्रय विक्रय सहकारी समिति से नहीं खरीदी, वह दाल प्राइवेट बाजार से, प्राइवेट सैक्टर से खरीदी गयी । सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने की आवश्यकता है तो हर क्षेत्र में आप सहकारी समिति खड़ी कीजिए। आप जिस चीज को, जिस आइटम को बेचना चाहते हैं, जिस आइटम का सरकार वितरण करना चाहती है, अपनी तरफ से बेचना चाहती है, उसको सहकारिता के क्षेत्र में तैयार करवाइये ।

आपको सहकारिता अर्थ व्यवस्था की एक नींव डालनी पड़ेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोहन धारिया केन्द्र में सहकारिता मंत्री थे, मैंने मोहन धारिया साहब से कहा था कि कि आखिर सहकारिता का मतलब क्या है ? सहकारिता को चलाने के लिए सहकारी अर्थ व्यवस्था बनानी पड़ेगी । बिना सहकारी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किये सहकारी आन्दोलन नहीं चल सकता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही सहकारी अर्थ व्यवस्था कैसे चलेगी, आप स्वयं सोच लें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े उन्होंने दिये हैं जो सही नहीं है । उन्होंने कहा कि इतनी सहकारी समितियां चल रही हैं । वह सहकारी समितियां जिनको राजकीय अनुदान नहीं मिलता, वह सहकारी समितियां जिनमें आपके सरकारी कर्मचारियों का कहीं हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां हैं और वह कितनी पूंजी से काम चला रही हैं, इसकी जानकारी करें तो सहकारी आन्दोलन का पर्दाफाश हो जाएगा । ये सहकारी समितियां वही हैं जिन्हें या तो सरकार चला रही है या जिनमें सारा पैसा सरकार से आ रहा है । सारा यह महकमा

(श्री कैलाश मेघवाल)

चल रहा है। सारे लोग डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं। सारा पैसा सरकार का आप पास करते हैं, गड़बड़ उसके अन्दर भी है। सहकारी आन्दोलन का जो दूसरा ढांचा है, कहीं बुनकर सहकारी समितियां हों, कहीं लुहारों की सहकारी समितियां हों, कहीं चर्मकारों की सहकारी समितियां हों कहीं खातियों की सहकारी समितियां हों, कई तरह की सहकारी समितियां हों, वह इस सहकारी ढांचे के अन्दर ही बन रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सहकारिता राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके आप आंकड़े दीजिए। उसके बाद मालूम पड़ेगा कि राजस्थान का सहकारी आन्दोलन क्या है। आज जो मांगें मंजूर करवा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। आखिर वह सारा का सारा पैसा हमारा है। मैं आज भी इसको मानने को तैयार नहीं सहकारी है। आन्दोलन आगे नही बढ़ सकता। यह सब इसलिए हो रहा है कि आपको देखने की फुरसत नहीं। आप सहकारी आन्दोलन को तैयार कीजिए। इसके लिए आपको चार अंग तैयार करने पड़ेंगे। उन चार अंगों में पहली बात तो है बिल्डिंग अप आर्गनाइजेशनल डिसिप्लीन। मैं मानता हूं कि सहकारिता में डिसिप्लीन नहीं होगा तो, हमारे माननीय शोभारामजी आज नहीं है, शोभारामजी, जो अलवर के विधायक थे, उनकी अध्यक्षता एक शोभाराम कमेटी बनी थी उस शोभाराम कमेटी में कई प्रमुख सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुए लोग सदस्य थे उन्होंने सिफारिश की थी सहकारी आन्दोलन को ठीक करने के लिए वह सिफारिशें काम में ली जानी चाहिये। हमने कोशिश की, डायरेक्शन दिए, उसके बारे में चिंतन किया उसके आधार पर पिछले दिनों में जनता पार्टी की सरकार ने क्रियान्वयन चालू किया। मैं कहना चाहता हूं कि उसको क्यों छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी सिफारिश है, आज आपका रजिस्ट्रार हर दो साल में बदल जाता है। सहकारिता का तकनीकी विषय है उस तकनीकी विषय को चलाने वाले चाहिये, एक्सपर्टाइज लोग होने चाहिए। अब आज हालत क्या हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक अपील होती है दफा 74 में जिसका एक ए. आई. आर. फैसला करता है, दूसरे फैसला करते हैं। उसकी अपील होती है। माननीय सहकारिता राज्य मंत्रीजी, मैं किसी और संकेत नहीं करना चाहता, आपके एडीशनल रजिस्ट्रार बैठे हैं उनसे जाकर पूछ लो। पिछले तीन महीने से वे कह रहे हैं हम अपील नहीं सुन सकते। आपके पास आ रहे हैं सचिवालय में और आप कह रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, एडीशनल रजिस्ट्रार के पास जाओ। कोई तय करने के लिए तैयार नहीं है कि किसको क्या अधिकार है, कौन क्या काम करेगा। एक हर्डल आ गया

(श्री कैलाश मेघवाल)

है। सहकारी आन्दोलन से जुड़ा हुआ आदमी उधर परेशान हो रहा है, इधर परेशान हो रहा है, वहां परेशान हो रहा है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार आप लेकर बैठे हैं। छोटी-छोटी बातों पर आप प्रोसिडिंग्स लाये हैं। ऐसी कोई कानूनी गुत्थी आ गई....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्व-पूर्ण सुझाव मैं दे रहा हूं। राजस्थान का सहकारिता आन्दोलन इससे लाभान्वित होगा और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, मैं यह मानता हूं।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोआप-रेटिव....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरों को भी मौका देना है हमको।

श्री कैलाश मेघवाल : एक कोआपरे-टिव ट्रिब्यूनल बना हुआ है आपका। ट्रिब्यूनल बना हुआ है। आप तय नहीं कर सकते, आपके दोनों एडीशनल रजिस्ट्रार कहते हैं कि हम नहीं सुन सकते तो आप उस ट्रिब्यूनल को दे दीजिए। आप पर भी कभी आरोप नहीं आयेंगे, सिफारिशें भी नहीं आयेंगी क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विस का आदमी लगता है ट्रिब्यूनल में। वह राजस्थान जुडिशियरी का आता है। तो आप सिफारिशों से बच जायेंगे। यह आवश्यक है। क्योंकि सहकारी आन्दोलन में जिस तरह से लोग भ्रष्टाचार में उलझे हुए हैं वे किसी न किसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिफारशें तो ले ही आते हैं। सिफारिशों का सम्बन्ध लिहाज से पड़ता है, मानव स्वभाव से पड़ता है। अच्छे-अच्छे भी झुक जाते हैं। हमारे माननीय सहकारिता राज्य मंत्रीजी अगर झुक भी जाते हैं तो उनको दोषी मैं मानता नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा झुक जाते हैं जैसे अभी ढाई करोड़ का घोटाला बताया उसमें झुक जाते हैं तो मुझे अफसोस होगा। मैं छोटे मामलों में नहीं जाता।

दूसरा आपका है स्ट्रेंथनिंग दी फाइ-नेंशियल रिसोर्सेज। आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कहां से आएगा पैसा ? सरकारी अनुदान से चलाते रहेंगे तो कैसे होगा। सहकारिता आंदोलन को आर्थिक ढांचे पर खड़ा किये बिना आप सहकारिता नहीं चला सकते। इसलिये रिसोर्सेज के मार्ग खोजने पड़ेंगे। कौनसी कमियां हैं, कहां से पूरा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा है Introducing efficiency in the management and educating the

(श्री कैलाश मेघवाल)

members. एफीशियेंसी मैनेजमेंट में आनी चाहिये। मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी, दुबारा चर्चा करना नहीं चाहता हूं, उपभोक्ता संघ में आपके 78 के, 79 के केस हैं, क्या किया फैसला। सन् 74 के मुकदमे चल रहे हैं। सालों से चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी सहकारी आन्दोलन में सबसे बड़ी बात है, प्रशिक्षण। सहकारिता का प्रशिक्षण दिए बिना, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजकीय कर्मचारी जो आपके यहां लगते हैं, आज आप देखते होंगे कि एक इंसपेक्टर लगता है, बी. ए. पास, उससे काम लेते हैं। मैंने भी लिया है, आपकी गलती नहीं। मैंने भी उस समय कोशिश की थी कि कोई सहकारिता का डिप्लोमा चालू किया जावे। सहकारिता के बारे में प्रशिक्षण चालू किया जावे। उस विशेष प्रशिक्षण के आधार पर लोगों को सहकारी आंदोलन में रिक्रूट किया जावे। जो आपका सहकारी जीवन दर्शन है, नीचे के असिस्टेंट इंसपेक्टर और उसमें भी नीचे जो सहकारी समितियों के सचिव हैं, उसका कमिटमेंट भी सहकारी जीवन दर्शन के प्रति होना चाहिए। अगर वह कमिटमेंट है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आन्दोलन बढ़ेगा, यह आन्दोलन चलेगा, यह आन्दोलन किसानों की सेवा कर सकेगा। शोषण के खिलाफ अगर कोई आन्दोलन चल रहा है तो वह सहकारिता का आंदोलन है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार नश्तर लगाना पड़ेगा, उसका पोस्टमार्टम करना होगा उसका बड़ा आपरेशन करना होगा। राजस्थान में आप कहीं पर चले जाइये, मैं जाता था तो लोग कहते थे कि सहकारिता में भ्रष्टाचार है। कहीं चले जाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता की बात आती है तो सहकारिता का मतलब ऐसा हो गया है जैसे सहकारिता और भ्रष्टाचार तो सिनोनीमस है, पर्यायवाचक हो गये हैं। ऐसी स्थिति बन चुकी है। मैंने अनेकानेक बड़े घोटाले पहले बता दिए, छोटे घोटाले और बताना चाहता था लेकिन आप भृकुटि चढ़ा रहे है। मेरे पर और मैं चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य I have to do justice to all.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तैयारी करके हम आते हैं आपको ...

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, कन्विन्स कर सकते है थोड़े से शब्दों में।

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसी करने की समझ मेरे में अभी आई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या स्टेज है आपकी, पब्लिक मीटिंग की तरह बोले हैं। थोड़े में कन्विन्स कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में तो आप समय देंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं होगा। पासिबल नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, मैं आपकी आज्ञा को मान कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ एक्सप्लेशन।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री सूर्यकुमार : आन ए पाइन्ट आफ एक्सप्लेशन।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान क्रय विक्रय संघ के द्वारा जो सूचना माननीय मंत्री महोदय को एक प्रश्न के उत्तर में दी गई है उसके बारे में आरोप लगाया है कि वह सूचना असत्य है। मैं राजस्थान क्रय विक्रय संघ का वर्तमान में अध्यक्ष हूं। मैं चाहता हूं कि इस भवन में, इस सदन में सही बात अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा तब बताना आप।

श्री सूर्यकुमार : यह तो अभी मिलना चाहिये, उपाध्यक्ष महोदय। इसी वक्त मुझे मिलना चाहिये। यह नियमानुसार मैं समय पर मांग कर रहा हूं।

मैं केवल तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को जो सूचना दी है किसी ने, मेरे ख्याल से वह असत्य है। वह सूचना असत्य है। वह सूचना दूबारा कन्फर्म करें कि 18-8-81 को राजस्थान क्रय-विक्रय संघ की जनरल बाडी की कोई मीटिंग हुई थी क्या ? 18-8-81 को राजस्थान क्रय-विक्रय राज्य संघ की जनरल बाडी की मीटिंग नहीं हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब हुई है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : तारीख गलत आ गई। देखिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टीकरण जो आ रहा है इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्पष्टीकरण आए, मैं चाहता हूं कि मेरे तथ्य अगर गलत हों तो उसको करेक्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अन्त नहीं होगा, माननीय सदस्य। पहले इनको कहने दीजिए। आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मीटिंग हुई और रेडियों पर आपने सूचना दी है वह....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री कैलाश मेघवाल : अगर तारीख गलत है तो आप बताइये कि कौन सी है।।

श्री सूर्यकुमार : प्रश्न यह रह जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मीटिंग 18-8-81 के पहले कब हुई थी। चूंकि मैंने जोइन ही 10 जून, 81 को किया है इस वास्ते मुझे पता नहीं। इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय देंगे।

रह जाता है यह प्रश्न माननीय सदस्य ने कहा कि चने की दाल के सम्बन्ध में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय विधायक, श्री हंसराज शर्मा ने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर आया। उस उत्तर में सूचना सहकारिता मंत्री महोदय ने सही नहीं दी। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि माननीय विधायक ने प्रश्न पूछा था, वर्ष 1981-82 में राजस्थान क्रय-विक्रय संघ ने चने की दाल कितनी खरीदी, कितने रुपयों की खरीदी वर्ष 82-83 में, अजमेर आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, सहकारी वर्ष एक जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को अन्त होता है। वर्ष 1981-82 का पूछा इसका सीधा अर्थ यह था एक जुलाई, 81 से लेकर 30 जून तक कितनी आपने चने की दाल खरीदी। मैं दावे के साथ अर्ज करना चाहता हूं, वर्ष 1981-82 का जो सहकारी वर्ष है, इसकी जो सूचना दी गई है....

(व्यवधान)

विराजिये, विराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सूर्यकुमार : सहकारी मंत्री रहे हैं, सहकारी वर्ष को जानते हैं। सहकारी संस्था का प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, इसलिये उस संदर्भ में बोलना पड़ेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : यह स्पष्टीकरण है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में टोकिये नहीं।

श्री सूर्य कुमार : मैं तीसरी बात यह निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस चने की दाल की डिलिंग के लिये अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया कि उसमें बड़ा घोटाला हो गया। मैं बहुत विश्वास के साथ निवेदन करने जा रहा हूं, उसमें किसी प्रकार

(श्री सूर्यकुमार)

का कोई घोटाला नहीं हुआ। वह एक कमीशन बेसिस पर किया हुआ बंधा था। उसमें सारा पैसा राजस्थान क्रय-विक्रय संघ को आ चुका है केवल तीन लाख और कुछ रुपया आना बाकी है, वह भी आ जाएगा। शेष तथ्यों के बारे में माननीय सहकारिता मंत्री अपने उत्तर में जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तथ्य तो मंत्री भी कह सकते थे।

श्री कैलाश मेघवाल : आडिट कब तक का हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : He is not the competent person to say.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति वहां बैठा है, वह कहते हैं अध्यक्ष हूं तो उनको मालूम होना चाहिये. आडिट कब तक का हुआ है ? इसका जवाब दीजिये।

श्री सूर्यकुमार : मुझे मालूम है जब आप मंत्री रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं वाद विवाद अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जवाब नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम ग्रामों के सामुदायिक विकास और पंचायत राज के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। पंचायत राज से मेरा एक लम्बे समय तक सम्बन्ध होने के नाते इस सम्बन्ध में मेरी कुछ अनुभूतियां हैं उनके आधार पर, उनके परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करने जा रहा हूं। आने वाले नये वित्तीय वर्ष में राजस्थान के पंचायती राज के ढांचे में कुछ परिवर्तन होने और उसको सशकत बनाने की बात पिछले कुछ दिनों से सामने आई है। मैं इस पंचायती राज को एक तरह से जनता से सीधे सम्बन्धित और एक तरह से जनता के विभाग के रूप में ज्यादा मानता हूं इसलिये इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को आत्म निर्भर बनाने की दृष्टि से पंचायत राज संस्थाओं को गतिशील और सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पंचायती राज वित्त निगम नाम का एक संगठन संगठित करना चाहिये। पंचायत, पंचायत समिति और राज्य सरकार सभी प्रकार के व्यक्तियों का ऐसा निगम हो, जिसके मार्फत वित्तीय आधार पर सारे फण्ड्स नीचे के स्तर पर दिये जायें। एक अच्छा वित्त निगम बने। जैसे अन्य प्रकार के वित्त निगम और संस्थाएं प्रदेश लेवल पर होती हैं, उस तरह का राजस्थान में पंचायत राज वित्त निगम बनाया जाना चाहिये।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत राज की दस पांच पन्द्रह वर्षों में कभी कभी समीक्षा होती है, कभी कभी कमेटी बन जाती है उस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट प्रायः अलमारी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में बन्द रहती है । उस पर अमल नहीं होता है । राजस्थान में बलवन्तराय मेहता कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट पर कुछ अमल नहीं हुआ । उसके बाद सादिक अली कमेटी बनी, उसके बाद गिरधारी लाल व्यास कमेटी बनी, और शायद अशोक मेहता कमेटी अखिल भारतीय स्तर पर बनी । उन सबकी जो सिफारिशें हैं उन सबकी जो रिपोर्ट हैं आज के संदर्भ में उन सबकी समीक्षा करके, मैं चाहूंगा, राजस्थान में पंचायत राज का नया ढांचा, नया स्वरूप बनाने की बात होनी चाहिये । पंचायत राज कानून 1953 में बना था, पंचायत समिति जिला परिषद् एक्ट 1959 में बना था, समय समय पर इसमें संशोधन, परिवर्तन परिवर्द्धन हुए हैं । उन परिवर्द्धन और संशोधनों को गहराई से देखा जाये तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण केन्द्रीकरण के रूप में परिवर्तित किया गया है । एक तरह से सत्ता को केन्द्रित करने का प्रयास विशेष तौर पर किया गया है । मैं विशेष तौर से यह चाहूंगा, राज्य सरकार जल्दबाजी न करे । अप्रेल से लागू करने का सवाल आवश्यक नहीं, मई से लागू करने का सवाल आवश्यक नहीं दो अक्टूबर, 1982 से लागू करें । पंचायत राज संस्थाओं का एक वृहद कानून ध्यान देकर सभी सिफारिशों का समावेश करते हुए बने । उनके आधार पर फिर से पंचायत राज की समीक्षा की जाय । पंचायत राज के जो अनुभवी लोग हैं, इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनका सब का सहयोग प्राप्त करके एक अच्छा ढांचा नये ढंग से शुरू किया जाय ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, अभी पंचायत राज के चुनाव हुए । पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के बाद जो पिछले वर्षों में वार्ड ज्यादा थे, उनको गत 1978 में शायद कम किया गया जब कि जनसंख्या बढ़ी । नये वार्डों का गठन नहीं हुआ । मैं निवेदन करना चाहूंगा, नये वार्डों का गठन बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर होने की व्यवस्था हो । कई वार्ड बहुत बड़ी जनसंख्या के बन गये इस कारण प्रशासन, विकास और देखभाल में कठिनाई रहती है । आपने 1960 में पंचायत बनाने के वक्त जिस तरह जनसंख्या के आधार पर सभी बातें देखी थीं, उसी तरह पंचायतें कई जगह बनाने की आवश्यकता है । इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिये ।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायतों में भूमि विक्रय के मामले सामने आते हैं अलग अलग स्थितियां सामने आती हैं उसके आधार पर कानून में एक प्रकार से संशोधन आवश्यक है । जैसे कोई नजूल कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र के लिये, उसी तरह खण्ड स्तर पर या तहसील स्तर पर कोई कमेटी गठित होनी चाहिये जिसमें सारे सरपंच तहसीलदार, प्रधान, विधायक हों और वह दरों का निर्धारण करें । उन दरों के आधार

184

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पर भूमि विक्रय होनी चाहिये । एक को 11 रुपये में पट्टा मिल जाता है, किसी को पांच रुपये में और किसी को दो रुपये में मिल जाता है । अपनी अपनी मर्जी से बिना किसी नियम के, बिना किसी तौर तरीके से यह हो जाता है । कई बार नीलामी नहीं होती है । कुछ लोग बैठकर, कागज तैयार करके भूमि विक्रय का आपस में निर्णय करके पट्टा जारी कर देते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कमेटी बने जो रेट निर्धारित करे । यह व्यवस्था की जाय, यह बहुत आवश्यक है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी पंचायत एक्ट में यह प्रावधान है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पंचायत की मीटिंग में जायेंगे, यह उसके सह सदस्य हैं । आज के दिन राजस्थान की किसी पंचायत में न तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है और न अभी तक सम्मिलित हो रहे हैं । इसलिये इस कानून की, मैं समझता हूं, पालना नहीं हो पा रही है । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान में पंचायत राज के निर्णय जो होते है, दीवानी, फौजदारी के उनकी मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां अपील करते हैं । प्रशासनिक और दूसरे भूमि विक्रय के मामले हैं वह पंचायत समिति की स्थायी समिति के समक्ष जाते हैं । मैं यह चाहूंगा, जैसे पुराने समय में तहसील पंचायतें थी, पंचायत राज को आप अदालतों के चक्कर में मत डालो । पंचायत राज को दलबन्दी में मत डालो । इस दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा तहसील स्तर पर फिर से आप तहसील पंचायत गठित कीजिये ताकि अपील सारी की सारी वहीं हो जाय और लोगों को आगे नहीं जाना पड़े ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में पचास एकड़ के तालाब पंचायत समिति को दिये गये हैं, उसमें राजस्व विभाग इन्वाल्व होता है और पंचायत समिति उसमें है । जो तालाब पंचायत समिति को ट्रांसफर कर दिये गये हैं, उसमें चाहे जमीन काश्त का मामला हो चाहे उसमें बबूल का, घास का मामला हो, चाहे ढुलाई का मामला हो वह सारे के सारे अधिकार पंचायत समिति को रहने चाहिये । एक तो यह निवेदन है । इसके साथ-साथ कई प्रकार की व्यवस्था है । चरागाह पंचायतों को सुपुर्द कर दिये जाते हैं, उसमें बाद में तहसील की कार्यवाही होती है, कुछ पैसा तहसील के लोग लेते हैं, फिर बाद में उन से जब जुर्माना या पेनल्टी होती है, वह पंचायत को लौटायी जाती है, कहीं पंचायत लेती है, कहीं वर्षों से नहीं लेती है । इसी तरह से तालाब, पिलाई और रेवेन्यू शामिल है उसके चालीस पर्सेन्ट के नियम पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं । किन्तु आज तक वह राशि पंचायत समिति को वापस नहीं दी जाती है । इसके लिये स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये । मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि इस प्रकार सभी कानूनों में संशोधन करें ।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तालावों की व्यवस्था एक ही एजेंसी के जिम्मे हो ताकि पंचायत समिति और रेवेन्यू विभाग के बीच में आज कई प्रकार के झगड़े चलते रहते हैं वह न चलें। यह एक बात मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि आज पंचायतों की हालत बड़ी खराब है। एक एक ग्रुप सैक्रेटरी के जिम्मे 2-3 पंचायतें हैं। ग्राम सेवक कम-ग्रुप सैक्रेटरी या ग्रुप सैक्रेटरी, ग्राम सेवक एक ही तरह का नाम रख कर आप हर पंचायत में अलग अलग जब तक नहीं रखेंगे तब तक पंचायतें नहीं चलेंगी। अलग अलग नहीं होने से सप्ताह में एक दिन पंचायत खुलती है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन कि जिस प्रकार पंचायत समिति में आर्थिक लेन देन का दायित्व विकास अधिकारी का होता है। सरपंचों को राजस्थान सचिवालय में बराबर धारा 17 (4) और कई प्रकार के मामलों में उलझना न पड़े इसलिये कानूनी और नैतिक दृष्टि से आर्थिक लेन देन और पैसे की जितनी जिम्मेदारी है वह ग्रुप सैक्रेटरी की हो। आप ग्रुप सैक्रेटरी का ग्रेड बढ़ायें, उस ग्रुप सैक्रेटरी के जिम्मे यह रखें ताकि कानून के अनुसार हिसाब किताब ठीक प्रकार से रख सके। यह व्यवस्था उनके जिम्मे होनी चाहिये, यह व्यवस्था सरपंचों के जिम्मे रखी जाती है जो उपयुक्त बात नहीं लगती है।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है पंचायत एरिया में, पंचायत सीमा में रेत, बजरी या कंकरीट जो भी निकलता है उसकी आय निश्चित रूप से पंचायतों को मिलनी चाहिये। छोटी छोटी आय में कई प्रकार की घपलेबाजी नीचे के लेवल पर होती है। इसलिये कृपा करके रेत, पत्थर, बजरी की संपूर्ण आय पंचायतों को देने की व्यवस्था करें, यह बात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक क्षेत्र की जनता का सीधा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और पंचायत समिति के प्रधान इन्डायरेक्ट वे में पंचों, सरपंचों से चुने जाते हैं। इनके बीच में अधिक से अधिक समन्वय होना चाहिये। पंचायत समिति के प्रधान और विधायक का किस प्रकार का संबंध हो इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। आज नाम मात्र को सदस्य के रूप में जाकर वह बैठ जाता है, उसका पंचायत समिति की गतिविधि से संबंध नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि विधायक का संबंध अधिक से अधिक पंचायत समिति से हो। विधायक को पंचायत समिति से लिंक रखने की दृष्टि से 2-3 मेरे सुझाव हैं। एक तो यह कि जो वित्त संबंधी स्थाई समिति है जिसका क्षेत्र के विकास और विकास की योजनाओं से मुख्यतया संबंध होता है उसमें विधायक का इन्वाल्वमेंट हो, यह मेरा निवेदन था। इसी प्रकार कई प्रकार के अधिकारियों, दूसरे लोगों द्वारा पंचायत समिति की जीप का वर्तमान नियमों में उपयोग करने का प्रावधान है। पंचायतों की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एक्टीविटीज, विकास के काम और समस्याओं की दृष्टि से ऐसा संशोधन किया जाय कि एक महीने में कम से कम तीन दिन विधायक क्षेत्र में एक्टीविटीज देखना चाहे, जाना चाहे तो जा सकें एक महीने में अधिक तो हो नहीं सकता। पंचायत समिति की एक्टीविटीज भी काफी होती हैं। दूसरे विभागों को भी जीप वगैरह देनी पड़ती है। इसलिये ऐसा नियमों में प्रावधान किया जाना चाहिये कि एक महीने में 3-4 दिन क्षेत्रीय विधायक को जीप उपलब्ध कराने में प्राथमिकता मिले। वर्तमान में जो व्हीकल रूल्स है, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् एक्ट के अन्तर्गत उन नियमों में संशोधन करने की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान में अभी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, एक सघन विस्तार योजना है, जो कि पंचायत समिति भिण्डर जिला उदयपुर में ही एकमात्र स्थित है। वह राजस्थान में अन्य पंचायतों में भी स्थापित की जानी चाहिये क्योंकि इससे काफी छोटे मोटे काम काज अच्छे ढंग से सम्पन्न हो सकते हैं। यह खास तौर से निवेदन है।

इसी तरह से मैं यह भी चाहूंगा कि वर्तमान में एस. डी. ओ. वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति देते हैं। इसकी एक कमेटी तहसील लेवल पर बने। इसमें विधायक, प्रधान, तहसीलदार सचिव हों, स्थानीय सरपंच हों। आज वर्षों तक फाइल चलती फिर भी निर्णय नहीं होता है इसलिये कमेटी तहसील लेवल पर बने ताकि तत्काल वृद्धावस्था पेंशन, अपाहिज अपंग को पेंशन उपलब्ध हो जाय ऐसी व्यवस्था इसके माध्यम से हो सकती है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं पंचायत समिति में प्रधान था तब राजस्थान में शिक्षा की समस्या पर एक कमेटी गठित हुई थी सचिवालय स्तर पर, उसमें 2-3 दफा में भी गया, प्रधान होते हुए मैंने सुझाव दिया था कि भविष्य में राजस्थान के बच्चों, युवकों का अच्छी शिक्षा के माध्यम से निर्माण हो सकता है। वर्तमान में शिक्षा जो पंचायत के स्कूल में दिखाई देती है वह अत्यंत पीड़ादायक है। पंचायत समिति के अध्यापकों को स्थानीय पंचों, सरपंचों और जो प्रधान हैं उनकी राजनीति का कहीं न कहीं शिकार रहना पड़ता है अथवा उनसे सहयोग रख कर गांव में आपस में दलबन्दी का उभार होता है। परिणाम स्वरूप स्कूल ठीक प्रकार से नहीं चलते हैं। अध्यापकों को अन्य गतिविधियों में भी काफी व्यस्त रहना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा बुनियादी चीज है उसके आधार पर बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है इसलिये उच्च प्राथमिक और मिडिल स्कूल आज सरकार पंचायती राज संस्थाओं को देने की बात करती है, इस बात को मैं उचित नहीं समझता। शिक्षा, चिकित्सा जैसे तकनीकी विषय हैं ये पंचायती राज

(श्री रतनलाल ताम्बी)

संस्थाओं को देने से उनमें दलबन्दी और झगड़े से कई प्रकार की कमजोरियां आ जाती है। आज शिक्षा विभाग के स्कूलों में आप देखेंगे तो अध्यापक पूरे मिलेंगे लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के स्कूलों को देखेंगे तो लगेगा इनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। इसलिये शिक्षा एक स्थान पर ही रखें ताकि अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। मेरा निवेदन है कि शिक्षा एक ही विभाग के अन्तर्गत रहनी चाहिये। पंचायत राज से इसका संबंध नहीं होना चाहिये।

जहां तक भवनों के निर्माण का सवाल है वे निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाओं के मार्फत करवाये तो अच्छा है पर शिक्षा, चिकित्सा टेक्निकल विभाग हैं इनको सरकार अपने विभागों के माध्यम से अच्छे ढंग से चला सकती है। इस दृष्टि से राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षा, चिकित्सा जैसे टेक्निकल विषय हैं, ये जल के मामले हैं, नल कूप वगैरह का मामला है ये सारे विभागों के अन्तर्गत हों तो काम ठीक प्रकार से चल सकता है। यह मेरा निवेदन है।

इसके अतिरिक्त पंचायती राज के बारे में समय का बड़ा अभाव होने के कारण मैंने खास तौर से मुख्य मुख्य बातें निवेदन की हैं। एक मैं चाहूंगा कि जिला आयोजना मण्डल बन जाय, पंचायती राज संस्थाओं का जितना भी पैसा है, उसके हिसाब से उस मण्डल के मार्फत सारी स्कीमें तय होकर जिला परिषद और पंचायती समिति के माध्यम से लागू हों, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

इसी प्रकार गांवों में छात्रावास चलते हैं अनुदान द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा, उनकी भी व्यवस्था विधायक, प्रधान, सरपंच और स्थानीय प्रधानाध्यापकों के जिम्मे रखी जाय ताकि सही ढंग से संचालन और देखरेख कर सकें। जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय अधिकारी कभी कभी आते हैं और ढंग से सारी बातें देख नहीं पाते हैं। यही बातें मोटे तौर पर पंचायती राज के विकास के संबंध में निवेदन करनी है।

श्री शीशराम ओला : छात्रावास जो चलते हैं गांवों में वे पंचायत समिति के माध्यम से चलते हैं क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं चलते है। रखे जांय, यह निवेदन किया था।

अब पंचायती राज के बारे में, पंचायत मंत्री जी, मैंने 5, 7, 10 दिन में विस्तार से एक नोट तैयार किया है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं हैं वे कैसे मजबूत बन सकती हैं उनको क्या क्या अधिकार वगैरह मिल सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के बजाय मैं एक नोट भेज कर निवेदन करूंगा कि राजस्थान में पंचायती राज कैसे अच्छे से अच्छा बन सकता है।

अब जो दूसरा विषय है सहकारी

[redacted]

189

(श्री रतनलाल ताम्बी)

विभाग उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान में सहकारी संस्थाओं में चुनावों के बाद वर्तमान में गतिशीलता बढ़ी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी आन्दोलन निश्चित रूप से जनता का आन्दोलन है । आर्थिक दृष्टि से यह कैसे आत्म निर्भर, मजबूत हो, यह देखना बहुत आवश्यक है । आज भी सहकारी आन्दोलन में बहुत ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप होता है, इस कारण सहकारी संस्थाएं आत्म निर्भर नहीं हैं । यह जितनी आत्म निर्भर होंगी, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगी उतना ही अधिक से अधिक सहकारिता के विकास में सहयोग मिलेगा और सहकारी आन्दोलन मजबूत बन सकेगा । मैं निवेदन करना चाहता था, पं० नेहरू ने कहा था कि हर पंचायत में एक सहकारी समिति होगी, एक पुनर्गठन की योजना होगी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसके तहत 2-3 पंचायतों के बीच में एक सहकारी समिति गठित कर दी गई । यह बहुत गलत है । मैं आपके मार्फत सहकारिता राज्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपा करके हर पंचायत में एक सहकारी समिति का आधार फिर से बनायें । अभी वर्तमान में सहकारी समितियां पंचायतवाइज नहीं हैं इसकी आप जानकारी करके जिस पंचायत में नहीं है, उसको वापस चालू कराने की व्यवस्था करें । ऐसा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूरोपियन आर्थिक सहायता से पिछले दिनों में जो गोदाम बने थे, इस साल के बजट में भी प्रावधान है, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि गोदाम जो बन रहे हैं सहकारी समिति के, वहां के पदाधिकारियों को उनकी जानकारी नहीं । उनसे सारे डाकूमेंट स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं और अपेक्स बैंक में बैठ कर सहकारी समितियों के निर्माण का ठेका या पता नहीं क्या क्या कार्यवाही करते हैं । मेरी जानकारी के अनुसार इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है । सहकारी मंत्री जी इसकी जांच करें । वास्तव में ज्यादा कीमत पर ठेका देने में सौदेबाजी हुई है और जो काम का स्तर है क्वालिटी है, बहुत हल्की क्वालिटी के गोदाम बने हैं । मेरे गांव में गोदाम बना इसलिये मुझे जानकारी है सारी, मैंने आसपास भी देखे हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि गोदाम सोसाइटीज के माध्यम से बनें । जो खुद बनावें, इसमें अपेक्स बैंक बीच में नहीं आना चाहिये क्योंकि आप डाकूमेंट पर साइन उनके करवा रहे हैं । इस दृष्टि से खास तौर से निवेदन करना चाहता था ।

दूसरा जैसा मैंने कहा, सहकारिता जनता का आन्दोलन है । मैं यह निवेदन करूंगा, पंचायत समिति, जिला परिषद् और म्यूनिसिपैलिटीज का आडिट होता है, वह एक स्वतन्त्र एजेन्सी के जरिये होता है । दुर्भाग्य से सहकारी विभाग का आडिट

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इस सहकारिता आन्दोलन को ले डूबा है। आज भी मैं देखता हूं काफी धांधलेबाजी है, काफी भ्रष्टाचार इसमें मौजूद है। इसके आडिट की व्यवस्था जब तक इसी विभाग की रहेगी तब तक यह निकल नहीं सकता है। सांठ-गांठ और मिलीभगत के आधार पर बहुत बड़ी तादाद में सहकारिता के क्षेत्र में पैसा डूबा हुआ है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसे दूसरी संस्थाओं का एक स्वतन्त्र एजेन्सी के द्वारा आडिट होता है, उसी प्रकार आडिट एजेन्सी सहकारी संस्थाओं के लिये कायम की जानी चाहिये। अगर विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों का आडिट से कोई सम्बन्ध न हो तो सही ढंग से आडिट कर पायेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

अब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, वैसे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सहकारिता मंत्रीजी का कि उन्होंने एक मुहिम चलाई पिछले 4–6 महीने में को-आपरेटिव बेसिस पर नई टैक्सटाइल मिल स्थापित करने की, नई आइल मिल्स स्थापित करने की और दूसरे कई प्रकार के कार्यक्रम चलाने की। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने जिले के शाहपुरा कस्बे के लिये। शाहपुरा कस्बे में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शिलान्यास करके आये थे तीन साल पहले एक मिल का को-आपरेटिव आधार पर। मैं जब भी उधर से निकलता हूं, मैं देखता हूं कि पत्थर वहां पर गड़ा हुआ है तीन साल से वह वहां पर गड़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शाहपुरा 30-40 हजार की जनसंख्या का बड़ा कस्बा है। भीलवाड़ा के बाद सबसे बड़ा कस्बा है। टैक्सटाइल, स्पिनिंग मिल पहले गुलाबपुरा में लगाने की बात चली थी, फिर अलग से स्थापित करने की बात चली। मैं यह चाहूंगा कि निश्चित रूप से आगामी वर्षों में शाहपुरा में को-आपरेटिव बेसिस पर मिल चले। इसी तरह से सहकारिता मंत्री जी ने गंगापुर, आसीन्द में दो मिलों की शुरूआत की है। वैसे भी हमारे शाहपुरा क्षेत्र में मूंगफली और तिल्ली की दृष्टि से बहुत बड़े क्षेत्र में खेती होती है। वहां पर को-आपरेटिव बेसिस पर आइल मिल लगाई जा सकती है। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की वहां पर 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है। बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी है। इस प्रकार की योजनाएं वहां बनवायें ताकि आगे जाकर के वहां सहकारिता के आधार पर कार्यक्रम ठीक चल सके।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था, उस सुझाव का मैं हृदय से स्वागत करना चाहूंगा। वर्तमान सहकारिता आन्दोलन, जैसा मैंने निवेदन किया गांवों की जनता का आन्दोलन है। इसके सदस्य बिना पढ़े-लिखे हैं। सरकारी काम काज की उन्हें व्यवस्था करने में कई प्रकार की कठिनाई हो जाती है। इसलिये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भूमि विकास बैंक, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, यह जितने भी बैंक हैं, यह अलग-अलग रखने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण,

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो मिनट।

और मध्य कालीन ऋण, यह सारे ऋण एक जगह पर मिल जायं, इस तरह का कानून में अमेन्डमेन्ट करके यह व्यवस्था आगामी वर्ष से प्रारम्भ करेंगे ! इस आशा और विश्वास के साथ मेरा निवेदन है कि राजस्थान में सहकारी आन्दोलन एक तरह से कमजोर इस दृष्टि से हो रहा है, उसका रुपया वसूल नहीं हो रहा है, जगह-जगह उसकी वसूली बकाया है, कागज गायब हो रहे हैं। पदाधिकारी मर जाते हैं तब तक भी कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये ऐसी मुहिम चलाया जाना चाहिये ताकि वास्तव में जो पैसा बकाया है वह पैसा निश्चित रूप से वसूल हो और वे सहकारी सस्थाएं जो लड़खड़ा रही हैं वह वापस आत्मनिर्भर, मजबूत हों और जनता उनके प्रति आस्थावान बन सके, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 और 36 पर मैं अपने सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बीस संकल्प में से जो पहला संकल्प था चुनाव का वह पूरा करवाया। उस चुनाव के बाद यह घोषणा की गई थी कि पंचायतों को और अधिकार दिये जायेंगे और वह मजबूत बनायी जायेंगी। निश्चित तौर पर चुनावों से हमारी पंचायत समितियां, जिला परिषदें दुबारा गठित हुई हैं, उनमें जान आई है। इसमें देरी हो रही है कि क्या उनके अधिकार हैं, क्या अधिकार दिये जायेंगे, इस असमंजस में जो पंचायत समितियों का कार्य है, वह बिलकुल सुस्त पड़ा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को जो भी पावर या आदेश देना है, वह उनको निश्चित तौर पर, निश्चित समय पर दे दिये जायें ताकि उनको अपनी आगे की भूमिका बनाने में, कार्य करने में थोड़ी सुविधा हो।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आप और हम जानते हैं एक ग्राम सेवक तीन पंचायतों का ग्रुप सचिव होता है। वह ग्रुप सचिव हमारे सरपंचों को इस तरह से लटकाये रखता है, जिस दिन वह मीटिंग रखता है वह हाजिर नहीं होता है। पंचायतों का रिकार्ड उसके पास रहता है...

(श्री रामधन चौधरी)

(6.06 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और सरपंचों को उस रिकार्ड की कार्यवाही के बारे में कोई बाकी बात नहीं रहती है क्योंकि रिकार्ड वह रख लेता है। सरपंच मीटिंग करता है। इस तरह की मुसीबत है। इससे बचने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हर एक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव अलग-अलग नियुक्त करें, ऐसी व्यवस्था हो तभी हमारी ग्राम पंचायतें सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं।

दूसरा मेरा सुझाव था, काफी दिन से सुन रहा था, ऐसी उम्मीद कर रहा था कि पंचायत समितियों में विकास अधिकारी की जगह एक उच्च अधिकारी, आर०ए०एस० की नियुक्ति की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कई जगह विकास अधिकारी नहीं हैं और जहां विकास अधिकारी नहीं हैं वहां पंचायत समिति का कार्य नही चल रहा हैं। इसलिये आर०ए०एस० आफिसर लगावें या विकास अधिकारी, बी०डी०ओ० की अभी जैसी ग्रेड है उस ग्रेड के लगावें। कम से कम ऐसे अधिकारी होने चाहिये। यदि हमारी पंचायत समिति के मार्फत हम शिक्षा का कार्य करवाते हैं, प्राइमरी स्कूल्स जितने हैं वे सब के सब पंचायत समिति के अन्दर में हैं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा जब हम आते हैं तो शिक्षा मन्त्रीजी यह कर टाल देते हैं कि ये पंचायत समिति के स्कूल्स हैं और पंचायत मंत्री यह कहते हैं शिक्षा विभाग हमें जब पावर दे या जब हमें परमिशन दे तब हम स्कूल खोलेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। पंचायत समिति के पास प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा अच्छी होगी तो यहां विश्व विद्यालय की जो चर्चा चलती है, मैं समझता हूं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज पंचायत समिति के स्कूल्स हैं उनमें पहले तो अध्यापक कम हैं और जितने अध्यापक हैं वे ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। पूरा स्टाफ भी पंचायत समिति के पास नहीं है। जो पंचायत समितियां हैं उनमें अगर पूरा स्टाफ नहीं होगा तो जो प्राथमिक शिक्षा की कक्षायें हैं वे अच्छी तरह से नहीं चल सकती हैं। जब प्राथमिक शिक्षा में बच्चे कमजोर रह जायेंगे तो मैं समझता हूं कि आगे जाकर के वे कैसे अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाय।

दूसरा सुझाव यह है कि हम ग्राम पंचायत से, पंचायत समितियों से जो कार्य करवाते हैं विकास के वह कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पा रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो पत्र वितरित किया जा रहा है यह किस पार्टी से सम्बन्धित है, किस के लिये वितरित किया जा रहा है ? क्या यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपकी ओर से वितरित किया जा रहा है? यह क्या वितरण कराया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : लाओ मुझे दे दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : हुआ क्या है आपको।

श्री राजबहादुर : भाई, व्हिप है यह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिल बड़ा रखिये। इन बातों से क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब तो ठीक हो रहा है ना।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : पहले जो गलत हो गया है उसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : जो पार्टी का परिपत्र हो हो वह पार्टी के सदस्यों को ही बांटना चाहिए।

श्री राजबहादुर : सदन के बाहर बंटवाइये। यह सदन के अन्दर नहीं बंटवाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नियम बताइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि ऐसे पत्र बांटे जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पार्टी के व्हिप हमेशा रखे जाते रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह पार्टी का परिपत्र बांट सकता है क्या? यह कान्स्टेबल।

श्री प्रद्युम्नसिंह : दाऊदयालजी दिल बड़ा रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सिपाही बांट सकता है क्या?

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, सिपाही की वेशभूषा पहना दें खेतसिंह जी तो फिर आपत्ति नहीं है।

श्री रामधन चौधरी : यह तो बंटना ही था। यहां नहीं बंटता तो बाहर बंट जाता।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में जो कार्य चल रहे हैं विकास के उसके लिये हर पंचायत समिति में....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि कुछ नये मैम्बर जुड़े हैं ना आज इसलिये दल को को संगठित कर रहे हैं।

श्री रामधन चौधरी : ओवरसियर हर पंचायत समिति में होना चाहिए वरना न तो अच्छा तकमीना बनता है, न प्रमाण पत्र मिलता है और न ही समय पर पेमेंट होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्रीजी से तो मुझको यही निवेदन करना

(श्री रामधन चौधरी)

है कि आपने अभी छोटे-छोटे चुनाव तो करवा दिये हैं, आप बड़े चुनाव भी करवा दें। बस यही निवेदन करना है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं....

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों का वितरण

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव आ जाने दें उसके बाद।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर इस पर ही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रीजी ने कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन की बात कही है लेकिन हमारे पास कोई प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है। यह पहले सदस्यों को मिलना चाहिये इसके बाद ही सदन में रखा जाना चाहिये मैं आपके....

श्री अध्यक्ष : वितरण किया जा रहा है। ये पढ़ कर सुना देंगे।

(व्यवधान)

पहले बंटवाये देते हैं जिससे अन्य माननीय सदस्यों को भी जानकारी हो जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

(व्यवधान)

मांग संख्या 41 एवं 36 पर विचार

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई बोलना चाहते हैं, माननीय सदस्य ? श्री महाराम चौधरी। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो आज मांग सदन के सामने है सहकारी विभाग और सामुदायिक विकास की उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सहकारी समितियों के सदस्य बनाने, नम्बर आफ सोसाइटी बनाने और ऋण वितरण करने तक ही सीमित नहीं रह कर जो सहकारी समितियों की प्रणाली है, उसकी जो अवहेलना हो रही है, उस पर विचार करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। जो सहकारी समितियों

(195)

(श्री महाराम चौधरी)

की ग्राडिट रिपोर्ट पिछले कई सालों से दी है उस ग्राडिट रिपोर्ट में जितने भी ग्राब्जेक्शन सहकारी समितियों के हैं उनकी ग्रनुपालना ग्राज तक किसी सहकारी समिति ने नहीं की। मैं राज्य मन्त्री जी से ग्रापके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले की हर सहकारी समिति को ग्राडिट रिपोर्ट का तो ग्राप ग्रवलोकन नहीं कर सकते है लेकिन प्रत्येक जिले की कम से कम 10 सहकारी समितियो की ग्राडिट रिपोर्ट का निरीक्षण करके उसके ग्रंदर ग्रापको कार्यवाही करनी चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय, जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा है माननीय सदस्य ने कहा था कि इन गोदामों के निर्माण कार्य में भयंकर ग्रनियमिततताएं हो रही हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों को मालूम नहीं है कि किन स्थानों को चेन्ज किया है, उनको पता नहीं है कि कहां पर निर्माण कार्य शुरू करना है। जो सामग्री लग रही है वह बहुत ही घटिया लग रही है। हमारे जिले के ग्रन्दर जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां गोदाम बना रही हैं उनमें बैंक के ग्रधिकारियों से मिलकर, ठेकेदार से मिलकर भयंकर ग्रनियमितताएं कर रहे है। इसलिये मैं राज्य मंत्रीजी को ग्रापके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के ग्रन्दर जितने भी गोदाम बन रहे हैं उन गोदामों में विशेष तौर से जांच करायें, ज्यादा नहीं तो प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रन्दर पांच-पांच गोदामों का पूरा मूल्यांकन करायें। साथ ही निरीक्षण करके देखें कि कितनी घटिया किस्म की सामग्री लगी हुयी है। जांच करेंगे तो पता लगेगा कि कितना घटिया काम हो रहा है।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों का दांते कमेटी की सिफारिशों के ग्रनुसार जो विलीनीकरण कर दिया है, भीलवाड़ा उदयपुर या ग्रन्य क्षेत्र, जहां गांव पास-पास हैं, में तो शायद सुचारू रूप से चल रही होंगी लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र, जहां पर एक सहकारी समिति का क्षेत्र ही 30-35 किलोमीटर फैला हुग्रा है उसमें दूसरी सहकारी समिति को शामिल कर दिया जाता है, जैसा मेरे क्षेत्र के ग्रन्दर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का ग्रापस में विलीनीकरण कर दिया गया है उनका कम से कम पूरा एरिया 100-125 मील होगा। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से एक का उदाहरण देकर ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं जिसका मैंने पिछले सत्र विधान सभा में भी प्रश्न पूछा था, ग्राम सेवा सहकारी समिति बडातल का ग्राम सेवा सहकारी समिति टाटीया में विलीनीकरण करके सहकारी समितियों के सिद्धान्तों का हनन हुग्रा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का मतलब यह है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति गांव वाले परिचित सदस्यों के लिए

(श्री महाराम चौधरी)

हो पर जहां दो को शामिल किया गया है जो एक किनारे से दूसरे किनारे पर है एक किनारा पूर्व में है तो एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में है तो उसका एरिया इतना लम्बा हो गया है कि पूर्ण रूप से सहकारी सिद्धान्तों का हनन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये सैक्रेटरी का अपाइन्टमेंट स्थानीय हो, ग्रुप सचिव का अपाइन्टमेंट ऐसे आदमी का हो जो स्थानीय भाषा का जानकार हो ऐसे आदमियों को ही नियुक्त करना चाहिए। अध्यक्ष महोदव, आपके माध्यम से सहकारी मंत्री से कहना चाहता हूं कि नागौर के अन्दर 13/1/81 को या 13/2/82 को ग्रुप सचिवों का चयन किया गया है और लोन सुपरवाइजरों का चयन हुआ है उसमें भयंकर अनियमितताएं हुई हैं। दूसरी स्टेट मुजफ्फरनगर, मेरठ से आये हुए आदमियों को उसके अन्दर चयनित कर दिया गया। जिन सुपरवाइजरों का प्रमोशन, सचिवों का प्रमोशन करना था, उसके अन्दर भी अनियमिततायें हुई हैं। आपका जो रोजगार कार्यालय है, वहां से न तो लिस्ट मंगायी, न चयनित करने के लिए एप्लीकेशन। कोई क्राइटेरिया भी चयन करने के लिये नहीं बनाया कि यह क्राइटेरिया होगा, इस आधार पर चयनित किये जायेंगे। मैं आपकी मार्फत सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हजारों लाखों रुपये तक के भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आम शिकायत है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप भी उसमें सहायक बने रहें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए गांव के अन्दर एक सहकारी समिति, पंचायत और एक प्राइमरी स्कूल, ये मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं। इनका कार्य यदि ठीक ढंग से चलता है तो गांवों का अच्छी तरह से विकास हो सकता है लेकिन जो पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायति समितियों के चुनाव हुए उन चुनावों के बाद राज्य सरकार ने अपनी नीति के आधार पर पंचायतों को अधिकार दिये हैं, पंचायतों को क्या-क्या विकास के काम करने हैं, क्या उनके अधिकार होंगे, इस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, परिशिष्ट-2-ब में ऐसे काम हैं वह पंचायत समितियों के मार्फत नहीं होकर उनकी क्रियान्विति स्थानीय विभाग करेंगे और यह समझिये, पंचायत समिति की मीटिंग के अन्दर सिर्फ यह पता करेंगे कि यह काम कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। मैं इस सम्बन्ध में आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप इस परिशिष्ट-ब को दुबारा देखें तो उसमें बहुत से ऐसे कार्य हैं, जो वास्तव में पंचायत समितियों

(श्री महाराम चौधरी)

के मार्फत अगर कराये जायें तो सुचारू रूप से चल सकते है। जैसे इसमे आइटम नं0 3 है पंचायत समिति क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यक्रम। अध्यक्ष महोदय, किस जगह पर कौनसा दरखत लग सकता है, कौन सा क्षेत्र चरागाह, वन विकास के लिए उपयुक्त हो सकता है, अगर पंचायत समिति इस कायक्रम को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कायरूप में परिणत करे तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। नही तो कार्यक्रम स्टेट लेवल पर चयनित करके, कौनसा पौधा किस क्षेत्र मे लग सकता है, वह यदि लगाने के लिए तय कर लेगा तो जिला विभाग के अधिकारी कभी हिम्मत नहीं करेंगे, सैक्रेटेरियट से परिपत्र जाये कि किस प्रकार से काय करने है तो अपने अधिकारो का पालन करने की परवाह नही करेगे। इसलिए मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हू, जैसे वन विभाग का कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या का मामला है जो टेक्निकल है, ट्यूब वेल का मामला है लेकिन परम्परा के हिसाब से कौनसे ट्रेडीशनल स्रोत हैं, उनको किस तरह से चला सकते हैं, वह पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत वालों को ज्यादा मालूम रहेगा और वह सुचारू रूप से चला सकेंगे। शुरू से ही एक तरह से चलता आया है, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्थानीय परिस्थितियों को जो हमेशा से देखते रहते हैं उन्हें प्रेक्टिकल अनुभव हो जाता है, इस आधार पर रेखा देखकर बता सकते है कि कौनसा किस जगह दरखत उगा है। टैक्निकल आदमियों से ज्यादा जानकारी उनको है। उन्होंने कहीं कोई भी अपने हिसाब से कुआं वगैरह बताया है, वह सक्सेसफुल रहा है जबकि भूजल विभाग के तकनीकी अधिकारियों द्वारा जो स्रोत ढूंढे गये हैं, उनमें से 60 प्रतिशत फेल गये हैं। इसलिए मैं सामुदायिक विकास, अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रामीण क्षेत्र पेयजल योजना के अन्तर्गत भूजल विभाग का बोरिंग आदि का कार्यक्रम है यह कार्यक्रम भी पचायत समिति लेवल पर कराया जा सकता है ताकि वह देख सकें, कौनसे गांव के अन्दर कुएं का बोरिंग हो सकता है, किसमे प्लास्टर की आवश्यकता है। यह कार्य उनकी मार्फत कराया जाय तो सुविधा से हो सकता है। नहीं तो ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र के आदमी और पंचायत समिति निवेदन करती रहेगी कि भूजल विभाग हमको बोरिंग, प्लास्टर करने की मशीनें उपलब्ध करायें। वे मांग करते रहेंगे उसका न तो कोई जवाब आयेगा, न उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होगी। जब बाद में पूछा जायेगा तो भूजल विभाग से यह उत्तर आ जायेगा कि हमारे पास इस तरह की कोई मांग नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, डेढ़ साल तक लगातार कार्यवाही करते रहने के बाद जिन क्षेत्रों के अन्दर भयंकर समस्या है, उनमें भी काम नहीं हुआ। इसी तरह डेयरी विकास, दुग्ध मार्गो से सम्बन्धित

(श्री महाराम चौधरी)

कार्यक्रम भी पंचायत समितियों के मार्फत होना चाहिए । आप अधिकारियों, जिला परिषद् के प्रमुखों, प्रधानों या विकास अधिकारियों की समिति का गठन करें और कौन से काम कौनसी स्थानीय संस्था ठीक ढंग से चला सकती है, मीटिंग के अन्दर उनकी सलाह लेकर उन्हें अधिकार देने की, अधिकार लेने की कार्यवाही की जाये, तो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं—

श्री अध्यक्ष : बहुत बोल लिये आप ।

श्री महाराम चौधरी : मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों की मार्फत जो प्रौढ़ शिक्षा का खर्चा होता है, वह कोई दूसरे कार्यक्रमों, प्राइमरी स्कूलों में लगा दिया जाये । यह पैसा बिलकुल बेकार इन्वेस्ट होता है । हमने तो हमारे यहां प्रौढ़ शिक्षा के अन्दर्गत, कहीं पर भी कोई भी कक्षा चलती हुई नहीं देखी । इतना ही कह कर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलालजी ।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, आज हमारे पंचायत मंत्री और सहकारी मंत्रीजी बजट पेश करा है । मेरा यह निवेदन है कि पंचायत राज और सहकारिता के सम्बन्ध में जितने सुझाव हमारे विधायकों ने दिये, मंत्रीजी से निवेदन है, जो सहकारी क्षेत्र के अन्दर स्वदेशी है वह स्वदेशी सहकारी समितियों से लोन लेते हैं वह फर्जी दस्तखत करवा कर, फर्जी बाण्ड भरवा कर, धनी के नाम से खाते में से रुपया निकाल लेते हैं ।

जिस आदमी ने, अध्यक्ष, महोदय, बाण्ड भरा ...

श्री अध्यक्ष यह तो पहले होता था ...

श्री देवीलाल : अब मेरा यह निवेदन है कि कम से कम 3–4 साल हो गये, अकाल बढ़ रहा है, लोगों ने तो पैसा लिया नहीं, खाते के अन्दर लोन बोल रहा है तो रुपया तो देना पड़ेगा । जो आदमी दो थैला लिया और उसके नाम पर दस थैला निकाल लिया तो उसके खाते में आज भी बाकी रुपया है । तो मेरा निवेदन है कि हमारे गांव कनेसन कलां के मायने जो मंत्रीजी है गोरधनजी हो उस गांव के अन्दर पैसे खाता है । खाते में से गांव वालों के सदस्य के नाम पर फर्जी बाण्ड भर-भर कर खाते के अन्दर रुपया जोड़ दिया । गांव के सारे आदमी इकट्ठा होकर और सब मिलकर एक समिति बनाई और समिति बनाकर उसकी जांच की तो 15 हजार रुपया तो निकाल दिया । ऐसे

(श्री देवीलाल)

खातों में से 116 खातों का हिसाब तो हो गया और बाकी का खाता 400 बाकी है। उन 400 खातों के हिसाब के लिए मंत्रीजी से निवेदन है कि उन चार सौ खातों का हिसाब करावें क्योंकि गरीब आदमी हैं।

एक ही निवेदन है, सहकारी समिति से रुपया लेने का एक ही फायदा है कि कम ब्याज लगता है। अगर नया मांडदेवे तो बाजार में तो ब्याज का लागे सौ रुपयां पर एक रुपया और उधर सौ रुपया ही नया मांड देवे तो बाजार से भी महंगा पड़ जाता है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि हमारे गांव में सहकारी समिति की जरूर-जरूर जांच करावें नहीं तो गरीब आदमी हैं वह मर जायेंगे, बाद में उनकी कुर्की होगी, उनकी जमीनें बिक जायेंगी, उनके बैल बिक जायेंगे, क्योंकि वह रुपया उनसे नहीं चुकेगा। आपने कितना ही फायदा किया, उनको लोन दिला रहे हैं, उनको जमीन दिला रहे हैं, उनके लिए और कई व्यवस्था की है। सहकारी समिति में गरीब आदमी हैं, अगर एक ही खाता का भार उन पर पड़ेगा तो इस व्यवस्था से बिलकुल ऐसी बात हो जायगी कि उनके मकान भी बिक जायेंगे, उनकी जमीन भी बिक जायगी, उनके बैल भी बिक जायेंगे। इसलिए उनकी जरूर जांच कराई जावे, मेरा तो यही निवेदन है। इस विधान सभा में इसके बारे में पहले सत्र में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जगह-जगह सहकारी समितियों में घोटाला है, क्योंकि ओवरड्यूज निकालते हैं। ज्यादा खरीद का उनमें बाकी है तो जरूर निकालो लेकिन जिसका सीधा ही नाम लिख लिया है उनका तो जरूर ही काट देना चाहिये। पंचायत मंत्री से मेरा निवेदन है कि हमारे गांव के अन्दर जो सरपंच है उनके पास कम से कम साठ आदमी 13 दिन तक गया और सात दिन तक और गया जिनके फर्जी अंगूठे लगाकर उनका अनाज सीधा लेकर बाजार में बेच दिया। उसके बारे में पंचायत मंत्रीजी को दो तीन बार, एप्लीकेशन भी दी। हमारे गांव के पांच सात आदमी भी यहां पर आये, सबके हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन दी, दूसरी बार पांच आदमी आये, तो 600 रुपया तो उनके किराये के खर्च हो गये। सौ सवा सौ मन धान है, जो गरीब आदमियों का है, वह बारहमासी है, लेकिन उनकी फाइल पर कार्यवाही नहीं कराई। लिस्ट हमने दी, मेरी जेब में लिस्ट है, मेरा निवेदन है कि उन आदमियों को धान दिलाया जावे और उनकी एप्लीकेशन पर कार्यवाही की जावे। फाइल को मैंने मालूम कराई तो श्रीमान् पंचायत मंत्रीजी ने कहा कि एक फाइल मंगाई 21-5-81 को, आठ महीना सात महीना हो गया, आपके पास पड़ी रही उनके चेम्बर और बंगले के बीच में और

(श्री देवीलाल)

क्वार्टर के बीच में। आपसे निवेदन करूं कि कम से कम पांच सात बार तो ये मेरे को मिल भी गये और पांच दस बार मिले ही नहीं, मैं बार-बार फिरता रहा; पी. ए. साहब ने बात की ..

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायत) : उस सरपंच का नाम बता सकेंगे आप ?

श्री देवीलाल : हां हुकुम ?

श्री शीशराम ओला : कौन से गांव का सरपंच था वह ?

श्री देवीलाल : सरपंच का नाम श्याम सुन्दर सोमाणी।

श्री शीशराम ओला : नहीं गांव....

श्री अध्यक्ष : अबकी पाछो चुनाव लड़्यो कि नहीं ?

श्री देवीलाल : गांव का नाम है कनेसन, कनेसन कलां। जहां का मैं रहने वाला हूं....

श्री अध्यक्ष : अबकी पाछो चुनाव लड़्यो कि नहीं ?

श्री देवीलाल : चाहे हजारों रुपया खा जाओ, चाहे करोड़ो रुपयों का घोटाला हो जावे, कोई भी आदमी पंच, सरपंच या एम. एल. ए. चुनाव में जीत जाता है तो उसकी छूट हो जाती है, यह तो मैं नहीं कहता।

(व्यवधान)

उस गांव में गारा डालने वाले गरीब आदमियों का धान खाया जो कम से कम साठ जणा ही नहीं खाता, गांव में दो हजार जणा खाता। पांच चार वोटों से जीत तो छोड़ थोड़े ही दिया जायगा। क्या मैं अपने भाइयों को और गरीब आदमियों को कह दूं कि पंचायत मन्त्रीजी अब नहीं सुनेंगे और उन्होंने इनकार कर दिया। यह बात आप मुझको पहले कह देते तो मैं बार-बार क्यों फिरता। आपने कहा कि अभी कर देंगे। यूं मान लो कि मेरे गांव से आये, मैं खुद आपके पास बार-बार फिरता रहा, हम दोनों हकमारी सूची लेकर चार तारीख ने आज के पन्द्रह दिन पहले आपको दे दी उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। इस वास्ते मेरा तो यही निवेदन है कि वह गरीब आदमी हैं मेरे भाई बन्द हैं, वह गारा डालते हैं वह सुबह सात बजे दो दो किलोमीटर दूर पर जाते हैं, उनके बच्चे-बच्ची, उनकी औरतें बगल में ले जाती हैं, छबरिया को आडो कर, बायरी बाजती। ऐसी मुसीबत से दो किलो मीटर पर जाकर गारा डालती हैं। सौ मन धान है उसकी जांच होनी चाहिये। इन्सपेक्टर साहब आ गया उनके बयान हो गये, उनके हस्ताक्षर करा लिये, करीब-करीब 25 हजार का गबन है। उनका बयान मांड

(श्री देवीलाल)

लिया है जो फाइलें इनके पास पड़ी हैं जिनको ये निकाल नहीं रहे हैं। इस वास्ते मेरा एक ही निवेदन है कि कोई जीत जाता है चाहे कांग्रेस का हो चाहे जनता पार्टी का हो। एक बात है कि एक सरपंच के पास दो हजार वोट है वह जीतकर दो हजार के साथ में कोई गलती करे तो उनकी नहीं सुनते हैं और सरपंच की सुनते हैं। यह प्रक्रिया, यह बात तो पहले जनता पार्टी के राज में होती थी चाहे उनका सरपंच हो, चाहे उनका सचिव हो. चाहे उनका नेता हो वह आकर कह देता कि मैं कांग्रेस का हूं तो नहीं सुनते थे। यह तो मेरे को आशा है कि कांग्रेस का नेता कांग्रेस का मन्त्री तो सबकी सुनते हैं। सब की सुननी चाहिये इस वास्ते कि यह भावना रहेगी तो उन आदमियों का मन क्या कहेगा, उनकी आत्मा क्या कहेगी। मैंने यह सुना था, आपके वहां क्वार्टर पर गया, तो कहा कि 800 फाइलें पड़ी हैं आपकी फाइल कौन से नम्बर की है। 800 फाइलें आपके पास पड़ी है तो मेरा अन्दाज यह है कि उन 800 फाइलों के 800 सरपंच हैं और उनके गांवों के आदमी एक लाख से भी ऊपर हैं तो उनकी आत्मा क्या कहेगी। पंचायत मन्त्रीजी, आपसे यही निवेदन है कि चाहे किसी भी पार्टी का हो आप तो सच्चे आदमी हो और सच्ची बात होती है उसको मान लेते हो चाहे कोई भी आदमी हो।

दूसरी बात यह है कि शाहपुरा तहसील में एक कोआपरेटिव मिल का जनता पार्टी के राज में हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्रीजी ने शिलान्यास किया था। उसके बाद हमारे मुख्य मन्त्रीजी पहाड़ियाजी ने भी वहां जाकर उसका उद्घाटन करके स्थापना की थी, उसको ज्यादा दिन हो गये हैं मेरा मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि शाहपुरा तहसील में यह जो स्कीम चल रही है आप इसका जल्दी से जल्दी काम कराओ। हमारी तहसील शिड्यूल्ड कास्ट्स की है, पिछड़ी तहसील है, आपका भी सूत्र है और इन्दिराजी का भी, इन्दिराजी के घोषणा पत्र में भी यह बात साफ लिखी हुई है कि पिछड़ा ने पहले, गरीब आदमी ने पहले। तो मेरी तहसील पिछड़ी है इसलिए मेरा काम भी आप जरूर करवाना।

दूसरी बात कनेसन की और राजपुरा की, इन दोनों सहकारी समितियों की जांच करावें। एक तो राजपुरा, हुकमपुरा के अन्दर है, पंचायत तो हुकमपुरा है।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर है....

श्री अध्यक्ष : क्या है....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रात: काल अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, इसी प्रकार से बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरा स्थगन प्रस्ताव रखा था। आपने उस पर व्यवस्था देते हुए कहा था कि मेरे पास समाचार आया है कि मुख्य मन्त्रीजी थोड़ी देर से आयेंगे मैं उनसे बात करके यहां कोई वक्तव्य या प्रतिक्रिया दिलाऊंगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि मुख्य मन्त्रीजी को आये काफी समय हो गया। दोनों इश्यू इतने महत्वपूर्ण हो गये हैं कि उनके बारे में सारे प्रदेश की जनता जानने को इच्छुक है। मैं आप से जानकारी करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कब वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप सब जानते हैं मैं मीटिंग में था। मुख्य मंत्रीजी कुछ देर से आये। पहले प्रस्ताव विधि मंत्रीजी प्रस्तुत करेंगे उसके बाद में उनसे बात करके आपको सूचित कर दूंगा।

बेरी आयोग का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जाना

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : 5 तारीख को विरोधी दल के नेता ने आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए बेरी आयोग की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिए कहा था, उस समय काफी वाद-विवाद के बाद आपने यह व्यवस्था दी थी दो-तीन दिन के अन्दर मैं व्यवस्था दे दूंगा कि रिपोर्ट सदन की टेबल पर रखी जायेगी या नहीं। तो उस पर आपने विचार किया ?

श्री अध्यक्ष : वह विचाराधीन है, कल आप मुझसे पूछ लेना।

विधि मन्त्री।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अनादर पाइन्ट ऑफ आर्डर, 215 के तहत मैं पेश कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले विधि मन्त्रीजी का प्रस्ताव आने दें....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनका प्रस्ताव आ गया है हमारे पास....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट की बात है, मैं आपको अवसर दूंगा....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर वह यह प्रस्ताव रख दें तो वह पेश किया जाये या नहीं, तो मेरे कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 215 में लिखा है कि सदन में प्रतिवेदन के उपस्थापित कर दिये जाने के पश्चात् किसी समय पर यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधनों के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है।

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो विना परिसीमा के या किसी विशेष विषयों के सम्बन्ध में समिति को वापस सौंपा जाये।

श्री अध्यक्ष : पहले विधि मंत्रीजी को प्रस्ताव रख लेने दो उसके बाद आप अपनी आपत्ति उठायें। उसके बाद में आपको अवसर दूंगा।

विधि मन्त्रीजी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कार्य सलाहकार समिति में चौदहवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं जो माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कार्य सलाहकार समिति ने निश्चय किया है कि तारीख 20 और 22 मार्च की कार्यवाही इस प्रकार से चले।

श्री राजबहादुर : मेरा तो यह कहना है कि यह प्रतिवेदन पेश ही नहीं हो सकता....

श्री अध्यक्ष : पेश तो हो गया इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहें या कोई कानूनी मसला उठाना चाहें तो....

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति द्वारा पूर्व प्रतिवेदन में परिवर्तन

आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज तीन बजे सम्पन्न हुई....

श्री अध्यक्ष : सम्पन्न साढ़े चार, सवा चार बजे हुई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तीन बजे उसका नोटिस था, वह शुरू हुई। उसमें हमारे दल की ओर से सदन के विरोधी दल के नेता उपस्थित रहते हैं, किन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण विशेष आमन्त्रण के नाते मुझे इस बैठक में बुलाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बैठक में यह विचार किया जा रहा था कि कार्य सलाहकार समिति कुछ और विचार करे, और यह जो विधान सभा का सत्र है वह 22 मार्च को ही समाप्त कर दिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस बैठक का बहिष्कार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

किया। बहिष्कार करने के पश्चात् भी मैंने नोटिस इसलिये दे दिया....

श्री अध्यक्ष : बैठक सम्पन्न हुई तब आपने प्रोटेस्ट करके यह जरूर रिकार्ड करवाया कि मैं बहिष्कार करके जा रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस चल रही थी और विषय रखे जा रहे थे, निर्णय लेना बाकी था। जब मेजोरिटी में बैठी हुई इस बड़ी पार्टी का रुख देखा हमने कि राजस्थान की जनता का अनादर करते हुए राजस्थान की विधान सभा के सत्र को एकदम समाप्त कर दिया जाये तो इस रुख को देखकर मैंने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बाधा न डालें, माननीय सदस्य।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : सत्र को समाप्त करने की बात थी विधान सभा को नहीं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किन्तु उसके बाद भी मैंने इस बात की सूचना माननीय सचिव महोदय को लिखित में दी कि निर्णय होने के पूर्व में इस बैठक का बहिष्कार करके आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि इसके पहले कार्य सलाहकार समिति ने निर्णय लिया था, उसका तेरहवां प्रतिवेदन 4 मार्च को आपके द्वारा सदन में प्रस्तुत कर दिया गया था और सदन ने उस पर छाप, मोहर लगा दी थी, स्वीकृति दे दी थी इस कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च तक विधान सभा के सत्र में यह कार्यवाही होगी और उससे आगे की कार्यवाही का निर्णय बाद में लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह प्रतिवेदन जो मेरे सामने है, ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया है कि राजस्थान की सरकार भाग जाना चाहती है। जनता से मुंह छिपाना चाहती है। आवश्यकता तो यह थी कि इस निर्णय से पहले उन कारणों की चर्चा की जाती....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि बेरी कमीशन के प्रतिवेदन पर इस तरह से राज्य सरकार ने रुख अपनाया है जिसके कारण राजस्थान के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। उसके डर के मारे उनसे डर कर, घबराकर,

श्री गोपाल पचेरवाल : यह × × × सरकार है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, जो पाटन से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं। यह इसकी × × × का द्योतक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा करते समय माननीय मुख्य मन्त्रीजी भाषण कुछ कहें, वह भी नहीं आये हैं। हमारे उनके स्नेह सम्बन्ध हैं। बंधी-बंधाई तनख्वाह वालों के लिए बेरी कमीशन की स्थापना की गई थी, जस्टिस बेरी ने इतने बड़े....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो होगा। इसको पाइन्ट आफ आर्डर भी मान सकते हैं, प्रदिवेदन पर भी चर्चा भी मान सकते हैं। आर्डर प्लीज,

(व्यवधान)

कृपया बाधा न पहुंचाये,

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, शांत रहें, कृपया। आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल छाया हुआ है। इस सारे विधान सभा के सत्र में समय-समय पर माननीय सदस्यों ने इस अकाल के विषय में अपने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। जब कार्य सलाहकार समिति की पहले बैठके हुई उस समय चर्चा थी कि राजस्थान में जो भीषण अकाल की स्थिति है, अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के विचार राजस्थान की सरकार के मार्ग दर्शन के लिए रखना चाहेंगे ताकि राजस्थान की सरकार अकाल राहत के लिये किये जाने वाले प्रयत्नों की विधान सभा में घोषणा करके राजस्थान को अकाल से बचा सके। मुझे पता नहीं, कौन से कारण आ गये जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति बन गई कि 22 मार्च को....

श्री अध्यक्ष : सरकार ने यूं समझा होगा कि खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा जाकर काम करना पड़ेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं सदन का पूरा आदर करता हूं।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मानयताओं का विषय है, यह मजाक का विषय नहीं है। I object to it.

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : राजस्थान की 2।। करोड़ जनता ने क्यों चुन कर भेजा है ?

× × × : शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

श्री सूरजपालसिंह : यह स्थिति आप लोगों ने पैदा की।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति से सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो वित्तीय संकोच की चर्चा करते हैं और वित्त मंत्रीजी जिसकी तलवार लटका कर राजस्थान के कर्मचारियों कृषकों, मजदूरों, छोटे लोगों को कर के माध्यम से लूटना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके द्वारा जो शब्द कहे गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा होता कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न किया जाता। मेरा निवेदन है कि सदन सर्वोपरि है इस नाते मैं कहना चाहता हूं कहां गई अकाल की चर्चा? कृषि भूमि रूपान्तरण का विषय राजस्थान के नगरों के क्षेत्रों में छाया हुआ है। मंत्री महोदय पिछले दो दिन से दर्शन देने लगे हैं अस्पताल में बीमार पड़े होने के कारण। इस समय राजस्थान की सारी जनता एजीटेटेड है। स्थान-स्थान पर, कृषि भूमि रूपान्तरण के जो नियम बनाये हैं, कानून बनाया है उसके कारण जनता में, नगरीय क्षेत्र में रहने वालों में एक असमंजस की भावना व्याप्त हो गयी है। हम चाहते थे, राजस्थान सरकार अपने बयान के द्वारा सारी स्थिति रखे और हम लोगों को कहने का मौका मिलेगा। कौन से बड़े-बड़े मन्त्री थे, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता कि कौन थे, चोर दरवाजे से कानून का सहारा लेकर पता नहीं कितनी भूमि को हजम कर गये हैं, खा गये हैं, डकार जाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही एक कारण नहीं है, पुलिस विभाग की मांग शेष है। राजस्थान की लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन कैसी है, किस प्रकार की स्थिति है, इसकी चर्चा समय-समय पर हुई पर राजस्थान सरकार केवल चुपचाप बैठे देखती रहती है, बात करने का नाम नहीं। मुझे लगता था, पुलिस डिमाण्ड बाकी है उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, राजस्थान के राज्य गृह मन्त्री बयान देंगे, नीतियों को प्रदर्शित करेंगे जिनके द्वारा लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करना चाहते हैं।

सिंचाई से मेरा सम्बन्ध है। थोड़े समय में अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। कल सिंचाई का विषय था। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के राज्य मन्त्री महोदय आज जवाब दें, 30 करोड़, 24 करोड़, 21 करोड़ कहां लगाये जायेंगे। राजस्थान केनाल में 13 पर्सेन्ट, 17 पर्सेन्ट, 23 पर्सेन्ट और 27 पर्सेन्ट प्रशासनिक व्यय है। जिस लाइफ लाइन के सहारे राजस्थान आज हिंदुस्तान

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के और प्रांतों के आगे गर्दन ऊंची करके खड़ा हो सकता है वह विषय अलग रह जायेगा। एक विषय नहीं कितने ही ऐसे विषय हैं। किस बात से मन्त्रिमण्डल डर गया ? किस बात से राजस्थान सरकार डर गई ? वह तो आपके दिल के टुकड़े ही हैं, आपके मधुर सम्बन्ध हैं, बड़े स्नेहपूर्ण सम्बन्ध हैं, बुलाकर बात करने की हिम्मत नहीं ! बात करने के लिये 15 दिन लगेंगे, हमको फुरसत चाहिये, छुट्टी चाहिये इसलिए विधान सभा की छुट्टी, विधान सभा के सत्र की छुट्टी ! मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शायद राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में एक बार कार्य सलाहकार समिति के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित होने के पश्चात् छोटे-मोटे हेर-फेर हुये होंगे लेकिन यह तो गुलोटिन हो रहा है, तलवार चलाई जा रही है। वैसे तो मुखबंद होता रहता है परन्तु कार्यक्रम घोषित करने के बाद मुख बंद हो तो ! माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिये कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र से जानकारी और समस्यायें लेकर आये हैं वह यहां रखें। एक बात कहना चाहता हूं, राज्य कर्मचारियों के साथ आपने बात नहीं की, चर्चा नहीं की, 7 महीने से बेरी कमीशन की बातें चलती रहीं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री उनको आश्वासन देते रहे अब दो टूक जवाब दो दिन पहले देकर आपने राज्य कर्मचारियों को हड़ताल की भट्टी में झौंकने का प्रयत्न किया है और आज हम से समय चाहते हैं, आज विधान सभा को गोल करना चाहते हैं, विधान सभा के सत्र को समाप्त करना चाहते हैं। क्या स्थिति बनेगी ? आपके तेवर देखकर ऐसा लगता है कि अभी तो थोड़ा बहुत करो, एक बार विधान सभा चली जाय फिर डंडा चलाने का, लाठी चलाने का, आंसू गैस चलाने का, और पता नहीं क्या क्या करने का मौका मिल जायेगा। उसके लिये आप विधान सभा का सत्र समाप्त करना चाहते हैं। राज्य कर्मचारियों की जो मांग है वह वाजिब है, उन पर विचार किया जाना चाहिये। जस्टिस बेरी जैसे व्यक्ति ने जो रिपोर्ट दी है केवल मात्र आर्थिक संकट की तलवार लटका कर गर्दन काटने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता, ओवर ड्राफ्ट कितना था पहले, और किसके समय इतना बढ़ा। पूरे ओवर ड्राफ्ट की तलवार लटका कर राज्य कर्मचारियों की गर्दन काटने का प्रयत्न कर रहे हैं, यह साजिश कर रही है सरकार राज्य कर्मचारियों के साथ। हम से समय इसलिए चाहते हैं ताकि असेंसियल सर्विसेज एक्ट लागू करके, जिसकी एक दिन पहले प्रक्रिया आपने की है उसको आधार लेकर बिना वारन्ट के राज्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लें। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

के मुख्य मन्त्री, सबसे पहले उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता है जिसने राजस्थान के तीन लाख लोगों के साथ विश्वासघात किया....

(व्यवधान)

नहीं, उपयोग होगा उन कर्मचारियों के लिये, गरीब कर्मचारियों के लिये। उनकी समस्या समाप्त करने की कोशिश नहीं की जायेगी। केन्द्रीय सरकार चाहती है वह कर देती है। क्या लगेगा उनको? वह तो असली मां के पुत्र हैं, ये विमाता के पुत्र हैं, राज्य सरकार की अपनी रीति नीति है, बराबर एक स्तर पर रखेंगे। राजस्थान की विधान सभा में चर्चा होगी, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए भाग जाओ, रणछोड़ बन जाओ, मैदान छोड़ जाओ, गोल कर जाओ, राजस्थान विधान सभा का सत्र समाप्त कर दो। हमारे माननीय सदस्य ने शायद चर्चा करते हुए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा होता वोट आन अकाउन्ट ले लेते। वैसे ही राजस्थान विधान सभा का सत्र कम होता है, बहुत कम समय मिलता है, जितना समय मिलता है, उतने समय एग्जीक्यूटिव मशीनरी तेज रहती है, एक्टिव रहती है, कार्य समय से निपटाती है क्योंकि विधान सभा के सत्र की अवधि में सारी स्थिति, लोगों के ग्रीवान्सेज, समस्याओं का ठीक रूप से रखा जाता है....

श्री अध्यक्ष : मशीनरी नहीं रही तो क्या करें?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और रहेगी भी नहीं।

(व्यवधान)

ऐसी हालत पैदा कर दी है इस कारण से मैं कहना चाहता हूं, मैं अनुरोध करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्त मन्त्री से, अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर पुनर्विचार करें, गंभीरता से विचार करें। ऐसी छूट न मिल जाय राज्य सरकार को असेंसियल सर्विसेज एक्ट के तहत दमनकारी कार्यवाही करके राज्य कर्मचारियों की उचित मांगों के लिये उन पर आप डंडा चलायें इस प्रकार की प्रक्रिया न करें। यहां रहते हैं उनकी समस्याओं, ग्रीवेन्सेज पर चर्चा हो सकेगी इसलिये पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, यह सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रख रहे हैं इसको पुनर्विचार के लिए देकर हमको भी बुलायें, विश्वास में लें, कान्फिडेंस में लें, समस्या को समझायें, ठीक रूप से चर्चा हो। कुछ छूट आप मांगते, आप यह कह सकते थे कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा। और कोई बात हो सकती थीं, कुछ हो सकता था किन्तु इस विषम स्थिति में, जब कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने की नीयत आपकी दिखाई दे रही है, भृकुटि आपकी दिखायी दे रही है। कृपा करके उनको बचने के लिए मौका मुहैया मत करिये। मैं आपसे निवेदन

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। यही बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि बड़ी शांतिपूर्वक, निष्पक्षता के साथ सभी माननीय सदस्यों और विशेषतया अध्यक्ष महोदय के सामने कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं ताकि रूल्स के बेसिस पर उनका सही इन्टरप्रिटेशन हो जाय। जहां तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का संबंध है, हम जानते हैं, उसके अन्दर प्रावधान है। यह रूल 212 से लेकर 218 तक है, इनमे भी विशेष रूप से आपका ध्यान रूल 216, 217, 218 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है उसकी जो रिपोर्ट होती है वह रिपोर्ट हाउस में प्रजेन्ट होती है, पेश होती है। उस रिपोर्ट के आधार पर नोटिफाई करते हैं बुलेटिन में, वह रूल 216 में है।

"The allocation of time in respect of Bills and other business as approved by the House shall take effect as if it were an oder of the House and shall be notified in the Bulletin."

इसमें तीन चीजें हैं, एक allocation of the ti e, दूसरा In respect of Bills, तीसरा, In respect of other business. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन तीन चीजों पर निर्णय करती है। बिल्स का जो बिजनेस होता है इसके लिए अलोकेशन आफ टाइम करती है। बिजनेस जो बिल्स का है उसको एबोलिश या एब्रोग्रेट करने का, या संशोधन करने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट आने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट का कहीं भी प्रावधान नहीं है। हां, एलोकेशन आफ दी टाइम का अधिकार है। रूल की मंशा भी आप देखें, लेटर रिपोर्ट की स्प्रिट क्या है। रूल 218 पेशतर कि इसको मैं पढ़ूं, मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि जहां तक हाउस के बिजनेस का सवाल है Even this House, after hav ng adopted one report cannot cancel them, abrogate them or leave them. It cannot do it.

हाउस भी नहीं कर सकता है। आप संशोधन के नाम से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बिजनेस को रिवाइज कर रहे हैं। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है लगभग पूरी मांगें पूरी हो चुकी थीं, सिर्फ दो-तीन दिन की बात और थी, बहुत से बहुत जो बिजनेस बाकी रहा है वह है नगर आयोजना विभाग, न्याय और प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा कल्याण और पुलिस की मांगें, यह जो भी मांगें हैं उनमें कहीं भी मुख्य मन्त्रीजी नहीं आते हैं। वर्तमान में जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई है उसके सम्बन्ध में राज्य

(श्री राजबहादुर)

कर्मचारियों से मुख्य मन्त्रीजी बात करें तो उनके स्थान पर राज्य मन्त्री जी ही जवाब दे सकते हैं और वह खुद नेगोशियेशन कर सकते हैं। आपने, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ही ठीक कहा कि मशीनरी नहीं है तो क्या किया जाय। मशीनरी नहीं है तो दो रास्ते मौजूद हैं, या तो आप क्वश्चन आवर को सस्पेन्ड कर देते और या कह देते कि पेपर्स आपके पास आ सकने में दिक्कत है। यह जो सदन है it is a bulwark of democracy. सदन एक बुलवार्क है, एक ढाल है, शील्ड है। जनसाधारण के हितों को सुरक्षा की आवश्यकता है पर इसको डिनाई कैसे किया जा सकता है? दो महीने तक या 50-60 दिन मुश्किल से सदन चलता है। अगर यह समस्या आपको सुलझानी है तो हम आपको हृदय से कहते हैं कि आप समस्या को सुलझाइये। मैंने आपको सुबह भी कहा था कि No Government can afford to take a wooden attitude. लकड़ी जैसा एटीट्यूड होगा तो ब्रेक हो सकता है। इस प्रकार आपका जो एटीट्यूड है वह ठीक नहीं है। यह एटीट्यूड लेकर नहीं चलना चाहिये। मैं आपको फिर बड़ी विनम्रता से विनती करता हूं कि आप पूरे सदन के माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग लीजिये। आप कोशिश कीजिये, कोई रास्ता निकालिये। रास्ता तो आपको सेंन्ट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया और मैं आपको फिर बता देता हूं, उसने अपने कर्मचारियों को एक साथ चार डी०ए० की किश्तें दीं, उसने पहले की अपने कर्मचारियों के पी०एफ० में जमा करा दी है और आगे की किश्तें कैश दे रही है। आप भी ऐसा ही करिये, आप कहीं चाहे आपके प्रोग्राम को कट करिये, जो कुछ करना हो वह करिये लेकिन इसका उपाय कीजिये। आप मन्त्रिमण्डल के मंत्री, सारे राज्य मंत्री, सारे के सारे बड़े-बड़े अधिकारी क्या हड़ताल को तुड़वाने के लिये लगेंगे? या आप वोट आन अकाउन्ट ले लीजिये, उसके लिए भी प्रावधान है। रूल 149-150 है। देख लीजिये मेहरबानी करके, यह रूल 149 में यह है, Kindly permit me to take out the relevant rule so that I may read it out.

"Presentation of Budget in parts..... Nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the Budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place, each part shall be dealt with in accordance with these rules as if it were the Budget,"

रूल 150 वोट आन अकाउन्ट का है। "A motion for vote on account shall state the total sum required.... ..."

इसके बारे में अधिक कहना नहीं चाहता। मुझे कहने की जरूरत भी नहीं

(श्री राजबहादुर)

है। इसके लिये शकधर ने एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ लिखा है जो कि हाउस की जानकारी के लिये, आपके विचारार्थ बड़ी विनम्रतापूर्वक में पढ़ना चाहूंगा। एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं खुद भी जानता हूं कि ज्यादा समय नहीं है और मैं ज्यादा समय लेना भी नही चाहता हूं। वह पेज न. 602 और पेज 606 पर है आप देखें। पहले मैं पेज 602 से पढ़ूंगा जिसमे गुलोटिन के लिये कहा गया है गुलोटिन यानि मुखबन्द कब होता है, यह थर्ड एडीशन है 79 का, इसमें है :—

"The Speaker, in consultation with the Leader of the House, allots days for discussion andvoting of demands for grants."

यह आपने किया है "On the last day of the allotted days......" पहले नही है। आप नहीं कर सकते हैं। इसमें पहले दे दिया है। बिजनेस को आप एबोलिश नही कर सकते हैं, आप बिजनेस को कैंसिल नही कर सकते हैं। लास्ट डेज हैं 20-23-24 24 को तो सप्लीमेंट्री डिमान्ड है और 25 को गुलोटिन है। उस दिन सिवाय सिंचाई मंत्रजी, जो कि केबीनेट स्तर के मन्त्री हैं, के किसी मंत्री का बिजनेस नहीं है बाकी सारे राज्य मन्त्री जी तो हैं। हो सकता है, आप जो मशीनरी का अभाव बताते हैं उस अभाव के लिये आप रिपोर्ट में संशोधन करना चाहते हैं। तो उससे कोई बचाव नहीं हो सकता है। यह उचित कारण नहीं जान पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो अभी इलजाम लग रहे है वह नहीं लगेंगे। आप यह चाहें कि आप कर्मचारियों के साथ हाउस खतम होने के बाद अन्याय करें, आप चाहते हैं कि उनकी कोई पुकार सुनाने वाला नहीं रहे, क्योंकि हाउस सैशन में होगा तो जो कुछ भी यहां होगा उसकी गूंज सारी दुनिया में होगी अखबारों में आयेगी। उसको बन्द करने के लिए यह कर रहे हैं तो राज्य कर्मचारियों के जो बहुत बड़ी हिमायत है, इस सारे हाउस की हिमायत उनको प्राप्त है उस हिमायत को आप खतम कर देंगे। मेरा निवेदन है कि आप वोट आन अकाउन्ट लीजिये और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जितने दिन आप लेना आवश्यक समझें उतने दिन के बाद आप आयें। क्या आप वोट आन अकाउन्ट प्राप्त नहीं कर सकते है? वोट आन अकाउन्ट हो सकता था, कौन कहता है कि वोट आन अकाउन्ट पास नहीं कर सकते थे, यह कौनसा कायदा है, कहां लिखा हुआ है? मैं वोट आन अकाउन्ट के बारे में कहना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं थोड़ा गुलोटिन के बारे में कह दूं। "On the last day of the allotted days...." which was 25th in this case, "....at 17.00 hours...."

उसके पहले भी नहीं "... or at such other hour as the Speaker my fix in advance...."

(श्री राजबहादुर)

उसके लिए समय आपको एडवांस में फिक्स करना पड़ेगा । "....he forthwith puts every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the demands ..."

उस दिन आप कर सकते हैं । लेकिन आप प्रतिवेदन के ऊपर प्रतिवेदन, 13वें प्रतिवेदन के ऊपर 14वां प्रतिवेदन कैसे ला सकते हैं । ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में जो अलोकेशन आफ टाइम कर दिया है उसमें एक घण्टे के बजाय दो घंटे, चार घंटे कर सकते हैं ? एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं कि एक घंटा तो आपको स्वयं बढ़ाने का अधिकार है, रूल्स में प्रोविजन है, आप कर सकते हैं । इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं । इससे ज्यादा अगर करना है तो रूल्स में प्रोविजन है रूल 217 है । इस रूल 217 में यह आपको ही अधिकार है इनको अधिकार नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भी अधिकार नहीं है आपको ही अधिकार प्राप्त है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बहुत से बहुत कर सकती है उसके लिए मैं आपको रूल पढ़ देता हूं, रूल 218 ।

"Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time...."

Not decrease the time.

"....not exceeding one hour, without any motion be in moved."

श्री अध्यक्ष : ज्यादा कर सकते हैं । वह तो सदन सदैव ही कर सकता है । उससे ज्यादा कर सकता है ।

श्री बहादुर : जी हां, वह मैंने इन्कार नहीं किया । ज्यादा कर सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता, गुलोटिन नहीं कर सकता । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को क्या अधिकार है । इसमें तो जो संशोधन आया है उसके अन्दर यह भी नहीं आया कि मांग पर चर्चा और गुलोटिन और यह होता तो I might have been off the course.. यह नहीं है । मांगों पर चर्चा, डिसकशन, बहस, विवाद और फिर गुलोटिन, तो हो सकता था कि आपने, साहब, समय कम दिया है लेकिन यहां यह भी नहीं है । यहां तो अगर मैं कल सिंचाई के ऊपर बोलना चाहूं तो नहीं बोल सकता वह तो खतम, वह तो गुलोटिन है । आपको एप्रोप्रियेशन बिल पास करना है, और न जाने क्या क्या लिख दिया है । सारे आपको आवश्यक कार्य करने चाहिए । आखिरकार मैंने कल भी कहा था कि स्ट्राइक करने वाले कौन हैं, हमारे ही भाई भतीजे हैं, हमारे ही बच्चे हैं । they are flesh of our flesh and blood of our blood. इनके साथ जो सलूक होना चाहिए वह ह्यूमन होना चाहिए, फैमिली के मेम्बर की तरह

(श्री राजबहादुर)

से होना चाहिए। इसके लिए मैं विनती करूंगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप यहां गुलोटिन लगायें। आवश्यकता यह है कि आप वोट ग्रान अकाउन्ट ले लें। इसके लिए पाबन्दी नहीं है, कतई पाबन्दी नहीं है। मैं शकधर की बात को पढ़ना चाहता था लेकिन रह गया। जो रेलेवेन्ट पैराग्राफ है वह पढ़कर सुनाता हूं। वह पेज 206 पर है :

"The Constitution provides for vote on account, i. e. for grants in advance to be made by Parliament to enable the Government to carry on until the voting of the demands for grants and the passing of the general Appro' rpiation Bill."

यह हमारे ही संविधान की एक विशेषता है। मुझे सौभाग्य और गौरव है इस बात का कि जो विधान बनाने वाले थे, विधान परिषद् में उन महान आत्मा और महापुरुषों के साथ उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला था। आवश्यकता महसूस करते हुए यह प्रोविजन विशेष रूप से रखा गया था वोट आन अकाउन्ट का, जो और कान्सटीट्यूशन्स में नहीं है, केवल इस कान्सटीट्यूशन में ही है।

"The procedure of the vote on account was for the first time provided for in the Constitution. In its absence, the result was that after the presentation of the Budget and the introduction of the Finance Bill on the last day of February, both had perforce to be passed by the House before the end of the financial year i e. March 31, so as to provide the Government with the funds necessary for the following year and to authorise the Government to implement the taxation measure therefor. This system limited the time available to the House for a proper and satisfactory consideration of the Budget. Moreover, the system was inelastic and left very little time for adjusting the programme. Considerable difficuilty was experienced if any urgent legislative measure had to be taken up when the Budget discussions were in progress. With the introduction of the vote on account not only the programme has become elastic but members also get sufficient time to study, scrutinise and discuss in detail over an adequate period of time the annual financial proposals."

तो यह सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई प्रेस्टीज का

(श्री राजबहादुर)

सवाल नहीं आना चाहिए। हमने बड़ी विनम्रता के साथ कहा था कि हम आपके साथ आधे रास्ते तक नहीं बल्कि पूरे रास्ते जाना चाहते हैं। आप यह मौका मत दीजिए कि उनकी आवाज घोंटी जाय उनकी आवाज बन्द हो और उनकी आवाज को यहां कोई आकर कह नहीं सके। यह मौका मत दीजिए। कितना सा बजट रहा है ? आप मांगें पूरी हो जाने दीजिए। 25 तारीख तक हो जायेंगी उसके बाद कर लीजिए दो दिन। आपको 29 तारीख को राज्यसभा का इलेक्शन कराना है, आपको वित्तीय समितियों का चयन कराना है। यह सारी चीजें हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि जहां तक रूल्स का ताल्लुक है रूल 149, 150 में तो आपका बजट भी पास हो सकता है, वोट आन अकाउन्ट भी हो सकता है और 217, 218 और 216 के अन्तर्गत कोई बिजनेस कम नहीं किया जा सकता, कोई बिल कम नहीं किया जा सकता। अगर काम कम करना है तो मैं बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा कि हाउस के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा सिवाय आपके। हाउस के बिजनेस की रक्षा कौन करेगा सिवाय आपके। हम आपकी ओर देखते हैं। इन मित्रों से मैं फिर कहता हूं कि घबराइये नहीं, donot show panic. पैनिक का हमसे क्या सवाल है ? क्या जरूरत है, आप हाउस को बन्द कर फिर कह दें, हम दस दिन बाद बुला लेंगे ? आप वोट आन अकाउन्ट ले लें। कल ले लें, परसों ले लें। अगर आप सारा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं और वोट आन अकाउन्ट नहीं लाना चाहते हैं तो महरबानी करके इन रूल्स के सं. विधान के साथ, जनता की भावनाओं के साथ और कर्मचारियों के साथ, मैं पालिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, इनके हकों के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मेरी यही विनती है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। इनका संशोधन प्रस्ताव है। समय की इस पर पाबन्दी है। आधा घंटा होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा चला सकते हैं।

श्री हरिसिंह : हर एक को पांच मिनट देने का है।

श्री अध्यक्ष : प्रत्येक माननीय सदस्य को पांच-पांच मिनट।

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि पिछले समय में भी एक ऐसा समय आया था जब आपने एक व्यवस्था दी थी। सदन बनने के बाद के इतिहास में कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को हमेशा निर्विरोध रूप से पास किया जाता रहा है। पिछली बार भी जब मुख्य मंत्री श्री पहाड़ियाजी थे और मैंने एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया था तो आप जिद पर अड़े रहे और कहा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि हम नहीं करेंगे स्थगित करेंगे। उस समय सारी डिमाण्ड पास हो चुकी थी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैंने उन परम्पराओं को देखते हुए अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लिया था और वह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं प्रदेश में या राष्ट्र में तो पार्लियामेन्ट या विधान सभा की मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि उन परिस्थितियों पर हम विचार करें और रास्ता निकालें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं या परिस्थितियां पैदा की गयी हैं तब हम सदन की कार्यवाही को स्थगित करके, जनता की आवाज को दबा करके और, किसी की बात यहां पर उठाई जा सकती है उस अधिकार को नष्ट करके एक तानाशाही तरीके से सब चीजों को समाप्त करके, आवाज को बन्द करके भाग जाना चाहते हैं। यह कौन सा प्रजातांत्रिक तरीका है, यह समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, यह दिन याद दिलाता है कि इसका कारण क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण केवल कर्मचारियों का आन्दोलन नहीं है। कर्मचारियों का आन्दोलन का कारण तो इसका बेस बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ प्रस्ताव ऐसे दिये हुए हैं जिनको इस सदन के प्रांगण पर मुख्य मन्त्री जी लाने नहीं देना चाहते। मेरा एक प्रस्ताव था जिसके अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री जी के एकदम निकट के व्यक्ति, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ने राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेंसिंग सोसाइटी से बिना कार्यवाही पूरी किये 60 हजार का लोन कल की तारीख में उठाया और चैक कट कर के गया है। इसके सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है वह इस सदन के अन्दर नहीं लाना चाहते हैं।

श्री गुलाबचन्द जी कटारिया ने जो प्रस्ताव दिया था, जो प्रश्न दिया था उसके अन्दर मुख्य मन्त्री जी के निकट के व्यक्ति के ऊपर जमीन बेचने का आरोप लगाया था। न उस पर आधा घंटे की चर्चा का समय दिया गया और न उस पर सदन में बहस के लिए समय देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और, मुख्य मन्त्री जी, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि परसों दिल्ली के अन्दर आपने सीकर की एक जमीन, जिसको गवर्नमेन्ट ने एक्वायर किया था पर स्टे दिया है। उस मामले को यहां नहीं लाने देना चाहते हैं। उसमें कम से कम 5 से लेकर 10 लाख तक का घपला है। श्री श्रीराम जी गोटेवाला बैठे हैं जिन्होंने उसका स्टे वैकेट किया है और आपने स्टे दिया है। युवरानी साहब की जमीन है जो 18 लाख रुपये में बेची गयी है। उसके मामले को आप यहां नहीं लाने देना चाहते हैं। आप कहें तो मैं डाकुमेन्ट्स पेश करूं। आप उसको भी झुठला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं सकते। वह बातें सदन में नहीं आने देना चाहते इसलिए तलवार लटकाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात नहीं है। पंचायती सम्बन्धी बातें है। पंचायती संबंधी बातों को आप नहीं लाने देना चाहते थे। मैंने आधा घंटे की चर्चा उठाई है। मुख्य मन्त्री जी, आपको पता नहीं आप झुंझनू जिले में पधारे थे और माननीय ओला साहब ने आपको थैली भेंट की थी वह थैलियां जनता की नहीं थी, पंचायतों का अनुदान जो आपने पंचायतों के विकास के लिए दिया था, सारा का सारा पंचायत समितियों से आपको भेंट करा दिया था, मुख्य मन्त्री सहायता कोष में। उस चर्चा को यहां नहीं लाने देना चाहते।

मुख्य मन्त्रीजी, आप नहीं चाहते कि आरबिट एण्ड कम्पनी महाराष्ट्र, वर्तमान वित्त मन्त्री जो जब थे खाद्य सप्लाई मन्त्री, को लाखों रुपयों का फायदा पहुंचाया था उस पर इस सदन में किसी प्रस्ताव के द्वारा चर्चा हो।

आप नहीं चाहते कि बरामदों को खाली करवा दिये जाने और बरामदों को बन्द करवाने के 6 घंटे बाद में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया था और बार बार प्रतिनिधि मण्डल बनाये थे उनका क्या हो गया वह सदन के सामने आये। आप नहीं चाहते कि गृह निर्माण समितियों की जमीनों के कन्वर्शन के नाम से जो आप घोटाले कर रहे हैं वह घोटाले इस सदन के सामने आयें। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं आप पर, आप नहीं चाहते हैं इस बात को कि रोडवेज का जो घटिया स्टेण्डर्ड है वह विधान सभा के अन्दर चर्चित हो। आप नहीं चाहते हैं कि सीड कार्पोरेशन के अन्तर्गत जो लाखों का घपला किया गया है, 4–5 दिन पहले एक नये ढंग की थैलियां तीन लाख रुपये की बनाई गई हैं, उस सैकेटरी के काले कारनामों की यहां पर चर्चा हो। आप नहीं चाहते इस बात को कि नेशनल लाइम स्टोन कम्पनी का जो मामला था, जिसमें सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया को सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये आवेदन किया था 7 तारीख को और 8 तारीख को एक प्राइवेट फर्म, जिसको कुछ लोगों की आपकी पार्टी ने ले जा करके पटा लिया, के एक पार्टनर ने एप्लीकेशन दी उसको मंजूर कर लिया और सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके आपने एक प्राइवेट व्यक्ति को डेढ़ लाख की रायल्टी पर लीज दे दी जब कि उसका कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये साल की डैड रेन्ट होना चाहिये। नीम का थाना में सीमेन्ट का प्लान्ट लगना चाहिये था, वह लगे उसकी चर्चा आप नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि राजस्थान उपभोक्ता भण्डार, कोटा जनवास काण्ड, जिसके अन्दर आपने 20 लाख की जमीन वापस कर दी राजा महाराजाओं को, की चर्चा राजस्थान विधान सभा में हो। मैं निवेदन करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहता हूं, आप नहीं चाहते कांग्रेस (आई) की रैली में गये लोगों और 37 लाख के काण्ड की यहां चर्चा हो, इतने रुपये आपने कहां से प्राप्त किये जब कि आपकी पार्टी के पास एक रुपया भी जमा नहीं था ये 37 लाख रुपये कहां से जमा कराये। आप विधान सभा चलाइये मैं प्रूव करूंगा इस बात को कि कहां से पैसे लाये। आप नहीं चाहते कि राजस्थान कैनाल के बारे में जो संकट चल रहा है और राजस्थान कैनाल के बारे में जो एक षडयन्त्र रचा जा रहा है, उसकी चर्चा विधान सभा में हो। आप नहीं चाहते आपके कर्मचारियों के साथ न्याय हो, आप उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं यह विधान सभा की कार्यवाही 22 तारीख को नहीं 20 तारीख को स्थगित कर दी जायेगी। यह जो आपने कहा है एन्टीसिपेटरी कार्य सूची में नहीं लिखा है कि 20 तारीख को कौनसा बिजनेस होगा और 22 तारीख को कौनसा बिजनेस होगा।

सूचना

आचार्य जे. बी. कृपलानी का निधन

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। 20 तारीख को कौनसा बिजनेस होगा और कौनसा नहीं होगा, यह तो बाद में देखने की बात है। मुझे क्षमा करेंगे, बहुत दर्दनाक सन्देश है कि हमारे महान् स्वतन्त्रता सेनानी महान् नेता आचार्य कृपलानी का स्वर्गवास हो गया है दो बजे अहमदाबाद में। इस समाचार को सुनने के बाद हम सब कितने दुखी और कितने व्यथित हो सकते हैं। और क्या हमारा कर्तव्य है इस वक्त सिवाय इसके कि उस महान् नेता को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पास करें और कोई कार्यवाही नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रेडियो पर खबर आ गई है कि हृदय गति रुक जाने से उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री अध्यक्ष : न्यूज को पहले अपन कन्फर्म कर लें।

श्री यदुनाथ सिंह : कन्फर्म है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : ऐसे हृदयहीन तो नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसे महान् स्वतन्त्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित न करें और यह सदन चलता रहे, यह ठीक नहीं होगा।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह न्यूज अभी तक कनफर्म नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : न्यूज देता कौन है आपको ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : कौन देता है न्यूज ?

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दें।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7-25 रात्रि को 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा की बैठक रात्रि 7 41 बजे पुन: प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति

आचार्य जे. बी. कृपलानी के निधन पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मुख्य मन्त्रीजी, शोकाभिव्यक्ति

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब को एक बहुत ही दुखद घटना की सूचना अभी थोड़ी देर पहले मिली कि हमारे देश के महान् स्वतन्त्रता सैनानी, राष्ट्र नेता, वयोवृद्ध श्री जे. बी. कृपलानी का निधन अहमदाबाद में आज दिन के 2 बजकर 5 मिनट पर हो गया।

कृपलानी जी भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने गांधीजी का आशीर्वाद लेकर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। आजादी के पहले जब से उन्होंने होश सम्भाला, निरन्तर वह आजादी की लड़ाई में एक सैनिक की भांति अड़े रहे और आजादी मिलने के बाद तक उन्होंने उस मुहिम को नहीं छोड़ा।

मुझे स्मरण आता है जब मैं विद्यार्थी था तब 1946 में अखिल भारतीय विद्यार्थी कांग्रेस का एक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के कम्पनी बाग में सारे हिन्दुस्थान के विद्यार्थी एकत्रित हुए थे, सम्मेलन को एड्रेस करने के लिए कृपलानी जी आए थे। उनके शब्द मुझे आज तक भी याद हैं, उन्होंने कहा : "A time may come in the country when you will have loyaly of people to our caste to our creed, to our person but not to our nation." मैं यह मानता हूं कि उनका कोई अपना परिवार नहीं था, सारा देश उनका परिवार था। वे देश के लिए जीये और देश के लिये मरे। एक बहुत लम्बे अर्से तक वह इण्डियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान मन्त्री रहे। उसके बाद उसके अध्यक्ष भी रहे। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की जो भूमिका रही उसमें कांग्रेस के प्रधान मन्त्री के नाते और कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी के पश्चात् वह विधान निर्मात्री परिषद् के सदस्य रहे। एक लम्बे अर्से तक हमारे देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था लोक सभा के सदस्य रहे। वह बाद में सत्ता पार्टी के विरोध में बैठे लेकिन उनकी आवाज, उनकी बात जब भी वे बोलते थे, लोक सभा में बड़े आदर से सुनी जाती थी। तृतीय लोक सभा में एक सदस्य की हैसियत से मैंने भी उनको सुना है। पार्लियामेंट और देश के जो महत्वपूर्ण ममले सामने आते थे उनके सम्बन्ध में बहुत निसंकोच

(श्री शिवचरण माथुर)

और निर्भयता से अपने विचार वह सदन में व्यक्त किया करते थे। लोक सभा के वे कुछ इने गिने उन माननीय सदस्यों में से थे जिनकी बात को सुनने के लिए सत्ता पक्ष तथा विरोधी पक्ष के सभी लोग तत्पर रहते थे। राष्ट्र हित में जो भी आवश्यकता हुआ करती थी उसकी ओर वह हमेशा ध्यान दिलाना करते थे। एक सच्चे राष्ट्र भक्त के नाते जीवन पर्यन्त वह राष्ट्र की सेवा में रत रहे। उनकी जिन्दगी भी एक पैगाम थी और मैं समझता हूं कि मौत भी एक पैगाम है। He died in hardness. लगातार काम करते करते वह स्वर्गवासी हुए हैं। मैं समझता हू कि वैसे तो सब को एक दिन जाना है लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके नहीं रहने से न केवल उनके परिवार को बल्कि सारे समाज को और सारे देश को दुख होता है। श्रद्धेय कृपलानी के निधन में भी वही बात निहित है।

आज कृपलानी जी हमारे बीच में नहीं हैं। यह केवल उनके परिवार का शोक नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूं कि यह सारे समाज का और सारे देश का शोक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं मेरी ओर से और सम्पूर्ण सदन की ओर से श्रद्धेय कृपलानीजी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार, सारा देश ही उनका परिवार है, को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी जी का देहावसान राष्ट्र की ऐसी अपूर्व क्षति है जिसके लिए सारा राष्ट्र आज संतप्त है। समस्त जीवन स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के रूप मे रहने के साथ साथ जब देश में ऐसी स्थिति देखने को उन्हें मिली कि सारे मौलिक अधिकार छीन कर देश को एक प्रकार से तानाशाही के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है तब बाबू जयप्रकाश जी के साथ कदम मिला कर उन्होंने देश का जागरण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से तीन साढ़े तीन साल पहले कृष्ण के जन्म स्थान पर माननीय कृपलानीजी के साथ एक समारोह में मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला था। वे शब्द आज मुझे याद आ जाते हैं, मूल्य अनिश्चित राजनीति, राजनीति के सहारे न चले, राज्य प्राप्ति उसका साधन न हो। महात्मा गांधी की जीवन श्रृंखला के साथ साथ स्वयं वे राजनीति को मूल्य अधिष्ठित स्थापत्य बनाना चाहते थे। आज यह दुखद अवसर हमारे समक्ष आया है कि हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस स्वतंत्र देश में यही होगी कि राजनीति को मूल्य के आधार पर, वैल्यूज के आधार पर हम चलाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने दल की ओर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र के समस्त बन्धुओं को यह शक्ति दे कि देश की राजनीति को वैल्यूज के आधार पर हम चला सकें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय आचार्य कृपलानी जी के स्वर्गवास से ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक युग समाप्त हो गया। वह उस युग के प्रतीक थे जिसने दासता की काली अंधेरी रात देखी थी उन्होंने साहस बटोरा था, अनुप्राणित किया था, अनुप्रेरित किया था सारे राष्ट्र को। सारे राष्ट्र को आजादी के संघर्ष में जूझने, आजादी प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। वह जीवन पर्यन्त स्वतंत्रता सेनानी रहे। जीवन पर्यन्त वह एक आदर्श-पूरक जन थे। आज भी मैं यह अनुभव करता हूं, मैं याद करता हूं, जब कांग्रेस का विघटन हो रहा था, उन्होंने बहुत बड़े दर्द भरे शब्दों में कहा था, मैं सबसे बूढ़ा पुराना कांग्रेस जन हूं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के मूल्यों को रखो और कांग्रेस को रखो। यह उनके कहे हुए शब्द थे। आज लगता है कि एक आवाज सदा-सदा के लिए खामोश हो गई है। जो आवाज हमको आज के जमाने में भी नैतिक कर्त्तव्यों की ओर इंगित करती थी, दिशाबोध करती थी, आने वाली पीढ़ी को एक नया साहस देती थी, नया मार्ग दिखलाती थी। उस आवाज में कोई पक्षपात नहीं था। वह किसी पार्टी के लिए नहीं थी। वह तो स्वयं भारतीयता के अनुपम चित्र हो गये थे, एक मूर्तमान स्वरूप हो गये थे। इसलिये उनकी बात किसी को बुरी नहीं लगती थीं, जो उन्हें खरी लगती थी, चाहे खरखरी हो वह भी कह देते थे। किन्तु यह अनिश्चित बात है, अब यह चरित्र कहां मिलेगा, यह आदर्श कहां मिलेगा। यह आदर्श, यह चरित्र, यह वाणी यह व्यक्तित्व ऐतिहासिक न हो, इसने इतिहास बनाया है। इन्होंने भारत की स्वाधीनता का इतिहास ही नहीं लिखा, बल्कि भारत के स्वाधीन होने के उपरांत जो भी कुछ कहा है, वह हमेशा याद रखने योग्य होगा। किसी व्यक्ति के पास इस सदन में, बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, वह शब्द नहीं होंगे जिनके द्वारा आचार्य जी ने देश को दिशा निर्देश दिया उनका योगदान रहा है आजादी दिलाने में, कांग्रेस को बनाने में। कांग्रेस के जनरल सैक्रेटरी वह बरसों बरसों तक रहे, आजादी की लड़ाई की अगुआई करने वाले प्रथम पंक्ति के नेताओं में वह एक थे, आजादी के उपरांत भी उनका वही मान रहा।

मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, माननीय सदन के नेता की तरह से उनकी वाणी सुनने का, लोक सभा में उनके समीप बैठने का। बहुत सी बातें होती थीं, उनके हृदय की पवित्रता इससे लगती थी, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं देखा। एक रिच सेन्स ऑफ ह्यूमर था। वह अपने पर भी मजाक

(श्री राजबहादुर)

करना जानते थे, स्वयं अपने पर हंस सकते थे। जो आदमी स्वयं अपने पर हंस सके वह आदमी बड़ा अनोखा होता है, बड़ा पवित्र होता है। ऐसे पवित्र आदमियों में से आचार्य कृपलानी थे।

आज याद आती है, सुचिता कृपलानी की। मैं नहीं भूल सकता उस रात को, 14 और 15 अगस्त के बीच की बात सन् 1947 की, जब सुचेता कृपलानी का स्वर गूंजा था, राष्ट्रीय आजादी के अवसर पर सैन्ट्रल हाल में। मै आज बहुत दुख अनुभव कर रहा हूं। मैं ही क्या, सारा देश दुख अनुभव करेगा। सच कहा है, यह क्षति जो है राष्ट्र की है। एक युग समाप्त हो रहा है।

जब भाई दाऊदयाल जोशी ने मुझसे कहा, मैं अवाक रह गया। मैंने प्रथम कर्त्तव्य यही समझा कि मैं आपको सूचित करूं। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इसे कन्फर्म करके हम सबको आह्वान किया, मौका दिया कि हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। सच्ची श्रद्धांजली तब होगी जब हमारा चरित्र, हमारी कथनी, हमारी करनी अनुरूप हो जाये उनके आचरणों के, उनके सिद्धांत के, उनके आदर्शों के। उनसे प्रेरणा कुछ प्राप्त कर सकें। वह प्रेरणा के स्रोत थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े महामन, जिनका जन्म पिछली शताब्दी के उतरार्द्ध में हुआ, ने हमारे राष्ट्रीय जीवन को जाज्वल्य बनाया। मैं विनती करूंगा कि हम सब मिलकर यही संकल्प करें आज कि देश सर्वोपरि है। यही उनका सिद्धांत था, यही उनका मन्तव्य था। इस भावना से चाहे वह इधर बैठे हों साथी, चाहे उधर बैठे हों इस बात को सब बातों को भूलकर सोचें कि हम देश के प्रति उत्तरदायी हैं और हमें होना है। यदि हम सच्चे मायने में श्रद्धांजलि दे रहे हैं आचार्य कृपलानी को तो बिना किसी राग-द्वेष के हम अपने देश को मजबूत बनाने में, देश को सम्पन्न बनाने जुट जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करता हुआ श्रद्धांजलि देता हूं उनके चरणों में और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर एक क्षण भी अगर उन जैसा जीवन रहने का अवसर दे, उस प्रेरणा के साथ तो अपने को धन्य मानूंगा।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने आज स्वतन्त्रता के महान् सेनानी आचार्य कृपलानी के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

यह एक देश के ऊपर ऐसा आघात है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी जो गांधीजी की पीढ़ी के अमूल्य स्पृहणीय व्यक्ति थे जो आज हमारे इस देश से चले गये। यह ऐसी क्षति है जिसका पूरा होना मुश्किल ही दिखता है।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य कृपलानीजी के अन्दर जो डेमोक्रेसी की सही भावना होनी चाहिये, वह थी। उन्होंने उसका पूरा निर्वाह भी किया। स्वतन्त्रता के बाद में उनका अधिकांश जीवन विरोध पक्ष को प्रभावशाली ढंग से लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत करने में बीता। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुचिताजी ने सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्य मन्त्री के रूप में और विभिन्न पदों पर रह कर अपना जीवन व्यतीत किया। यह एक सही डेमोक्रेटिक भावना को प्रकट करता है, एक ही परिवार में दोनों चरित्र उपस्थित थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा में जब मैं पढ़ता था तो एक दफा हम कुछ नवयुवक उनके पास गये थे और उनको लोक सभा का चुनाव लड़ाने के लिए लाये थे। परन्तु किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह नहीं लड़े। उस समय तीन चार दिन उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे प्रेरणा मिली और मेरा राजनैतिक जीवन शुरू हुआ। आज मैं यही कह कर कि जो अकल्पनीय क्षति हुई है, ईश्वर हमको क्षमता प्रदान करें कि हम उसको सहन कर सकें उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार, जैसा हमारे सदन के नेता ने कहा कि देश ही उनका परिवार था, हम सबको यह क्षति सहन करने की क्षमता प्रदान करे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की पीढ़ी के लोगों, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, में से एक अंतिम आदमी जो सदैव जीवन पर्यन्त समाज में नैतिक मूल्यों पर आधारित किस तरह से आदमी रहे उसके प्रवक्ता थे।

अध्यक्ष महोदय, आचार्य कृपलानी जी से मिलने का मेरा मौका पिछले वर्ष दिल्ली में एक कन्वेशन में मिला था। मैंने कृपलानी जी के बारे में पढ़ा काफी है, उससे जाहिर होता है कि वह एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व थे। उनके दिल में समाज के लिए और देश के लिए दर्द था। जो समाज के लिये दर्द कृपलानी जी के मन में था उस दर्द को अगर हम अपने दिल में पैदा कर पायें तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस क्षति को राष्ट्र उनका शोक संतप्त परिवार किसी प्रकार से सहन कर पाये, इसकी कामना करते हुए मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद कराने वाली जो पुरानी क्रांतिकारी पीढ़ी थी, वह आज धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। आचार्य कृपलानीजी के बारे में कुछ कोई नहीं जानता यह बात नहीं है। लेकिन आज उनके निधन पर देश को ऐसा शोक लगा

(श्री मेघराज तावड़)

कि देश ने महान् व्यक्तित्व को खोया है, ऐसा मैं मानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, देश प्रेम और समाज प्रेम के जो आदर्श उन पुराने क्रांतिकारियों में थे वह आज धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। सचमुच लगता है, जिन लोगों ने आजादी लड़कर और कुर्बानी देकर हासिल की, उसकी वैल्यू हम लोग जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने कोई दर्द नहीं देखा, जिन्होंने यातना नहीं सही, पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि उन जैसे देशभक्त के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहते हुए बड़ा दुख होता है इन क्रांतिकारियों के बारे में पिलानी में शहीद भगतसिंह की मूर्ति हैं जिसकी पूजा करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी उस क्रान्तिकारी की मूर्ति के हाथ पांव तोड़ दिये, मूर्ति पूरी नहीं टूटी लेकिन मूर्ति के कान, नाक और जो हैड है वह तोड़ दिया गया। मूर्ति के हाथों पर हथकड़ी लगाई हुई थी। उसके हाथ तोड़ दिये गये। उस मूर्ति को वहां से हटाने गया था। जिन क्रांतिकारी लोगों ने अपना बलिदान देकर के आजादी दिलाई उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम खून, बलिदान दे रहे हैं लेकिन हमारे बाद में यह गति होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्रांतिकारियों को हम श्रद्धांजलि दें उसके साथ हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके कदमों पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। यह उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता और अलग-अलग दलों के नेताओं ने कृपलानी जी के निधन पर शोकाभिव्यक्ति प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको शामिल करता हूं।

जिस पीढ़ी ने हमको आजादी दिलाई गांधीजी के नेतृत्व में उसमें शायद यह आखिरी नेता हैं जो हमारे बीच में से उठ गये।

कृपलानी जी को देखने का अवसर पहले-पहले मुझे सन् 1945 में मिला था। उनके व्यक्तित्व ने उस वक्त मुझे बहुत प्रभावित किया था। शायद कांग्रेस के वह पहले बड़े नेता थे जिनको मैंने देखा। उसके बाद गांधीजी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल दूसरे नेताओं का देख कर प्रेरणा ली। वे अंतिम समय तक उन्हीं विचारों पर कायम रहे जो विचार उन्होंने उस वक्त व्यक्त किये थे।

कृपलानी जी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन वह कितने त्यागी थे इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि पीछे न तो उन्होंने कोई धन संपत्ति छोड़ी है और न परिवार

(श्री अध्यक्ष)

छोड़ा है। जो राष्ट्र की खुशहाली है वही उनकी धन संपति थी। आखिरी दम तक वह यह चाहते थे कि हमारे देश में जो गरीबी, पिछड़ापन है वह दूर हो और हमारे देश की जनता उन्नति करे। 90 वर्ष से ऊपर आयु होने पर भी आखिरी दम तक वह लिखते रहे। उनके मन में एक पीड़ा थी कि हमारा देश गांधीवाद से हटता जा रहा है। नेताओं में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में सेवा की भावना और ईमानदारी धीरे-धीरे खतम हो रही है इससे वह काफी दुखी थे।

बहुत बड़े-बड़े लोग स्वतन्त्रता संग्राम में रहे और बड़े-बड़े पदों पर भी रहे लेकिन कृपलानी जी ऐसे व्यक्ति थे जो आजादी के बाद में किसी बहुत बड़े पद पर कभी नहीं रहे लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वह सदैव नया रहा। विचार उनके सदैव नये रहे और आखिरी दम तक वह क्रान्तिकारी बने रहे। इस तरह के जो लोग स्वतन्त्रता संग्राम में थे उन्हीं के कारण आप देखते हैं कि विश्व के कई देशों ने जनतंत्रवाद का तरीका अपनाया। लेकिन जनतंत्रवाद उन देशों में नहीं चल सका और भारत में आज भी जनतंत्रवाद मजबूत है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है इसका बहुत बड़ा श्रेय इस तरह के नेता, जो समय-समय पर हमारे देश में पैदा होते रहे हैं और रास्ता बताते रहे हैं, को ही है।

हम सबके लिये बहुत दुःख की बात है कि एक बहुत ही वयोवृद्ध, तपे हुए गांधीजी की पीढ़ी के नेता हमारे बीच में से उठ गये हैं। मैं परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि वह उनको चिर शांति प्रदान करे और हम सबको इस महान् दुख को झेलने की शक्ति दे।

अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की कार्यवाही कल 20-3-82 के प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.08 बजे शनिवार, दिनांक 20 मार्च, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

———

225

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 562 की सूची

बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर से वर्षवार सिंचित होने वाले क्षेत्र की सूची

क्र० सं०	वर्ष	सिंचित होने वाले खरीफ	क्षेत्र एकड़ों में रबी	योग
1.	1975-76	450	557	1007
2.	1976-77	263	705	968
3.	1977-78	534	1399	1933
4.	1978-79	969	6018	6987
5.	1979-80	2378	11132	13510
6.	1980-81	3944	8651	12595
7.	1981-82	6753	10500	17253

अनुमानित

(226)

बीकानेर लूणकरणसर नहर पर काश्तकारों से सिंचाई दर की वसूली
की वर्ष बकाया, फरवरी, 1982 तक की सूची

वर्ष			वर्षवार बकाया 1.4.81 को	वसूल की गई राशि	बकाया राशि फरवरी, 82 तक
	रबी	खरीफ			
1971–72	70–71	71	933–47	—	933–47
1972–72	71–72	72	2058–04	—	2058–04
1973–74	72–73	73	3885–68	—	3885–68
1974–75	73–74	74	—	—	—
1975–76	74–75	75	18017–50	—	18017–50
1976–77	75–76	76	—	—	—
1977–78	76–77	77	—	—	—
1978–79	77–78	78	—	—	—
1979–80	78–79	79	43065–97	—	43065–97
1980–81	79–80	80	354363–95	149987–76	204376–19
योग			422324–61		
1981–82	रबी 1980–81		358954–79	189081–77	169873–02
	खरीफ 1981		233232–09	85898–25	147333–84
कुल योग :			1014511–49	424967–78	589543–71

(227)

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर

भारत-पाक युद्ध के शरणार्थियों का पुनर्वास

563. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान कितने शरणार्थी बाड़मेर जिले में आये तथा उनमें से शिमला समझौते के अनुसार कितने शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले गये ?

(2) उक्त शरणार्थियों में से कितने शरणार्थी परिवारों को स्थायी रूप से बाड़मेर में बसाया गया है ?

(3) ग्राम वालेवा, गिराब, हरसानी, निम्बला एवं साजीतड़ा के शिविरों में बसे परिवारों में से कितने परिवारों को बाड़मेर जिले में भूमि आवंटन हुई है ?

(4) शरणार्थियों को उक्त ग्रामों का गोचर भूमि से कब तक बेदखल किया जाकर अन्यत्र बसाया जायेगा ?

उत्तर

(1) भारत पाक युद्ध 1971 के फलस्वरूप करीब 45565 शरणार्थी बाड़मेर जिले में आये। शिमला समझौता इन पर लागू नहीं होता है।

(2) इन शरणार्थी परिवारों में से बाड़मेर जिले में 4417 को विभिन्न योजनाओं में बसाया गया है।

(3) बाड़मेर जिले में जो विस्थापित बसाये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर जिले में बसाये गये विस्थापितों की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	गांव का नाम	परिवार संख्या जिनकी भूमि आवंटन की गई।
1	2	3	4
1.	बाड़मेर	बूठिया	89
2.	शिव	सुन्दरा	207
3.	,,	राहोडी	306
4.	,,	जसिन्धर स्टे०	102

1	2	3	4
5.	शिव	जसिन्धर गांव	60
6.	,,	तामलोर	76
7	,,	बान्दासर	5
8.	,,	मुनाबा	4
9.	,,	मेदुसर	161
10.	,,	डाबड	125
11.	,,	दामा	328
12.	,,	राणासर	28
13.	,,	कुण्डल	1
14.	,,	चेतराडी	33
15.	,,	खानिवाली	59
16.	,,	गिराब	54
17.	,,	बन्धडा	44
18.	बाड़मेर	वान्दरा	11
19.	,,	सुजकामार	4
20.	,,	कण्डालियापार	1
21.	,,	चाण्डवा उर्फ ग्राडवा	4
22.	,,	डवेका पार	4
23.	,,	भीलों का पार	1
24.	,,	बातीया जागीर	8
25.	,,	राहोली	1
26.	,,	नान	3
27.	,,	बसरा	3
28.	,,	सानरी	7
29.	,,	भाडवा	3
30.	,,	वाबु सरीया	9
31.	,,	बिशाला	1
32.	,,	मुनाबा	1

(229)

1	2	3	4
33.	बाड़मेर	मोहमदकापार	6
34.	,,	सालारिया	12
35.	,,	सरे का सला	14
36.	,,	कुकपाडिया	1
37.	,,	नग का पार	7
38.	,,	मकेला	17
39.	,,	कुकड	16
40.	,,	चालव का पार	36
41.	,,	ग्रनेकापार	9
42.	,,	चाडवा	29
43.	,,	सजनकापार	8
44.	,,	भोण्डेकापार	5
45	,,	भागरिया	1
46.	,,	हिन्दीवा	6
47.	,,	गडरिडया	12
48.	,,	मनरूपकातला	2
49.	,,	चनावण	8
50.	,,	कलनकापार	1
51.	,,	ग्रभकापार	17
52.	,,	मोहम्मद का तला	1
53.	,,	लीलसर	1
54.	,,	जीलीजा	2
55.	,,	गागरिया का पार	7
56.	,,	देवनीया का पार	1
57.	,,	चादला दशवाशा	2
58.	,,	रामसर	1
59.	,,	सरडाई	6
60.	,,	मदका पार	5

Page No 229

2-30

1	2	3	4
61.	बाड़मेर	भादरेश	1
62.	,,	पीपराली	2
63.	,,	चाकरू	1
64.	,,	बाड़मेर	1
65.	शिव	मोगराई	10
66.	,,	कालीजा	23
67.	,,	बूरियाडा	57
68.	,,	सेवाराऊ	1
69.	,,	काटडा	9
70.	,,	पुण्डा	1
71.	,,	मुगरिया	27
72.	,,	नागदडा	13
73.	,,	कापलीकला	3
74.	,,	बलाई	2
75.	,,	शिव	13
76.	,,	कानरकागांव	2
77.	,,	उनराड	12
78.	,,	रेडाणा	7
79.	,,	धारवीखुर्द	51
80.	,,	तिब्बतीकापार	2
81.	,,	वालवा	5
82.	,,	झणकली	5
83.	,,	हरसानी	17
84.	,,	हडवा	13
85.	,,	रावतका गांव	1
86.	,,	सीहाणी	1
87.	,,	राजडाल	7
88.	चौहटन	गठोडाकातला	69

(231)

1	2	3	4
89.	चौहटन	भोजारिया	46
90.	,,	सादुलकीतफल	12
91.	,,	हुजमकीतला	3
92.	,,	मादुरीकोगमन	4
93.	,,	ग्ररबी ,,	71
94.	,,	रमजानकी ,,	126
95.	,,	चौहटन	1
96.	,,	महाबार	3
97.	,,	कुमारी का टीबा	51
98.	,,	ग्राकोडा	1
99.	,,	ढाक	1
100.	,,	समाऊ	4
101.	,,	पहाडिया	5
102.	,,	मताकतला	5
103.	,,	धानिया	5
104.	,,	कलनोर	43
105.	,,	रासबानी	5
106.	,,	लडियाला	3
107.	,,	भीलोंकातला	38
108	,,	समाचीगफन	10
109.	,,	कुठराडोडान	15
110.	,,	समलेकातला	69
111.	,,	बावडीकला	129
112.	,,	नवातला	79
113.	,,	देदूसर	81
114.	,,	उण्डोसार	1
115.	,,	जसार	81
116.	,,	कापरसन	1

(232)

1	2	3	4
117.	सीयरा	बीजराड	12
118.	,,	लख कातला	7
119.	,,	नेतराड	9
120.	,,	कामराड	9
121.	,,	बानरोड भवरता	3
122.	,,	तालमसर	7
123.	,,	इटादा	41
124.	,,	राणासर	45
125.	,,	गोहड़कातला	95
126.	,,	बीजासर	32
127.	,,	लख्पकातला	5
128.	,,	ग्रादनिकातला	5
129.	,,	मिठंकातला	4
130.	,,	वसवाल	28
131.	,,	सुजाका निवाण	1
132.	,,	धनाऊ	1
133.	,,	सावलाती	2
134.	,,	सेवदकातला	9
135.	,,	मिठडाऊ	100
136.	,,	भाडागुलमोहम्मद	29
137.	चौहटन	गुमानकातला	19
138.	,,	मुलाणी	7
139.	,,	सोमराड	155
140.	,,	पूजासर	20
141.	,,	बीतासर	8
142.	,,	जानपालिया	22
143.	,,	जालीला	20

Page No 232

233

1	2	3	4
144.	चौहटन	तालसर	8
145.	,,	सिहार	7
146.	,,	दीपला	119
147.	,,	हरपालिया	7
148.	,,	भवार	21
149.	,,	आनुकातला	1
150.	,,	नवातला	3
151.	,,	घुडावा	1
152.	,,	झडवा	10
153.	,,	सिहाडिया	4
154.	,,	फागलिया	2
155.	,,	मीठडी	2
156.	,,	हाथला	5
157.	,,	बाखासर	10
158.	,,	चांदासनी	2
			4032

आर. डी. 253 पर रेगुलेशन गेट का निर्माण

564. श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़)-क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सूरतगढ़ ब्रांच के सभी हैड्स पर रेगुलेशन गेट बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो कौन कौनसे हैड्स पर नहीं है ?

(2) क्या हैड आर. डी. 253 पर भी रेगुलेशन गेट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या वहां के काश्तकारों द्वारा अनेकों बार स्थानीय अधिकारियों को पानी की कमी की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या सरकार यहां रेगुलेशन गेट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सूरतगढ़ ब्रांच की आर. डी. 56.5 (बायें) आर. डी. 82.35 (बायें) व आर. डी. 115.5 (बायें) के हैड्स पर रेगुलेशन गेट नहीं बने हुए हैं।

(2) जी हां। यहां से निकलने वाली दो नहरों पर गेट लगे हुए हैं। मुख्य नहर पर कड़ियों की व्यवस्था है।

(3) पानी की सामान्यत: कमी नहीं रहती है। पंजाब से पानी कम मात्रा में मिलने पर कभी-कभी कमी की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में काश्तकारों की शिकायतों का आना स्वाभाविक है। जितना पानी पंजाब से उपलब्ध होता है उसका वितरण रेगुलेशन प्रोग्राम के अनुसार किया जाता है। पंजाब से पानी कम आने पर उच्चस्तरीय बैठकें की जाती हैं। और पानी की मात्रा बढ़ाने के लिये राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाती है।

(4) यहां से निकलने वाली नहरों के हैड्स पर पहले से ही रेगुलेशन गेट लगे हुए हैं। मुख्य नहर पर कड़ियों की व्यवस्था समुचित है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के जल से उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण

565. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा छोड़े गये दूषित पानी से हुए जल प्रदूषण से यहां के मनुष्यों व पशुओं को कई तरह की बीमारियां होना प्रारम्भ हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के डाक्टर्स एवं नर्सेज की एक विशेष टीम ने यहां के प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जल स्रोत एवं मनुष्यों व पशुओं की जांच गत वर्ष कराई थी ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम रहे ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

Page No 234

(235)

(कैलाश मेघवाल)

(3) राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के मनुष्यों एवं पशुओं को जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाव के अब तक किस स्तर पर क्या-क्या उपाय किये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, पेट दर्द, दस्त, बुखार आदि के रोग होने की सूचना प्राप्त हुई। पशुओं की बीमारी से इस विभाग का संबंध नहीं है।

(2) ग्राम नान्दवल में फैली बीमारियों की जांच एवं रोकथाम हेतु जिला स्तर, मेडिकल कालेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से रोकथाम व उपचार हेतु दल भेजे गये। वहां दस्त तथा पेट में दर्द होने एवं बुखार के रोगी पाये गये। पेय जल व रोगियों के मल की जांच हेतु नमूने लिए गये जिसके प्रतिवेदनों की प्रतियों को सदन की टेबल पर रख दिया गया है। बीमारी की पुनः जांच करी गई, कोई नया रोगी नहीं पाया गया। स्थिति का नियंत्रण कर लिया गया।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होते ही जिला स्तर, मेडिकल कालेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्वास्थ्य दल गठित कर तुरन्त रोकथाम के उपाय किये गये। जल शुद्धिकरण करवाया गया। पेयजल व रोगियों के मल के सैम्पल लेकर जांच कराई गई, निशुल्क तुरन्त उपचार प्रदान किया गया। स्थिति नियन्त्रण में है।

———

236

प्रतिवेदन की प्रति

RAJASTHAN STATE BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF WATER POLUTION J/2/35, Mahaveer Marg, 'C' Scheme, Jaipur

No. WPCB/1218 Dated 8-5-81

CHEMICAL EXAMINER REPORT

Dy. Chief Medical & Health Officer,
Udaipur.

Ref :—Your Letter No Nil dated 29-4-81.

The chemical analysis report of them samples submitted by you is as follows.

S. No.	Parameters	Sample No. 1	Sample No. 2
1. Copper	as Cu.	0.01	0.028
2. Cadimum	AS Cd	Nil	0.135
3. Lead as	Pb	0.05	0.23
4. Zinc	as Zn	0.006	10.00
5. Iron as Fe		0.05	0.05

Note :—1. The samples were not collected by the board
2. All results are reported in mg. /L

Sd/-

Board analysit.

(232)

To,

Dy, C. M. & H. O. (Health).

15-6-81

Dated 19-4-81

Sub :-Water for bacteriological examination.

Ref :-Your letter No. 10094 dated 27-4-81.

I am sending herewith report of water samples collected from various places of salumber.

S. No.	Place of collection	Report
1.	Shain Kund, Salumber	L.F.S. N.L.F. grown probable number coliform count 14 bacalli in per 100 ml water.
2.	Tap water Bhoiwas Salumber	LFS NLF grown, probale number of coliform count 14 bacilli in 100 ml of water.
3.	Rawato ka Kuwa Nandawal	L.S.F. N.L.F. grown probable number of coliform count 17 bacilli in 100 ml of water.
4.	Dhanka Kuwa Nandwal	N.L.F. LFS grown probable number of coliform count 1800+Bacilli Count in per 100 ml of water.
5.	Main pump Nathdwara	N.L.F. S.L.F. grown probable number of coliform count 14 bacilli in per 100 ml of water.
6.	Tap water goving Patshalla	LSF NLF grown probable number of coliform count 1800 bacilli per 100 ml.

Sd/-

PATHOLOGIST

28-4-81

238

To,

The Dy. C. M. & H. O. (Health).

Udaipur

Path/1446-81.

24-4-81

Sub :-Stool examination for cholera

Ref :-Your Letter No. 89046 dated 18-4-81.

I am sending herewith report stool samples,

S. No.	Name of the Patient	Report
18.	Bhim Shanker	E. Coli. Grown on culture
19.	Babu	,, ,, ,, ,,
20.	Deva	Ps. Pyocyoneous grown on culture
21.	Khamma	E. Coli grown on culute.
22.	Durga	E. Coli grown on culture
23.	Gattu	Klebsiella grown on culture
24.	Hussiana	Klebesiella grown on culture.
25.	Kamla	E. Coli Grown on culture.
26.	Kamala	Sample not received
27.	Devilal	Klebseilla grown on culture.
28.	Roshan Lal	E. Coli grown on culture.
29.	Shanker Lal	-do- -do-
30.	Durga	-do- -do-

all samples are negative for cholera vibrio.

Sd/

PATHOLOGIST. 23-4-81

मालादेवी (इन्द्रगढ़) स्थित गुफा

566. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ में जेबरली गांव के पास माला देवी नामक स्थान पर स्थित गुफा की जानकारी प्राप्त करने की सरकार ने घोषणा की थी ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इसकी जानकारी करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान बन सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विकास की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिलाधिकारियों के सहयोग से इस गुफा की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये गये किन्तु सुरंग में थोड़ी दूर पर ही अंधेरा आ जाता है और क्योंकि ग्रामवासियों को सुरंग के भीतर शेर जैसे खतरनाक जानवरों के होने का भय है अतः इस दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई है।

(3) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

शास्त्री नगर जयपुर क्षेत्र की रोड लाइट्स

567. श्री सुजान सिंह यादव (बरहोड़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर रामनगर, शैतानसिंह कालोनी में अधिकांश रोड लाइट्स खराब पड़ी रहती हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि गत विधान सभा सत्र में इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि प्रत्येक गली के तिराहे और चौराहे पर चार फीट की ट्यूब लाइट्स लगाने के शीघ्र प्रयास किये जायेंगे ? यदि हां, तो अब आश्वासन की क्रियान्विति न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जैसे ही रोड लाइट्स खराब होती हैं, शीघ्र ठीक कराने की व्यवस्था की जाती है।

(2) अधिकांश तिराहों व चौराहों पर चार फीट की ट्यूब लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

सकतपुरा कोटा स्थित तुला यंत्र

569. श्री जीतमल जैन (अलवर),
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व
श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):—क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जीतमल जैन)

(1) क्या यह सही है कि कोटा में सकतपुरा स्थित तुला यंत्र पिछले कई वर्षों से खराब पड़ा है जिससे विभाग को लाखों रुपये की हानि हुई है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार उक्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सकतपुरा स्थित तुला यंत्र 18-9-79 का सेन्टर लीवर टूट जाने से खराब हो गया था, किन्तु यह नाका मार्च, 1980 से पावर प्रोजेक्ट, को टाकी परिसीमा में आने से बन्द कर दिया गया है दूसरा नाका जवाहर नगर नान्ता रोड पर प्रारम्भ किया गया है जहां एक ये 30 टन क्षमता वाले तुला यंत्र को स्थापित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। यह सही नहीं है कि सकतपुरा तुला यंत्र के टूट जाने से खनिज आय में कोई हानि हुई है एवं जो ट्रक नाके से गुजरते हैं, उनके अधिशुल्क निर्धारण की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(2) चूंकि राज्य सरकार को कोई हानि नहीं हुई है इसलिए किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) सकतपुरा चैक पोस्ट तथा उससे गुजरने वाला खनिज निकास मार्ग थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आ जाने से चैक पोस्ट को बन्द करना पड़ा है ऐसी दशा में नान्ता जवाहर नगर रोड नान्ता चैक पोस्ट चालू किया गया। जहां कि अधिक भार क्षमता 30 टन का तुला यंत्र लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा से पदोन्नति में आरक्षित स्थानों की पूर्ति

570. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं ?

(2) क्या पिछले पांच वर्षों में सुरक्षित स्थानों की पूर्ति की गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा से राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति से भरे जाने के लिये 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

(2) जी हां। कुल 63 (तिरसठ)

जयपुर नगर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे

571. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा

(श्री राम कंवार बैरवा)
1970 से कितने हरिजनों एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के अधीन कितने पट्टे एक रुपया शुल्क लेकर दिये गये ? प्रति वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यदि पट्टे नहीं दिये गये हैं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि गरीब लोगों से सरकार से स्वीकृति लिये बिना ही 40 रुपये और 120 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जमीनों का रुपया वसूल किया जा रहा है, जिन पर अनुसूचित जाति के लोगों के 40 वर्षों से कब्जे हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर परिषद् द्वारा 1970 से, क्राउन ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत एक रुपये शुल्क पर कोई पट्टा नहीं दिया गया।

(2) किसी भी निवासी द्वारा नियमानुसार 40 वर्ष या इससे पूर्व के कब्जे प्रमाणित नहीं कराए जाने के कारण पट्टा नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं।

छावनी क्षेत्र (कोटा) में निर्मित कालोनी

572. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) व व श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् व नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा छावनी के पीछे गरीब व्यक्तियों के लिये एक कालोनी का निर्माण कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या सरकार उक्त कालोनी के भू-खण्डों को शीघ्र गरीबों में आवंटन करने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि नगर विकास न्यास कोटा ने आवासन मंडल कोटा के माध्यम से छावनी रामचन्द्रपुरा योजना कोटा में 177 आवास गृह बनवाए है।

(2) उक्त योजना में बने सभी 177 मकानों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जा चुका है।

एस्बस्टस बनाल माइन्स-खैरवाड़ा

573. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)— क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) एस्बस्टस बनाल माइन्स तहसील खैरवाड़ा के मालिक कौन-कौन हैं और इनको यह क्षेत्र किस वर्ष में कुल कितना आवंटित किया गया था ? कृपया क्षेत्रफल मय आ. नम्बर के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस इलाके का कभी भी माईनिंग अधिकारी दौरा नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

242

उत्तर

(1) तहसील खेरवाड़ा में बनाल ग्राम के निकट एस्बस्टस एवं सोपस्टोन के दो खनन पट्टे श्रीमती रमा बहन शाह प्रो० अर्थफिल्ड प्रोडक्ट्स, बम्बई के नाम से स्वीकृत हैं। इन खनन पट्टों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं। अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण किया जाता है।

ग्राम बनाला के निकट श्रीमती रमा बहन शाह प्रो० अर्थ फील्ड प्रोडक्ट्स के नाम स्वीकृत पट्टों की सूची :—

क्र.सं.	खनिज	स्वीकृत क्षेत्र	संविदा पंजीयन दिनांक
1.	एस्बस्टस व घीया पत्थर	213.68 हैक्टयर	4-8-75
2.	एस्बस्टस	157.86 हैक्टेयर	9-8-77

स्नातकोत्तर डिप्लोमा युक्त सी. ए. एस. डाक्टर्स की पदोन्नति

575. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले सी. ए. एस. जिन्होंने आफथेलमोलोजी, पीडीएट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, गायनाकोलोजी आदि विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है, को उनके सेवा काल में पदोन्नति के क्या कोई अवसर उपलब्ध हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के बावजूद इन विषयों की विशेष योग्यता प्राप्त डाक्टर्स को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ?

(3) सी. ए. एस. (सिविल असिस्टेन्ट सर्जन) एसोसिएशन के मांग पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस रूल्स, 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ऐसे सी. ए. एस. डाक्टर जिन्होंने आपथोलोमोलोजी पेडियेट्रिक्स मेडीसन एवं गायनाकलोजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, कनिष्ठ विशेषज्ञ और वरिष्ठ विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति नहीं पा सकते हैं उनको पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार ने मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस रूल्स, 1963 में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की है और संशोधन किये

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जाने हेतु ज्ञापन मंत्री मण्डल को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संशोधन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाक्टरों को भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर की भांति हो पदोन्नति के अवसर सुलभ हो सकेंगे।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दिया जा चुका है।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में अवधिपार चैक्स एवं ड्राफ्ट्स

576. श्री हरिसिंह (कुम्हेर):-क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय से भारी संख्या में चैक व डिमान्ड ड्राफ्ट जो राजकीय कोष में जमा होने चाहिये थे वे समय पर जमा नहीं कराये गये और कार्यालय में ही रह गये हैं ?

(2) यदि हां, तो गत पांच साल में कितनी रकम के चैक व ड्राफ्ट अवधिपार हो चुके हैं ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें जिसमें उस फर्म या व्यक्तियों के नाम भी अंकित करें जिनके चैक व ड्राफ्ट हैं ?

उत्तर

(1) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में भारी संख्या में ऐसे चैक एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट नहीं हैं जो राजकीय कोष में जमा होने चाहिये थे। विवरण प्रश्न के भाग (2) के उत्तर में प्रस्तुत है।

(2) विभाग में चैक मंजूर नहीं किये जाते हैं व ड्राफ्ट अवधिपार नहीं होते हैं। गत पांच वर्षों में कुल 1,56,700/- रुपये के ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,33,350/- रुपये की राशि को वापस करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष 23,350/- रुपये की राशि ऐसी फर्मों की है जिनकी ओर निरीक्षण प्रतिवेदनों रिस्क पर्चेज तथा अन्य किन्हीं कारणों से विभाग की राशि बकाया निकलती है। अतः ऐसी फर्मों को बकाया राशि जमा कराने के लिये लिख दिया गया है। इन फर्मों द्वारा बकाया राशि जमा कराने पर उनकी जमा राशि को भी लौटा दिया जावेगा। वांछित सूची संलग्न है।

Page No 243

244

शेष राशि की विगत

क्र. सं	फर्म का नाम	वर्ष 1976-77	वर्ष 1977-79	वर्ष 1979-81
1.	मैं. अलवर्ट डेविट लि. कलकता	100-00	—	—
2.	मैं. अवट लेबोरेटरीज, बम्बई	—	—	250-00
3.	मैं. एसोसियेटेड लेवोरेटरीज, बम्बई	--	--	500-00
4.	मैं. ए. वी. एम. रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हापुर	–	1080-00	—
5.	मैं. वाईलोजिकल हवान्स लि., हैदराबाद	–	--	250-00
6.	मैं. बायोकेम फार्मेस्यूटीकल इन्डस्ट्रीज, बम्बई	–	--	250-00
7.	मैं. बसन्त फार्मेसी, जयपुर	300-00	—	—
8.	मैं. केकन फार्मेस्यूटिकल, बम्बई	—	500-00	--
9.	मैं. साइनोनाईड इन्डिया लि., न्यू देहली	–	--	250-00
10.	मैं. केडिला लेबोरेटरीज, अहमदाबाद	–	—	500-00
11.	मैं. काटन प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया, उदयपुर	–	250-00	--
12.	मैं. कैमो फार्मस्युटिकल्स लैव., बम्बई	--	--	250-00
13.	मैं. डेज मेडिकल स्टोर, जयपुर	--	—	250-00
14.	मैं. गीता मेडिकोज एण्ड सर्जिकल्स, हिसार	–	1000-00	—
15.	मैं. इण्डिया शियरिंग लि., बम्बई	--	—	500-00
16.	मैं. इण्डियन कैम्प एण्ड फर्मा. वर्क्स, हैदराबाद	–	1000-00	—
17.	मैं. इन्डो फार्मस्युटिकल, बम्बई	—	--	750-00
18.	मैं. जयपुर फार्मस्युटिकिल वर्क्स, जयपुर	500-00	500-00	250-00
19.	मैं. जे. एल. लार्ड एण्ड कं., देहली	--	500-00	—
20.	मैं. लाइफ फार्मस्युटिकल्स (प्रा.) लि., कलकत्ता	–	4000-00	--
21.	मैं. मार्टिन एण्ड हैरिस प्रा. लि., जयपुर	-	--	750-00
22.	मैं. मरकरी फार्मस्युटिकल्स, बरौदा	-	--	250-00
23.	मैं. एम. सी. गांव रविन्द्र लैब, अहमदाबाद	-	--	750-00
24.	मैं. माउण्ट मीटर फार्मस्यु., मद्रास	-	1000-00	—
25.	मैं. नेल फार्मस्यु०, बम्बई	—	250-00	—
26.	मैं. नरुला उद्योग प्रा. लि., देहली	2300-00	—	—

1	2	3	4	5
27.	मैं. प्रवीण कार्पोरेशन, देहली	400-00	--	--
28.	मैं. फारमेक्स प्रा. लि. बम्बई	--	500-00	250-00
29.	मैं. रेकेट एण्ड कोलोमेन, न्यू देहली	--	--	250-00
30.	मैं. टाइम्स सर्जिकल कं., जयपुर	—	250-00	--
31.	मैं. यूनिकेम लेबोरेटरी, बम्बई	--	1000-00	--
32	मैं. यू. एस. विटामिन्स एण्ड फर्मा., बम्बई	–	--	750-00
		3600-00	11,750-00	8000-00

तीनों कालम का योग :--23,350-00 (तेईस हजार तीन सौ पच्चास मात्र)।

ग्रेनाइट कटिंग एवं पालिशिंग प्रोजेक्ट, जोधपुर

577. श्री मांगी लाल आर्य (जालोरी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में उपलब्ध ग्रेनाइट की कटिंग और पोलिशिंग का प्रोजेक्ट जोधपुर में लगाया गया है? यदि हां, तो कब और उस पर कितनी लागत लग चुकी है?

(2) इस प्रोजेक्ट से सरकार को आज तक कितना लाभ अथवा हानि हुई है? वार्षिक आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जालोर से ग्रेनाइट का कच्चा माल जोधपुर प्रोजेक्ट में पहुंचाने हेतु यातायात व्यय काफी आता है, जिसके फलस्वरूप प्रोजेक्ट को हानि उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार यह प्रोजेक्ट जालोर में ही लगाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रोजेक्ट पर 31 मार्च, 1981 तक कुल लागत रु० 77,61,879-आई है।

(2) इस परियोजना पर व्यावसायिक रूप से उत्पादन 1 जनवरी, 1981 से प्रारम्भ हुआ और 31 मार्च, 1981 तक हानि रुपये 7,11,209/- की हुई।

(3) जी नहीं। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1980-81 में 1,96,532.45 रुपये कीमत के खनिज पर यातायात व्यय केवल 8,791/-रुपये आया है, जो लगभग 4.5:

Page No 245

(246)

(खनिज मंत्री)

प्रतिशत है। वर्तमान में प्रोजेक्ट को जालौर में ले जाने का विचार नहीं है।

सुजानगढ़ (चूरू) की सब्जी मण्डी

578. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सुजानगढ़ जिला चूरू में कोई नई सब्जी मण्डी का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो इसका निर्माण किसने किया है ? यदि किसी दानदाता ने निर्माण कराई है, तो किन शर्तों पर कराई है ?

(2) क्या इन शर्तों की अनुपालना हो रही है ? क्या इसका किराया नियमानुसार नगरपालिका को प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो पालिका का कितना किराया बकाया पड़ा है और कब से ? किराया वसूल नहीं करने के क्या कारण हैं व इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं तथा सरकार इसे वसूल करने हेतु क्या कर रही है ?

(2) क्या यह सब्जी मंडी नियमित चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार एवं नगरपालिका ने इस मण्डी को सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की और भविष्य में क्या कार्यवाही करने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में नगरपालिका एवं श्री रणजीतमल प्रसन्न मल लोढ़ा के सहयोग से सेठ किशन मल लोढ़ा फल एवं सब्जी मण्डल का निर्माण किया गया है। निर्माण सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र जिसमें शर्तें अंकित हैं, की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जी हां। बकाया किराया निम्न प्रकार है:-

(क) दुकानों की मार्च, 1982 तक की बकाया —24,430/-

(ख) चौकियों की फरवरी, 1981 तक की बकाया–11,902/- बकाया की वसूली की जा रही है।

(3) जी नहीं। इस क्षेत्र में कारोबार शिथिल है। नगरपालिका मण्डल का गठन 16 फरवरी, 1982 को हो गया है। निर्वाचित मण्डल इस सम्बन्ध में भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही पर विचार कर रहा है।

Page No 246

(247)

प्रतिलिपि स्टाम्प रु० 2–25

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1976 को मुकाम सुजानगढ़ से नगरपालिका सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये प्रशासक श्री रघुनाथराय शर्मा एवं अधिशासी अधिकारी श्री श्रीनिवास आचार्य प्रथम पक्ष और श्री रणजीतमल एवं प्रसन्नमल सुपुत्र स्वर्गीय किशनलाल जाति ओसवाल लोढा निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया।

जो कि सुजानगढ़ शहर की प्रगति, विकास एवं सौन्दर्यकरण को दृष्टि में रखते हुए नगरपालिका सार्वजनिक हित में फल एवं सब्जी बाजार की उचित एवं सुन्दर व्यवस्था करना अपना कर्तव्य समझती है।

जो कि उक्त बाजार निर्माण हेतु पर्याप्त अर्थ की प्राथमिक आवश्यकता पालिका के समक्ष थी और वह अकेली स्वयं के कोष से इसे पूर्ण करने में वर्तमान में कठिनाई अनुभव कर रही थी।

जो कि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सन्दर्भ में इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करना पालिका के लिए एक अधिक प्रेरणादायक विषय था ताकि समाज के कमजोर तबके के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए समुचित स्थान उपलब्ध हो।

जो कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पालिका द्वारा शहर के गणमान्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के समक्ष भी सहयोग देने एव दिलाने हेतु प्रस्ताव रखा और जनता की ओर से किसी दानदाता को प्रेरणा देकर तैयार करने का अनुग्रह किया।

जो कि उक्त प्रसंग से प्रसन्नमल लोढ़ा के सामने ऐसा प्रस्ताव आने पर उन्होंने पालिका के सम्पर्क किया और प्रस्तावित योजना जिसमें सुजानगढ़ से गढ के पीछे पुराने फाटक स्थल में सार्वजनिक हित में फल एवं सब्जी बाजार मय प्याऊ एवं उसके सामने की सड़क निर्माण पर विचार किया और जो कि उक्त प्रसन्नमल लोढ़ा द्वारा उक्त योजना पूर्ति में स्वयं अपना अथवा अन्य दान दाता को प्रेरित कर सार्वजनिक हित में लाने पर पालिका से पूर्ण सहयोग और उत्साह की अपेक्षा की।

जो कि पालिका ने उक्त योजना पूर्ति में आर्थिक योग प्रदान करने वाले दान को हार्दिक सहयोग प्रदान करने का खुला आश्वासन दिया।

248

जो कि उक्त श्री प्रसन्नमल लोढा ने उक्त प्रस्तावित योजना का साकार रूप दिये जाने हेतु अपने अग्रज उक्त श्री रणजीतमल लोढा से वातचीत कर इस शुभ कार्य में आर्थिक योगदान करने हेतु राजी किया।

जो कि उक्त बाजार मय प्याऊ व सड़क आदि के निर्माण हेतु द्वितीय पक्ष में प्रथम पक्ष से हुई वातचीत के आधार पर दिनांक 27 मार्च, 1979 को लिखित से अपना आर्थिक योगदान कर योजना को प्रथम पक्ष के सहयोग से पूरा कराने हेतु निवेदन किया।

जो कि दोनो पक्षकार सार्वजनिक हित में एक मत एक एक राय होकर फल-सब्जी वाजार मय प्याऊ व सड़क के निर्माण कार्य हेतु यह अनुबन्ध निम्न शर्तो पर तहरीर करते हैं ताकि भविष्य में उनके एवं उत्तराधिकारियों में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद गलतफहमी एवं कानूनी झंझट न हो :—

(1) यह कि प्रस्तावित बाजार मय प्याऊ एवं सड़क का निर्माण कार्य जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट के नक्शे प्लान में अंकित है और जो इस अनुबन्ध का अंश है के अनुसार दोनों पक्षकार मिलकर निर्माण करायेंगे और दोनों का ही खर्चा नक्शे मे वर्णित मार्क-ए-और मार्क-बी के अनुसार क्रमशः प्रथम और द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

(2) यह कि उपरोक्त वाजार निर्माण के सिलसिले में जो बाधाए (of slsuctions) जैसे कि गढ वर्तमान पुलिस थाना के पिछले हिस्से कि दो बुर्जों और वर्तमान में उपस्थित (Weigh Bridge) धर्मकांटा को तुड़वाने व हटाने की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी जिसे निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले प्रथम पक्षकार को सम्पादित करना होगा।

(3) यह कि उपरोक्त बाजार का निर्माण जिस भूमि पर होगा उसकी विस्तृत चोहृदी (Boundry) निम्नांकित है :—

उत्तर	दक्षिण	पूर्व गढ़	पश्चिम
तहसील मुख्यालय	छात्रावास गांधी बालिका विद्यालय	वर्तमान पुलिस थाना	रास्ता ग्राम

(4) यह कि शर्त संख्या 2 में वर्णित बाधाएं ज्योंहि प्रथम पक्ष द्वारा हटवाई जाकर द्वितीय पक्षकार को सूचित कर दिया जायेगा, द्वितीय पक्षकार उसके बाद यथा सम्भव (Reasonable) समय में उपरोक्त प्लान में वर्णिक मार्क–बी–का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देगा।

(5) यह कि उपरोक्त बाजार में सब्जी एवं फल की दुकानें एवं चौकियां (Plat Forms) रहेगी और फल और सब्जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का कारोबार इस बाजार में नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा इस बाजार के किसी भी हिस्से को किसी भी निवास स्थान के रूप में काम में नहीं लाया जा सकेगा।

(6) यह कि उपरोक्त प्लान में मार्क–ए–का निर्माण कार्य प्रथम पक्षकार द्वारा यथा सम्भव मार्क–बी–के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के साथ साथ (Simultaneously) प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(7) यह कि प्रथम पक्षकार इस निर्माण कार्य को साथ साथ प्रारम्भ नहीं करेगा या निर्माण कार्य को बीच में रोक देगा तो द्वितीय पक्षकार को भी हक होगा कि अपने हिस्से के निर्माण कार्य को रोक दे और जितना खर्चा हो चुका हो उसका हर्जाना प्रथम पक्षकार से वसूल करले अन्यथा द्वितीय पक्षकार दोनों हिस्सों को निर्मित कराकर प्रथम पक्षकार द्वारा निर्मित किये जाने वाले हिस्से का पूरा खर्चा प्रथम पक्ष से वसूल करले। आया कि दोनों ही विकल्प द्वितीय पक्षकार को उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त आयन्दा भी इस कार्य को प्रथम पक्षकार द्वारा पूरा किया जाने की सूरत में भी इस बाजार का नाम जो आगे वर्णित किया जा रहा है, का नाम हर हालत में अपरिवर्तनीय रहेगा।

(8) यह कि उपरोक्त बाजार में निर्मित होने वाली कुल दुकानों में से किसी भी तीन (3) चयनित दुकानों एवं आठ चौकियों का आवटन द्वितीय पक्षकार द्वारा अपनी इच्छा–अनुसार किया जायेगा जिसका नियमानुसार किराया आवन्टी से नगर पालिका मण्डल सुजानगढ़ वसूल करेगा। द्वितीय पक्षकार किराया वसूली अथवा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त रहेगा। आया कि द्वितीय पक्षकार सिर्फ आवन्टी का ही चयन करेगा।

(9) यह कि उपरोक्त प्लान में वर्णित बाजार में निर्मित प्याऊ का संचालन

250

प्रथम पक्षकार द्वारा निःशुल्क किया जायेगा जिसका समस्त व्यय भार प्रथम पक्षकार वहन करेगा। यह प्याऊ वर्ष के हर दिन बिना किसी रुकावट बाधा के स्थाई रूप से चालू रखी जायेगी। इसकी देखभाल के लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति प्रथम पक्षकार द्वारा अपने व्यय भार से की जायेगी।

(10) यह कि उपरोक्त बाजार की साफ सफाई रखने की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी जिसके लिए कम से कम एक सफाई कर्मचारी स्थाई रूप से अपने व्यय भार द्वारा प्रथम पक्षकार तैनात करेगा।

(11) यह कि उपरोक्त बाजार में समुचित विद्युत व्यवस्था स्थायी रूप से प्रथम पक्षकार अपने व्यय भार से करेगा।

(12) यह कि उपरोक्त बाजार के समस्त हिस्सों की रख रखाव समुचित तौर पर रखने की जिम्मेदारी स्थायी रूप से प्रथम पक्षकार की होगी जिसमें मरम्मत, सफेदी, रंग, रोशन, साफ सफाई एवं प्याऊ का संचालन और जल व्यवस्था आदि शामिल हैं।

(13) यह कि यथा समय शर्त संख्या 12 की पूर्ति प्रथम पक्षकार द्वारा समुचित रूप से नहीं करवाई जाने की अवस्था में द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को नोटिस मियादी 60 दिन द्वारा सूचना दी जायेगी। यदि इस 60 दिन की अवधि में भी प्रथम पक्ष उपरोक्त वांछित कार्य करने में निष्क्रिय रहा तो ऐसी सूरत में द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से वांछित कार्य बिना किसी बाधा एवं रुकावट के पूरा करवाकर खर्चे की मांग एवं वसूली प्रथम पक्ष से करने का नैतिक एवं कानूनी अधिकारी होगा और प्रथम पक्षकार बिना किसी अड़चन के ऐसे खर्चे का भुगतान द्वितीय पक्षकार को करने के लिए बाध्य होगा।

(14) यह कि अगर सार्वजनिक हित में इस बाजार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन परिवर्द्धन एवं संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर दोनों पक्षकारों का लिखित सहमति होने पर ही उक्त वर्णित परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं संशोधन किया जा सकेगा अन्यथा किसी भी हालत में किसी तरह का परिवर्तन आदि नहीं किया जा सकेगा अर्थात द्वितीय पक्षकार की भावनाओं को ध्यान से रखते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि इस बाजार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इत्यादि चाहे वह निचले अथवा ऊपर

Page No 250

(251)

के निर्माण से सम्बन्ध रखता हो बिना द्वितीय पक्षकार की लिखित सहमति के नहीं हो सकेगा।

(15) यह कि उपरोक्त बाजार का नामकरण सेठ किशनलाल लोढा फल एवं सब्जी मण्डी होगा जो अमिट एवं स्थायी रहेगा। उपरोक्त नाम यानी सेठ किशनमल लोढा फल एवं सब्जी मण्डी को बदलने या हटाने का अधिकार दोनों पक्षकारों एवं उनके उत्तराधिकारियों को नहीं रहेगा।

(16) यह कि उपरोक्त वर्णित बाजार के सामने उपरोक्त वर्णित सड़क एवं दोनों तरफ की नालियो का निर्माण तथा उसके ऊपर कारपेट का कार्य सम्बन्धित पक्षकारो द्वारा समझौते के मुताबिक सम्पन्न होने पर भविष्य में सड़क की मरम्मत, देखभाल व सफाई की वही शर्तें लागू समझी जायेंगी जो उपरोक्त बाजार के सम्बन्ध मे शर्त संख्या 13 मे वर्णित है।

(17) यह कि उपरोक्त वर्णित सड़क का नाम श्रीमती लक्ष्मीदेवी लोढ़ा मार्ग रहेगा जो अमिट एवं स्थायी रहेगा व उपरोक्त नाम को हटाने व बदलने का दोनो पक्षकारो एवं उनके उत्तराधिकारियों को कोई अधिकार नहीं होगा। सड़क के दोनों किनारो पर यानी उत्तरी एवं दक्षिणी तरफ उपरोक्त नाम के पट्ट स्थाई रूप से लगे हुए रहेंगे। प्रारम्भ में यह दोनों नाम पट्ट द्वितीय पक्षकार अपने खर्चे से बनवा कर लगायेंगे। और नाम पट्टों पर द्वित्तीय पक्षकार के नाम भी अंकित रहेंगे। भविष्य में उपरोक्त नाम पट्टों की मरम्मत, देख रेख व उन्हें सही हालत में रखने की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की रहेगी। नाम पट्ट लगाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

अतः यह अनुबन्ध उपर वर्णित दिनांक 28 अप्रेल, 1976 को उभय पक्षकारों ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी अनुचित दबाव एवं अभाव से स्वस्थ मन और स्वस्थ इन्द्रिय से निम्नांकित साक्षियों के समक्ष लिख कर हस्ताक्षर कर दिये और नगर पालिका की मुहर अंकित करदी जिससे कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आये। इस अनुबन्ध का मूल प्रथम पक्ष के कार्यालय में रहेगा और उसका डुप्लीकेट यानी काउटर पार्ट द्वितीय पक्ष के पास रहेगा।

हस्ताक्षर साक्षी
1. ह० रामगोपाल शर्मा
राजस्व अधिकारी
नगरपालिका सुजानगढ़

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
1. ह० रघुनाथराय शर्मा
प्रशासक
नगरपालिका सुजानगढ

252

2. ह० सुगनसिंह पेशकार

3. ह० पुसराज फूलफगर

4. ह० बाबूलाल दूगड़

2. ह० श्री श्रीनिवास आचार्य
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सुजानगढ़

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

1. ह० रणजीतमल लोढा

2. ह0 प्रसन्नमल लोढा

कार्यालय उप पंजीयक सुजानगढ़

आज दिनांक 28-4-1976 वार बुधवार को यह अनुबन्ध पत्र 4-30 बजे दिन नगरपालिका सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये प्रशासक श्री रघुनाथराय शर्मा, प्रशासक नगरपालिका एवं श्री श्रीनिवास आचार्य अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सुजानगढ़ प्रथम पक्ष व श्री रणजीतमल व प्रसन्नमल पुत्र किशनमल जाति लोढा उम्र क्रमशः 46 और 43 वर्ष पेशा व्यापार निवासी सुजानगढ़ ने पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। निष्पादकों ने इस अनुबन्ध की लिपि को भली भांति सुन व समझकर इसका पंजीयन किया जाना मेरे समक्ष स्वीकार किया एवं तहरीर व तकमील से इकबाल किया। यह अनुबन्ध पत्र 2 किता स्टाम्प कीमती 2-25 वा 4 सादे पृष्ठों पर हिन्दी में टाईप शुदा है, रिक्त स्थान स्याही द्वारा भरा गया है। जिससे काबिल नोट के कोई काट छाट नहीं है अतः लिपि वृद्धि के आधार पर यह अनुबन्ध पत्र मेरे द्वारा पंजीयन किया गया।

दिनांक 28-4-1976

ह० रघुनाथराय शर्मा

ह० रणजीतमल लोढ़ा

ह० प्रसन्नमल लोढा

ह० उप पंजियन
सुजानगढ़ जिला चूरू (राज०)

ह० श्रीनिवास आचार्य

रॉक फॉस्फेट पर आधारित खाद कारखाने की स्थापना

579. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रॉक फॉस्फेट पर आधारित एक विशाल खाद का कारखाना राजस्थान में लगाने का निर्णय लिया जा चुका है ?

(2) यदि हां, तो यह कारखाना कहां पर लगाया जायेगा ? क्या इसके लिए प्रारम्भिक तैयारियां हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सिद्धांत रूप से नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा झामरकोटड़ा के रॉक फास्फेट खनिज पर आधारित एक खाद का कारखाना लगाने का निर्णय लिया गया है।

(2) कारखाने के स्थान का चयन अभी तक अंतिम रूप से नहीं किया गया है।

देही खेड़ा में चिकित्सालय

580. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र केशवराय पाटन की पंचायत देही खेड़ा में चिकित्सालय खोलने की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो पंचायत मुख्यालय देही खेड़ा में कब तक चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य आदेश क्रमांक प 08 (56) एम.पी.एच. ग्रुप–2/81 दिनांक 19-2-82 से देही खेड़ा में डिस्पेन्सरी स्वीकृत की जा चुकी है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर टी. बी. सेनेटोरियम में वक्ष सर्जन की व्यवस्था

581. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य का सबसे बड़ा टी. बी. सेनेटोरियम जयपुर में ही स्थित है ?

(2) यदि हां, तो क्या जयपुर के इस सेनेटोरियम में वक्ष की सर्जरी का कार्य भी किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से डाक्टर्स से सर्जरी का कार्य सम्पादित कराया जाता है ? कृपया सर्जन डाक्टर्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सेनेटोरियम में वक्ष सर्जन का कोई पद ही नहीं है ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर के सेनेटोरियम में वक्ष के जूनियर विशेषज्ञ अथवा व्याख्याता का पद सृजित कर बीमारों को राहत प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वक्ष की सर्जरी का कार्य इस सेनेटोरियम में किया जाता है। डाक्टर एस. के. सरकार (एम. एस.) सी. एस.एस. (आर. एम. ओ.) द्वारा सर्जरी का कार्य सम्पादित किया जाता है।

(3) हां, सत्य है कि उक्त सेनेटोरियम में वक्ष सृजन का कोई पद नहीं है।

(4) लेक्चरार के एक पद के सर्जन हेतु राज्य सरकार ने प्रस्ताव मांगे हैं।

प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति व्यवस्था

582. **श्री जगनसिंह** (बयाना) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार नायब तहसीलदार व राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए एक ही प्रकार की योग्यता निर्धारित है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एक निश्चित कोटा भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये निर्धारित कर रखा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा समान योग्यता वाले आर. ए. एस. व आर. टी. एस. में ऐसा मतभेद करने के क्या कारण हैं ?

(3) सन् 1956 से सीधी भर्ती से आये हुये कितने आर. टी. एस. अधिकारी (नायब तहसीलदार) भारतीय प्रशासनिक सेवामें पदोन्नत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो सरकार का अब इस संदर्भ में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय लोकसेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाये हुये हैं। इन नियमों के अनुसार स्टेट सिविल सर्विस के अधिकारी जिन्होंने चयन समिति की बैठक वाले पहले वर्ष की पहली जनवरी को 8 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया हो, ही पदोन्नति हेतु योग्य पात्र होते हैं। इन नियमानुसार आर. टी. एस. के अधिकारी योग्य पात्र नहीं हैं।

(मुख्य मन्त्री)

(3) जी नहीं।

पेस्टीसाइड लिमिटेड, उदयपुर

583. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के पुराने स्टेशन के पास में स्थित पेस्टीसाइड लिमिटेड में बनने वाली केमिकल से निकलने वाली जहरीली गैस से असामयिक दो मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच हेतु कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि यह जहरीली गैस स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ? यदि हां, तो इस कारखाने को सरकार यहां से कब तक हटा देगी ?

उत्तर

(1) गैस से किसी मजदूर के मरने की सूचना चिकित्सा विभाग को नहीं मिली है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) गैस से स्थानीय लोगों को हानिकारक होने की जानकारी चिकित्सा विभाग को नहीं है। शेष प्रश्न का संबंध इस विभाग से नहीं है।

ग्राम प्रागपुरा में दहेज के कारण महिला की हत्या

584. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के गांव प्रागपुरा में सन् 1981-82 में दहेज न दिये जाने के कारण, किरण नामक महिला की हत्या की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हत्यारों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

श्रीमती किरन द्वारा आत्महत्या किये जाने की रिपोर्ट पुलिस थाना प्रागपुरा पर उनके जेठ द्वारा दी गई थी जिस पर धारा 174 जा. फो. के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ की गई। जांच से मामला संदेहास्पद मृत्यु का पाये जाने पर धारा 302, 201 ता. हि. के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर अन्वेषण किया जा रहा है।

(256)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण पर निर्माण कर आवागमन हेतु खोले गये पुलों की सूची

क्र० सं०		पुल की स्थिति	
(क)	राजस्थान मुख्य नहर :		
1.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	644–100
2.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	668–140
3.	डी. ग्रार. बी.	बुर्जी	683–214
4.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	698–200
5.	डी. ग्रार. बी.	बुर्जी	731–000
6.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	764–000
7.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	766–250
8.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	800–500
9.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	836–100
10.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	850–150
11.	बी. ग्रार. बी. एच./ग्रार.	बुर्जी	859–000
12.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	873–000
13.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	886–400
14.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	909–400
15.	डी. ग्रार. बी.	बुर्जी	930–580
16.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	942–650
(ख)	बिरसलपुर शाखा प्रणाली :		
1.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	49–00 बिरसलपुर ब्रांच
2.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	62–100 ,, ,,
3.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	11–00 चोलेवाली वितरिका
4.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	10–00 ग्रहमदवाली वितरिका
5.	बी. ग्रार. बी.	बुर्जी	15–625 भट्टोंवाली वितरिका

(257)

क्र. सं.	प्रणाली का नाम	इकाई	कुल अनुमानित कार्य	कार्य जो मार्च, 81 तक पूर्ण किया गया	वर्ष 81-82 के लक्ष्य
1.	**बिरसलपुर शाखा प्रणाली :**				
(क)	बिरसलपुर शाखा 1 मिट्टी का कार्य	लाख घन फीट	931	911	5.00
2.	नहरों को पक्का करने का कार्य	कि० मी०	47.71	21.64	13.48
(ख)	**बिरसलपुर वितरण प्रणाली :**				
1.	मिट्टी का कार्य	लाख घन फीट	1878	1431	367.53
2.	नहरों को पक्का करने का कार्य	कि०मी०	123.10	23.90	7.35
2.	**चारणवाला शाखा प्रणाली :**				
1.	चारणवाला शाखा				
(1)	मिट्टी का कार्य	लाख घन फीट	2426	631	275
(2)	नहरों को पक्का करने का कार्य	कि०मी०	86.69	1.51	10
2.	**चारणवाला वितरण प्रणाली :**				
1.	मिट्टी का कार्य	लाख घन फीट	2320	828	398
2.	नहरों को पक्का करने का कार्य	कि०मी०	500.86	—	—

258

वातोर शाखा प्रणाली

क्र० सं०	बुर्जी का नाम	कार्य का नाम
दातोर डिस्ट्रीब्यूटरी :		
1.	15900	गांव सड़क पुल
2.	40800	गाव सड़क पुल
3.	62250	प्रपात एवं गांव सड़क पुल
अबूरी डिस्ट्रीब्यूटरी :		
1.	21250	गांव सड़क पुल
कुभारवाला माइनर :		
1.	16000	गांव सडक पुल
मुगरालाल माइनर :		
1.	21900	गांव सड़क पुल
रामरा माइनर :		
1.	21750	गांव सड़क पुल
मकेरी सब माइनर :		
1.	18500	गांव सड़क पुल

————

(259)

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 487 की प्रतियां

परिधि गृहों की सूची

1–विश्राम भवन, अलवर

2–विश्राम भवन, अजमेर

3–विश्राम भवन, भरतपुर

4–विश्राम भवन, भीलवाड़ा

5–विश्राम भवन, बून्दी

6–विश्राम भवन, बीकानेर

7–विश्राम भवन, चितौड़गढ़

8–विश्राम भवन, जोधपुर

9–विश्राम भवन, जयपुर

10–विश्राम भवन, कोटा

11–विश्राम भवन, माउन्ट आबू

12–विश्राम भवन, उदयपुर

13–राजस्थान हाउस, नई दिल्ली
बीकानेर हाउस, नई दिल्ली | लोदी स्टेट, नई दिल्ली।

14–जोधपुर हाउस, नई दिल्ली

———

260

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-प्रथम) विभाग

क्रमांक एफ. 36 (22) सा. प्र । ग्रुप-1-67 दिनांक 7 अगस्त, 1967

—: आदेश :—

सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा संख्या 1947-58 । एफ । 17 (ए) (126) जीए । ए । 58 दिनांक 13 सितम्बर, 1958 में संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय, आदेश देते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सभी सर्किट हाउसों में जो राजस्थान में स्थित हैं जयपुर और माउन्ट आबू में स्थित सर्किट हाउसों को छोड़कर राजस्थान राज्य के सांसद सदस्यों एवं विधायकों को उसी प्रकार ठहरने की सुविधा उपलब्ध की जावेगी, जिस प्रकार की सुविधा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को उपलब्ध है, परन्तु इस सुविधा का लाभ किसी सदस्य एवं विधायक के लिए किसी माह विशेष में प्रत्येक सर्किट हाउस में एक बार में अधिक से अधिक दो दिन और माह विशेष में अधिक से अधिक 4 दिन ठहरने तक ही सीमित होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावित समझे जावें।

आज्ञा से,
ह० चन्दनसिंह,
सहायक सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (GR. I) DEPARTMENT

—o—

No. F. 39 (3) GA/A/71 Jaipur, Dated the 18th Aprial, 1972

ORDER

Subject :-Revision of rates of Boarding and Lodging charges in Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House, New Delhi for officers and Private Parties and tourist.

—o—

In supersession of all previous orders on the subject, the Governor has been pleased to order that the lodging and boarding charges in all the Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House and Bikaner House, New Delhi for officers and Private Parties and tourists will be as under with effect from 25th April, 1972 :-

Lodging and Boarding Charges In Circuit Houses In Rajasthan Including Rajasthan House and Bikaner House, New Delhi.

1. TARRIF RATES FOR LODGING FOR CIRCUIT HOUSES AND BIKANER HOUSE, DELHI.

	Existing Rates	Revised Rates	
1. Minister/Officers Eligible to stay in Circuit House per room/per day.	2.00	For Rajasthan House, New Delhi & Bikaner House and all Circuit House except C.H. Mt. Abu.	3.00
		For Circuit House Mt. Abu. :-	
		1) during season	4.00
		2) during off season	3.00

262

	Existing Rates	Revised Rates
2. Officers on duty but not entitled to stay in C.H. and Raj. House for 24 hours or part there of.	4.00	6.00
3. For Ministerial staff and P. As. accompanying officers/Ministers.	0.50 per head/ per day.	0.50 per head/ per day.
4. Members of family of officers/Ministers/ who stay in C. H. extra beds will be provided.	Nil	0.50 each bed.
5. In Bikaner House and Rajasthan House Annexe the Officer on Govt. duty will be charged.	1.00 per head/per day.	2.00 per head/ per day.
6. In Bikaner House and Rajasthan House Annexe the Ministerial staff accompanying Ministers/ Officers deputed for duty will be charged.	0.50 per head/per day.	0.50 per head/ per day.
7. Lodging charges for Class IV servants/ Drivers accompanying Officers/Ministers.	FREE	FREE

(2) Tarrif Rates For Officers (Boarding Charges)

	Existing Rates		Revised Rates
1. Break fast	2.00	Break fast	2.50
2. Lunch) English	3.50)	(Eng. Vegetarian.	3.50
3. Dinner)	3.50)	(Indian Non. Veg.	4.00
		(English Non. Veg.	4.50

		Existing Rates		Revised Rates
4. Deshi Thal	I	2.50	Thal Veg. Indian.	3.00
	II	1.50	-do-	2.00
	III	1.00	-do-	1.25
5. Single Tray Tea (Without Biscuit)		0.35		0.60
6. Single Tray Coffee.		—		0.75

Lodging And Boarding Charges For Private Parties And Tourists Staying In Circuit Houses Including Rajasthan House.

(1) Circuit Houses Other Than Rajasthan House But Including Bikaner House And Annexe Of Rajasthan House.

	Existing Rates	Revised Rates		
		Lodging (24 hours)	Bed & Break fast	Lodging & Boarding.
	1	2	3	4
Single person in Single room.	22/-	10/-	10/-	25/-
Single person in double room.	22/-	12/-	12/-	30/-
Two persons in double room.	40/-	18/-	18/-	48/-
Extra Bed	—	3/-	—	—
Extra charges for Air Conditioner room.	10/-for single room, 12/-for double room,			12/-for single room, 15/-for double room.
Heater Charges.	Nil			5/-for single room, 7.50/- for doube room.

1	2	3	4
Air Cooler.	Nil		5/-and 7.50 per day for single and double room respectively.

(4) **Rajasthan House (Main Building)**

	Existing Rates.	Revised Rates. Lodging (24 Hours)	Bed & Break fast.	Lodging & Boarding
Single person in Single room.	30/-	20/-	20/-	35/-
Single person in double room.	40/-	25/-	25/-	45/-
Two persons in double room.	55/-	30/-	30/-	60/-
Extra Bed.	--	5/-	—	—

INSTRUCTION

1. Bed and Breakfast means arrival in the night after Dinner time and departure in morning after breakfast.

2. The rates for Lodging for Officers on leave etc who other-wise are entitled to tay in Circuit Houses while on duty, to be charged at 50/of the above rates (halt age).

3. The rates for Lodging for officers on transfer or staying in Circuit House while on duty shall be Rs. 6/-per day or 10% of sa-

265

lary which.ever is more from the very first day. This will be in partial modification of this department order No. F. 27 (2) GA/A/66 dated 7-12-67

4. The rates for lodging for Government of India and other State Government officers staying in Circuit Houses while on duty shall be charged Rs. 6/- per day.

5. The rates at Mount Abu shall be Rs. 6/- less per day for the off season period i. e. from 1st July to end of March for Private-Partles and tourists

(5) **Service Charges From Visitors For Rest Wash And Snacks**

	Existing Rates	Revised Rates
Stay upto 2 hours.	2/- per head.	2/- per head.
Stay of more than 2 hours and less than 4 hours.	3/- per head.	3/- per head.
Drivers and Class IV Touris servants accomanying	1/- per head/ per day.	1- per head/ per day.

This issues with the concurrence of Finance Department (Revenue) vide their I. D. No. 118/FD/ (Rev.)/72, dated 12-4-72.

By order,

Sd/-

(D. R. Mehta)

Deputy Secretary to the Government.

Copy forwarded to :-

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to Governor/Chief Minister.

266

3. Private Secretaries to Ministers/State Ministers.
4. All Departments/Section of the Secretariat.
5. All Heads of Departments.
6. All Collectors.
7. All Managers, Circuit Houses including Rajasthan House, New Delhi/Superintendent, Circuit House, Jodhpur.
8. Manager, Rajasthan State Hotels,Jaipur/Udaipur/Alwar (Silisate).
9. Superintendent, Circuit House, Jodhpur.
10. Supervisor, Government Hostel, Jaipur.
11. Director of Tourism, Rajasthan, Jaipur.
12. Section Officer, G. A. D. (Accounts) Gr. . IV

Copy also forwarded to :-

1. The Secretary to Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. The Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur.

Sd/-
(R. N. Baijal)
Asstt, Secretary to the Government.

(267)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 17 (14) GA/Gr. I Dated, Jaipur 4.10.72

To,

All Collectors,

The Manager, All Circuit Houses

Sub : Permission to stay in Circuit Houses.

Sir,

Bankers operating in Rajasthan while on duty may be allowed to stay in Circuit House, subject to availability of accommodation, on payment of usual charges.

Yours faithfully,

Sd/-

Deputy Secretary to Government

Copy to the Chief Engineer PWD B & R Jaipur. It is requested that the officers of the Reserve Bank of India and other Bankers operating in Rajasthan may be allowed to stay in PWD Rest House/ Bank Bungalows on payment.

Copy for file No. F. 14 (33) GA/I/72

Assistant Secretary to Govt.

268

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 16 (24) GA/Gr. I/75 Dated the 29the December, 1975

The Managers of All Circuit Houses
including Rajasthan House, New Delhi.

Sub :—Revision of rates of boarding and lodging charges in Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House NEW DELHI.

Government of India have now taken a decision that where Central Government servants stay in a Government or Public Sector Guest Houses including Dak Bungalows, Tourist Bungalows etc., where full tarrif is charged from the Central Government servants daily allowance at hotal rates shall be admissible to them.

In view of the above decision, full rate as prescribed for private persons may be charged from all the officers of Government of India and officers of various Public Sector undertaking except Universities w.e.f. 15.12. 1975.

The words "Government of India Officers" appearing in instruction No. 3 of this Department order No. F. 39(3) GA/I/71 dated 18-4-1972 may please be treated to have been superseded.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their No. F. 1 (58) FD/Rules/73 dated 21.11.75.

Sd/- I. C. Srivastava
Deputy Secretary to Government

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. The Chief Engineer, P.W.D./Irrigation, Jaipur.
2. All Collectors.

Copy to :

1. The Financial Commissioner, Govt. of Rajasthan, Jaipur, with reference to U. O. Note No. F. 1(58) FD/Rules/ 73 dated 21.11.75.
2. The Irrigation Commissioner.
3. The Deputy Secretary, Finance Deptt. (E-2)
4. G.A.D. IV (5) Guard file.

Sd/- K. L. Jha
Section Officer.

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप--1) विभाग

संख्या प० 6 (54) जीए/ग्रुप--1/76 जयपुर, दिनांक 6 मार्च, 1976

-: आज्ञा :

विषय :—विधायको एवं संसद सदस्यों को सर्किट हाउसों में ठहरने की सुविधा प्रदान करने में सम्बन्ध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग की आज्ञा स० एफ 36 (22) सा० प्र०/क/67, दिनांक 7-8-1967 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी सर्किट हाउसों में, जो राजस्थान में स्थित हैं, जयपुर और माउन्ट आबू को छोड़कर, राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान, राज० राज्य के संसद सदस्यों एवं विधायकों को ठहरने की सुविधा प्रदान की गई थी । इस सुविधा का लाभ एक बार में अधिक से अधिक दो दिन और मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन ठहरने तक सीमित रखी गई थी । यह सुविधा यथावत प्राप्त होती रहेगी । यह निर्देश इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 16 (24) जीए/ग्रुप-1/75, दिनांक 29-12-1975 द्वारा प्रभाविन नहीं होंगे ।

आज्ञा से,

एस० डी०

270

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

General Administration (Gr. I) Department

No. F. 16 (24) GA/Gr. I/75 Jaipur, Dated May 17, 1976

ORDER

Sub :--Revision of rates of boardging and lodging charges in Circuit House in Rajasthan for the officers of the Government of India.

In supersession to this Department order No. F. 16 (24) GA/I/75 dated 29-12-75 and in partial modification of this Department order No. 39 (3) GA/A/71 dated 18-4-72 the Governor has been pleased to order that the facility of boarding and lodging for the officers of the Government of India would be at the rates as indicated in Annexure 'A'.

The words 'Government of India officers' appearing in instruction No. 4 of this Department order No. F. 39 (3) GA/A/71 dated 18-4-72 may be treated to have been deleted.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their I. D. No. 2928 dated 5-5-76.

Sd/ I. C. Srivastava
Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to :--

2. All the Managers, Circuit Houses, Jaipur/Alwar, Bundi, Kota, Ajmer, Udaipur, Mt Abu, Bikaner, Chittorgarh.
2. The Superintendent, Circuit House, Jodhpur.
3. The Manager, Rajasthan House, New Delhi.
4. The Superviser, Vidhyak Niwas, Delhi.
5. Guard file.

Sd/ K. L. Jha
Section Officers

(271)

प्रति आवश्यक

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र. पं. 6 (54)जीए/ग्रुप-1/76 जयपुर, दिनांक 24/25 अगस्त, 1977

—: आज्ञा :—

विषय :—विधायकों एवं संसद सदस्यों को विश्राम भवनों में ठहरने की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 6-3-1976 द्वारा राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों को एवं विधायकों को सभी राजस्थान के विश्राम भवनों में, जयपुर एवं माउन्ट आबू के विश्राम भवनों को छोड़कर, एक बार में अधिक से अधिक दो दिन और मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई।

इसके क्रम में अगर राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों एवं विधायकों को किसी राजकीय कमेटी/मण्डल/निगम आदि के सदस्य के रूप में या अन्य किसी राजकीय कार्यवश राजस्थान के किसी विश्राम भवन में ठहरना पड़ता है तो उपरोक्त वर्णित शर्तें लागू नहीं होगी और उनको उक्त अवधि में राज्य सरकार के प्रथम श्रेणियों के अधिकारियों के समान ही सुविधायें प्रदान की जायेगी।

आज्ञा से,

ह.

(राजेन्द्रपालसिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्री/राज्य मंत्रिगण।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्त आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव।

(272)

6. समस्त जिलाधीश ।
7. अधीक्षक, विश्राम भवन, जोधपुर ।
8. प्रबन्धक, राज. हाउस/बीकानेर हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली ।
9. प्रबन्धक, विश्राम भवन, अजमेर/अलवर/बूंदी/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़ जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर ।
10. पर्यवेक्षक, विधायक निवास, जयपुर ।
11. सहायक लेखाधिकारी, सामान्य प्रशा. (ग्रुप-4) विभाग ।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को अवगत कराने की कृपा करें ।

ह.
(बी. एन. कपूर)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र. प. 16 (14) जीए/ग्रुप-1/75 जयपुर, दिनांक 26 मई, 1978

आदेश

इस विभाग के पत्रांक : प./27/(3) जीए/(ग्रुप-ए) 66 दिनांक 16-3-66 एवं आदेश क्रमांक प. 27 (3) सा. प्र./(ग्रुप-1)/66, दिनांक 17-6-1972 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को रजास्थान के समस्त विश्राम गृहों में राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के लिए इस विभाग के आदेश संख्या प. 29 (3 /जीए (ए)/71, दिनांक 18-4-1972 द्वारा निर्धारित दरों पर ठहरने हेतु प्राधिकृत करते हैं :—

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारी । प्रोबेशनर्स सहित ।

2. राजस्थान सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी जिनका मासिक वेतन रु 1,150)- (अंके एक हजार एक सौ पचास रुपये मात्र से अधिक है ।

आज्ञा से,
ह.
(अशोक कुमार पाण्डे)
उप शासन सचिव

(273)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 16 (38) जीए/(ग्रुप-1)/77 जयपुर, दिनांक 31 जुलाई, 1978

—: आज्ञा :—

विषय :— संसद सदस्यों को जयपुर एवं माउन्ट आबू में तथा विधायकों को माउन्ट आबू के विश्राम भवनों में ठहरने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग की आज्ञा सं.प. 6 (54) सा.प्र./(ग्रुप-1)/76 दिनांक 25-8-77 के क्रम में राजस्थान राज्य के संसद सदस्यों को राजस्थान के अन्य विश्राम भवनों में ठहरने की सुविधा के अनुसार जयपुर तथा माउन्ट आबू में (जयपुर को छोड़कर) भी एक बार में अधिक से अधिक दो दिन और मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान कराई जावेगी। शेष शर्तें यतावत रहेंगी।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार पाण्डेय)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्रिगण। राज्य मन्त्रिगण, राजस्थान।
3. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
4. वित्तीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव।
6. समस्त जिलाधीश, विभागाध्यक्ष।
7. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान, नई दिल्ली।
8. विधायक निवास, जयपुर।
9. सहायक लेखाधिकारी, सा. प्र. (ग्रुप-4) विभाग। (10) गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर को भी प्रेषित कर लेखा है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को अवगत कराने की कृपा करें।

ह.
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 16 (14) जीए/(ग्रुप-1)/75 जयपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 1978

शुद्धि पत्र

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 26-5-78 द्वारा जारी किए गए आदेश के क्रम में पैरा सं. 2 में निम्नप्रकार संशोधन किया जाता है :—

2. राजस्थान सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी जिनका मासिक वेतन रु. 1,150)- (अंके एक हजार एक सौ पचास रुपये) मात्र या इससे अधिक है।

आज्ञा से,
ह.
(अशोक कुमार पाण्डेय)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस। जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिलाध्यक्ष।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त निगम। संस्थान।
10. रक्षिका पंजिका। संस्थान।

ह.
(के. एल. झा)
अनुभागाधिकारी

GOVERNMENT OF RAJARSTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (GR. I.) DEPARTMENT

No. F. 16 (24) GA/I/75 Jaipur, dated Nov., 18 1978.

ORDER

Sub :— Revision of rates of boarding and lodging charges in Circuit Houses in Rajasthan for the officers of the Govt. of India.

In supersession to this Department Order No. F. 16 (24) GA/I/75 dated 17-5-76 and in partial modification of this Department order No. F. 39 (3) GA/A/71 dated 18-4-72, the Governor has been pleased to order that the facility of bording and lodging for the Officers of the Government of India would be at the rates as indicated below :—

Lodging Charges (1) For Central Govt. Officers & their families Ordinary rate for lodging only.

1. Single person in Single room.	Rs. 10/- per day
2. Single person in double room	Rs. 12/- per day.
3. Two persons in double room	Rs. 18/- per day.

Bording Charges (2) (for Central Govt officers & their families) bording charges in the State Circuit Houses for extra Beds Air Conditioners, ect. shall be charged at concessional rates applicable to State Govt. Officers, as per GAD order No. F 39 (3) GA I, 71 dated 18-4-1972.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their I. D. 9667/FC/78 dated 21-10-78.

(A. K. Pande)
Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to :—

1. All the Managers, Circuit Houses, Jaipur/Jodhpur/Alwar/Bundi/Kota/Ajmer/Udaipur/Mt. Abu/Bikaner/Chittorgarh/Bharatpur/Bhilwara.
2. The Manager, Rajasthan House/Jodhpur House, New Delhi.
3. The Manager, Vidhayak Niwas, Jaipur.
4. Guard file.

(K. L. Jha)
Section Officer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
GENERAL ADMINISTRATION (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 16 (22) GA/I/78 Jaipur,
Dated the 10/20-1-1979.

To,

All Managers,
Circuit Houses, Rajasthan.

Sub :—Permission to stay in Circuit Houses to the Bankers.

Sir,

I am directed to invite your attention to this department letter No. F. 17 (14) GA/I/72 dated 4-6 Oct, 72 on the subject noted above and request kindly to extend the facility to the Banker subject to availability of acco mmodation on payment of usual charges.

Your faithfully,
Sd/-
(K. L. Jha)
Section Officers.

(277)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 16 (28) जीए/ग्रुप-1/78 जयपुर,

दिनांक 9 फरवरी, 1979

--: आदेश :--

समस्त पिछले आदेशों को निरस्त करते हुये निर्णय लिया गया है कि राजस्थान स्थित विश्राम भवन/राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में किसी भी प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

इस प्रकार की व्यवस्था केवल मुख्य सचिव की अनुमति करने पर ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। कृपया पत्र की प्राप्ति भेजें।

आज्ञा से,

ह.

(अशोककुमार पण्डे)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1. समस्त जिलाधीश।
2. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
3. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस। बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
4. रक्षिका पंजिका।

प्रतिलिपि रेजीडेन्ट कमिश्नर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह.

सहायक शासन सचिव

(278)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र. प. 16 (28) जीए । ग्रुप-1।78 जयपुर, दिनांक 20 अप्रेल, 1979

प्रेषिति :—

1. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन ।
2. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस । बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।

विषय :—बैंकिंग सेवा नियुक्ति मण्डल के सदस्यों को विश्राम भवन में ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी ।

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 9-2-1979 के संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि बैंकिंग सेवा नियुक्त मण्डल (Banking Service Recruitment Bd.) बड़ौदा के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों को राजस्थान स्थित विश्राम भवनों तथा राजस्थान हाउस । बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में ठहरने तथा केन्द्रीय अधिकारियों के समान ठहरने की राशि (इस विभाग के आदेश सं. प. 16 (24) जीए।ग्रुप-1/75, दिनांक 18-11-78 के अनुसार) वसूल करने की स्वीकृति दी जाती है ।

ह.

(अशोककुमार पाण्डे)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :—

1. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रशासन) जीवन दीप, पार्लियामेण्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को उनके पत्र क्र. प. 5 (29)।78। आई आर, दिनांक 27-11-78 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. सचिव, बैंक सेवा नियुक्त मण्डल, बड़ौदा को उनके पत्र क्र. बी एस आर बी।300।79 दिनांक 21-2-79 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. रक्षिका पंजिका ।

ह.

(गुलाब राय)

अनुभागाधिकारी

(277)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र. प. 16 (38) जीए।1।77 जयपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 1979

-: आज्ञा :-

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 3 -7-78 के क्रम में आदेश की पांचवीं तथा छठीं पंक्त में अंकित मास विशेष में अधिक से अधिक चार दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा के स्थान पर राजस्थान के संसद सदस्यों तथा विधायकों को इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से मास मे चार दिन के स्थान पर अब पांच दिन राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान ठहरने की सुविधा प्रदान कराई जावेगी। संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य यदि इस सुविधा (अर्थात् 5 दिन) का लाभ एक बार में ही लेना चाहें तो वे मास विशेष में पांच दिन तक एक साथ ठहरने के लिए भी अधिकृत है। इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 31-7-78 में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
ह०-
(जयनारायण गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्य मन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्री। राज्य मन्त्रिगण, राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त शासन, सचिव।
6. समस्त जिलाधीश, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
9. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।
10. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस। जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।

280

11. सहायक लेखाधिकारी, सा. प्र. (ग्रुप-4) विभाग।

12. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को भी प्रेषित कर लेख है कि इन आदेशों से समस्त विधायकों को भी अवगत कराने की कृपा करें।

(गुलाब राय)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र० प. 16 (28) सा० प्र०/ग्रुप-1/78 जयपुर, दिनांक 19 नवम्बर, 1979

आदेश

प्रशासन के ध्यान में लाया गया है कि बैंकर्स को विश्राम भवन में उपलब्धता के आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10/20-1-1979 तथा 20-4-1979 द्वारा स्पष्ट आदेश है कि बैंकर्स को विश्राम भवन में ठहरने की सुविधा खाली जगह होने पर नियमानुसार भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। अतः इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 9-2-1979 जिसके तहत प्राइवेट व्यक्तियों को विश्राम भवन में ठहरने की अनुमति नहीं है, इन पर लागू नहीं होंगे।

ह०/-
(जयनारायण गौड)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त प्रबन्धकगण, विश्राम भवन, राज० हाउस, जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
2. प्रबन्धक, विधायक निवास, जयपुर।

ह०/-

अनुभागाधिकारी

(281)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMINISTRATION (GR.-I) DEPARTMENT

No. F. 16 (28) GA/Gr. 1/78 Jaipur, Dated 14th April, 1980

ORDER

SUB :--Revision of rates of Boarding and lodging charses in Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House, New Delhi for Private parties and Tourists.

In partial modification of this department order No. F. 39 (3) G.A./I/71 dated 13.4.1972 on the subject, the Governor has been pleased to order that the lodging and boarding charges in all the Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House and Bikaner House, New Delhi for private persons/parties and Tourists will be as under :

Lodging & Boarding charges for Private Persons/Parties and Tourists staying in Circuit Houses including Rajasthan House, Bikaner House, New Delhi.

(1) Circuit Houses other than Rajasthan House but including Bikaner House and Annexe of Rajasthan House.

Lodging

	Existing	Revised
(1) Single Person in Single Room.	10/-	30/-
(2) Single Person in double bed room.	12/-	35/-
(3) Two persons in double bed room.	18/-	50/-

Rajasthan House (Main Building) New Delhi (Lodging).

	Existing	Revised
(1) Single Person in Single room.	20/-	35/-

282

(2) Single person in double bed room.	25/-	40/-
(3) Two persons in double bed room.	30/-	60/-

Service charges from visitors (Private Persons/Parties and Tourists) for Rest & Wash.

	Existing	Revised
(1) Stay upto 2 Hours	2/- per head	5/- per head.
(2) Stay of more than 2 hours & less than 4 hours.	3/- per head	7/- per head.
(3) Drivers and Class IV servants accompanying the visitors.	1/- per head	2/- per head.

Boarding charges for all Circuit Houses including Rajasthan House, Bikaner House and Annexe of Rajasthan House, New Delhi.

	Existing	Proposed (Per head) Tea	Coffee	Break fast		Lunch	Dinner
(1) Single person in single room.	15/-	1.20 (Two cups)	1.50 (Two cups)	5/-	(1) Vegtearian	8/-	8/-
(2) Single person in double room.	18/- (Rs.20/-in (Rajasthan House)				(2) Non Vegetarian.	12/-	12/-
(3) Two persons in double bed room.	30/-				(3) English Vagetariarn.	10/-	10/-
					(4) English Non Vegetarian.	15/-	15/-

INSTRUCTIONS :—

(1) Rs. 10/- for extra bed.

(2) The rates for lodging at Mt. Abu shall be Rs. 8/- less per day for the off-season period i. e from Ist July to end of March.

(3) The rates for cottages at Mt. Abu will be as separately prescribed.

(4) Extra charges for Air Conditioner room.

Rs. 12/- for single room

Rs 15/- for double room.

(5) Heater charges :—

Rs. 5/- for single room.

Rs. 7 50/- for double room.

(6) Air cooler :—

Rs. 5/- for single room.

Rs. 7.50 for double room.

This order issues with the concurrence of Finance Department (Revenue) vide their ID No. 267/FD/RR/80 dated 5.4.1980 and would come in force with effect from 18th April, 1980.

By order,

(J. N. R Gaur)

Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to the :—

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to Government, Rajasthan.
3. Private Secrataries to Advisors.
4. P. S. to Chief Secretary.

5. All Departments/Sections of the Secretariat.
6. All Heads of Departments.
7. Resident, Commissioner, Bikaner House, Pindara Road, New Delhi.
8. All Collectors.
9. All Managers, Circuit Houses including Rajasthan House, New Delhi.
10. Manager, Rajasthan State Hotel, Jaipur/Udaipur.
11. Manager, Vidhayak Niwas, Jaipur.
12. Director of Tourism, Jaipur.
13. Assitant Accounts Officer, G. A. D. (IV).
14. Guard file.

Copy also forwarded to the :—

1. Secretary, Raj. Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Raj. Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Raj. High Court, Jaipur, Jaipur (Bench).

Sd/-
(Gulab Rai)
Section Officer.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

GENERAL ADMN. (GROUP-I) DEPARTMENT

No. 39/3/GAI/81

Jaipur, dated 19/6/81

Sub:—Revision of rates of Boarding and Lodging charges in Circuit Houses in Rajasthan including Rajasthan House Complex, New Delhi for officers and Private Parties and tourists.

In partial modification of this Department's order No F. 39 (3) GA/A/71 dated 18th April, 1972 the Governor has been pleased to order as follows :—

1. The State Government officers entitled to stay in Circuit House would, while on leave, now pay Rs. 6/- per day per room (instead of half of the rates applicable to the private parties). For an additional room taken by them during their leave, they would of course have to pay at the rates applicable to private parties, but an additional room required for a State Govt. officer coming on duty and entitled to stay in Circuit House, may be provided @ Rs., 6/- per room only for the use of members of his family.

2. The Govt. of India officers and other State Government officers, while coming on leave would be charged at the rates applicable to private parties.

3. Sometimes officers coming on transfer occupy a room in the Circuit House and stay put partly because there is difficulty in finding private accommodation but sometimes

286

because it suits them when they want to live alone at their place of posting. This has aggravated the problem of scarcity of accommodation and therefore while the stay of such officers in Circuit Houses beyond a period of 10 days would require permission of Deputy Secretary, G A.D as usual, after one month such officers must vacate the Circuit House except with the special Permission of the State Government.

This order issued with the concurrence of the Finance Department (Revenue) vide their I. D. No. 1343/FS/81 dated 8.6.81 and would come in force w.e.f. 22nd June, 1981.

By order,
Sd/-
J. N. R. Gaur
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to the :—

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to Governor Rajasthan.
3. Private Secretary to Chief Secretary.
4. All Departments/Sections of the Secretariat.
5. All Heads of Departments.
6. Resident Commissioner, Bikaner House, Pandara Road, New Delhi.
7. All Collectors.
8. All Managers, Circuit Houses including Rajasthan House, New Delhi.
9. Manager, Rajasthan State Hotel, Jaipur/Udaipur.

(287)

10 Manager, Vidhayak Niwas, Jaipur.

11. Director of Tourism, Jaipur.

12. Asstt. Accounts Officer, G.A.D. (IV).

13. Guard file.

Copy also forwarded to the :

1. Secretary, Rajasthon Legislative Assembly, Jaipur.

2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.

3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur, Jaipur (Bench).

4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.

Sd/-

Mahadev Joshi

Asstt. Secy. to GotA.

288

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
GENERAL ADMINISTRATION (GR. I) DEPARTMENT

No. F. 39(3) GA/I/71 Jaipur, dated the 14th Septmber. 1981.

To

1. All Manager,
   Circuit Hous.

2. The Manager.
   Rajasthan House, Jodhpur House,
   NEW DELHI.

3. The Manager,
   Vidhayak Niwas,
   JAIPUR.

Sub :–Facility to stay in Circuit. Houses to the members of the Advisory Board for consideration of cases relating to detention under National Security Act., 1980.

The Governor has been pleased to order that the members of the Advisory Board, constituted for consideration of cases relating to detention under the National Security Act, 1980 may be allowed Circuit House facilities as are available to the sitting judges of Rajasthan High Court.

Sd/-
J. N. R. Gaur
Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to the :-

1. Home Department, Group-V.
2. Law Secretaty, Rajasthan Secretariat, Jaipur.
3. Asstt. Accounts Officer, G.A.D.-IV.
4. Guard file.

Sd/-
Section Officer.

(289)

परिशिष्ट ५

अतारांकित प्रश्न संख्या 489 की सूची

एक्सीडेन्ट में मरने वालों की सूची

1. रोहितालीवाल
2. अरविन्द
3. रमजान खां
4. जगन्नाथा
5. श्री मुरारीलाल
6. ओमप्रकाश
7. मि सी. ई. वेडयर अॉल.
8. जितेन्द्र सिंह
9. सत्य नारायणी
10. गुड्डू उर्फ जोगेन्द्र
11. किशन सिंह
12. भौरा
13. पी. के. सिन्हा
14. रफीक
15. हनुमान सहाय
16. सुरजीत सिंह
17. लकश्मन दास
18. रामरतन
19. मदन लाल
20. सीताराम
21. इलाहा सिंह
22. राधेश्याम
23. रईस खांन
24. अनिल कुमार
25. कमरुद्दीन
26. कैलाश
27. चान्दी
28. नोरती
29. शांती
30. मुन्नी
31. जयप्रकाश
32. दयाराम
33. उमेश
34. भौंरी लाल
35. हरी नारायणम्
36. शांती
37. पुरुषोत्तम
38. मेहताब बाई
39. मनीता
40. सुरेश कुमार
41. सीताराम
42. धरमवीर सिंह
43. राधेश्याम
44. रोशा राम
45. ब्रज
46. जगदीश
47. घासी राम
48. रघुवीर सिंह
49. श्रीमती सूरज देवी
50. भैरों
51. प्रभुदयाल
52. राम सहाय
53. रमेश कुमार
54. राज कुमार
55. श्रवण कुमार
56. सीताराम
57. पतव
58. हरी कान्त
59. गोपाल
60. फतह सिंह
61. श्याम प्रकाश
62. दीप कौर
63. नारायणी
64. बजरंग सिंह
65. हनुमान सहाय

Page No 289

(290)

66. किशोर गिरी
67. सीताराम
68. कालू राम
69. लाजवन्ती
70, बाबू शर्मा
71. श्रीमती विजयश्री
72. सूरज
73. श्रवण कुमार
74. कुमारी भारती
75. मदन लाल
76. गजेन्द्र
77. गोपाल
78. सुरेश चन्द्र
79. प्रभुराम
80. मोहन लाल
81. बल बहादुर सिंह
82. मूल चन्द
83. जेठानन्द
84. मूल चन्द्र
85. अब्दुल रहमान
86. तनक चन्द्र
87. ओम प्रकाश
88. कुमारी रेखा
89. नरेश कुमार
90. विरेन्द्र सिंह
91. विमल कुमार
92. कुमारी शिमला
93. श्रवण
94. तान सिंह
95, बन्नी
96. मक्खन बवाई
97. रोशन सिंह
98. शिवचरण
99. हजारी
100. सुरजीत सिंह
101. हीरा
102. शंकर
103. श्री भंवर लाल
104. भौला राम
105. घासी लाल
106. श्रवण
107. गोधा
108. बाबू
109. सुशील कुमार
110. मुन्नी
111. महादेव
112. रामजी लाल
113. राकेश
114. कमला
115. रामसहाय
116. प्रेमचन्द्र
117. अब्दुल शाह
118. गोपाल
119. जबर सिंह
120. रामफल
121. अलादीन
122. हुसैन खां
123. हरसहाय
124. जगदीश
125. कल्याण
126. नारायण
127. देवेन्द्र सिंह
128. राज कुमार
129. बाबू सिंह
130. ओमी
131. श्याम लाल
132. हनुमान
133. राम स्वरूप
134. नईम
135. करतार सिंह
136. हरिनाम सिंह
137. सीताराम
138. सुमरन सिंह
139. ननुबाड़

(291)

140. गांधी
141. सांवत सिंह
142. नाथुलाल
143. जगदीश नारायण
144. रामभरोसे
145. गिताक चन्द
146. मनोहर
147. जवाहर गूर्जर
148. जेठा मल
149. श्री मतर मांगी
150. गिरधारी
151. रुद्रमल
152. सोहन सिंह
153. सुल्तान
154. जय भगवान
155. विनोद
156. श्रीनारायण
157. राजू
158. रामजीलाल
159. सुरेश
160. बारे सिंह
161. हरि शंकर
162. रिछपाल सिंह
163. छोटे लाल
164. लक्ष्मी चन्द्र
165. बाबू लाल
166. राकल्या
167. मजमूद
168. बाबू
169. मनफूल
170. तेजाराम
171. मिकसेन यादव
172 कमल
173. रमेश
174. गिरधारी
175. अनिल कुमार
176. रामेश्वर
177. अभय सिंह
178. हनुमान गूजर
179. चतरभुज
180. सीताराम सैनी
181. मुरारी लाल
182. दीप चन्द्र अहीर
183. श्रीमती भूरा देवी
184. हरी सिंह
185. नाहर सिंह
186. शिवलाल
187. मुकन्दा राम
188. अमर सिंह
189: लाली
190. लाल चन्द्र
191. नरसी
192. अनिल अहीर
193. सुरेन्द्र कुमार
194. ग्यारसी लाल
195. सरजु कुमारी
196. राजू
197. मदन वागावास
198. हरीशंकर
199. ब्रजेश रुलासी
200. नरेन्द्र कुमार
201. नारायण अहीर
202. रामजी लाल
203. प्रेम चन्द्र
204. ओम प्रकाश
205. ओम प्रकाश
206. मुन्ना
207. विजय कौशिक
208. मदन सिंह
209. कन्हैया लाल
210. माली राम गूजर
211. श्री कृष्ण
212. पीर मोहम्मद
213. सत्यनारायण

292

214. सुधीर
215. रमेश
216. सुरेन्द्र कुमार
217. प्रेम
218. अनाखी
219. चोथू
220. साबू
221. शेरसिंह
222. मोती सिंह
223. गजानन्द खाती
224. महादेव
225. रणजीत
226. वीरन सिंह
227. अब्दुल सलीम
228. धन सिंह
229. मुस्माल रुदल
230. लक्ष्मण दास
231. मधुकर शर्मा
232. रतन लाल
233. ओम प्रकाश
234. करण सिंह
235. महावीर
236. मंगत राम
237. भैरू
238. बद्री
239. शंकर
240. बद्री नारायण
241. लाखनसिंह
242. रामजी लाल
243. समुन्दर सिंह
244. मुरारी लाल
245. रूपन
246. कलुआ
247, हुक्म सिंह
248. घूरे
249. सज्जा
250. श्रीमती विमलेश
251. बाबू
252. विमला
253. दिनेश
254. दिनेश
255. मान सिंह
256. भजन लाल
257. सुनिता
258. अर्जुन
259. पन्ना
260. जितेन्द्र
261. कु0 सन्तोष
262. सुरेश
263. रामचन्द्र
264. खुदुला जाटव
265. माला
266. रहमान
267. सन्तो
268. मोहम्मद
269. दिनेश
270. गिर्राज
271. होतीलाल
272. बनवारी
273. पप्पु
274. नहने
275. शांती
276. किशन
277. चन्दर
278. रामदुलारी
279. विक्रम सिंह
280. विमला
281. राम ओतार
282. कु0 विक्की
283. सम्पाती
284. लज्जाराम
285. रुपसिंह
286. जमुना
287. बलवन्त सिंह

288. जसवन्त
289. भोगीराम
290. विमलेस
291. गुल्लो
292 मिस मुन्नी
293. बालहंस
264. मातादीन
295. बृजेन्द्र सिंह
296. ओम प्रकाश
297. गिर्राज ब्राह्मण
298. मिस भरियम
299. श्रीचन्द्रभान
300. कृष्ण कुमार
301. रघुबीर सिंह
302. गोविन्द सिंह
303. नथुआ
304. नत्थी लाल
305. कन्हैया
306. कानजी
307. प्रधान
308. घापू
309. रामेश्वर
310. रमेशचन्द्र
311. महावीर प्रसाद
312. बृजमोहन
313. कजोड़ राणा
314. ओम प्रकाश
315. हरभजन
316. पप्पू
317. अलीम अहमद
318. मुल्या माली
319. फकरुदीन
320. दल्ला
321. लल्लू
322. उत्तरी
323. मु0 यलावती
324. राजू
325. चौथी लाल
326. जनक सिंह
327. कमल सिंह
328, खेमराज
329. जगन सिंह
330. मु0 भूमकिया
331. सुमन
332. बच्ची ममता
333. प्रमोद
334. बच्चु
335. लक्ष्मीनारायण
336. राजेन्द्र पूनिया
337. नन्दलाल
338. मु0 कमली
339. श्री चिरंजी
340. श्री मंगतू
341. श्री प्रभाती
342. श्री धर्मसिंह
343. बशीर खां
344. जाटराम
345. राधेश्याम मीणा
346. नानजी भील
347. मु. मांगी बाई
348. मु. दांखा बाई
349. सत्तार
350. देवीसिंह
351. भोपाल सिंह
352. बलबीर सिंह
353. उमाशंकर
354. भरत सिंह
355. गंगाराम
356. मोहन सिंह
357. पप्पू
358. रमेश पाराशर
359. सगनी
360. हरलाल
361. कैलाश महाजन

362. कजोड
363. चन्द्रकला
364. बलवन्त
365. प्रहलाद
366. बेला
367. कान्ता
368. परमजीत सिंह
369. पप्पू
370. बाबुली
371. हनुमान तेली
372. रामस्वरूप
373. मुश्ताक
374. मीना कुमारी
375. किशन लाल बैरवा
376. जगन्नाथ
377, इन्दर सिंह
378. भजन लाल कोली
379. नाथी बाई
380. दिनेश कुमार
381. रामपाल
382. भौरी बाई
383. किशना
384. रामकुमार
385. अमरा भील
386. सेवाराम चमार
787. भोजराज गूजर
388. भोजराज
389. शोभाग
390. मु. पुष्पा
391. लेखाराज
392. मोड लश्करी
393. भंवर सिंह
394. रामचन्द्र नायक
395, लक्ष्मी बाई
396. पप्पू
397. मुस० कंवरी
398. बज मोहन
399. दीपचन्द
400. दीप
401. बजरंग बाई
402. कन्हैयालाल
403. मुस० गेन्दी लाल
404. बनबारी
405. बद्री बाई
406. इशर
407, श्रवण
408. राम स्वरुप
409. गोविन्द लाल
410. मुन्नी बैरवा
411. खलील
412. छोटे लाल
413. दीपेन्द्र सिंह यादव
414. गंगाराम
415, काशीराम ब्राह्मण
416. गिरसिंह
417, गजेन्द्र सिंह
418. श्रीमती जानकी बाई
419. लालूराम जाट
420. अशोक कुमार
421. तुलसीराम
422. मुस्मात सोलनी ब्राह्मण
423. ज्ञानचन्द्र पाटनी
424. मोहन भांभी
425. भीम देव
426. सुश्री गणेश कंवर
427. भैरु गूजर
428. सलीम मोहम्मद
429. चन्द्रा
430. सलीम मोहम्मद
431. देवी जाट
432. श्रीमती शांती
433. ईश्वर लाल
434. गजेन्द्र सिंह
435. इब्राहिम

29

436. राम प्रसाद खटीक
437. पन्ना धोबी
438. शरा खलासी
439. महाराम
440. मु० दुगमी
441. रामचन्द्र
442. बाबू गुजर
443. श्रीमती भगवती
444. उदय लाल
445. श्रीमती सुशीला
446. मांगी लाल
447. प्यारा बलाई
448. मु० मुतासी
449. गंगाराम माली
450. श्रीमती अंगारी
451. रामचन्द्र जाट
452. सुनैना
453. दुली चन्द्र
454. शांती लाल
455. श्रीमती माणक बाई
456. बिमला बाई
457. श्रीजाताराम
458. राजू सोढानी
459. श्री मदन सिंह
460. श्रीमती झमकू
461. कैलाश रावत
462. श्रीहेमा
463. राजू
464. चैना मजदूर
465. मंगल सिंह राजपूत
466. शंकर
467. उदा मेघवाल
468. रामेश्वर
469. इन्द्रसिंह राजपूत
470. किरवाराम
471. जहूर
472. धर्मसिंह
473. मदन लाल
474. रतनाराम
475. महेशा
476. रामाराम
477. चौथा
478. भेरा
479. सवाई
480. मांगिया
481. किशन
482. शेरा
483. धोनाराम
484. खीवाराम
485. मोहटन
486. दमा
487. माना
488. बीजा
489. चम्पा लाल
490. खीमाराम
491. हुकम सिंह
492. श्री सतीश कुमार
493. कुलदीप
494. प्रकाश
495. चावला राम
496. देवकरण
497. कैलाश
498. इब्राहिम मेव
499. सुमन
500. रुगदार हुसैन
501. मुहीब
502. श्याम सिंह
503. कृष्ण चौधरी
504. किशोरी
505. जशरथ मेव
506. जैसी व्यापारी
507. बच्चू सिंह
508. कुमारी रामरती
509. धर्म कौर

510. सभाय सिंह
511. हुसैनुद्दीन
512. रघुवीर सिंह
513. सेवाराम
514. हुकमाराम
516. हरी सिंह
517. बाबू लाल
518. रामजी लाल
519. हरदयाल
520. नानगराम
521. ओमकार अहीर
522. हेमराज
523. विलाल पाडा
524. कुमारी मुन्नी
525. श्री राजू
526. कुमारी कान्ता
527. मुकेश
528. कुमारी कृष्णा
529. श्री मुरारी
530. अमीन खां
531. होशियार
532 सीताराम
533. दीपचन्द्र
534. मुस्मात राम देई
535. बलवन्त सिंह
536. कुमारी आशा
537. हरसहाय अहीर
538. गन्नी
539. मु० कुरेशी
540. रामकिशोर
541. मु० हीरो
542. कल्याण प्रसाद
543. चिरजोलाल माली
544. धरम सिंह
545. मिरचू सिंह
546. हुकम चन्द्र
547. विजय कुमार
548. जीवनदास
549. मदन दास
550. शोभा
551. सुलतान
552. विजयपाल
553. कुमारी फरीद
554. श्रीमती सामोती
555. गुमान सिंह
556. श्री एन० एम० मूतडा
557, श्री गोर्वधनराम
558. भंरा
559. मोहनलाल
560. गोकाराम
561. श्री जगदीश
562. श्री जवाहर सिंह
563. श्री दला
564. श्री मेकाराम
565. श्री भूरालाल
566. श्री प्रागा
567. श्री रणछोड़
568, श्रीमती सीता
569. श्री नईमुद्दीन
570. श्री सलीम
571. श्री छगनलाल
572. श्री बद्री
573. मुस्मात पुष्पा
574. श्री रामा
575. श्री नौना
576. श्री जालम सिंह
577. श्री प्रेम सिंह
578. होला भील
579. कुमारी मंजी पुरोहित
580. रघुनाथ पुरोहित
581. मुस्मात मखरी
582. चौथीया भील
583. दीपा घापी
584. लाख सिंह राजपूत

(297)

585. कुमारी रम्भाडी भील
586. पुखराज सोनी
857. मुस्मात खां भील
588. नकलाराम पुरोहित
589. बाकाजीराव
590. पुखराज जैन
591. सुखराम नाई
592. सुरताराम नाई
593. खीमा रेबारी
594. लिक्मा राममती
595. दूदाराम
596. प्रकाश भट्ट
597. भोमाराम जैन
598. कुमारी बादली
599. भाछराराम विश्नोई
600. मघाराम
601. मु० पपली
602. गुरमेजसिंह
693. निकूराम
604. दुर्गाराम
605. साधुराम
606. संजय
607. बहादुर
608. हल्कालाल
609. सन्तोषीदेवी
610. मंगतराम
611. सुभाषचन्द्र
612. नायलसिंह
513. रतिराम बावरी
614. वेदप्रकाश
615. वेदप्रकाश अरोड़ा
616. सुरजाराम
617. भेराराम
618. किशनचन्द
619. बलदेवराम
620. सुनीलकुमार
621. शिवबहादुर
622. लछमन
623. अमरचन्द
624. मन्दरसिंह
625. भूरासिंह
626 गोगा
627. हरकेनसिंह
628. निर्मलसिंह
629. जगदीशसिंह
630 चेलाराम नायड
631 मघाराम
6६2. कालासिंह
633. किसनाराम
634. प्रेमचन्द
635 भगवानदास
636. ओमप्रकाश
637. अजमेरसिंह
638 मु० लिक्ष्मी
639. फूलाराम
640. हरमीतकोर
641. मंगली
742. रामकरण
643. मुस्मात जमना
644. जगमालसिंह
645. अजीत सिंह
646. बीजराज सिंह
647. चरन सिंह
648. बेबी
649. ख्याली राम
650. चेतराम

651. सीमा
652. देवदत्त
653. विनोद
654. संजीवन लाल
655 वीरपाल
656. पालाराम
657. काके
658. हजारी लाल
659. दलाराम
660. कृष्ण
661. साधु सिह
662. कृष्ण स्वरूप
663. गुड्डी
664. मनीराम
665. प्रेमराज
666 सुलेमान
667. रूपसिंह
668 स्वर्णसिंह
669. विनोदकुमार
670. मुरलीधर
671. राजकुमार
672. सत्यनारायण
673. मघाराम
674. पनिया
675. जलाल
676. ओमप्रकाश
677. चिमनसिंह
678. प्रवेशकुमार
679. कुमारी दीपा
680. रामचन्द्र
681. कमलकुमार
682. रामकुमार
683. विनोदकुमार
684. ओमप्रकाश
685. सरदारा
686. फूसी
687. रमेशकुमार
688. लखपत
689. रणजीत
690. जंगीरसिंह
691. बाबूसिंह
692. अजमेरसिंह
693. शिवनारायण
694. ओमप्रकाश
695. शिवभगवान
696. मंगलचन्द्र
697. श्रीमती भगवती
698. सुलेमान
699. रामेश्वर
700. मुकनाराम सरपंच
701. श्रवण
702. इसाक
703. गम्भीरसिंह
704. नृसिंह
705. अहमद
706. पप्पू
707. सुरेन्द्र बेनीवाल
708. कालूराम
709. रामस्वरूप
710. भगवतीसिंह
711. महावीर
712. इलियास
713. महावीर शर्मा
714. रामनिवास
715. नाथूराम
716. केशाराम
717. सतपाल
718. मादा
719. सुभाष

720. प्रीतमसिंह
721. रथी रावत
722. सत्यनारायण
723. मूलचन्द
724. यासीन खां
725. बालूराम
726. कालुराम
727. श्रीराम
728. श्रीमती धापू
729. चौथमल
730. बन्नेसिंह
731. गणेश
732. नारायणराम
733. महेन्द्र
734. ओमप्रकाश
735. प्रेमप्रकाश
736. मूराराम
737. मंगतूराम
738. श्रीमती मावली
739. श्री कालू
740. सत्यनारायण
741. घीसाराम
742. ख्यालीराम
743. निर्मला
744. प्रेमलता
745. लालसिंह
746. देशराज
747. राजू
748. सुरेश
749. कौशल्या
750. लीलाधर
751. लूणाराम
752. महावीर
753. सांवतराम
754. अमरसिंह
755. हरजीराम
756. भगवानसिंह
757. सुवालाल
758. बन्शी
759. हनुमान
760. भागीरथ
761. प्रमोद
762. किशनलाल
763. मुस्ताक
764. अनाराम
765. हरदयाल
766. मालाराम
767. रानी
768. कश्मीरसिंह
769. हरिप्रसाद
770. रामचन्द्र
771. गीखा
772. भगवान जाट
773. तेजाराम
774. जैसाराम
775. भंवरसिंह
776. कोमता
777. सुगनी
778. गुलाब खां
779. किशोरसिंह
780. नोरंगराम
781. भंवरी
782. हनुमान
783. जीवनराम
784. बन्दीराम
785. हरिराम
786. मालचन्द
787. श्री श्यामलाल
788. राधेश्याम

789. श्री कोका
790. इस्माइल
791. गांगला मीणा
792. मामनी
793. मुस्मात राजू
794. मुस्मात डाली
795. बाछुसिंह
796. धुनसिंह
797. भालूसिंह
798. मंजू
799. मूलचन्द
800. देवीलाल
801. सुरेन्द्रसिंह
802. गुरुमुख सिंह
803. नारायण
804. राम जोगी
805. अशोककुमार
806. शोभा मीणा
807. भंवरसिंह
808. शंकरलाल
809. जसपालसिंह
810. हिरकी
811. श्रीमती कमली
812. सुरजी
813. पीरूखां
814. मोहम्मद भाई
815. कालु
816. शंकर
817. श्रीमती पुंजकी मीणा
818 धुला मीणा
819. श्रीमती लाली
820. अम्बालाल
821. नानजी
822. बेला
823. केशरसिंह राजपूत
824. माया
825. मेजर मेहवाल
826. अमरसिंह
827. अजय शर्मा
828. जगन्नाथ रावत
829. लाला
830. दलपतसिंह
831. मराद खां
832. अम्बालाल
833. श्रीमती मोहनी
834. नानूराम जाट
835. बाजा सादरा
836. रसीदखां मुसलमान
837. मोडा
838. उंकारलाल
839. रूपसिंह
840. शंकरिया
841. छिनरलाल जाट
642. मुस्मात सुन्दर
843 मुस्मात कृष्णा
844. मांगु
845. लखनखां
846. विमलगिरी
847. पूरा रावत
848. मनोहरसिंह
849. दोला
850. शंकरसिंह
851. नाथूराम खटीक
852. रामसिंह
853. उदयसिंह
854. सोहनलाल
855. फतहसिंह
856. प्रदीपसिंह
857. मोहन
858. आजादकुमार
859. मधुनन्दन गूर्जर
660. जेठसिंह
861. एम०पी० बंसल
862. कन्हैयालाल
863. मोहम्मद

864. बलदेव
865. मुस्मात कमली
866. गुरुदयालसिंह
867. ठाकुरसिंह
868. मदन
869. हीराराम
870. मुस्मात रामी
871. रामबाबू
872. कुरा
873. सूरजमल
874. कमला
875. कजोड़ीमल
876. प्रथा
877. नानालाल
878. माना भील
879. कल्याण मीणा
880. रतना बैरवा
881. परमेश्वर बैरवा
882. मुस्मात रामप्यारी
883. मुस्मात कानी मीणा
884. केशराज मीणा
885. संतोष
886. सीताराम
887. वली मोहम्मद
888. गोपाल रबारी
889. कैलाश लोडवाल
890. सुखा
891. पी० पी० सेठी
892- रामू
893. रामरतन कौर
894. कान्हा गूर्जर
895. श्री तुलसीराम
896. रोतास
897. बाबूलाल
898. सुखविन्द्र सिंह
899. श्रीमती फूली
900. श्री काना
901. रतनलाल
902.
903. श्रीमती चुंगी
904. जीवी
905. मावली
906. अमरी
907. लादू
908. हीरा
909. कालू मुसलमान
910. कुमारी बेदी
911. कुमारी सुखरी
912. श्री रामलाल
913. भगालाल
914. ममसगी
915. कुमारी खर्मा
916. श्यामलाल
917. श्रीमती अम्बापेबी मीना
918. पन्नेसिंह राजपूत
919. रामसिंह
920. बिरदीलाल
921. भंवरलाल गूर्जर
922. कालूराम माली
923. रामसिंह
924. उदयसिंह
925. मन्नालाल
926. मुकन्दलाल
927. चिमनलाल
928. कन्हैयालाल
929. कालूराम
930. पन्नालाल
931. हीरालाल
932. लालचन्द
933. बन्नेसिंह
934. सीताराम
935. पृथ्वीसिंह
936. भैरूलाल
937. नन्दु

Page No 301

302

938. सुन्दरलाल
939. केशरीलाल
940. हनीफ
941. श्रीमती मेरीबाई
942. श्री केदारदास अग्रवाल
943. शंकर
944. खातारास जाट
945. रिडमल राम
946. नाथूखां
947. ज्ञानसिह राजपूत
948. दिलवर मुसलमान
949. तेजाराम भील
950. मांगीलाल
951. टीका प्रसाद
952. कु० सावित..
953. कुमारी बेबी
954. खेताराम भील
955. रामचन्द्र ब्राह्मण
956. पप्पू
957. कोजाराम
958. हेमा
959. कनीराम
960. पांचाराम जाट
961. प्यारेलाल
962. भूपेन्द्र मोहन
963. महेश
964. संतोष
965. विजयपुरी
966. पीमाराम
967. कोजाराम
968. केशरसिह
969. प्रभुराम मेघवाल
970. मोहनराम
971. भंवरिया
972. छोटाराम
973. कुमारी सीता
974. श्रीमती मंजूला
975. सरस्वती
976. मनीष
977. शिवकरण सुमार
978. हनुमान कुम्हार
979. धूलेखां
980. राजू सिंधी
981. राजू
982. महावीर प्रसाद
983. जतन सिह
984. रतनसिह
985. सत्तार
986. कमला
987. राणाराम
988. सांगसिह
989. जेठमल
990. भंवरिया
991. मगनाराम
992. कुमारी रोरी
993. कुमारी कमली
994. रामसिह
995. बक्साराम
996. मुश. तुलसी
997. मुश. उडेरी
998. सीताराम
999. दुर्गा दान
1000. पूनाराम
1001. रामेश्वरनाथ
1002. उस्माराम भील
1003. भानाराम
1004. कुमारी छोटी देवी
1005. कंवरसिह
1006. भोलाराम
1007. गजकुमाली
1008. श्रीमती भीम कंवर
1009. कुमारी कमला
1010. श्यामलाल
1011. लादू भील
1012. अमरसिह

Page No 302

303

1013. मोहनलाल
1014. मुनशीराम
1015. गंगाराम
1016. मिट्ठूलाल
1017. भोमाराम
1018. पुरुषोत्तम लाल
1019. सुवादेवी
1020. रामचन्द्र
1021. कमल
1022. छोगा
1023. खगमा
1024. जोन
1025. रामचन्द्र
1026. ग्यारसीलाल
1027. संग्राम
1028. तेजा गूर्जर
1029. मामन सिंधी
1030. श्रीमती कमला
1031. नरपत
1032. दोलसिंह
1033. अमरा
1034. बुधा
1035. बद्रीलाल
1036. प्रवीण कुमार
1037. श्रीमती छगनी
1038. श्री अणु
1039. नारायण सिंह
1040. श्रीमती सीता
1041. कमल कुमार
1042. मिश्रीलाल
1043. मोहनलाल
1044. युसुफ अली
1045. मदनसिंह
1046. भगवान सिंह
1047. दिनेश
1048. श्रीमती घीसी
1049. मेजर फतेहसिंह
1050. देवा
1051. मदनसिंह
1052. लल्लूलाल
1053. चन्द्रा
1054. विमलेश
1055. गांगिया
1056. राधेश्याम
1057. किशनलाल
1058. किशन सिंधी
1059. भूपेन्द्र सिंह
1060. ललित
1061. हरिया
1062. मदनलाल
1063. बिरजू
1064. श्रीमती कंवरी बाई
1065. माणकचन्द
1066. अमीर
1067. कन्हैयालाल
1068. राधेमोहन
1069. कालू सेती
1070. मूलचन्द वर्मा
1071. कुमारी समता
1072. मुकर हुसैन
1073. मु० अ गती
1074. किशना
1075. छोटू
1076. मुरारजी
1077. अनिल
1078. सुरेश
1079. टीकमचन्द
1080. नन्दू
1081. सीताराम
1082. सज्जनसिंह
1083. अमरसिंह
1084. गणपतसिंह
1085. रामसहाय
1086. गोपाल

1087. भोमा
1088. भीखा
1089. बागजी
1090. थावरा
1091. निरंजन
1092. पुरुषोत्तम
1093. श्रीमती ताकू
1094. लक्ष्मण
1095. गौतम
1096. ललित मोहन
1097. मम्माराम
1098. उमराव
1099. जोराराम
1100. मानाराम
1101. बद्रीराम
1202. भानाराम
1103. सुल्तानाराम
1104. सज्जन
1105. बाबूलाल
1106. सेवाराम
1107. रामदेव
1108. मैराराम
1109. चेतनराम
1110. मोडाराम
1111. किशनलाल
1112. मोहनलाल
1113. सलीम
1114. अमरचन्द
1115. देवेन्द्र
1116. शिवदान
1117. फुलाराम
1118. हीरसिंह
1119. शेराराम
1120. प्रेमनारायण
1121. कश्मीरसिंह
1122. रणवीरसिंह
1123. कुमारी दीपती
1124. केदारदास
1125. शंकर
1126. खेवाराम
1127. रिडमल राम
1128. बब्बूखां
1129. ज्ञानसिंह
1130. दिलवर
1131. तेजाराम
1132. मानाराम
1133. श्रीमती कमला
1134. श्रीमती मथुरा
1135. श्री अनिया
1136. मांगीलाल
1137. कुलदीपसिंह
1138. अन्नाराम
1139. भंवर
1140. श्रवणलाल
1141. श्रीमती गोरा
1142. परसराम
1143. मंगला
1144. हापूराम
1145. श्रीमती सरूपी
1146. नारायण
1147. मुरलीधर
1148. भंवरलाल
1149. दिनेश
1150. भंवरा
1151. मिश्रीलाल
1152. श्रीमती सुक्खी
1153. दीन मोहम्मद
1154. लालजी
1155. अमरा भाई
1156. लादूराम
1157. रियताराम
1158. त्रिलाक
1159. सुखाराम
1160. मोलाना हुसैन
1161. जफर
1162. रियाज

305

1163. श्रीमती सोनी
1164. श्रीमती चम्पा
1165. श्रीमती जरीना
1166. श्रीमती बेबी
1167. मामराज
1168. हरकरण
1169. नारायण
1170. हनुमान
1171. हेताराम
1172. मुरला
1173. मांगीलाल
1174. ईस्माइल खां
1175. अब्दुल रसीद
1176. ईश्वर राम
1177. मूलाराम
1178. महबूब खां
1179. मदीद खां
1180. श्रीमती सुरीता
1181. पन्नेसिंह
1182. रामसिंह
1183. बिरदीलाल
1184. भंवरलाल
1185. कालूराम
1186. रणसिंह
1187. उदयसिंह
1188 मन्नालाल
1189. मुकन्दलाल
1190. कन्हैयालाल
1191. कालूराम
1192. पन्नालाल
1193. हीरालाल
1194. लालचन्द
1195. पन्नेसिंह
1196. सीताराम
1197. पृथ्वीसिंह
1198. भैरुलाल
1199. नन्दू
1200. शकूर
1201. केशरीलाल
1202. हनीफ
1203. भेरीबाई

नोट :—मरने वालों में 87 व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी है जिनके नाम व पते अज्ञात हैं ।

306

मुख्य मन्त्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से मोटर, ट्रक, जीप एवं अन्य वाहनों से दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाने वालों की सूची (अवधि 1-1-81 से 31-12-81)

क्र० सं०	नाम व पता		राशि
1.	मृतक मिठूलाल पुत्र हरदेव रेगर, रेगरों का बास पुष्कर, जिला अजमेर	दिनांक 21-3-81 को पुष्कर-घाटी पर टैक्सी दुर्घटना ।	1000/-
2.	मृतक लक्ष्मणसिंह पुत्र बाल सिंह, राजपूत निवासी नाद जिला अजमेर ।	,, ,,	1000/-
3.	मु० हीरको बेवा फलराम जाति धानका निवासी जनाऊ-मीठी तहसील राजगढ जिला चूरू	इनका एक 10 वर्षीय बच्चा बस दुर्घटना में मर गया ।	500/-
4.	मृतक पेमजी पुत्र माद जी, नागरिया पंचेला जिला डूंगरपुर ।	दिनांक 18-5-81 को एक ट्रक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई ।	1000/-
5.	मृतक पन्जी पत्नी जमना नि० घुवेड	,, ,,	1000/-
6.	मृतक जीवा पुत्री पन्ना	,, ,,	1000/-
7.	मृतक बबली पुत्री बाला	,, ,,	1000/-
8.	मृतक अमरी पुत्री ताजू	,, ,,	1000/-
9.	मृतक छाजू पुत्र हीरा	,, ,,	1000/-

1	2	3	4
10.	मृतक पन्नेसिंह जिला झालावाड़	दिनांक 3–5–81 को पाटन रोड पर बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2000/–
11,	मृतक हीरालाल जिला अजमेर	दि० 17–5–81 को किशनगढ़ के पास कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2000/–
12.	मृतक मांगीलाल निवासी टोकड़ जिला भीलवाड़ा	दि० 22–4–81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु	2000/–
13.	मृतक फूलचन्द एफ० सी० जिला, झुंझुनूं	दि० 7–5–81 को बस दुर्घटना में मृत्यु	2000/–
14.	मृतक गट्टू पत्नी जगदीश वर्मा निवासी खदनोर, भीलवाड़ा	दि० 7–5–81 को ट्रक एक्सीडेन्ट में मृत्यु	1000/–
15.	मृतक मोहम्मद जमील पुत्र खलीक अहमद निवासी गाजीपारा जिला सवाई माधोपुर	दि० 18–5–81 को ग्राम सेन्सा तह० टोडाभीम में बस दुर्घटना में मृत्यु	1000/–
16.	मृतक कुलदीप सिंह, जयपुर	दि० 26–5–81 को दूदू के पास बस दुर्घटना में घायल होने से दिनांक 7–6–81 को मृत्यु	3000/–
17.	मृतक श्री हीरा पुत्र वक्ता, नि० सांसरपुर जिला डूंगरपुर	दि० 18–5–81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई	1000/–
18.	दो व्यक्ति जिला डूंगरपुर	दि० 19–[illegible]–81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2000/–
19.		दि० 15–6–81 को ग्राम सालावय के पास बस दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।	3000/–
20.	श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र सांवलराम निवासी अलवर	माह अप्रेल, 1981 में एक ट्रैक्टर दुर्घटना में इनकी मां का देहान्त हो गया।	1000/–

1	2	3	4
21.	मृतक बेला नि० ग्राम कविता जिला उदयपुर	दिनांक 25-3-81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु ।	1000/-
22.	मृतक उगमा पुत्र गुला गूजर निवासी सनोद जि० अजमेर	दि० 12-2-81 को सनोद रोड पर ट्रक दुर्घटना में मृत्यु ।	1000/-
23.	श्रीमती चन्दरी पत्नी छाजूराम जाटिया नि० तिजारा	दि० 21-6-81 को इनके पति की मृत्यु रोडवेज बस दुर्घटना में हो गई ।	2000/-
24.	मृतक मंगतीराम नि० रदावल जिला अलवर	दि० 8-8-81 को आगरा-भरतपुर पैसेन्जर से मालगाड़ी की टक्कर में मृत्यु ।	1000/-
25.	मृतक केशर नि० देवियो का नांगल, भरतपुर	,, ,,	1000/-
26.	रामसिह नि० दाना खोडली, भरतपुर	,, ,,	1000/-
27.	मृतक गिर्राज नि० ढाना खोडली, भरतपुर	,, ,,	1000/-
28.	मृतक मदनलाल शर्मा जिला कोटा	दि० 29-10-81 को जीप दुर्घटना में मृत्यु ।	2000/-
29.	मृतक रामकिशन जिला, कोटा	,, ,,	2000/-
30.	श्री शिव पुत्र कनीराम मेहर, ग्राम घोटली जिला झालावाड़	दि० 27-8-81 को रोडवेज की बस के पहिये के नीचे आ जाने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई ।	1000/-
31.	मृतक ओमप्रकाश अग्रवाल नि० मदनगंज-अजमेर	दि० 16-10-81 को ग्राम रलावता एवं सुरसुरा के	1000/-
32.	मृतक अनिल कुमार ,,	बीच जीप व रोडवेज बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई ।	
33.	मृतक कमल किशोर ,,	,, ,,	1000/-

308

1	2	3	4
34.	मृतक सुरेशकुमार शर्मा ,,	,, ,,	1000/–
35.	मृतक मांगीलालजी नगर निवासी ग्राम पोटला भीलवाड़ा	दि० 6–11–81 को पाली रोड पर जीप व टैंकर की टक्कर में मृत्यु हो गई ।	5000/–
36.	मृतक मदनलाल दर्जी निवासी ग्रामली जिला भीलवाड़ा	माह नवम्बर, 81 में बस व ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2000/–
37.	मृतक त्रिलोकचन्द मदान नि० अजमेर	दि० 4–11–81 को बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई ।	5000/–
38.	मृतक मनोहर कुमार ,,	,, ,,	5000/–
39.	मृतक ओमप्रकाश महाजन निवासी, जयपुर	सड़क दुर्घटना में मृत्यु ।	5000/–
40.	मृतक अशोककुमार पुत्र कैलाशदास–अजमेर	दि० 26-11–81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु ।	3000/–
41.	मृतक भोगजी पिता सवा नि० इटावा जिला बांसवाड़ा	दि० 5–12–81 को ग्राम गमनिया के पास ट्रक दुर्घटना में मृत्यु	2000/–
42.	मृतक धावरा पिता जबरा नि० सागवाड़ा जिला बांसवाड़ा	,, ,,	2000/–
43.	मृतक हुकमसिंह जिला भरतपुर	दि० 28-9-81 को ग्राम लुक्वाई से वमनपुरा के मध्य रास्ते में ट्रैक्टर व रिक्शा की दुर्घटना में मृत्यु	1000/–
44.	छेड़े पुत्र सोपतिया जिला भरतपुर	,, ,,	1000/–
45.	मृतक शुकर निवासी थूर जिला उदयपुर	दि० 28-11-81 को तह. गोगुंदा क्षेत्र के इसबाल ग्राम में एक ट्रक उलट जाने से घटना स्थल पर इनकी मृत्यु हो गई ।	2000/–
46.	मृतक बाला निवासा छोटा गोडान, उदयपुर	,, ,,	2000/–
47.	मृतक दूला ,, ,,	,, ,,	2000/–

1	2	3	4
48.	मृतक भंवरिया निवासी कामली का गुडा, उदयपुर	दि० 28-11-81 को तह. गोगुंदा क्षेत्र के इसवाल ग्राम में एक ट्रक उलट जाने से घटना स्थल पर इनकी मृत्यु हो गई।	2000/-
49.	मृतक गोपिया निवासी नारों का खेड़ा, उदयपुर	,, ,,	2000/-
50.	मृतक रूपा ,, ,,	,, ,,	2000/-
51.	रामलाल निवासी चोरबावड़ी, उदयपुर	,, ,,	2000/-
52.	मृतक पन्ना निवासी सुवसलों का झंडा, भरतपुर	,, ,,	2000/-
53.	मृतक बदरीलाल निवासी बोरदा तह० झालरापाटन	दि० 23-11-81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2000/-
54.	मृतक ललितप्रसाद शर्मा—जयपुर	दि० 4-12-81 को रेल दुर्घटना (टोंक फाटक के पास) में मृत्यु।	4000/-
55.	मृतक दौला भील नि० ग्राम परलाई जिला सिरोही	दि० 26-9-81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु।	1000/-
56.	मृतक जहूर मोहम्मद निवासी तेलियों का मोहल्ला	दि० 24-11-81 को मिल्ट्री वाहन दुर्घटना में मृत्यु।	1000/-
57.	मृतक गोविन्दसिंह निवासी ग्राम बसइया कलां, भरतपुर	दि० 19-1-81 को ट्रक दुर्घटना में मृत्यु।	1000/-
58.	मृतक सूरजीबाई नि. दामा पो. चतरा जिला हजारीबाग, बिहार	दि० 27-1-81 को जयपुर के पास ट्रक-बस दुर्घटना में मृत्यु।	1000/-
59.	मृतक चौथी बाई पो/ चोपराना ,,	,, ,,	1000/-

1	2	3	4
60.	मृतक शिवचरणदास निवासी 22 प्रतापनगर, देहली	दि. 27-1-81 को जयपुर के पास ट्रक-बसदुर्घटना में मृत्यु।	1000/–
61.	मृतक केशरी जिला झालावाड	दि० 4–2–81 को झालावाड़ एवं झालरापाटन के मध्य एक जीप दुर्घटना में मृत्यु।	2000/–
62.	मृतक लटूर जिला झालावाड़	,, ,,	2000/–
63.	मृतक प्यारे कोली निवासी धौलपुर	दि० 15–2–81 को मथुरा के पास बस दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद दि० 24-2-81 को मृत्य हो गई।	5000/–
64.	मृतक श्रीमती समदल पत्नी अब्दुल ग्राम निमेड़ा	दि० 16–2–81 को जयपुर (आमेर) के पास बस दुर्घटना में मृत्यु।	5000/–
65.	मृतक मधुकर शर्मा नि० चिलेश्वर जिला भीलवाड़ा	,, ,,	5000/–
66.	मृतक धर्नासिंह नि० सरदार सिंह का खेडा	,, ,,	5000/–
67.	मृतक जमील नि० जाटों का निमेड़ा	,, ,,	5000/–
68.	मृतक लक्ष्मणदास निवासी निमेड़ा	,, ,,	5000/–
69.	मृतक बहादुर सिंह निवासी–भीलवाड़ा	,, ,,	5000/–
70.	मृतक रामनिवास खाती निवासी बेहराउध खुर्द जिला सवाई माधोपुर	दि० 7–2–81 को बस दुर्घटना मे मृत्यु हो गई।	1500/–
71.	मृतक मिठू पुत्र कृष्ण निवासी ब्यावर जिला अजमेर	दि० 17–2–81 को रेवाडी स्टेशन पर ट्रेन एक्सीडेन्ट में मृत्यु।	5000/–

(92)

1	2	3	4
72.	मृतक शैलेन्द्र कुमार गुप्ता नि० जयपुर	दि० 24-2-81 को शाहपुरा के पास कार दुर्घटना में मृत्यु ।	2000/-
73.	मृतक चन्द्रभान पुत्र मनोहरलाल निवासी भरतपुर	दि० 11-3-81 को एक ट्रक दुर्घटना में मृत्यु	2000/-
74:	मृतक चरणसिंह, साकिन डेरानाथ जिला गुरदासपुरा (पंजाब)	22-23 सितम्बर, 1981 की रात्रि को शाहजहांपुरा (अलवर) के पास पुलिस वाहन व ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।	2500/-
75.	मृतक बलवीर सिंह साकिन बेगा थाना रणबीरसिंहपुरा जिला जम्मुतवी (जम्मू एण्ड कश्मीर)	,, ,,	2500/-

(313)

परिशिष्ट ६

अतारांकित प्रश्न संख्या 490 की सूची

जनवरी, 82 तक पुलिस उप महानिरीक्षकों के जिला रेंज पर पदस्थापन की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	कहां से	कहां पर	राज्य सरकार की आज्ञा संख्या व दिनांक
1	2	2	3	5
1	श्री डी. के. दत्ता	सी० आई० डी० (इन्टे)	कोटा रेंज	एफ 75 (2) कार्मिक/81/8 दिनांक 9-4-81
2	श्री डी० पी०. एन० सिंह	मुख्यालय से	भरतपुर रेंज	"
3	श्री एस० के० शर्मा	होमगार्ड से	बीकानेर रेंज	5-8-81
4	श्री एस० एस० मधोक	आर०ए०सी० जोधपुर	जोधपुर रेंज	"
5	श्री शंकर सरन	जोधपुर रेंज से	कोटा रेंज	"
6	श्री बलवन्तसिंह	मुख्यालय से	जयपुर रेंज	"
7	श्री अभिताभ गुप्ता	पदोन्नति पर	भरतपुर रेंज	5-9-81

————

(314)

परिशिष्ट ७

अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची

चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के पेंडिंग मामलों की आदिनांक (वर्तमान) सूची

क्र.सं	नाम अधिकारी एवं कर्मचारी मय कार्यालय
1	2
1.	श्री गिरधारीलाल कल्पद, सुहागपुरा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
2.	श्रीमती गीतादेवी धात्री, औषधालय प्रतापगढ़, जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
3.	श्री रामलाल कल्पद, सतखण्डा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
4.	श्री ग्यारसीलाल रैगर भू० पू० निरीक्षक, (अधिकारी) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ ।
5.	श्री कृष्णश्याम दूधानी, भू. पू. निरीक्षक (कार्यकारी) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ ।
6.	श्री मानसिंह हाड़ा, भू० पू० निरीक्षक (कार्यकारी) सहायक, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ ।
7.	श्री कल्याणसहाय गुप्ता, निरीक्षक (कार्यकारी) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ ।
8.	श्री मदनलाल जोशी, व० अ०, उ० मा० वि०, गंगरार, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
9.	श्री भंवरलाल बैरागी, सहायक अध्यापक, उ० मा० वि० रासमी, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।
10.	श्री नेमीचन्द छाजेड़, स० अ०, उ० मा० वि० रावतभाटा, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।

315

1	2
11.	श्री विजयसिंह गहलोत, प्र० अ०, उ० प्रा० वि० करजू, जि० शि० अ० चित्तौड़गढ़ ।
12.	श्री मनोहरसिंह राठौड़, स० अ०, उ० प्रा० वि० बाबलात, जि० शि० अ० चित्तौड़गढ़ ।
13.	श्री उमेशचन्द्र चाष्टा, क० लि०, ज० स्वा० अभि० विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
14.	श्री रमेशचन्द्र सालवी, क० लि०, जन स्वा०, अभि० विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
15.	श्री मदनलाल एम० एस० डब्ल्यू०, अधि० अभि०, सा० नि० वि० चित्तौड़गढ़ ।
16.	श्री भगवानलाल कारपेन्टर, अधि० अभि०, सा० नि० वि०, चित्तौड़गढ़ ।
17.	श्रीमती अमनी के प्रतापिका, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प० क०) चित्तौड़गढ़ ।
18.	श्री रामनाथ चौबे, परिवार कल्याण सहायक स्वा० उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प० क०) चित्तौड़गढ़ ।
19.	श्री सुरेन्द्रकुमार सामर, परिवार कल्याण स्वा० सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प० क०) चित्तौड़गढ़ ।
20.	श्री सुरेन्द्रकुमार चौधरी, परिवार कल्याण स्वा० सहायक स्वा० अधिकारी, (प० क०) चित्तौड़गढ़ ।
21.	श्री प्रतापसिंह चलचित्र चालक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, (प० क०) चित्तौड़गढ़ ।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 494 की सूची

दिनांक 1-1-1980 से 1-1-1982 तक राजस्थान वित्त निगम कोटा (शाखा) में बस/मिनी बस हेतु अनुसूचित जाति के आवेदकों की सूची :

क्रमांक	नाम व पता	जिला	जाति
1	2	3	4
1.	मैसर्स राजेन्द्र बस सर्विस, द्वारा, जगदीश प्रसाद खटीक, गुजरों का मन्दिर कसवा, कोटा ।	कोटा	खटीक
2.	मैसर्स प्रेम बस सर्विस, मकान नं० 11/78, गुमानपुरा, कोटा ।	कोटा कोटा	मेहर खटीक
3.	श्री दयाशंकर बस सर्विस, पुत्र श्री छीतरलाल, मकान नं० 109 वार्ड नं 30, कोटा ।	कोटा	खटीक
4.	श्री जगनाथ बजरंगलाल, बैरवा बस सर्विस, 268, शापिंग सेन्टर, कोटा ।	कोटा	बैरवा
5.	श्री लदूरलाल पेरिदवाल, व रामचन्द्र कोली, गोरधनपुरा, कोटा ।	कोटा	खटीक कौली
6.	श्री हेमचन्द पंवार व मदन पचेरवाल मै० दुर्गा ट्रैवल्स, नेहरू नगर हरिजन बस्ती, कोटा ।	कोटा	मेहतर
7.	श्री नारायण लाल यादव, पुत्र श्री भंवरलाल व श्री बाबूलाल पुत्र श्री मूलचन्द, गुमानपुरा, कोटा ।	कोटा	जाटव

317

1	2	3	4
8.	श्री गोविन्दराम केदारराम जाटव, सैंगापुर, करौली, सवाईमाधोपुर ।	सवाईमाधोपुर	जाटव
9.	श्री राम खिलाड़ी भरोसीलाल, विश्वदेव स्टोर कम्पनी, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर ।	सवाईमाधोपुर	जाटव
10.	श्री भवानीशंकर, पुत्र श्री गंगाधर, वार्ड नं० 22 इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के पीछे, कोटा	कोटा	मेहतर
11.	श्री चन्द्रप्रकाश, हरीजन, बस्ती, रामपुरा, कोटा	कोटा	मेहतर
12.	श्री हेमचन्द्र पंवार, नेहरू नगर, हरिजन बस्ती, कोटा		
13.	श्री श्यामबाबू-15, शॉपिंग सेन्टर, कोटा	कोटा	मेहतर
14.	मैसर्स खींची ट्रैवल्स ग्राम मांगलोत, जिला कोटा	कोटा	खटीक
15.	मैसर्स विजय ट्रैवल्स, द्वारा श्री चिरंजीलाल पहाड़िया, वार्ड नं. 5 गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर	कोटा	खटीक

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची

क्र. सं.	नाम नगरपालिका	नाम बस्ती	विवरण
1	2	3	4
1.	गंगाशहर	गोपेश्वर बस्ती-पक्की	पानी, बिजली व्यवस्था
2.	"	नोखा रोड बस्ती-पक्की	" " (सड़क ड्रेनेज नहीं है)
3.	नोखा	इन्द्रा कालोनी-कच्ची	बिजली, पानी व्यवस्था
4.	"	समाज के कमजोर तबके व्यक्तियों की बस्ती-कच्ची	" (सड़क ड्रेनेज नहीं है)
5.	भीनासर	मोहल्ला कुम्हारान बस्ती-	पानी, बिजली व्यवस्था
6.	"	नोखा रोड़ बस्ती-कच्ची	सड़क है, (ड्रेनेज नहीं)
7.	देशनोक		सूचना उपलब्ध नहीं
8.	नगर विकास न्यास, बीकानेर	मोहल्ला पंचमुखी हनुमानजी पक्की	पानी, बिजली, सड़क है
9.	" "	मोहल्ला गुजरो की कब्रिस्तान के पास-पक्की	" "
10.	मुक्ता प्रसाद योजना	(रामपुरा बस्ती)-कच्ची	सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था की जा रही है
11.	बंगला नं. 10	(सिविल लाईन के पीछे)-कच्ची	" "
12.	इण्डस्ट्रियल एरिया	कच्ची	" "
13.	चौखटी सासियान	कच्ची	" "
14.	मघाराम वैद्य कालोनी	कच्ची	" "
15.	बस्सर गेट बहार	(गाड़िया लोहारान)-कच्ची	" "
16.	मोहल्ला हरिजन कोरियान-कच्ची		" "

1	2	3	4
17.	सर्वोदय बस्ती (नरसिंह सागर के पास)-कच्ची		सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था की जा रही है।
18.	कमला कालोनी--कच्ची		,, ,,
19.	सुभाषपुरा-कच्ची		,, ,,
20.	फतीहपुरा मेघवाल-कच्ची		,, ,,
21.	हमालान की बारी भषानी बगीचे के बहार-कच्ची		,, ,,
22.	सादुल गंज-कच्ची		,, ,,
23.	इन्द्रानगर-कच्ची		,, ,,
24.	पाचवारी हरिजन बस्ती (प्रताप-बस्ती)-कच्ची		,, ,,
25.	सागर रोड़-कच्ची		,, ,,
26.	भाटो का बास-कच्ची		,, ,,
27.	गुजरो के कब्रिस्तान मे पूर्व-कच्ची		,, ,,
28.	कसाइयो की बारी के बहार-कच्ची		,, ,,
29.	गुजारान गोगागेट-कच्ची		,, ,,

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 500 का विवरण

संशोधित सूचना

क्र.सं.	अधिकारी	दिनांक	वाहन संख्या	गन्तव्य स्थान	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशासक	27-4-81	आरएसजेड 2038	जयपुर	वाटर पोल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग
2.	प्रशासक	28-5-81	,,	जयपुर	श्री गागनदास के केस व अन्य विचाराधीन मामले
3.	प्रशासक	30-5-71	,,	जयपुर	राजस्थान स्वायत्त शासन संस्था की मीटिंग
4.	प्रशासक	4-6-81	,,	जयपुर	बजट वर्ष 1981-82 साथ लेखाधिकारी/लेखाकार
5.	प्रशासक	6-6-81	,,	जयपुर	श्री हरिराम बींजावत केस
6.	प्रशासक	12-6-81	,,	जयपुर	परिषद् के विभिन्न विचाराधीन कार्य निपटाने व अन्य योजनाओं
7-	प्रशासक	15-6-81	,,	जयपुर	सचिवालय चुंगी मीटिंग में
8.	प्रशासक	16-6-81	,,	जयपुर	बाढ़ नियंत्रण मीटिंग व अन्य विचाराधीन मामलों को निपटाने
9.	प्रशासक	25-6-81	,,	पुष्कर	राजस्व निरीक्षक के साक्षात्कार
10.	प्रशासक	29-6-81	,,	जयपुर	निदेशालयों व अन्य विभागों में विचाराधीन माललों के निपटाने
11.	आयुक्त	19-8-81	,,	जयपुर	निदेशालय एवं अन्य कार्यालयों में कार्य निपटाने हेतु।
12.	प्रशासक	24-8-81	,,	जयपुर	निदेशालय की मीटिंग
13.	प्रशामक	8-9-81	,,	जयपुर	कच्ची बस्तियों के संबंध में व अन्य योजनाओं
14.	प्रशासक	8-11-81	,,	पुष्कर	मेले में लाइट व्यवस्था

1	2	3	4	5	6
15.	प्रशासक	10-11-81	आरएसजेड	पुष्कर	मेले में लाइट व्यवस्था
16.	प्रशासक	11-11-81	2038	पुष्कर	मेले में व्यवस्था आयुक्त के साथ
17.	आयुक्त	4-5-81	आरजेजेड 9114	जयपुर	विधान सभा प्रश्न
18.	आयुक्त	9-6-81	,,	जयपुर	परिषद् के विभिन्न विचाराधीन कार्य निपटाने
19.	आयुक्त	3-9-81	,,	जयपुर	विचाराधीन पत्रावलियों के निपटाने
20.	स्वास्थ्य अधि.	9-9-81	,,	जयपुर	हाई कोर्ट कल्लू बनाम नगर-परिषद्
21.	आयुक्त	14-9-81	,,	जयपुर	विधान सभा प्रश्न
22.	आयुक्त	15-9-81	,,	जयपुर	विधान सभा प्रश्न
23.	आयुक्त	21-9-81	,,	जयपुर	विचाराधीन पत्रावलियों के निपटाने, कल्लू बनाम नगर परिषद् साथ में परिषद् वकील/स्वा.अधि.
24.	स्वा. अधि.	26-2-81	,,	गगवाना हेलीपेड	माननीय राष्ट्रपति के आगमन
25.	स्वा. अधि.	1-10-81	,,	जयपुर	कल्लू बनाम परिषद
26.	आयुक्त	15-10-81	,,	जयपुर	स्वायत शासन सेमीनार एवं अन्य विचाराधीन कार्य निपटाने
27.	आयुक्त	24-10-81	,,	जयपुर	परिषद् के विभिन्न केसों के निपटाने
28.	आयुक्त	25-11-81	,,	जयपुर	विचाराधीन पत्रावलियों के निपटाने
29.	आयुक्त	27-11-81	,,	दिल्ली	फायर गाडी की बॉडी के निर्माण साथ सहायक अग्नि शमन अधि.
30.	आयुक्त	21-12-81	आरजेजेड 4599	जयपुर	गाडी में मिट्टी भरने की क्रेन खरीद व अन्य विचाराधीन कार्यों
31.	आयुक्त	1-4-81	आरएसजेड 3089	जयपुर	विधान सभा प्रश्न

Page No 321

(322)

1	2	3	4	5	6
32.	अधिशासी अभियन्ता	10-4-81	आरएसजेड 3089	किशनगढ़	नगर पालिका के निर्माण कार्य
33.	अधि. अभि.	8-5-81	,,	किशनगढ़	नगर पालिका के निर्माण कार्य
34.	अधि. अभि.	16-5-81	,,	केकड़ी	नगर पालिका के निर्माण कार्य
35.	अधि. अभि.	19-6-81	,,	किशनगढ़	नगर पालिका के निर्माण कार्य
36.	स्वा. अधि.	30-7-81	,,	जयपुर	परिषद् के विभिन्न विचाराधीन मामले
37.	स्वा. अधि.	4-8-81	,,	जयपुर	कल्लू बनाम नगर परिषद व विभिन्न विचाराधीन मामले के निपटाने
38.	स्वा०अधि०	29-9-81	,,	जयपुर	हाई कोर्ट एवं अन्य विचाराधीन मामले निपटाने साथ परिषद् वकील
39.	स्वा०अधि०	9-11-81	आरएसजेड 3089	जयपुर	विभिन्न विचाराधीन कार्यों निपटाने
40.	स्वा०अधि०	12-11-81	,,	जयपुर	हाई कोर्ट व अन्य विचाराधीन मामले निपटाने
41.	स्वा०अधि०	22-12-81	,,	जयपुर	हाई कोर्ट कल्लू बनाम नगर-परिषद्
42.	स्वा०अधि०	1-12-81	,,	जयपुर	हाई कोर्ट कल्लू बनाम नगर-परिषद्, अजमेर एवं अन्य कार्यों
43.	सहा.अग्निशमन अधिकारी	22-4-81	आरजेजेड 2814	पुष्कर	श्री रामकिशोर व्यास का अस्थि-कलश ले जाने
44.	सहा.अग्नि शमन अधिकारी	24-7-81		गगवाना हेलीपेड	बाढ़ग्रस्त क्षेत्र
45.	सहा.अग्नि शमन अधिकारी	25-7-81	,,	गगवाना हेलीपेड	केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री पाटिल के आगमन
46.	सहा.अग्नि शमन अधिकारी	26-7-81	,,	गगवाना हेलीपेड	केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री पाटिल के आगमन

1	2	3	4	5	6
47.	सहा. अग्नि शमन अधिकारी	29-7-81	आरजेजेड 2814	जयपुर	सहायक अग्नि शमन अधिकारी, श्री गोपीचंद शर्मा द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए ले जायी गयी।
48.	सहा अग्नि शमन अधिकारी	24-9-81	,,	पुष्कर हेलीपेड	माननीय राष्ट्रपति के आगमन रिहर्सल
49.	सहा. अग्नि शमन अधिकारी	26-9-81	,,	पुष्कर हेलीपेड	माननीय राष्ट्रपति के आगमन
50.	सहा. अग्नि शमन अधिकारी	8-11-81	,,	पुष्कर	मेले की व्यवस्था
51,	सहा. अग्नि शमन अधिकारी	10-11-81	,,	पुष्कर	मेले की व्यवस्था
52.	आयुक्त	11-11-81	,,	पुष्कर	मेले की व्यवस्था, प्रशासक के साथ
53.	सहा. अग्नि शमन अधिकारी	19-11-81	,,	पुष्कर	होर्स पाइप व बिल के बाबत एवं अन्य कार्य

Sd/-
आयुक्त,
नगर परिषद्, अजमेर

————

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 505 की प्रति

Most IMMediate

OFFICE OF THE PRINCIPAL MEDICAL & HEALTH OFFICER
AJMER.

No. 24913–49/62 Dated 16.7.62

To,

ALL MEDICAL OFFICERS

Memo.

The Director of Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur desires to start the fund for the help of the poor patients which will be collected in the Charity Boxes to be supplied to All Dispensaries of the Medical Department. The detailed instruction with regard to Charity are enclosed herewith for information. The Charity Boxes will be supplied to all dispensaries soon.

Sd/–Principal Medical &
Health Officer, Ajmer.

No. 24950/62 Dated 16–7–62

Copy forward to the Medical Officer, I/C, Central Stores, V. H. Ajmer with the request to arrange for the Charity, boxes as per Stores purchase rules.

Sd/–Principal Medical &
Health Officer, Ajmer.

325

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 506 की सूची

क्रम सं०	वाहन संख्या	किस्म
1	2	3
1–आर. एस. एम.	7020	जीप (विल्लीज)
2–आर. एस. जेड.	5024	जीप (महेन्द्रा)
3–आर. जे. जेड.	1503	पिकअप (एफ. सी.)
4–आर. जे. जेड.	1105	ट्रक (इन्टरनेशनल)
5–आर. जे. जेड.	7418	ट्रक (फारगो)
6–आर. जे. जेड.	1101	ट्रक (इन्टरनेशनल)
7–आर. जे. जेड.	1103	ट्रक (फोर्ड)
8–आर. जे. जेड.	1104	ट्रक (फोर्ड)
9–आर. जे. जेड.	1102	जीप (विल्लीज)
10–आर. एस. जेड.	2842	मोटर साइकिल (रायल एनफिल्ड)

326

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 509 की प्रति

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक ले०-1 (1) यो/80-81/ दिनांक

निविदा सूचना

आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर में दिनांक 10-11-81 को 4-00 बजे तक चल चिकित्सालय के लिए प्रयोग में लाने हेतु एक एफ सी 360 जीप ट्रक पर स्टील बॉडी निर्माण हेतु सील बन्द निविदाएं दोहरे लिफाफे में जिस पर वाहन पर स्टील बाडी निर्माण हेतु निविदा लिखा हुआ हो, आमंत्रित की जाती है।

निविदा पत्र में मय शर्तों एवं वाहन पर बॉडी निर्माण हेतु विस्तृत विशिष्टियों हेतु जानकारी कार्यालय, निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर से दिनांक 10-11-81 को दो बजे मध्यान्ह तक रुपये 5-00 (रुपये पांच) मनी आर्डर व अथवा नकद जमा करवा कर अथवा निदेशक, आयुर्वेद विभाग के नाम से क्रोस पोस्टल आर्डर भेज कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 10-11-81 को मध्यान्ह 4-30 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उनके द्वारा अधीकृत अधिकारी द्वारा निविदा-दाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि कोई हों) खोली जावेंगी।

ह0/
(गोकुलेन्द्र शर्मा)
निदेशक,
आयुर्वेद विभाग राज०
अजमेर

(327)

प्रति विज्ञापन संख्या 1/4797/81/43007-11 दिनांक !-10-81 ओर से, ...क, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर वास्ते दैनिक नवभारत टाइम्स, दिल्ली .निक राजस्थान पत्रिका, जयपुर/दैनिक आधुनिक राजस्थान, अजमेर/दैनिक भारत-भूमी, अजमेर एवं प्रतिलिपि निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को।

विषय—वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु।

आपके दैनिक/साप्ताहिक पाक्षिक पत्र के संस्करण के अलग अंक में केवल एक बार या न्यूनतम स्थल में जो 22 से0मी0 से कदापि अधिक नहीं होना चाहिए, सिंगल कालम में साधारण रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु एक विज्ञापन संलग्न है।

विज्ञापन बिल चार प्रतियों में पूरे पेज की सम्बन्धित कतरनों व दो पूरे अंको सहित निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर के नाम से बाहर लिफाफे अथवा पैकिट पर मोटे अक्षरों में "विज्ञापन शाखा' लिखा होना चाहिये, बनाये जाकर, विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् चार दिन के भीतर ही इस कार्यालय को भिजवा दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अंक की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित विभाग को अवलोकनार्थ अवश्य भेज दी जावे।

इसका भुगतान डी0ए0वी0पी0 की दर पर किया जावेगा।

संलग्न—विज्ञापन प्रति—

ह0/
कृते निदेशक
जनसम्पर्क निदेशालय राजस्थान,
जयपुर

(328)

कार्यालय, निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ 1 (25) यो/80–81 दिनांक

संशोधन

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1 (यो) 80-81/20269-74 दिनांक 29-2-81 द्वारा प्रसारित निविदा सूचना वास्ते विभागीय वाहन पर स्टील बॉडी निर्माण वर्ष 1981–82 में नियमानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. कार्यालय द्वारा टेण्डर फार्म सप्लाई करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10–11–81 के बजाय 30–11–81 बाद दोपहर 2–00 बजे पढ़ी जावे ।

2. कार्यालय में टेण्डर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10–11–81 के बजाय दिनांक 30–11–81 बाद दोपहर 4-00 बजे पढी जावे ।

3. प्राप्त टेण्डर दिनांक 10–11–81 के बजाय दिनांक 30–11–81 बाद दोपहर 4-30 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय कक्ष में खोले जावेंगे, पढ़ा जावे ।

ह०
(गोकुलेन्द्र शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि विज्ञापन संख्या 1/4797/81/46451–55 दिनांक 10–11–81 ओर से निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर वास्ते दैनिक नवभारत टाइम्स, दिल्ली/दैनिक राजस्थान पत्रिका, जयपुर/दैनिक आधुनिक राजस्थान, अजमेर/दैनिक भारत भूमि, अजमेर एवं प्रतिलिपि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को ।

विषय—वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन हेतु ।

आपके दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र के संस्करण के अलग अंक में केवल एक बार या न्यूनतम स्थल में जो 18 से० मी० से कदापि अधिक नहीं होना चाहिये, सिंगल कालम में साधारण रूप से प्रकाशित किये जाने हेतु एक विज्ञापन संलग्न है ।

(329)

विज्ञापन बिल चार प्रतियों में पूरे पेज की सम्बन्धित कतरनों व दो पूरे अंकों सहित, निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के नाम से (बाहर लिफाफा अथवा पैकेट पर मोटे अक्षरों में "विज्ञापन शाखा" लिखा होना चाहिये, बनाये जाकर विज्ञापन के पश्चात् चार दिन के भीतर ही इस कार्यालय को भिजवा दिया जाना चाहिये।

सम्बन्धित अंक की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित विभाग को अवलोकनार्थ अवश्य भेज दी जावे।

इसका भुगतान डी०ए०वी०पी० की दर पर किया जावेगा।

संलग्न——विज्ञापन प्रति

ह०
कृते निदेशक,
जन सम्पर्क निदेशालय राज०, जयपुर

———

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

विवरण-पत्र

1. **मैसर्स वेस्टर्न इण्डियन स्टेटस मोटर्स, जयपुर** दर–36180–00

शर्तें :—(1) आदेश प्राप्ति दिनांक से वाहन की डिलीवरी (बाडी निर्माण सहित) 60 दिन में दी जावेगी। वाहन बाडी निर्माण हेतु जयपुर गोदाम में देना होगा एवं डिलेवरी भी जयपुर गोदाम से ही प्राप्त करनी होगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा। (3) दी गई दरें निविदाएं खोलने की दिनांक से 30 दिन की अवधि तक प्रभावी होगी एवं आपसी समझौते से यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

2. **मैसर्स यूनाईटेड मोटर्स आफ राजस्थान, जयपुर** दर–38100–00

शर्तें :—(1) आदेश प्राप्ति दिनांक से वाहन की डिलीवरी (बाडी निर्माण सहित) 45–60 दिन की अवधि में दी जावेगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर वापस सुपुर्द किया जावेगा। (3) निविदा खोलने की दिनांक से दी गई दरें 30 दिन की अवधि तक प्रभावी होंगी।

3. **मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर** दर–37850–00

शर्तें :—(1) आदेश प्राप्ति दिनांक से वाहन की डिलीवरी (बाडी निर्माण सहित) 60 दिन की अवधि में दी जावेगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान डी०डी० द्वारा देने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा। (3) निविदा खोलने की दिनांक से दी गई दरें 30 दिन की अवधि तक प्रभावी होंगी।

4. **मैसर्स रामेश्वर नारायण सोभानारायण, अजमेर** दर–33750–00

शर्तें :—(1) वाहन पर बाडी निर्माण हेतु दी गई दरें एक्स वर्क्स होंगी एवं 45 दिन की अवधि तक प्रभावी होगी। (2) वाहन पर बाडी निर्माण का निरीक्षण आदि विभाग द्वारा गोदाम पर ही किया जावेगा। (3) आदेश प्राप्ति दिनांक से वाहन

की डिलीवरी 3 माह की अवधि के अन्दर दी जावेगी। (4) 100 प्रतिशत भुगतान होने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा।

5. **मैसर्स सेठ इंजीनियरिंग वर्क्स, अजमेर** दर 39500-00

शर्तें :—फर्म ने बाडी निर्माण के सम्बन्ध में अपनी कोई निजी शर्त पृथक से नहीं रखी है। फर्म विभागीय शर्तों से पाबन्द है।

6. **मैसर्स मोहनलाल जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर** दर 29990-00

शर्तें :—(1) आदेश प्राप्ति दिनांक से वाहन की डिलेवरी 40 दिन की अवधि में दी जावेगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा।

7. **मैसर्स एस० एन० माथुर एण्ड कम्पनी, अजमेर** दर 29990-00

शर्तें :—(1) निविदा खोलने की दिनांक से दी गई दरें 30 दिन की अवधि तक प्रभावी होंगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त होने पर वाहन की डिलीवरी गोदाम पर दी जावेगी। (3) वाहन पर बाडी निर्माण का निरीक्षण आदि अजमेर गोदाम पर विभाग द्वारा किया जावेगा। (4) आदेश प्राप्ति दिनांक से दो माह की अवधि में वाहन सुपुर्द किया जावेगा।

8. **मैसर्स सांघी इन्जीनियर्स कम्पनी, जयपुर** दर 34890-00

शर्तें :—(1) आदेश प्राप्ति दिनांक से 45/60 दिन की अवधि में वाहन की डिलीवरी दी जावेगी। (2) 100 प्रतिशत भुगतान डी०डी० द्वारा करने पर वाहन की डिलीवरी गोदाम पर दी जावेगी। (3) निविदा खोलने की दिनांक से दी गई दरें 30 दिन की अवधि तक प्रभावी होंगी।

नोट:—यद्यपि प्राप्त आठ निविदाओं में से न्यूनतम दर मैसर्स एस०एन० माथुर एण्ड कम्पनी, अजमेर की रु० 29390-00 थी फिर भी यह दर गत वर्ष की दर से कुछ अधिक होने के कारण फर्म को दर में कमी करने

332

हेतु लिखने पर फर्म वाहन पर बाडी निर्माण का कार्य 28500-00 रुपये में करने पर सहमत हो गई है। इस निगोश्येटेड दर की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प० 18 (13) आयु०/80 दिनांक 27-2-82 द्वारा प्राप्त कर सम्बन्धित फर्म को इस निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ 1 (25) यो/81-82/3878 दिनांक 28-2-82 के द्वारा विभागीय वाहन पर बाडी निर्माण करने हेतु आदेश दिया गया। यह वाहन विभाग को (बाडी निर्माण सहित) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो जावेगा।

———

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 511 का प्रपत्र

विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की सूची 'प्रपत्र-क'

क्र.सं.	आवेदक का नाम	क्षेत्र	आवेदन पत्र की तिथि
1	2	3	4
1.	मैसर्स सरुपरिया एण्टरप्राइजेज	आगरिया	27-4-77
2.	श्री सोहनलाल-छोगालाल	बाण्डा	16-5-77
3.	„ हंसमुखलाल रायपुर	बाण्डा	„
4.	„ रमणलाल शर्मा-राजनगर	बल्ला छाछ का गुडा	31-[illegible]-77
5.	„ चन्द्र शेखर-कांकरोली	आगरिया	17-6-77
6.	श्रीमती उमा माहेश्वरी	आगरिया	2-7-77
7.	श्री नित्यानन्द जिंदल	बाण्डा	14-7-77
8.	श्रीमती उमा माहेश्वरी	आगरिया	19-7-77
9.	श्री कुंदनलाल दक	सपराव का गुडा	„
10.	„ लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल	आमेट	22-7-77
11.	„ मिनरल ओरियन्टल-फालना	आगरिया	23-7-77
12.	„ अब्दुल लतीफ-उदयपुर	पुरानी पर्वती	30-7-77
13.	„ सत्यनारायण माहरूम	आगरिया	11-8-77
14.	„ शफी मोहम्मद, राजनगर	भाकरोदा	12-8-77
15.	„ इलाक मोहम्मद-राजनगर	भाकरोदा	12-8-77
16.	„ ऊषा माहेश्वरी-आमेट	आगरिया	16-8-77
17.	„ मुमताज खां-राजनगर	„	„
18.	„ कायम खां-मकराना	„	„
19.	„ सत्यनारायण-मकराना	„	—
20.	„ मधु मारबल-उदयपुर	„	„
21.	„ किशनलाल-आमेट	कोटडी	18-8-77

1	2	3	4
22.	श्री शांतिलाल-आमेट	कोटडी	18-8-77
23.	,, मांगीलाल-सुमेरपुर	,,	,,
24.	,, ,,	पुरानी पर्वती	,,
25.	,, सरीफ मोहम्मद-राजनगर	भाकरोदा	,,
26	,, खुदाबक्श-राजनगर	,,	,,
27.	,, शंकरलाल-राजनगर	आगरिया	19-8-77
28.	,, इकरामुद्दीन-राजनगर	चतरपुरा	22-8-77
29.	,, कमरुदीन शाह-राजनगर	आगरिया	,,
30.	,, सरीफ मोहम्मद-राजनगर	चतरपुरा	,
31.	,, लतीफुद्दीन-राजनगर	आगरिया	,,
32.	,, देवेन्द्र कुमार-गंगापुर	आगरिया	,,
33.	,, अब्दुल रज्जाक-राजनगर	आगरिया	23-8-77
34.	,, अकबर मोहम्मद-राजनगर	आगरिया	,,
35.	,, अजीजुदीन-राजनगर	पार्वती	,,
36.	,, निजामुदीन-राजनगर	,,	,,
37.	,, बाबू खां-राजनगर	आगरिया	,,
38.	,, रमाकान्त-नाथद्वारा	,,	,,
39.	,, वजीर मोहम्मद-राजनगर	पार्वती	24-8-77
40.	,, शम्भूदास बैरागी-राजनगर	आगरिया	30-8-77
41.	,, रमणलाल शर्मा-राजनगर	कोटडी	,,
42.	,, सम्पतलाल शर्मा-देवगढ़	कोटडी	,,
43.	,, अल्ली मोहम्मद-राजनगर	पार्वती	31-8-77
44.	,, जगमोहन लाल खन्ना-बम्बई	आगरिया	2-9-77
45.	,, उदयलाल खत्री-राजनगर	पार्वती	7-9-77
46.	,, मांगीलाल सनवाड	चतरपुरा	,,
47.	,, दयाराम कुमावत-सनवाड	,	,,

1	2	3	4
48	श्री शेषमल—लावासरदारगढ़	लावा-सरदारगढ़	17-9-77
49.	,, भंवरलाल—राजसमंद	पर्वती	,,
50.	,, ,,	चतरपुरा	,,
51.	,, भंवरलाल बोल्या-कांकरोली	पर्वती	8-9-77
52.	,, रशीद मोहम्मद-राजनगर	,,	,,
53.	,, संजय गुप्ता-भीलवाड़ा	,,	,,
54.	,, देशबन्धु हिंगड-कांकरोली	आगरिया	9-9-77
55.	,, ,, ,,	प०पर्वती	,,
56.	,, बनेसिंह राजपूत-गोयला	,,	20-9-77
57.	,, भैरूंलाल-आमेट	,,	,,
58.	,, रमणलाल शर्मा-राजनगर	पार्वती	,
59.	,, किशनकुमार सिंघी	,,	21-9-77
60.	,, कैलाशचन्द-जयपुर	आगरिया	,,
61.	,, शंकरलाल गढ़बोर	आगरिया	23-9-77
62.	,, मोहनलाल जैन-बांगड	पर्वती	24-9-77
63.	,, रतनसिंह राजपूत	पर्वती	,,
64.	,, सुरेशनाथ मोदी	,,	,,
65.	,, रामचन्द्र लोहार	,,	,,
66.	,, जगमोहनलाल खन्ना-बम्बई	बम्बई	,,
67.	,, गजेन्द्र मेहता-बिगोद	पर्वती	26-9-77
68.	,, निर्मलकुमार-उदयपुर	कोटडी	,,
69.	,, ,, ,,	पर्वती	,,
70.	,, भंवरलाल जैन-आगरिया	आगरिया	27-9-77
71.	,, लेहरीलाल सुथार	आगरिया	,,
72.	,, भंवरलाल संघार-आगरिया	बल्ला-छाछ का गुडा	,,
73.	,,मती शारदा शर्मा-भीलवाड़ा	कोटडी	29-9-77
74.	,, बद्रीलाल शर्मा	पर्वती	,,

(336)

1	2	3	4
75.	श्री महेशचन्द लोढा-आमेट	आगरिया	29-9-77
76.	,, महेशचन्द लोढा-आमेट	आगरिया	,,
77.	,, मोईनुद्दीन सिलावट-राजनगर	आगरिया	,,
78.	,, मंजूर हुसैन-राजनगर	आगरिया	4-10-77
79-	,, अमीर मोहम्मद-उदयपुर	,,	,,
80.	,, राजस्थान मारबल मिनरल्स	पर्वती	5-10-74
81.	,, नरेन्द्र चन्द कछारा	,,	6-10-77
82.	,, हिमामुदीन-राजनगर	आगरिया	10-11-77
83.	,, रूपलाल चोरडिया	,,	11-10-77
84.	,, भगवतसिह राजपूत	,,	,,
85.	,, हीरालाल पारीक	,,	12-10-77
86.	,, द्वारकाप्रसाद पारीक	,,	,,
87.	,, मोहम्मद हब्बीब-राजनगर	,,	,,
88.	,, सज्जनसिह-आमेट	,,	,,
89.	,, कजोड़सिह-आमेट	कोटडी	14-10-77
90.	,, सवाईसिह राजपूत-आमेट	बाण्डा	,,
91.	,, चन्द्रसिह हिंगड-कांकरोली	आगरिया	15-10-77
92.	,, मदनसिह शक्तावत-मदारा	कोटडी	17-10-77
93.	,, रामचन्द्र मदारा	कोटटी	,,
94.	,, तखतसिह-करेडा	,,	,,
95.	,, हुकमराम शर्मा-आमेट	पर्वती	19-10-77
99,	,, विजयसिह सोलंकी-भीलवाड़ा	आगरिया	20-10-77
97.	,, आजाद मोहम्मद-राजनगर	सराव का गुडा	,,
98.	,, नानालाल खटीक-कूरज	चतरपुरा	,,
99.	,, सर्राफ मोहम्मद-राजनगर	,,	26-10-77
100.	,, अर्जुनसिह सनवाडा	आगरिया	28-10-77

1	2	3	4
101.	श्री सज्जनसिंह–बम्बई	आगरिया	28-10-77
102.	,, सपना मारबल–उदयपुर	पर्वती	31-10-77
103.	,, ,,	,,	1-11-77
104.	,, वासीराम भील–आगरिया	आगरिया	—
105.	,, लालूराम शर्मा–आगरिया	,,	2-11-77
106.	,, ,,	,,	—
107.	,, मणीशकर मेहता–उदयपुर	पर्वती	3-11-77
108.	,, रामलाल आगरिया	आगरिया	4-11-77
109.	,, चतरलाल पंचोली–कांकरोली	चतरपुरा	5-11-77
110.	,, रूपलाल चोरडिया–आगरिया	,,	7-11-77
111.	,, भैरुलाल दया	आगरिया	15-11-77
112.	,, ,,	,,	—
113.	,, मैसर्स : सपना मारबल उदयपुर	पर्वती	24-11-77
114.	,, इब्राहीम–चित्तौड़गढ	कोटडी	29-11-77
115.	,, रोशनलाल गांधी–आमेट	बल्ला छाछ का गुडा	30-11-77
116.	,, दिलदार खां–उदयपुर	,,	1-12-77
117.	,, मुमताज खां–उदयपुर	,,	—
118.	,, दामोदरलाल लावा, सरदारगढ	डिगरोल	—
119.	,, भूपेन्द्र सिंह पोरवाल	पर्वती	—
120.	,, ईसमाईलखां	,,	3-12-77
121.	,, बंसीलाल आमेट	,,	—
122.	,, मनालाल पारीक–आगरिया	आगरिया	—
123.	,, सज्जनसिंह बम्ब–आमेट	,,	5-12-77
124.	,, शान्तिलाल हिरण	,,	6-12-77
125.	,, भूरा चमार	चतरपुरा	8-12-77
126.	,, रूपलाल चोरडिया–आगरिया	आगरिया	9-12-77

Page No 337

(338)

1	2	3	4
127.	श्री आर०आई०एम०डी०सी०-जयपुर	आगरिया	12-12-77
128.	,, ,,	,,	—
129.	,, ,,	,,	—
130.	,, सुन्दरलाल पार्वती	पर्वती	—
131.	,, पारसमल चोरड़िया-आगरिया	आगरिया	17-12-77
132.	,, ,,	,,	—
133.	,, हंसराम केसोट	आगरिया	19-12-77
134.	,, किशनपुरी	,,	26-12-77
135.	,, छगनलाल-उदयपुर	आगरिया	—
136.	,, धनराज बैरागी-उदयपुर	पर्वती	—
137.	,, सोहनलाल स्वर्णकार	आगरिया	—
138.	,, इब्राहम चित्तोड़गढ	पर्वती	27-12-77
139.	,, सुमानसिंह	आगरिया	28-12 77
140.	,, ,,	,,	—
141.	,, शंकरलाल सुथार-आगरिया	,,	5-1-78
142.	,, निजामुद्दीन-आगरिया	पर्वती	10-1-78
143	" बृजमोहन-चित्तोड़गढ	,,	—
144.	" लक्ष्मीलाल-उदयपुर	बल्ला छाछ का गुडा	1-2-78
145.	" औंडला बारो एण्ड कम्पनी-कलकत्ता	,,	6-2-78
146.	" अर्जुनसिंह-सेरवडी	चतरपुरा	23-2-78
147.	,, ...	,,	—
148.	" नरेन्द्र कुमार-उदयपुर	बल्ला छाछ का गुडा	—
149.	" महेन्द्र कुमार-जयपुर	,,	13-3-78
150.	" सुरेशचन्द्र-उदयपुर	कोटडी	31-3-78
151.	चन्द्रेश कुमार माहेश्वरी	आगरिमा	22-4-78
152.	,, चन्दनमल-केलवा	केलवा	6-4-78

Page No 338

(339)

1	2	3	4
153.	श्री मैं० : ओरियन्टल—फालना	मोरचना	25-4-77
154.	,, चतरलाल बोहरा-केलवा	केलवा	9-5-77
155.	,, हगामोलाल-गोगुन्दा	केलवा	12-9-77
156.	,, रामसिंह नाडा	केलवा	—
157.	,, अल्लामोहम्मद-राजनगर	निजराना	12-9-77
158.	,, शंकरलाल धोबी-राजनगर	निजराना	—
159.	,, सत्येन्द्र कुमार बडोला-राजनगर	केलवा	14-9-77
160.	,, सुरेन्द्रनाथ-मकराना	केलवा	24-9-77
161.	श्रीमती शारदा शर्मा-भीलवाड़ा	केलवा	29-9-77
162.	श्री अमीर मोहम्मद	निजराना	4-10-77
163.	,, अशोक कुमार-उदयपुर	केलवा	—
164.	,, एस०को० सरायगी-कलकत्ता	,,	—
165.	,, मैं०: मिनरल ओरियन्टल-फालना	,,	—
166.	,, राज० मारबल एण्ड मिनरल	,,	5-10-77
167.	,, सिराजुदीन-उदयपुर	,,	—
168.	,, मोहम्मद सरीफ—उदयपुर	,,	—
169.	,, खलील मोहम्मद-उदयपुर	,,	—
170.	,, बसीरुदीन—राजनगर	,,	—
171.	,, सिराजुदीन—राजनगर	,,	—
172.	,, मोहम्मद रफीक—उदयपुर	,,	—
173.	,, अब्दुल करीम-उदयपुर	,,	—
174.	,, सईद हुसेन-उदयपुर	भगवान्दा	10-10-77
175.	,, धनपतचन्द-उदयपुर	केलवा	—
176.	जमालुदीन-उदयपुर	भगवान्दा	—
177.	,, चतरलाल-उदयपुर	निजरना	11-10-77
178.	,, धनपतचन्द्र-उदयपुर	आरना	12-10-77

Page No 339

340

1	2	3	4
179	श्री सत्यनारायण–बोराबड़	भरना	12–10–77
180.	,, अब्दुल लतीफ–उदयपुर	,,	—
181.	,, खेमराज–सनवाड़	,,	—
182.	,, रमणलाल–राजनगर	निजरना	—
183.	,, जगमोहनलाल खन्ना–बम्बई	भरना	—
184.	,, चन्द्रकांत–नाथद्वारा	निजरना	—
185.	,, चन्द्रसिंह–कांकरोली	केलवा	14–10–77
186.	,, ,,	निजरना	—
187.	,, ,,	,,	—
188.	एस०के० सरायगी–कलकत्ता	भरना	—
189	,, मिनरल ओरियन्टल–फालना	,,	—
190.	,, ,,	,,	—
191.	,, एस०के० सिंघवी–उदयपुर	,,	—
192.	,, देवेन्द्रसिंह सेठी–उदयपुर	,,	15–12–77
193.	,, मनमोहनसिंह अरोड़ा	,,	—
194.	,, नरेन्द्रसिंह मुरडिया–उदयपुर	,,	22–10–77
195.	,, जगमोहनलाल खन्ना बम्बई	तलाई	–
196.	,, ,,	केलवा	–
197.	,, अनिलकुमार राजसमन्द	निजरना	23–10–77
198.	,, शम्भुसिंह तलाई	तलाई	24–10–77
199.	,, ,,	,,	–
200.	,, रूपसिंह—मारवाड़-जंक्शन	,,	–
201.	,, रूपसिंह नि० मारवाड़ जंक्शन	तलाई	24–10–77
202.	,, मदनलाल माहेश्वरी–राजनगर	,,	28–10–77
203.	,, मिठालाल मदेरणा–राजनगर	केलवा	–
204.	,, शिवदानसिंह राजपूत–पसन्द	निजरना	–

1	2	3	4
205.	श्री विशम्भर पारीक-मीयदवास	भरना	–
206.	" विशम्भर पारीक-मायडवास	केलवा	–
207.	" जमुना ग्रेनाईट कम्पनी-बम्बई	तलाई	–
208.	" " "	भरना	–
209.	" " "	केलवा	–
210.	" घासी खां-चित्तौड़गढ	केलवा	29-10-77
211.	" मोहम्मद शफी-चित्तौड़गढ	तलाई	–
212.	" बिनिद अली-चित्तौड़गढ	"	–
213.	" सोहनलाल जैन-भीलवाड़ा	केलवा	31-10-77
214.	" भैरुसिंह राठौड़-उदयपुर	केलवा	"
215.	" हमीद खां-चित्तौड़गढ	तलाई	1-11-77
216.	" शहीद अहमद-उदयपुर	केलवा	"
217.	" मुमताज खां-राजनगर	"	"
218.	" मदनमोहन-उदयपुर	भरना	3-11-77
219.	" देशबन्धु-हिंगड़	केलवा	"
220.	" देशबन्धु-हिंगड-कांकरोली	"	"
221.	" गहरीलाल बोहरा-केलवा	"	5-11-77
222.	" हिमालय मार्बल इन्डस्ट्रीज-उदयपुर	मिजरना	"
223.	" दरीयावसिंह कर्नावट-राजनगर	"	"
224.	" "	"	"
225.	" मोहम्मद शरीफ-उदयपुर	तलाई	8-11-77
226.	" बशीरुदीन-राजनगर	"	"
227.	" लक्की मार्बल एण्ड स्टोन ई०	केलवा	"
228.	" भंवरलाल बैल्या-कांकरोली	निजरना	9-11-77
229.	कजोड़लाल पांचरना-कांकरोली	सापोन	14-11-77
230.	" दरियावसिंह कर्नावट-राजनगर	तलाई	15-11-77

1	2	3	4
231.	श्री हरिसिंह चदेरिया	तलाई	17-11-77
232.	" "	,,	,,
233.	., सत्य नारायण-आगरिया	,,	,,
234.	– –	,,	,,
235.	" ओमसिंह कांकरोली	,,	,,
236.	.. बाबूलाल गोरव	सापोल	..
237.	.. एपलिग. राजनगर	..	..
238.	.. मोहनसिंह-उदयपुर	तलाई	21-11-77
239.	.. निजामुद्दीन-राजनगर	सेलवा	23-11-77
240.	.. .. ..	.	..
241.	श्री दरियावसिंह-राजनगर	तलाई	5-12-77
242.	" दरियावसिंह-करनावट, उदयपुर	,,	,,
243.	" हंसराज केसोट, उदयपुर	,,	23-12-77
244.	" विजयकुमार, जयपुर	केसवा	28-12-77
245.	" मनमोहनलाल खन्ना, बम्बई	,,	31-12-77
246.	,, बिहारीलाल जोशी, जयपुर	,,	6-1-78
247.	,, मनोहरसिंह, अजमेर	,,	13-2-78
248.	,, महेन्द्रकुमार, उदयपुर	निजरना	23-2-78
249.	,, श्रीमती कुसुमकुमारी मलबाया	,,	,,
250.	,, हिन्दरराज मारवाल इन्ड०	कलवा	28-12-77
251.	श्री शंकरलाल, रामनगर	शोरिया	7-9-77
252.	,, श्रीमती सरबती खेतान, उदयपुर	थोरिया	15-9-77
253.	,, लक्ष्मीसिंह, थोरिया	,,	27-9-77
254.	,, मुयशाव खां, राजनगर	,,	4-10-77
255.	,, अमीनुदीन सहीगर, रामनगर	,,	,,
256.	,, सत्येन्द्रकुमार बडोला, वननगर	सथा या गुढ़ा	10-10-77

Page No 342

(348)

1	2	3	4
257.	श्री चम्पालाल बोराय	साथोल	"
258.	" बन्शीलाल डेगाना	"	"
259.	" कासिम अली, मकवाना	"	"
260.	" शिवजी मेघवाल	लेवा का गुढ़ा	"
261.	" नबाब अली, बोरायड	साथोल	"
262.	" दयालराम चावड़िया	"	"
263.	" श्याम सुन्दर, प्रहीयश	"	"
264.	" भवरलाल माली, राजनगर	"	12-10-77
265.	" जगमोहन, बम्बई	"	"
266.	" रमाकांत, नाथद्वारा	"	"
267.	" सत्यनारायण जीतगढ़	सेथा का गुढ़ा	10-10-77
268.	" विजयसिह उदयपुर	साथोल	14-10-77
269.	" एस० के० सिघवी, उदयपुर	"	"
270.	" गजादेवेन्द्रसिंह, सेठी, उदयपुर	"	15-1077
271.	" सी० के० गुप्ता, भीलवाड़ा	"	18-10-77
272.	" सेडे खां, राजनगर	"	19-10-77
273.	" शांतीलाल लड्डा राजनगर	"	20-10-77
274.	" शशिकुमार, उदयपुर	"	22-10-77
275.	" महेन्द्रसिह, उदयपुर	"	"
276.	" हरलालसिह, उदयपुर	"	29-10-77
277.	" देवेन्द्रसिह सेठी, उदयपुर	"	"
278.	" मनमोहनसिह, उदयपुर	"	"
279.	" रघुवीरसिह, भीलवाड़ा	"	28-10-77
280	" अमिदा ग्रेनाईट, बम्बई	लेथा का गुड़ा	"
281.	" शमशेर अली, चित्तौड़	साथोल	29-20-77

1	2	3	4
282.	श्री अब्दुल जफर, चित्तौड़	सापोल	29-10-77
283.	" देवसिंह राठौड़, उदयपुर	"	31-10-77
284.	" मदुमा यादव, उदयपुर	थोरिया	1-11-77
285.	" अलीमोहम्मद, राजनगर	साथोल	2-11-77
286.	" अनीलकुमार बडोला, राजनगर	थोरिया	3-11-77
287.	" डालचन्द्र जैन, गाठा	"	4-11-77

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 के संदर्भ में:—

1	2	3	4
288.	श्री भूरा माली, राजनगर	सापोल	5-11-77
289.	" सुमभानसिंह, निवास सेवाली	थोरिया	"
290.	" भगवतीलाल, राजनगर	निजरना	12-10-77
291.	" शिवजीराम "	सापोल	14-11-77
292.	" मोईनुदीन, राजनगर	घूणी की भागल	15-11-77
293.	" मीठालाल मदापरेचा	"	"
294.	" अर्जुनसिंह कांकरोली	सापोल	17-11-77
295.	" चन्द्रप्रकाश चौधरी	"	6-12-77
296.	" मेरुदास उदयपुर	"	26-12-77
297.	" " "	"	30-12-77
298.	" दीपचन्द जयपुर	"	6-1-78
299.	" देवीसिंह मेहतर, उदयपुर	माण्डर का गुडा	30-8-77
300	" रामावतार, उदयपुर	माली सोडा	17-12-77
301.	" रामावतार खेतान, उदयपुर	"	17-12-77
302.	" " "	"	"
303.	" दिलीपकुमार अग्रवाल, उदयपुर	"	23-12-77
304.	" दिलीपकुमार, उदयपुर	"	"
305.	" भंवरलाल जोशी, पसूद	केवला-ऊमठी	7-8-78
307.	" रतनलाल जोशी "	"	"

Page No 344

1	2	3	4
307.	श्री नजीर हुसेन शाह, राजनगर	केवला	23-8-78
308.	" नरेन्द्रकुमार चौधरी, उदयपुर	आगरिया	"
309.	" राजेन्द्रसिंह सिसोदिया, उदयपुर	तलाई	"
310.	" ओमप्रकाश शर्मा, आगरिया	"	28-9-78
311.	" हरिराम सुथार, राजनगर	"	"
312.	" रोशनलाल जैन आमेट	कोटडी	5-10-78
313.	" मोईनुदीन सिलावट, राजनगर	आगरिया	26-10-78
314.	" अजीजुदीन कुडोगर, राजनगर	केवला	28-10-78
315.	" " "	"	"
316.	" भीमसिंह राजपूत, पसंद	कोटडी	3-11-78
317.	श्रीमती माया जैन, लालगढ़	आगरिया	1-12-78
318.	श्री गिरीराज लड्ढा, राजनगर	चतरपुरा	19-12-78
319.	" नरेन्द्रकुमार चौधरी, उदयपुर	आमेट	23-12-78
320.	" मीठालाल भादेरचा, राजनगर	केलवा	30-12-78
321.	" सुरेशचन्द्र गुप्ता, भीलवाडा	ओडन	30-12-78
322.	" ऊमाराम चौधरी, वेडल	आगरिया	12-1-79
323.	,, शांतीलाल हिरन, खाखरमाल	,,	6-1-79
324.	,, अशोककुमार सिंघवी, उदयपुर	,,	12-1-79
325.	,, सुरेन्द्रकुमार, कलकत्ता	,,	,,
326.	. अहमद हुसेन, राजनगर	केलवा	15-1-79
327.	सहनुद्दीन, राजनगर	,	,,
328.	,, मोईनुद्दीन सिलावट,राजनगर	आगरिया	,,
329.	,, मिनरल ओरियन्टल लि० परलना	परना	,,

Page No 345

346

1	2	3	4
329.	श्री मिनरल ओरियेंटा	अरना	15-1-79
330.	,, सुरेन्द्रकुमार सरावगी, कलकत्ता	निजरना	,,
331.	,, अशोककुमार सिंघवी, उदयपुर	,,	,,
332.	,, मिनरल ओरियन्टल लि० पालना	केलवा	,,
333.	,, मारबल मिनरल कोरपोरेशन,	लोसिंग	18-1-79
334.	,, शंकरलाल मित्तल, उदयपुर	आगरिया	23-1-79
335.	,, भंवरलाल जोशी, पसूंद	पार्वती	,,
336.	,, मिठ्ठालाल हिंगन, खाचरमाला	बागरिया	11-1-79
337.	,, आजाद मोहम्मद, राजनगर	केलवा	29-1-79
338.	,, घनश्याम चन्द्र पटवा, जोधपुर	आगरिया	5-2-79
339.	,, सुरेन्द्रकुमार श्रीमान, उदयपुर	कोटडी	5-2-79
340.	,, गणेशदत्त, उदयपुर	झालोका गुडा	27-2-79
341.	,, गणेश दत्त, उदयपुर	,,	,,
342.	Shri Laxman Singh, Kelwa	Kelwa	30-5-79
343.	Shri Hari Singh Rathore, Kelwa	"	30-5-79
344.	Shri Yakub Ali, Bombay	Nijrena	6-7-79
345.	Shri Yakub Ali, Bombay	Kelwa	6-7-79
346.	Shri Yakub Ali, Bombay	Nijrana	6-7-79
347.	Smt. Sadhna Meena, Udaipur	Sapon	31-7-79
348.	Shri Sarif Mohammed, Rajnagar	Kelwa	13-9-79
349.	Shri Safi Mohammed, Rajnagar	"	13-9-79
340.	Shri Dharam Chand Jain, Udaipur	Agaria	7-9-79
351.	Shri Dharam Chand Jain, Udaipur	Sapol	10-9-79

Page No 346

(392)

1	2	3	4
352.	Shri Meetha Lal Heoran, Sawarmala	Agaria	11-10-79
353.	Shri Kailash Chand Maheshwari,	Talai	19-10-79
354.	Shri Om Prakash Suthar, Agaria	Agaria	23-10-79
355.	Shri Kazod Kumar, Agaria	,,	25-10-79
356.	Bhim Singh Ashya, Pasun	Kotri	24-8-79 app.
357.	Shri Tola Ram, Tasol	Khabmala	10-9-79 app.

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 513 की सूची

राजस्थान राज्य खनिज विकासनिगम द्वारा खनन किये जा रहे खनिजों की सूची

क्रम सं.	खनिजों की सूची	स्थान
1.	फूलोसपार	मांडों की पाल, डूंगरपुर किशरा, जालौर
2.	शक-एनस्पेन्ट	करवारिया का गुड़ा, डाकन कोटड़ा, नानपुर बड़गाव
3.	टंगस्टन	डेगाना, नागोर
4.	लाईमस्टोन	गोटन, नागोर
5.	ग्रेनाईट	टामटिया, बासवाड़ा
6.	जिप्सम	गोट मंगलोव, मदवासी, मकोड़ी, थकोड़ी जीवन बेड़ा, जिला नागोर गांगरिया, बाड़मेर बज्जु, बीकानेर पल्लू, गंगानगर
7.	बेन्टानाईट	आकली, बाड़मेर
8.	सिलिसियस अर्थ	सजित, जैसलमेर
9.	स्लेट स्टोन	मांडन, अलवर
10.	ग्रेनाईट	कालकाजी, कालाचाटा, जालौर बीदीयात, मकराना के पास, नागौर
11.	केओलिन	करबारिया का गुढ़ा उदयपुर

(349)

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 515 की सूची

A REPORT ON THE SEARCH FOR DIAMOND IN VINDHYANS OF JHALAWAR AND KOTA DISTT., RAJASTHAN

Amongst the universal manifestation of nature, diamonds represent some of perfaction in the inrganic field. A large, beautiful, perfactly crystalline, flawless, lustrous diamond can hardly be matched by any substance in nature. Apart from Jewellary diamond commands respect from the field of modern technology and industry, without diamond, the cutting, drilling, polishing act industries would have been several folds back work, perhaps it is unique as perfact gem and as industrial Key.

Diamonds are found in Panna district of M. P. in Kimberlite disteemes as well as in the gravels and the conglemerates of the Vindhyan age. It is believed by some Geologist' that the flow direction during Vindhyas period was easterly. But upto this time no occurance have been reported from the western part of this huge Vindhyan succession.

Vindhyan exposures are plentiful in the Kota and Jhalawar district. During the filed session 1978-79 systematic search was done for finding diamond occurances in this part of Rajasthan.

Reconnsissence in an area of 210 Sq. Kms. starting from Aklera (76 + 24' - 24 + 24') in the south east upto Dara (75 + 66' = 20 + 50') in north west was done. The area covered during the reconnaissance is marked on the shest appended as plate No. 1

The present work indicates that the Conglemerate beds with which the diamonds are associated in Panna seems to be mining in this part of Rajasthan.

350

LOCATION :-

The area covered under reconnaissance fall on toposhest No. 54 D/NW, D/SW, and O/SE. The town Aklers (76 + 24' - 24 + 24') is located on Kuta-Bhopal State highway and the area covered under reconnaissance falls due north-west of Aklera and runs almost parallel to this highway upto Darrah.

Darrah is a railway station and falls on Kota-Ratlam section of the Broad Gauge running between Delhi-Bombay.

GEOMQRPHOLOGY :—

Geomorphologically, the terrein is constituted by lineer strike fidges made of sedimentary rocks, trending mainly NWSE.

The inter vaining valleys are formed by the arosion of shales, whereas plains and lineaP ridges are constituted by Vindhyan Sandstones of different periods. Inverveining valleys are occupied by Deccan Trap flows at various places. The drainage in this area is Controlled by joints and strike of the formations.

PREVIOUS LITERATURE :--

It has been mentioned by the previous workers for Panna Diamond deposits "The occurance of a local lenti formal deposit of diamond bearing conglemerate within a small area in Panna district at the base of Rewa series, below the Jhiri shale on the boarder of Bundel Khand granite is the most significant feature of the Rawa series. Not more than 70 cms. thickness this conglomerate is made up of pebbles of vein quartz, jasper and green quartzite set in the sandy and clayey matrix in which diamonds occur as granules and grains."

The generalized diamond succession of Panna is as under :-

Bhander series : Ganugarh Shales.

Diamond bearing conglomerates

(357)

	Upper Rewa sand stone.
Upper/Rawa series.	Jhiri shales.
Vindhyans	Lower Rewa sandstone
	Panna shales.
	Diamond bearing conglomerate.
	Kaimur series. Kaimur sandstone.

As such diamond bearing conglomerate horzon remains at the top of Rewa sandstone and Kaimur sandstone.

GEOLOGY :—

The geology of the area covered under reconnaissance is constituted by vindhyan group of rocks with trap flows occupying the valleys formed by erosion of shales at places. The Geological succession worked out in the area is as under :

Recent	Kanker, soil etc.
Plaeocene	Deccan Trap.
Vindhyana Upper	Lower Bhander sand tone
Vindhyans	Ganugarh shales.
	Rewa sandstons
	Rewa shales.
	Kaimur sandstone
Lower	Suket shales and limestone
Vihdhyans	jhalrap tan s ndstone.
	Basemnte not exp ed.

The Vindhyan succession of the area form a well defined belt of andstone and shales with general strike NW-SE and dip direction due north east. The amount of dip is varying from almost flat to as high as 700. The Jhalarapatan sandstone wihch is the oldest formation exposed in the area is dipping very gently, whereas Rewa

& Kaimur series show steep dip. The youngest formation Bhandar sandstone is again horizentaly placed.

ECONOMICS OF THE AREA : The Diamond sequence of Panna is as under :–

Upper Vindhyans.	Bhander Series.	**Ganugarh shales**
		Diamond bearing conglomerates.
	Rewa Series	Upper Rewa sandstone.
		Jhiri shales.
		Lower Rewa sandstone.
		Panna shales.
		Diamond bearing conglomerate.
	Kaimur series	Kaimur sandstone.

As such the diamond bearing horizon in Panna remains at the top of Rewa and Kaimur sandstone as marked unconfirmity. A wide spread search was made. At places little excavation was also done, but at no place the conglomerate horizon was found. It is to be mentioned that since both these contacts are with shale which on erosion have given rise to valleys which are filled with thick alluvium or Kanward, as such only at few places these, contacts could be seen.

The sandstone of Bhander and Jhalrapatan is store house of slab stone and masonary stone, as such if systematic search is made a number of sand stone (Slab stone) areas will come up. This will need detailed work connecting the different quarries, their R. L. Calculation, so that all areas are connected with each other. After this work, a wide spread field of slab stone my come up.

परिशिष्ट १७

अतारांकित प्रश्न संख्या 516 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 (जनवरी तक) स्वीकृत ऋणों की सूची

क्रमांक	फैक्ट्री का नाम एवं पता	मालिक/भागीदारों	उद्योग का प्रकार	स्वीकृत राशि	उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष	अनु.जा./जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स वर्धमान इण्डस्ट्रीज, 59-ए औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री प्रकाशचन्द गोयल पुत्र श्री चन्दगीराम	दाल मिल	81,000/-	600 मै. टन	—
2.	मै० मोलानी डाइंग वर्क्स, 96-ए औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर।	श्री नत्थू छीपा पुत्र श्री रहीम बक्श	प्रिन्टिग एवं डाइंग	1,28,000/-	600000 मै. टन	—
3.	मै० मधुसूदन इन्जी. वर्क्स, नत्थूसर गेट के बाहर, दामानी चौक, बीकानेर।	श्री लक्ष्मणदास व्यास पुत्र श्री बी. डी. व्यास	नट बोल्ट्स	1,55,000/-	4800 थेले	—
4.	मै० सीता ट्रेडिंग कम्पनी, 82-बी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री गिरीशचन्द दाधीच पुत्र श्री एस०एन०दाधीच	बिस्किट्स	1,90,000/-	54000 कि. ग्रा.	—

354

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० पूरणमल सत्यनारायण इण्ड० स्टेशन रोड़, नापासर, बीकानेर	श्री लक्ष्मीनारायण मूंदड़ा पुत्र श्री पूरण मल	टैक्सटाइल केनवास	2,00,000/-	96000 मै. टन	—
6.	मै० तुलसी ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल दामानी चौक, बीकानेर।	श्री विष्णु व्यास, पुत्र श्री वी. डी. व्यास	ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल	24,000/-	जाव वर्क	—
7.	मै० मित्तल स्टूडियो, रानीबाजार, बीकानेर।	श्री सीताराम मित्तल पुत्र श्री सुधीरचन्द्र मित्तल	फोटो स्टेट	16,000/-	जाव वर्क 36,000 प्रतियां	— —
8.	मोहन वैल्डिग इण्डस्ट्रीज, स्टेशन रोड, नापासर	श्री भंवरलाल सुथार पुत्र श्री गंगाराम	वैल्डिग वर्क्स	25,000/-	वर्क शाप 3,00000 रु.	—
9.	मै० शांति केमिकल्स, ग्रौद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री ब्रम्हदत्त ग्ररोड़ा, पुत्र श्री लक्ष्मीनारण	साबुन	12,000/-	60000 कि.ग्रा.	--
10,	मै० करणा कारपेट्स, बस स्टेण्ड के पीछे नापासर।	श्री कमल कंवर पत्नी श्री हनुमान सिंह	कारपेट्स	21,000/-	5000 स्क.फी.	--
11,	मै० झांझरा इण्डस्ट्रीज, 74, वी ग्रौद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।	श्री नन्द किशोर झांझर पुत्र श्री धनराज	प्लास्टर ग्राफ पेरिस	[illegible]0,000/-	1800 म.टन.	--

1	2	3	4	5	6	7
12,	मैं० कृष्णा गृह, श्री कोलायतजी, बीकानेर ।	श्री चरण सिंह पुत्र श्री रामसिंह	वुलन होजरी	13,000/-	9000 रुपये	—
13,	मैं० राजस्थान टिम्बर इण्ड० हा. सै. स्कूल के सामने, बीकानेर ।	श्री शिवदयाल ग्रासोपा पुत्र श्री गोपीकिशन ग्रासोपा	पी.वी.सी. पाइप	92,000/-	6,96000 ग्रार.एफ.टी.	—
14,	मैं0 राजस्थान प्रिन्टर्स, रानी बाजार, बीकानेर	श्री कौशल कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुधीर चन्द्र	प्रिन्टर्स	62,000/-	40000 रुपये	—
15,	मैं० लीलाधर ग्रशोक कुमार गोपेश्वर बस्ती, बीकानेर	श्री राधेश्याम ग्रग्रवाल पुत्र श्री लीलाधर	बेकरी	40,000/-	6,00000 पैकेट	—
16,	मैं० हनुमान ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल, मेन बाजार, लूणकरणसर ।	श्री हनुमान मल भूरा पुत्र श्री ईश्वर चन्द भूरा	ग्रायल एण्ड फ्लोर	50,000/-	20000 रुपये	—
17,	मैं० गहलोत फ्लोर मिल, रायसर, बीकानेर		फ्लोर मिल	15,000/-	जाब वर्क, 10000 रु0	—
18,	मैं० सेठिया स्वीट प्रोडक्ट्स गंगासर, बीकानेर	श्री उत्तम चन्द सेठिया पुत्र श्री हुकम चन्द सेठिया	स्वीट केनिंग	35,000/-	1, [illegible]0000 टिन	—

1	2	3	4	5	6	7
19,	मैं० अरोड़ा फ्लोर एण्ड जनरल मिल, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री सुभाष चन्द अरोड़ा श्री बनवारी लाल	फ्लोर मिल	10,000/–	जाव वर्क, 10000 रु०	—
20,	मैं० चौधरी रेपिट इण्ड०, बीनासुर, बीकानेर	श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री कालेराम	नट्स एण्ड वोल्ट	1,00,000/–	5,000 थेले बोल्ट 1000 रुले रिपिट	—
21,	मैं० गौरी कैमिकल इण्ड० रानी बाजार, बीकानेर	श्री हुकम सिंह पुत्र श्री कैलाश नाथ	टेबिल केण्डल	11,000/–		—
22,	मैं० आदर्श टेक्सटाइल गजनेर रोड़, बीकानेर	श्री मूलचन्द सोनावत पुत्र श्री ताराचन्द	कारपेट यार्न	2,00,000/–	100 मोटर	—
23,	मैं० रंजीत मारबल इण्ड० औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री शिखर चन्द पुत्र श्री सूरजाराम माली	मारबल कटिंग	25,000/–	96000 स्क फीट	—
24,	मैं० कण्डारा आयल मिल, उदयारामसर बीकानेर	श्री यासीन मोहम्मद पुत्र श्री नूर मोहम्मद	आयल एण्ड फ्लोर	20,000/–	12000 रुपये	—
25,	मैं० इण्डिया मेटल वर्क्स, 5–बी, औ0 क्षेत्र, बीकानेर	श्री कानसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	अल्यूमिनियम यूटिन्सल	95,000/–	108/एम/टी.	—

356

Page No 356

(357)

1	2	3	4	5	6	7
26,	मै० अशोका फोटो स्टेट, गजनेर रोड, बीकानेर	श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल	फोटो स्टेट	15,000/-	जाब वर्क, 36000 प्रतियां	—
27,	मै0 कन्हैया वेल्डिंग वर्क्स, नई लाईन गंगाशहर।	श्री कन्हैया लाल पाली पुत्र श्री बुलाकीराम	वैल्डिंग एवं मशीनिंग	24,000/-	वर्क शाप	—
28,	मै० जे. एल, केमिकल इण्ड0 उदासर बीकानेर	श्री खुमान चन्द गुगलिया पुत्र श्री गोवर्धनदास	मिनरल	1,10.000/-	15600 मै टन	15,6000 मै. टन
29.	मै० आनन्द प्लास्टिक इण्ड0 रानी बाजार, बीकानेर	श्री पूर्णानन्द कोड़ा पुत्र श्री राजकुमार कोड़ा	प्लास्टिक	22,000/-	21600 दर्जन खिलौने	—
30.	मै० विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज बीकानेर, नोखा	श्री गोवर्धनराम पुत्र श्री लादूराम	मशीनिंग एण्ड वैल्डिंग	11,000/-	वर्क शाप 36000 रु.	—
31.	मै0 श्री नारायण लेबोरेट्रीज,, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	वैद्य गोविन्दनारायण पुत्र श्री नारायण शर्मा	आयुर्वेदिक फार्मेसी	1,95,000/-	60000 रुपये	—
32.	मै० नार्थ इण्डिया केबल्स, जोरावरपुर नोखा	श्री घनश्याम भंवर श्री सत्यनारायण भंवर	केबिल	25.000/-	5000 मै.टन	—

1	2	3	4	5	6	7
33.	मै० पारस ग्रायल मिल सेठिया मोहल्ला, बीकानेर	श्री पारसमल सेठिया पुत्र श्री दुलीचन्द सेठिया	ग्रायल मिल	25,000/-	जाब वर्क	–
34.	मै० मुरली ग्रायल एण्ड ग्राइस फैक्ट्री, सदर बाजार, कोलायतजी बीकानेर	श्री हरदयाल तंवर पुत्र श्री रामनारायण तंवर	ग्राइस	22,000/-	36,0 0/- रुपये	–
35.	मै० नर्मदा पेकरल, कलावती भवन, बीकानेर	श्री ग्रश्वनीकुमार ग्ररोड़ा पुत्र श्री रामनारायण	पेपर बाक्स	15,000/-	72,000 नग	–
36.	मै० जी. जी. ब्रिक्स, चन्दासर, बीकानेर	श्री ग्रश्वनीकुमार घई पुत्र श्री पुरुषोत्तमलाल	ब्रिक्स	24,000/-		–
37.	मै० करणी फ्लोर मिल, वार्ड नं. 4 देशनोक	श्री मोहनलाल शाद पुत्र श्री हीरालाल शाद	फ्लोर	25,000/-	जाब वर्क 10,000 रु.	–
38.	मै० भारत ग्रायरन वर्क्स, शहरी कोतवाली के सामने, बीकानेर	श्री मोहम्मद गोरी पुत्र श्री नजीर मोहम्मद गोरी	साइकिल स्टैण्ड	14,000/-	वर्कशाप/15000 नग	–

1	2	3	4	5	6	7
39.	मै० उत्थान प्रिन्टर्स, माल गोदाम के पास, बीकानेर	1. श्री दिनेश महर्षि पुत्र श्री गणेशलाल 2, श्रीमती सावत्री महर्षि पत्नी श्री रमेश महर्षि	प्रिंटिंग	15,000/–	18000 प्रिन्टर्स	–
40.	मै० जगदम्बा टाइल इण्ड०, हरिजन बस्ती, नोखा	श्री दीपचन्द बरड़िया पुत्र श्री जेठमल बरड़िया	टाइल्स	25,000/–	18000 प्रिन्टर्स 100000 नग	– –
41.	मै० सुरेन्द्र इन्जी० वर्क्स, गजनेर रोड, बीकानेर	श्री सुरेन्द्रकुमार जोशी पुत्र श्री हरगोपाल जोशी	वर्क शाप	25,000/–	वर्क शाप 36000 रु०	–
42.	मै० लाखेरा हैण्डलूम टैक्सटाइल, उदयसर, बीकानेर	श्री पूर्णाराम पुत्र श्री भूलाराम	हैण्डलूम क्लॉथ	13,000/–	50000 रुपये	अ. जाति
43.	मै० अशोक फ्लोर मिल, आचार्यों का चौक, बीकानेर	श्री अशोककुमार आचार्य पुत्र श्री देवकिशन आचार्य	फ्लोर मिल	12,000/–	जाव वर्क 10000 रुपये	–
44.	मै० पावू आयल एण्ड फ्लोर मिल, ग्रा० पो० झज्झू, बीकानेर	श्री खेराजाराम पुत्र श्री सगराराम	फ्लोर मिल	15,000/–	जाव वर्क	अ. जाति
45.	मै० जगदम्बा फ्लोर मिल नागणेशजी रोड, बीकानेर	श्रीमती जसवन्त कंवर पत्नी श्री रूपसिंह	फ्लोर लिल	10,000/–	जाव वर्क 12000 रुपये	

1	2	3	4	5	6	7
46.	मै० विश्वकर्मा प्लास्टर एण्ड स्टोन इण्ड० नोखा, सुजानगढ़ रोड़, नोखा, बीकानेर	1. श्री गोकुलराम पुत्र श्री किशनाराम 2. श्री नृसिंहराम पुत्र श्री किशनाराम	प्लास्टर एण्ड लाइम स्टोन	25,000/-	750 मै० टन	–
47.	मै० जैन सपलायर्स, जैल रोड़, बीकानेर	श्री विजयचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन	स्टीलफर्नीचर	24,000/-	48 अलमारियां 200 कुर्सियां	–
48.	मै० चित्रा आइल फैक्ट्री एण्ड् कोल्ड स्टोरेज, बीनासर, बीकानेर	श्री मती चित्रलेखा जैन पत्नी श्री पूर्णचन्द कांकरिया 2. श्री पूर्णचन्द कांकरिया पुत्र श्री तोलाराम कांकरिया	आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	1,08,000/-	2000 मं. टन	–
49.	मै० ओरियन्टल परशियन कारपेट ग्रा. पो. नापासर	श्री श्यामसुन्दर कपूर पुत्र श्री नन्द प्रकाश	कारपेट	4,65,000/-	84000 व. फी.	–
50.	मै० दुर्गा काटन इण्डस्ट्रीज, नोखा, बीकानेर	श्री हनुमानमल तापड़िया पुत्र श्री अग्रचन्द तापड़िया	सर्जिकल काटन	3,50,000/-	120 मं. ट.	–
51.	मै० जुगलकिशोर ग्रम इण्ड० 28–औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री राम पुत्र श्री जुगलकिशोर	ग्वारगम	5,07,000/-	9000 मं. ट.	–

1	2	3	4	5	6	7
52.	मैं० चाण्डक गम एण्ड केमिकल एण्ड. नौखा. बीकानेर	श्री देवकिशन चाण्डक पुत्र श्री घनश्याम चाण्डक	ग्वारगम	12,40,000/–	10000 म. ट.	–
53.	मैं. रुरल स्पन पाइप फैक्ट्री स्टेशन रोड़. नापासर	श्री गोपाल मूदड़ा पुत्र श्री गोविन्दराम मूदड़ा	ड्यूब पाइप	4,00,000/–	सी. एफ. टी.	–
54.	मैं. डूडी गम एण्ड दाल इण्ड. ग्रा. पो. बीकासर, (नोखा)	श्री जेठाराम डूडी पुत्र श्रीभूराराम डूडी	गम एण्ड दाल	4,30,000/–	6000 म. ट.	–
55.	मैं. मोहिनी केमिकल एण्ड मिनरल इण्ड. 3–ए औ. क्षेत्र, बीकानेर	श्री सांवरमल पुत्र श्री रामकिशनदास अग्रवाल	कारपेट यार्न	4,00 000/–	180 म. ट.	–
56.	मैं. कमल कारपेट्स, 81 औ. क्षेत्र, बीकानेर	श्री शांतिलाल बोथरा पुत्र श्री इन्द्रचन्द्र बोथरा	कारपेट यार्न	5,90,000/–	405 म. ट.	–
57.	मैं. दुर्गा गम एण्ड ग्वार फैक्ट्री, ग्रा. पोस्ट मोहनपुरा, नोखा	श्री दुर्गा दत्त भट्ड़ पुत्र श्री परिदान भट्ड़	गम ग्वार	7,25,000/–	9500 म. ट.	–
58.	मैं. लक्ष्मी आइल एण्ड आइस मिल, एफ–528 लूणकरणसर	श्री दीनदयाल लाखोटिया पुत्र श्री हीरालाल	आइस एण्ड आयल	3,75 000/–	10500 टन	–

362

1	2	3	4	5	6	7
59·	मै. किशन गम इण्डस्ट्रीज. बीकासर नोखा	श्री निवास झंवर पुत्र श्री रामचन्द्र झंवर	गम	4,35,000/-	6000 मै. ट.	–
60	मै. कश्मीरीलाल नागपाल के. ई. एम. रोड़. बीकानेर	श्री कश्मीरीलाल पुत्र श्री हरदवारीलाल	ट्रक	1,52,000/-	ट्रक	–
61.	मै. नोखा केबिल इण्ड. बीकानेर रोड़. नोखा	श्री बाबूलाल चाण्डक पुत्र श्री धनराज चाण्डक	केबिल	2,64,000/-	108000 कि. ग्रा.	–
62	मै. दुर्गाराम कमला कालोनी, बीकानेर	श्री दुर्गाराम पुत्र श्री पाबूराम	ट्रक	1,28,000/-	ट्रक	–
63.	मै. प्रभूदयाल दुठी, दुठी पेट्रोल पम्प, बीकानेर	श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रुगाराम दुठी	ट्रक	1,28,000/-	ट्रक	–
64.	मै. प्रमोद. गम इन्डस्ट्रीज 105-106 श्री. क्षेत्र. बीकानेर	श्री नरेन्द्रकुमार शर्मा पुत्र श्री वंशीधर शर्मा	ग्वारगम	10,00,000/-	2000 मै. टन	–
65.	मै. हरियाणा होटल, गंगासर रोड़, बीकानेर	श्री मनीराम मंजू पुत्र श्री रिखीराम	होटल	8,85,000/-	25 कमरे	–

1	2	3	4	5	6	7
66.	मै. श्रीराम सीमेंट प्रोडक्ट बीकासर, नोखा, बीकानेर	श्री मुरलीधर राठी पुत्र श्री रणछोड़दास रोठी	ह्यूम पाइप	10,00.000/–	36000 नग	–
67.	मै. होटल जोशी, स्टेशन रोड़, बीकानेर	श्री श्याम जोशी पुत्र श्री गोपाल जोशी	होटल	9.24.000/–	25 कमरे	–
68.	मै. रामकुमार डागा, आशाणियों का चौक, बीकानेर	श्री रामकुमार डागा पुत्र श्री चान्दरतन डागा	ट्रक	1.38.000/–	ट्रक	–
69.	मै. श्री हनुमान गम इण्ड. नोखा. बीकानेर	श्री जगदीश प्रशाद राठी पुत्र श्री मोहनलाल राठी	गम	1.84.000/–	9000 मै. टन	–
70.	मै. दुर्गा काटन इण्ड. बीकानेर रोड़. नोखा	श्री हनुमान मल तापड़िया पुत्र श्री अग्रचन्द तापड़िया 2. श्री धर्मपाल पुत्र श्री हमीराराम	टैक्टाइल	1.20.000/–	120 मै. टन	–
71	मै. श्री लोहर आइल मिल. बीकानेर रोड़, नोखा	श्री भगवानाराम पुत्र श्री हमीराराम	तेल मिल	2.30.000/–	2000 मै. टन	–

364

1	2	3	4	5	6	7
72.	मै. अलाइड फाइवर एण्ड टैक्टाइल कारपोरेशन 67–68 औ. क्षेत्र. बीकानेर	श्री सुरेन्द्रकुमार सेठिया पुत्र श्री जुगराज़ सेठिया	टैक्सटाइल	1.20.000/–	जनरेटिंग सेट्स	–
83.	मै. ओसवाल सीमेंट प्रोडक्ट्स, 30 औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री नवरतन पारख पुत्र श्री जेठमल पारख	सीमेंट उत्पादन	1.20.000/–	55000 नंबर 10'–6'	
74.	मैसर्स इन्दिरा प्रिन्टिंग प्रेस इन्दिरा बस्ती, नोखा	श्री कैलाशचन्द बोयल एवं श्री नेमीचन्द बोयल,	प्रिन्टिंग प्रेस	25,000/–	24,000/–	—
75.	मै० इण्डियन आयरन वर्क्स 10 म स्कूल के पास बीकानेर	श्री मोहम्मद हुसैन, गुलाम रसूल	वर्क शाप	24,000/–	100 रोलिंग शटर	--
76.	मै० शिवबाड़ी केमिकल इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट शिवबाडी जिला बीकानेर	श्री अर्जुनराम धन्नराम	केमिकल	11,000/–	25,000/–	अ० जाति
77.	मै० श्रवण कुमार पावर हाउस के पास, बीकानेर	श्री श्रवण कुमार, रुपाराम	आटो रिक्शा	19,000/–	आटो रिक्शा	अनु० जाति
78.	मै० लक्की फ्लोर मिल्स शीतला गेट, बीकानेर	श्री अब्दुल सत्तार, अब्दुल सकूर	आटा चक्की	10,000/–	10,000/–	जोब वर्क

1	2	3	4	5	6	7
79.	मैं० हिन्दुस्तान साल्ट इण्डस्ट्रीज शिवबाड़ी बीकानेर	श्री बालकिशन रामचन्द्र	साल्ट	21,000/-	29,000 थैले	अनु० जाति
80.	मै० सुमेर ऑयल एण्ड फ्लोर मिल दियायात कोलायत, बीकानेर	श्री अर्जुनदास किशनदास	ऑयल एण्ड फ्लोर	17,000/-	10,000	जोव वर्क
81.	मै० सैनी ट्रेडर्स खाजूला ग्राम पो० खाजूवाड़ा बीकानेर	श्री डालूराम एण्ड रामूराम	वर्कशाप	25,000/-	22,000	वर्कशाप
82.	मै० लक्की पेन्ट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्री केमिकल बी-12, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री सुमहेन्द्रसिंह डालूराम श्री राजकुमार रतनलाल	केमिकल	25,000/-	20,000	वर्कशाप
83.	मै० शिलजी वर्कशाप सदर बाजार जूजू	श्री फरीद मोहम्मद, रहमत अली	वर्कशाप	25,000/-	55,000 वर्कशाप	--
84.	मैं० अब्दुल रहमान लुहार लुहारों का मोहल्ला, बीकानेर	श्री अब्दुल रहमान लुहार श्री अब्दुल सत्तार	वर्कशाप	17,000/-	55,000 वर्कशाप	--
85.	मैं० इंसाफ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लुहारों का मोहल्ला, बीकानेर	श्री शौकत अली शमसुदीन	वर्कशाप	15,000/-	55,000 वर्कशाप	—

(366)

1	2	3	4	5	6	7
86.	मैं० मोहम्मद स्टी वर्क्स चौखुटी रोड, बीकानेर	श्री मुहम्मद हुसैन उस्मानगनी	वर्कशाप	15,000/-	:2,320 --	--
87.	मैं० राजस्थान मारबल इण्डस्ट्री जैल रोड, बीकानेर	श्री राजेन्द्र कुमार कोचल श्री सुमति चन्द	मारबल चिप्स	25,000/-	72,000 वर्गफीट	जनजाति-
88.	मैं० राजपुरोहित प्लास्टिक इण्ड. बिलानी मोहल्ला, बीकानेर	श्री शिवभरण पुरोहित श्री चांद रतन पुरोहित	प्लास्टिक सामान	14,000/-	672,000	--
89.	मैं० लक्ष्मी केमिकल इण्डस्ट्रीज कमला कालोनी बीकानेर	श्री सेवाराम सूडाराम	केमिकल	25,000/-	48,000/-	--
99.	मैं० प्रेस बाक्स मेंकर्स औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री प्रेमचन्द नाहर श्री भीखमचंद नाहट	कागज के डिब्बे	20,000/-	72,000 नग	--
91.	मैं० अमर फ्लोर मिल चौपड़ा स्कूल के पास, गंगाशहर बीकानेर	श्री अमरचन्द पूनमचन्द	आटा चक्की	25,000/-	10,000	जोब वर्क
92.	मैं० विठकली फोटो स्टेट कोटगेट, बीकानेर	श्री पृथ्वीराज भोजराज	फोटो स्टेट	15,000/-	36,000 प्रतियां	जोब वर्क

1	2	3	4	5	6	7
93.	मैं० ग्रार.ग्रार. इंजीनियरिंग वर्क्स ग्रौद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री राजेन्द्रकुमार लाहटा	वर्कशाप	25,000/–	वर्कशाप	—
94.	मैं० पी० पी० फ्लोर मिल ग्राम पोस्ट गंगा शहर	श्री माणकचन्द पुगलिया	ग्राटा चक्की	25,000/–	जोब वर्क	—
95.	मैं० लक्ष्मीचन्द गौरीशंकर ग्राम पोस्ट नोखा, बीकानेर	श्री गौरीशंकर लक्ष्मीचन्द	ग्राटा चक्की	14,000/–	जोब वर्क	—
96.	मैं० ग्रंसारी स्टील हाउस चौखुटी रोड, बीकानेर	श्री मोहम्मद रिजवान मोहम्मद कदीर	कृषि उपकरण	25,000/–	60,000–	—
97.	मैं० ग्रार० के० एस० इण्डस्ट्रीज ग्रौद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री रवीन्द्रकिशोर दिनेशचन्दसिंह	गलीचा निर्माण	24,000/–	84,000	—
98.	मैं० ग्रजीज मोहम्मद ग्रायरन वर्क्स लियाकत ग्रली मोहल्ला, बीकानेर	श्री लियाकत ग्रली फरीद मोहम्मद	वर्कशाप	16,000/–	25,000	(वर्कशाप)
99.	मैं० चाँद मोहम्मद एण्ड ब्रादर्स लुहारों का मोहल्ला, बीकानेर	श्री चाँद मोहम्मद, फरीद मोहम्मद	वर्कशाप	22,000/–	22,000	—

1	2	3	4	5	6	7
100.	मै० मोहम्मद अली आयरन वर्क्स लुहारों का मोहल्ला, बीकानेर	मोहम्मद अली कमालुद्दीन	वर्कशाप	17,000/-	22,000	--
101.	मै० बी०के० भाटी सीमेन्ट उद्योग पावर हाऊस के पास, बीकानेर	श्री बालकिशन भाटी भंवरलाल भाटी	सीमेन्ट की टंकी पाइप	25,000/-	12,000 नग (4", 2" 3")	
102.	मै० लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज कोटगेट के पास, बीकानेर	श्री श्यामसुन्दर नाथूराम	बाट एवं कांटे	25,000/-	125 नग	--
103.	मै० पारीक प्रिन्टिग प्रेस मेने बाजार, लूणकरनसर बीकानेर	श्री ओमप्रकाश पारीक श्री नथमल पारीक	प्रिन्टिग प्रेस	20,000/-	14,000 जोब वर्क	
104.	मै० चेतन फोटो कापीयर्स सदर बाजार, लूणकरसर	श्री चेतनलाल सारस्वत श्री घनश्यामदास	फोटो स्टेट	15,000/-	36,000 (प्रति लि.) जोब वर्क	
105.	मै० हनुमान सोप फैक्ट्री सदर बाजार, लूणकरनसर बीकानेर	श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री उमाशंकर शर्मा	साबुन	25,000/-	12,600 क्विन्टल	—
106.	मै० नरेश लाइपसाय बिस्किट्स प्रोडक्टस, रथखाना बीकानेर	श्री जगदीशचन्द्र भोला, रामलाल	बिस्किट्स	25,000/-	24,000 किलोग्राम	—

(369)

1	2	3	4	5	6	7
107.	मैसर्स आजम काटन एण्ड फ्लोर मिल, शीतला दरवाजे के पास, बीकानेर	श्री अजीमबख्श ईसार मोहम्मद	पिसाई एवं चक्की	12,000/-	जोब वर्क 24,000/-	--
108.	मैं० घीयाराम नायक ग्राम पोस्ट भीनासर बीकानेर	श्री घीयाराम नायक मेघाराम नायक	आटो रिक्शा	20 000/-	आटोरिक्शा	(अनुसूचित जाति)
109.	मैं० चौधरी फ्लोर एण्ड आयल मिल ग्राम पोस्ट साजनवासी तहसील नोखा	श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुखराम जाट	आटा चक्की	13,000/-	30,000/-	जोब वर्क--
110.	मैं० विजय फोटो स्टेट सेन्टर कोटगेट के बाहर बीकानेर	राधेश्याम शर्मा सत्यनारायण शर्मा	फोटो स्टेट	19,000/-	जोब वर्क 36,000 प्रतिया	---
111.	मैं० रमणलाल सुथार नालवड़ी, बीकानेर	श्री रमणलाल सुथार एवं चौथूराम सुथार	आटा चक्की	13,000/-	जाब वर्क	--
112.	मैं० सरस्वती फ्लोर मिल माले की होली बीकानेर	श्री कमलकिशोर जोशी श्री के० एन जोशी	आटा चक्की	12,000/-	10,000/-	—
113.	मैं० बजरंग इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट रायसर, बीकानेर	श्री मांगीदास चूरणदास	आटा चक्की	12,000/-	10,000/-	—

1	2	3	4	5	6	7
114.	मै० हनुमान देवड़ा नथ्थूवास, बीकानेर	श्री हनुमान देवड़ा, भूडाराम	आटो रिक्शा	20,000/-	आटो रिक्शा	अनुसूचित जाति
115.	मै० सोनी फ्लोर मिल रानी बाजार, बीकानेर	अमरचन्द सोनी, धर्मचन्द सोनी	आटा चक्की	10,000/-	10,000/-	जोब वर्क
116.	मै० एम. जेड. सप्लाई सेन्टर लक्ष्मीनाथजी की घाटी, बीकानेर	श्री मोहम्मद जफर नवीबख्श	स्टील फर्नीचर	22,000/-	144 आलमारी, 360 पलंग तथा 600 कुर्सियां।	
117.	मै० विजय आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज जमूसर गेट, बीकानेर	श्री विजयकुमार मूंडडामालचंद	कोल्ड स्टोरेज	25,000/-	जोब वर्क	—
118.	मै० करणी आयल इण्डस्ट्री ग्राम पोस्ट नोखा, बीकानेर	श्री शिवघन ओझा	तेल	18,000/-	जोब वर्क	—
119.	मै० प्रदीप केमिकल इण्डस्ट्री नई लेन गंगाशहर, बीकानेर	श्री सोहनलाल चोपड़ा श्री इन्दरचन्द चोपड़ा	केमिकल	25,000/-	5,00,000/-	—
120.	मै० शारदा बुनाई केन्द्र कोटगेट, बीकानेर	श्री राजकुमार सत्यनारायण	बुनाई	16,000/-	800 स्वेटर	—

(371)

1	2	3	4	5	6	7
121.	मै० जगदम्बा मारबल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री साँवरमल दयाराम श्रीमती जमनादेवी, दयाराम	मारबल	25,000/-	76,800 वर्गफीट	--
122.	मै० जुगनू आइस क्रीम फैक्ट्री कमला कोलोनी, गजनेर रोड, बीकानेर	श्री ओमप्रकाश कन्हैयालाल	आइस केन्डी	25,000/-	6,84,000 केनडी	
123.	मै० श्रीटाइहस एण्ड मारबल इण्डस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री अरूणकुमार भंवर देवीकिशन भंवर	मारबल चिप्स	25,000/-	10,000 टन	—
124.	मै० हनुमान केमिकल इण्डस्ट्री स्टेशन रोड, नया शहर बीकानेर	श्री भँवरलाल करनानी श्री रामचन्द्र	केमिकल	18,000/-	48,000	
125.	मै० स्टार इलक्ट्रोनिक्स गजनेर रोड, बीकानेर	श्री मोहम्मद यूनूसप सौ० शफी		18,000/-	45,000 नग	
126.	मै० पूरीबाबा आइस कैन्डी रानी बाजार, बीकानेर	श्री विक्रमपुरी रामनारायणपुरी	आइस केन्डी	25,000/-	12,000/-	—
127.	मै० अण्डू फ्लोर मिल ग्राम पोस्ट नोखा, बीकानेर	श्री आदूराम सेवाराम	आटा चक्की	12,000/-	10,000/-	जोब वर्क (अनु.जाति)

372

1	2	3	4	5	6	7
128.	मै० बीकानेर बेकरी प्रोडक्ट्स भरत निवास के पास, सादुलपुर बीकानेर	श्री भंवरलाल प्रजापत रूपाराम	डबल रोटी ब्रेड	25,000/–	3,60,000	नग
129.	मै० इण्डिया मारबल टाइल्स औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री नथमल भूराराम	मारबल	25,000/–	48,000/–	
130.	मै० विष्णु फ्लोर मिल्स जलेसर गेट, बीकानेर	श्री विष्णुसिंह श्यामसिंह	आटा चक्की	12,000/–	10,000/–	जोब वर्क
131.	मै० शारदा फ्लोर मिल्स बाडीनाडा रोड, बीकानेर	श्री सुशीलकुमार महात्मा	आटा चक्की	10,000/–	10,000/–	जोब वर्क
132.	मै० बीकानेर आयल मिल तेलीपाडा, बीकानेर	श्री उस्मान अली फखरुद्दीन	तेल कमल	23,000/–	12.000/–	
133.	मै० जे. के आयल मिल 198, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री जुगलकिशोर पतीतमदास कन्हैयालाल, मोहनलाल	तेल मिल	15,000/–	4,400/–	नटन
134.	मै० गोयल गम इण्डस्ट्रीज 88, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री नरसिंहदास गोयल श्यामलाल	गम	5,16,000/–	8,500	टन

Page No 372

1	2	3	4	5	6	7
13⁚.	मै० पन्नाराम, रामूराम ग्राम गुढा रोलायतजी, बीकानेर	श्री पन्नाराम, रामूराम, भूराराम	ट्रांसपोर्ट	2.25.000, – बस	अनुसूचित जाति	
136.	मै. सोना वूलन टैक्सटाइल्स ग्राम पोस्ट भीनासर, बीकानेर	श्री रोशनलाल सेठिया श्री जीवराज सेठिया	टेक्सइल्स	3,75,000/–	9,00,000 मीटर्स	—
137.	मै. बीकानेर सेरेमिक्स प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री जगमोहन दास मूदड़ा श्री मूलचन्द पारीक	सेरेमिक्स जैनरेटिंग	1,61,000/–	जैनरेटिंग सेट्स	—
138	मैं. सूरज इण्डस्ट्रीज 50, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री रोशनलाल सेठिया श्री जीवराज सेठिया	ऊनी कपड़े	7,00,000/–	9,00,000 मीटर	—
139.	मै सुमन वूलन टैक्सटाइल्स 46, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री हजारीमल सेठिया श्री जसराज सेठिया झूमरमल श्री हजारीमल सेठिया	ऊनी धागा	7,25,000/–	135 मै. टन	—
140.	मै जय भारत ग्रायल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री शिखरचन्द लूनावत श्री कुम्भकरण लूनावत	ग्रायल मिल	3,40,000/–	600 मै. टन	—
141.	मैं. बीकानेर हेयर इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र, नापासर बीकानेर	श्री कमल कुमार राठी	अधियन्त्र	2,00,000/–	—	—

Page No 373

1	2	3	4	5	6	7
142.	मै. शमलवानी वूलन मिल्स 72, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	श्री नरेन्द्रकुमार सुराणा श्री चंचलमल सुराणा	ऊनी धागा	9,18,000/-	270 मै. टन	—
143.	मै. कोठयारी ग्राइस फैक्ट्री जी.-160 औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री नारायणदास रतनलाल बृजमोहन खेतसिंह	बरफ	1,82,000/-	480 मै. टन	—
144.	मै. मरुधर चिलिंग प्लाट कोटगेट, बीकानेर	श्री खुशालचन्द जोशी डी. पी. जोशी	चिलिंग	40,000/-	24.000/-	—
145.	मै. चौधरी रिपिट इण्डस्ट्रीज मुकाम पो. भीनासर, बीकानेर	श्री बलजीत सिंह बेनीवाल श्री तालेराम	रिपिट	80,000/-	5.000 थेले वोल्ट. 1000 थेले रिपिट	
146.	मै. बीकानेर रिफैक्ट्रीज 99-100, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री दामोदर शर्मा वैद्य सटरोणाचार्य	गिनरल ग्राइन्डिग	2,34.000/-	—	—
147.	मै. राजकमल टैक्सटाइल्स 76, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	श्री लाभचन्द छिपानी हनुमानदास	टैक्सटाइल्स	2,00.000/-	—	—
148.	मै. रणजीत मारबल इण्डस्ट्रीज रानी बाजार, बीकानेर	श्री शिखरचन्द सूजाराम माली	मारबल्स	25.000/-	96.000/-	—

1	2	3	4	5	6	7
149.	मै. संजय वूलन मिल्स जलेसर गेट, बीकानेर	श्री चतुर्भुज व्यास	ऊनी धागा	1,30,000/-	250 मिट्रिक टन	--
150.	मै. नवीन कारपेटस दरी कम्बल उद्योग ग्राम पो ऊदासर, बीकानेर	श्री नवीनचन्द्र माथुर श्री मदनचन्द माथुर	गलीचा कम्बल. दरी	50,000/-	--	--
151.	जय श्री इण्डस्ट्रीज 870बी. श्री. क्षेत्र बीकानेर	श्री कृष्णगोपाल रामरतन	कृषि उपकरण	2,00,000/-	18 मै. टन	--
152.	मै. देव इण्डस्ट्रीयल कोरपो. 13, बी औद्योगिक क्षेत्र. बीकानेर	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल नरेन्द्र कुमार	सोडा	1,68,000/-	1400 मै. टन	--
153.	मै. ओझा मारबल इण्डस्ट्री 70. पट्टीहेड़ा. रानी बाजार बीकानेर	श्री हरिकिशन श्री गोपाललाल	मारबल कटिंग	96 000/-	48000 स्का० फुट	--
154.	मै. मयूर इण्डस्ट्रीज बड़ी नाल बीकानेर	श्री लक्ष्मणदास व्यास बी. डी. व्यास	नट एवं बोल्ट्स	1.73.000/-	--	--
155.	मै. कामरा इण्डस्ट्रीज 109, 116 औद्योगिक क्षेत्र. बीकानेर	श्री रामदेव हुरसिंह सुदेश कामरा	काटन जिनिंग	1.96 000/-	12000 मै. टन	--

1	2	3	4	5	6	7
156.	मै. गणेश पोलिथिन प्रो. सदर बाजार नोखा.	श्री द्वारकाप्रसाद तापड़िया पुत्र श्री बलदेवदास तापेड़िया श्रीमती नाथीबाई पत्नि श्री माणकलाल पत्नि दामोदर लाल श्रीमती कमलादेवी पत्नि प्रेमनारायण	पोलिथिन बैग्स	1.52.000/-	4800 क्विटल बैग्स पी. वी. सी.	—
157.	मै. जगनेश्वर इण्डस्ट्री सुजानगढ़ रोड. ग्राम पो. नोखा	श्री गणपतराम. रामनारायण विश्नोई	आयल एण्ड फ्लोर मिल	13,000/-	जोब वर्क 12000/-	—
158.	मै. पारिक आयल मिल गजनेर रोड. बीकानेर	श्री ओमप्रकाश एवं श्री जगनाथ पारीक	आयल मिल	20.000/-	48.000/- जोब वर्क	—
159.	मै. चौधरी स्टील इण्डस्ट्रीज ग्राम पोस्ट भीनासर बीकानेर	श्री वेगराज कालियाराम श्री रामपत	नट बोल्ट	1. 0.000/-	100 मै. टन	—
156.	मै. अरुणा फ्लोर एण्ड आयल मिल, मिडिल स्कूल के पास, नापासर, बीकानेर	श्री दीपर देवी पत्नि श्री रमेशचन्द्र	फ्लोर एण्ड आयल	25.000/-	जोब वर्क	—

(377)

1	2	3	4	5	6	7
161.	मै. श्रोम वर्धमान इण्डस्ट्रीज ग्राम कालू लूणकरनसर बीकानेर	श्री मोहनलाल सांड	श्राइस एण्ड श्राइकेन्डी	22,000/-	--	--
162.	मै. शर्मा फ्लोर मिल कन्दोई बाजार, बीकानेर	श्री रामगोपाल शर्मा श्री किशनगोपाल	फ्लोर मिल	12.000/-	10,000/- जोब वर्क	--
163.	मै. किशन फ्लोर एण्ड वेल्डिग वर्क्स बीकानेर रोड, नोखा बीकानेर	श्री रिशनाराम	फ्लोर एण्ड वैल्डिग	22 000/-	10.000/- जोब वर्क	--
164.	मै. तमदार फोटोकापीयर्स ददड निवास, नोखा, बीकानेर	श्री पुष्पराज लक्ष्मणदास	फोटोस्टेट	16.000/-	24,000/- कापीयर्स	--
165.	मै. गदम्बा दाल एण्ड फ्लोर मिल बीकानेर	कन्हैयालाल भूरा लादूलाल	दाल एण्ड श्रायल	2 00.000/-	40.00/- जोब वर्क	--
166.	इण्डस्ट्रीज	श्री बलजीतसिंह तुलाराम	रिपिट	5.000/-	(बाढ ऋण)	--

बीकानेर जिले के ऋण प्रार्थना पत्र जो अभी विचाराधीन हैं 31-1-1982

मुख्यालय में क्रमांक	प्राप्ति की दिनांक	नाम तथा पता	उद्योगों का प्रकार	आवेदन राशि
1	2	3	4	5
1.	15-10-81	मैसर्स चौधरी हैवी इन्जीनियरिंग वर्क्स, बीनासर	नट बोल्ट्स	2,00,000/-
2.	11-1-82	,, मित्तल स्टूडियो, रानी बाजार, बीकानेर	जनरेटिंग सैट्स	9,000/-
3.	14-1-82	,, मोर्डन प्लास्टर वर्क्स, 14,15 बी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	प्लास्टर आफ पेरिस	2,00,000/-
4.	2-2-81	,, सुराणा वूलन टैक्सटाइल्स, 71, औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर	ऊनी धागा	2,60,000/-
5.	29-1-81	,, जनता कोडिंग एण्ड स्पीनिंग इण्डस्ट्रीज गजनेर रोड़, बीकानेर	,,	1,83,000/-
6.	14-4-81	,, लक्ष्मी स्पिंग मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	ऊनी धागा	11,00,000/-
7.	16-4-81	,, बीकानेर वूलन मिल्स, औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	ऊनी धागा	11,30,000/-

1	2	3	4	5
8.	3-4-81	.. शक्ति स्कावरिंग एण्ड मिलिंग मिल्स 101,-104, औद्योगिक क्षेत्र. बीकानेर	ऊनी धागा एवं कम्बल	10,00,000/- स्वीकृत 6.2.82
9.	20-5-81	.. गुप्ता नैल इण्डस्ट्रीज. 65. औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	नैल	3.20.000/-
10.	14-5-81	.. पियानी इण्डस्ट्रीज. 75 औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	गलीचों का यार्न	7.10.000/- स्वीकृत 1.2.82
10.	6-8-81	.. जगदम्बा वूलन मिल्स शिववाड़ी. बीकानेर	ऊनी धागा	7.21.000/-
12.	3-9-81	.. बीकानेर सिरेमिक्स प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	फायर ब्रिक्स इन्सूलेटर्स	16.00.000/-
				64.33.000/- क्रमश: 2
13.	5-9-81	मैसर्स जय भारत वूलन मिल्स 43. बी औद्योगिक क्षेत्र. बीकानेर	ऊनी धागा	7.32.000/-
14.	19-10-81	.. चित्रा आइस फैक्ट्री कोल्ड स्टोरेज ग्राम पोस्ट बीनासर जिला बीकानेर	आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	3.27.000/- स्वीकृत 12.2.82

1	2	3	4	5
15.	5-11-81	.. महावीर आइस फैक्ट्री ग्राम पोस्ट नोखा. बीकानेर	बर्फ	4.00.000/-
16.	15-12-81	.. सहल होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट के. ई. एस. रोड़. बीकानेर	होटल	9.50.000/-
17.	22-12-81	.. इन्दर केमिकल इण्डस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	गम पाउडर	3.20.000/-
18.	1-1-82	.. वर्धमान इण्डस्ट्रीज. 59 ए. औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	दाल मिल	1.55.000/-
19.	1-1-82	.. चालानी वूलन मिल्स. गजनेर रोड़. बीकानेर	जैनरेटिंग सैट	1.01.000/-
20.	29-1-82	.. राजकमल इण्डस्ट्रीज. 76 औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर	जैनरेटिंग सैट	1.67.000/-
				31.02.000/-

1	2	3	4	5
शाखा स्तर पर				
1.	27-1-82	.. गौरीशंकर मोहनलाल. जामसर. बीकानेर	आटा चक्की	15.000/-स्वीकृत 20.2.82 को
2.	28-1-82	.. हनुमान फ्लोर मिल. पोस्ट देशनोक.	आटा चक्की	10.000/- उपरोक्त
				25.0000